रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-73 REGISTERED No. D-(D)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5, 1977 (कार्तिक 14, 1899)
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5, 1977 (KARTIKA 14, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद

भारत के राजपत्र में अधिसूचित

बैंक स्टाफ को हस्ताक्षर करने के प्राधिकार

हैदराबाद, दिनांक 1 अक्तूबर 1977

सं० एस० बी० एच०/जी०-3/1977—इसके द्वारा यह अधिसूचना दी जाती है कि प्रबंधक, ऋण और निरीक्षक के पदों को सहायक महाप्रबंधक की ऊंची श्रेणी देने और उनके पदनामों को क्रमश मुख्य प्रबंधक (ऋण) और मुख्य निरीक्षक के नये नाम देने के कारण उपरोक्त हरेक अधिकारी को निदेशक मंडल ने क्रमश. हस्ताक्षर करने के उतने ही प्राधिकार प्रदान किये हैं जितने कि अब तक के प्रबंधक ऋण और निरीक्षक को दिये गये थे और जिनका विवरण दिनांक 2 अक्तूबर 1976 और 1 जून 1977 के भारत के राजपत्रों के भाग 3 अनुभाग 4 में क्रमश. अधिसूचना क्र० एस० बी० एच०/जी०-1/1976, दिनांक 1 अक्तूबर 1976 और एस० बी० एच०/जी०-2/1977 दिनांक 28 फरवरी 1977 के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था ।

बोर्ड के आदेश से
सुनील कुमार दत्ता
प्रबंध निदेशक

दी इंस्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया

कलकत्ता, दिनांक 6 अक्तूबर 1977

(कास्ट एकाउन्टेंट्स)

स० 16-सी० डब्ल्यू० आर० (194)/77—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स रेग्यूलेशन्स 1959 के विनियम 16 का अनुसरण कर यह सूचित किया जाता है कि दी इन्स्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के परिषद् ने कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स अधिनियम 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा दिय गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री कमल कृष्ण घोष, बी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, कास्ट एकाउन्टस आफिसर, मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स क० लि०, मोदीनगर, (सदस्यता संख्या 363), के नाम को उनकी मृत्यु के कारण 10 दिसम्बर, 1976 से सदस्य पंजिका में हटा दिया ।

स० 18-सी० डब्ल्यू० आर० (37)/77—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स रेग्यूलेशन्स 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इंस्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के परिषद् ने कहे हुए रेग्यूलेशन्स के विनियम 17 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए

श्री कमलेश भट्टाचार्जी, बी० काम०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 59, सुभाष नगर रोड, कलकत्ता-700065 (सदस्यता संख्या-3267), के नाम को 26 सितम्बर, 1977 से सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया ।

दिनांक 10 अक्तूबर 1977

सं० 18-सी० डब्ल्यू० आर० (38)/77— दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स रेग्यूलेशन्स 1969 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इस्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स आफ इन्डिया के परिषद् ने कहे हुए रेग्यूलेशन्स के विनियम 17 द्वारा दिए गए अधिकारो का प्रयोग करते हुए श्री बी० एस०, एन० भूषण, बी० एस० सी०, एफ० सी० ए०, ए० सी० एम० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 45 रवार्ड रोड, राजाजीनगर, बगलूर-5600447 (सदस्यता संख्या 571) के नाम को 27 सितम्बर 1977 से सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया ।

एच० पी० राय चौधरी
डायरेक्टर आफ एडमिनिस्ट्रेशन

गुजरात प्रादेशिक कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद-14, दिनांक 12 अक्तूबर 1977

सं० : जी०/ए० डी० एम०/239 (कोन्स्टी)/77— अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) नियमन 1950 विनियम 10(अ) के अन्तर्गत इस कार्यालय की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 31-1-1975 से सूचित की गई स्थानीय समिति सूरत का निम्नांकित सदस्यों की नियुक्ति के साथ दिनांक 12-10-1977 से पुनर्गठन किया जाता है ।

1. जिलाधीश, सूरत	अध्यक्ष
2. शासकीय श्रम अधिकारी सूरत	गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ।
3. प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी कामदार राज्य बीमा योजना, सूरत	निदेशक, चिकित्सा सेवाए कामदार राज्य बीमा योजना, अहमदाबाद-14 द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ।
4. श्री प्राणलाल एच० बक्चनीवाला उपाध्यक्ष श्री सधर्न गुजरात चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, "समृद्धि" जानपुरा, सूरत - 395001	नियोक्ता का प्रतिनिधि ।
5. श्री अरुणचन्द्र एन० जरीवाला अध्यक्ष सूरत आर्ट सिल्क क्लोथ मेन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन, "रेशम भवन" लाल दरवाजा, सूरत 395003 ।	नियोक्ता का प्रतिनिधि ।
6 श्री जयराम भाई नारायण यादव मार्फत श्री सूरत टैक्सटाइल लेबर यूनियन "श्रमजीवा सेवालय" रेलवे स्टेशन के सामने, सूरत - 395003 ।	श्रमिक प्रतिनिधि
7. श्री ईश्वरलाल जी देसाई अध्यक्ष दी सूरत सिल्क मिल्स लेबर यूनियन "श्रमजीवी सेवालय" रेलवे स्टेशन के सामने सूरत - 395003	श्रमिक प्रतिनिधि
8. व्यवस्थापक, स्थानीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सूरत ।	मत्री

आज्ञा से
एस० सहाय
प्रादेशिक निदेशक एव
मत्री, गुजरात प्रादेशिक मण्डल,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

इंडियन एयरलाइन्स

शुद्धि पत्र

9 जुलाई, 1977 शनिवार के राजपत्र मे इंडियन एयरलाइन्स से संबंधित भाग III खंड 4 मे पृष्ठ 1292 पर छपी अधिसूचना मे निम्नलिखित अशुद्धियो को निम्न रूप से पढ़ा जाये :—

1. कालम 1—पंक्ति—1	"इण्डियन एयर लाइन्स" को "इंडियन एयरलाइन्स" पढ़ा जाये ।
2. कालम 2—पंक्ति—1	"तथा उपधारा 2 के खण्ड (ई०)" के स्थान पर "तथा उपधारा 2 के खण्ड (इ)" पढा जाये ।
3. कालम 2—पंक्ति—2	"इंडियन एयर लाइन्स" को "इंडियन एयरलाइन्स" पढा जाये ।
4 कालम 2—पंक्ति—3	"इंडियन एयर लाइन्स" को "इंडियन एयरलाइन्स" तथा "प्रतिदायी" को "प्रतिदाय" पढ़ा जाये ।
5. कालम 2—पंक्ति—8	"सशोधित" के स्थान पर "सशोधन" पढ़ा जाये ।

एन० सी० भर्मा, विग कमाण्डर
सचिव

उन्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट

30 जून, 1977

भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम

नई दिल्ली-110001

सूचना

सूचना दी जाती है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारियों (शेयर होल्डरों) की उन्तीसवीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार, तारीख 26 सितम्बर, 1977 को सायंकाल 4.00 बजे (मानक समय) होटल इम्पोरियम, जनपथ, नई दिल्ली में होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर कार्यवाही की जाएगी ।

(1) 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष को निगम का तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखों का पठन तथा उन पर विचार करना एवं निगम के कार्य के संबंध में उक्त तुलन-पत्र और लेखों के संबंध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना ।

(2) (i) श्री पी० सी० डी० नाम्बियार, (ii) श्री जे० मथन तथा (iii) श्री जे० यू० पटेल, प्रत्येक के स्थान पर औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (1) के क्रमशः खण्डों (ग), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट अंशधारियों के रूप में एक-एक संचालक चुनना, जो कार्य निवृत्त हो गए हैं, पर वे इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन फिर से चुने जा सकते हैं ।

(3) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में उल्लिखित पार्टियां, अर्थात् अनुसूचित बैंकों, बीमा कंपनियों, निवेशन्यासों और ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों द्वारा मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, बम्बई के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का पहला) की धारा 226 के अंतर्गत कंपनियों के लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् अर्हता प्राप्त एक लेखा परीक्षक को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अंतर्गत चुनना . मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी इस वर्ष के अंत में के कार्य निवृत्त हुए हैं पर वे फिर से चुने जा सकते हैं ।

आर० बी० माथुर*
महाप्रबंधक

5 जुलाई, 1977

*अब निगम सेवा से निवृत्त हो गए हैं ।

संचालक बोर्ड

बलदेव पसरीचा
अध्यक्ष

एम० डंडापणि
पी० सी० नायक
केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित

सी० टी० दास
एम० आर० बी० पुआ
बागा राम तुलपुले
डा० जे० सी सन्देसारा
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
द्वारा नामित

बी० के० बोरा
पी० सी० डी० नाम्बियार
अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व
करने के लिए निर्वाचित

बी०सी० रणदेरिया
जे० मथन
बीमा कंपनियों, निवेश न्यासों और
ऐसे ही अन्य वित्तीय संस्थानों का
प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित

शामराव कदम
जसभाई यू० पटेल
सरकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व
करने के लिए निर्वाचित

बैंकर्स
भारतीय रिजर्व बैंक

लेखा परीक्षक
मै० ए० एफ० फर्गुसन एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल
मै० हरिभक्ति एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल

रसायन प्रक्रिया और
समवर्गीय उद्योग

बलदेव पसरीचा, अध्यक्ष
जसभाई यू० पटेल
बी० के० बोरा
एस० पी० वर्मा
एस० एस० मखदेव
पी० जयन्था राव
के० सी० शर्मा

पी० के० सन्याल
आर० बी० रमानी
जे० पी० कपूर
ए० सीतारामैया
डी० एम० त्रिवेदी

इंजीनियरिंग

बलदेव पसरीचा, अध्यक्ष
सी० टी० दास
पी० आर० लेती
हरि भूषण
एन० के० मित्रा
एस० आर० टाटा
प्राणलाल पटेल
बी० डी० पडा
डी० एस० मुल्ला
एन० टी० गोपाला आयगर
के० बी० राव
बी० रामाचन्द्रा

वस्त्र

बलदेव पसरीचा, अध्यक्ष
शामराव कदम
जे० मत्थन
बी० के० सिन्हा
आई० बी० दत्त
के० आई० नरसिहम्न
एम० एम० गिल
प्रफुल्ल अनुभाई
ईश्वरलाल सी० शाह
एन० एस० शर्मा
टी० एन० शर्मा

सलाहकारी समितिया

चीनी

बलदेव पसरीचा, अध्यक्ष
शामराव कदम
जस भाई यू० पटेल
सी० एन० राघवन
बी० के० सिन्हा
पी० एम० राजगोपाल नायडू
एस० एन० गुडूराव
जे० पी० मुखर्जी
डी० श्रीधर
एम० एस० गिल
एम० लक्ष्मीकान्तम
एन० ए० रमया
किशन सिंह

होटल

बलदेव पसरीचा, अध्यक्ष
बी० के० बोरा
सी० टी० दास
सी० बी० जैन
मि० थगम ई० फिलिप
नारी एच० दस्तूर
पेमी एम० णा
अजीत केरकर
पी० आनन्दा राव

पटसन

बलदेव पसरीचा, अध्यक्ष
सी० टी० दास
एस० के० पलित
बी० एल० दास
एस० वाई० गुप्ते
एल० एम० रौय
गौतम उकिल
पी० बी० सुब्बाराव
आई० के० केजरीवाल

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बारे में संक्षेप में निगमन और प्रयोजन

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना संसद के अधिनियम के अन्तर्गत 1948 में हुई। इसका उद्देश्य भारत में औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम और दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है।

पूंजी

इस समय इसकी प्रदत्त पूंजी (पेडअप कैपीटल) 20 00 करोड़ रुपये है, जिसका 50 प्रतिशत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा शेष 50 प्रतिशत रुपया अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा संस्थाओं और निवेश-न्यासों आदि के द्वारा लगाया है।

प्रबन्ध

संचालक बोर्ड में एक पूर्णकालिक (होल टाइम) अध्यक्ष और बारह संचालक है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। दो संचालक केन्द्रीय सरकार तथा चार संचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित किए जाते है। छ संचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न अंशधारियों द्वारा चुने जाते है।

कार्य और उधार नीतियां

भारत में पंजीकृत ऐसी कोई भी लिमिटेड कम्पनी या सहकारी समिति, जो माल के निर्माण, परिरक्षण या अभिसंस्कार (प्रोसेसिंग) में अथवा नौपरिवहन, खनन या होटल उद्योग में अथवा बिजली या अन्य किसी प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण में लगी हुई हो या लगाने का विचार करती है, निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं भी जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां है, गैर सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के समान ही सहायता प्राप्त कर सकती है।

यह सहायता विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे रुपये और विदेशी मुद्रा का दीर्घकालीन ऋण, जारी किए गए साधारण इक्विटी और अधिमान शेयरों या डिबेंचरों की हामीदारी (अंडर राइटिंग) साधारण, अधिमान और डिबेंचर पूंजी का अभिदान, विदेशों से आयात की गई या भारत में खरीदी गई मशीनरी के लिए आस्थगित अदायगी (डेफर्ड पेमेन्ट) गारंटी और विदेशी वित्तीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा के रूप में लिए गए ऋणों की गारंटी।

निगम के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का उद्देश्य नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करना और वर्तमान परियोजनाओं का नवीकरण, आधुनिकीकरण, विस्तार या विशाखन (डाइवर्सिफिकेशन) करना है। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कम विकसित राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए वित्तीय सहायता रियायती दर पर उपलब्ध है।

निधियों के स्रोत

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की निधियों के मुख्य स्रोत इसकी अपनी पूंजी, संचित आय, दिये गये ऋणों की वापसी (रिपेमेंट) और निवेशों की बिक्री के अतिरिक्त बांड जारी करके बाजार से रुपया उधार लेना और केन्द्रीय सरकार से ऋण लेना एवं विदेशी ऋण है।

कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(रुपये, करोड़ो मे)

	1976-77			1948-77		30 जून, 1977 को बकाया रकम
	मंजूरियां		सवितरित रकम	मंजूर की गई रकम	सवितरित रकम	
	संख्या	रकम				
ऋण						
रुपया	163	86 15	53.75	481 78	404 39	260 42
विदेशी मुद्रा	25	5.01	3.07	65.37	54.84	26.00
जोड़	188	91.16	56.82	547 15	459.23	286 42
हामीदारिया						
साधारण शेयर	68	7 41	1 07	28.68	11.95	9 05
अधिमान शेयर	6	0.51	0.18	10.13	7 45	5.08
डिबेचर	1	0 38	—	10 51	8.55	0.54
जोड़	75	8.30	1 25	49.32	27 95	14.67
प्रत्यक्ष अभिदान						
साधारण शेयर	10	0.31	0.47	4.06	2.56	4 55 *
अधिमान शेयर	—	—	—	0 32	0.30	0.82 *
डिबेचर	—	—	—	1.82	1.82	0.08
जोड	10	0 31	0.47	6.20	4 68	5.45
गारंटिया						
आस्थगित						
अदायगियो के लिए	—	—	—	28.87	28.76	1.43
विदेशी ऋणों के लिए	—	—	—	23.83	23.33	2.08
जोड	—	—	—	52.70	52.09	3.51
कुल जोड़	273@	99.77	58.54	655.37	543.95	310.05

*इसमें 5 संस्थाओ के 0.87 करोड़ रुपये के बकाया ऋणो का भाग (अधिदेय ब्याज आदि) सम्मिलित है जिन्हें शेयरों में बदला गया, तथा दो सस्थाओ के 0.61 करोड़ रुपये के संपरिवर्तनीय डिबेचर सम्मिलित हैं जिन्हे साधारण शेयरो मे बदल दिया गया और 17 सस्थाओ के 1.61 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि भी शामिल है, जिसमे ऋण मजूर करते समय सपरिवर्तन के अधिकार से सम्बन्धित शर्त लगाई गई थी ।

@ये मजूरिया 174 संस्थाओ को मंजर की गई ।

महायता का प्रसार

30 जून, 1977 को

मजूर राशि (करोड रुपये)	परियोजनाओं की संख्या	उद्योग	राज्य/क्षेत्र	मजूर राशि (करोड रुपये)	परियोजनाओं की संख्या
		चीनी :	आन्ध्र प्रदेश	50.14	72
119.37	119	सहकारिताएं	असम	11.04	11
23 19	35	अन्य	बिहार	32.04	41
142 56		रसायन :	गुजरात	44.85	65
		उर्वरक तथा	हरियाणा	26.43	47
34.52	17	कीटनाशक	हिमाचल प्रदेश	2.09	6
34 81	38	मूल रसायन	जम्मू और कश्मीर	1.40	2
25.48	29	कृत्रिम रेशे तथा रेसिंज	कर्नाटक	44.79	73
10.03	29	अन्य रसायन	केरल	20.23	28
104.84			मध्य प्रदेश	17.76	24
73.27	135	वस्त्र	महाराष्ट्र	128.08	179
50.57	48	कागज	मेघालय	2.84	2
41.13	64	लोहा तथा इस्पात	नागालैंड	0.50	1
33.23	38	सीमेंट	उडीसा	15.85	20
31.47	13	अलौह धातुएं	पंजाब	13.53	24
30 74	68	मशीनरी	राजस्थान	27 45	23
25.90	22	रबर उत्पाद	तमिलनाडु	78 83	89
24.46	43	परिवहन उपस्कर	त्रिपुरा	0.80	1
22.50	50	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर	उत्तर प्रदेश	74 01	96
			पश्चिमी बंगाल	50.12	91
13 74	35	धातु उत्पाद	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0 42	1
12.72	26	होटल	दिल्ली	6 33	7
10 97	18	पटसन उत्पाद	गोआ	4 75	7
37 27	85	अन्य	पांडिचेरी	1 09	2
655.37	912	जोड	जोड़	655.37	912

वित्तीय सार

30 जून, 1977 को

	करोड़ रुपये	अमेरिकी डालर के बराबर*
पूंजी तथा रिजर्व	20.00	22.42
अधिकृत पूंजी	20.00	22.42
प्रदत्त पूंजी	10.00	11 21
रिजर्व	26.37	29.56
प्रदत्त पूंजी और रिजर्व	36.37	40.77
उधार		
बांड	187.75	210. 41
विदेशी वित्तीय संस्थानों से	22.06	24. 7
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	5.00	5.61
सरकार से के० एफ० डब्ल्यू ऋणों के ब्याज से अन्तरजन्य निधियों के अधीन	1 27	1 42
अन्य ऋण	48 82	54.73
कुल उधार	264.90	296.97
आय 1976-77		
सकल आय	24 23	27 16
कराधान से पहले सकल लाभ	5 46	6.12
कराधान के लिए व्यवस्था	2.22	2 49
निवल लाभ	3 24	3.63
अधिलाभांश	0.60	0.67

*रुपयों का सम्परिवर्तन 8.92 रु० प्रति डालर की दर से किया गया।

वर्ष की समीक्षा

मंचालक बोर्ड, 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण के साथ निगम के कार्य सचालन के बारे मे अपनी उन्तीसवी रिपोर्ट प्रस्तुत करते है ।

2. वर्ष के दौरान राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था मे मिश्रित झलक दिखाई पड़ी । कीमतो मे वृद्धि की झलक दिखाई पड़ी और मुद्रा-स्फीति का दबाव विकसित हुआ । कृषि उत्पादन मे मामूली गिरावट आई यद्यपि औद्योगिक उत्पादन मे उत्साहपूर्वक सुधार दिखाई पड़ा । अदायगी स्थिति के सन्तुलन मे महत्वपूर्ण सुधार हुआ और विदेशी मुद्रा के भण्डार की दृष्टि से देश की स्थिति सतोषजनक थी । सरकार ने खाद्य सामग्री का काफी भण्डार जमा कर लिया है और आयात को ध्यान मे रखते हुए कीमतो पर कुछ असर पड़ा है । वर्ष के दौरान कुछ उद्योगो मे क्षमता की दृष्टि से सुधार हुआ और कुछ अन्य उद्योगों मे माग कम होने के कारण क्षमता उपयोग कम रहा जिसके कारण कुछ उद्योगों , जैसे, सूती वस्त्र, पटसन, वस्त्र, चीनी तथा कुछ इंजीनियरिंग उद्योगों को कुछ इकाईयों के बन्द होने के कारण औद्योगिक दृश्य निराशाजनक रहा । वित्तीय संस्थानो तथा बैंको की अनुवर्ती कार्रवाई को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्था मजबूत करनी पड़ी और वित्तपोषित संस्थाओ में निहित रुग्णता को खोजने के लिए विशेष निरीक्षण व्यवस्था की जा रही है ताकि जहा तक संभव हो समय पर उपचारक उपाय किये जा सके । इसके लिए वित्तीय संस्थानो तथा बैंकों मे आर्थिक सहयोग तथा आपसी मेलजोल की आवश्यकता है जिससे रुग्ण इकाईयो की समस्याओं का विश्लेषण किया जा सके और उनको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए रास्ता निकाला जा सके , कुछ उद्योगो मे रुग्णता की वृद्धि को रोकने के लिए और सरकार द्वारा स्थापित कार्यदल के अध्ययन के अनुरूप कुछ चीनी, पटसन, वस्त्र, इंजीनियरिंग और सीमेंट उद्योगो की इकाईयो मे आधुनिकीकरण तथा नवीकरण करने के लिए उदार शर्तों पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए उदार ऋण योजना शुरु की है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिनको इस योजना के कार्य संचालन का कार्य सौपा गया है, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम के साथ मिलकर निगम सांझे आधार पर इस योजना मे भाग ले रहा है ।

वर्ष के दौरान कार्यों की समीक्षा

3. वर्ष के दौरान निगम ने 100 12 करोड रुपये की सकल वित्तीय सहायता मजूर की जो कि पिछले वर्ष 54 84 करोड़ रुपये थी । 0.35 करोड़ की रद्द की गई मजूरियों के बाद, 191 परियोजनाओं को 99 77 करोड़ रुपये की निवल वित्तीय सहायता मजूर की गई, इनमें से 96 परियोजनाये ऐसी थी जिनको निगम ने 56 95 करोड़ रुपये की सहायता अग्रणी संस्थान के रूप म मजूर की । वर्ष के दौरान निवल मंजूरियां पिछले वर्ष की तुलना में 83 प्रतिशत अधिक थी जो पिछले वर्ष 116 परियोजनाओ को 54.60 करोड़ रुपये थी । वर्ष के दौरान जिन परियोजनाओ को सहायता दी गई उनकी कुल पूजीगत लागत 752 85 करोड रुपये है ।

4. वर्ष के दौरान 58.54 करोड रुपये की सहायता संवितरित की गई, पिछले वर्ष यह सहायता 43.97 करोड़ रुपये थी । इस वर्ष की संवितरित सहायता पिछले वर्ष से 33 के लगभग अधिक थी ।

5. उद्योगो के जिन विस्तृत समूहो को सहायता दी गई उसका प्रत्येक परियोजना के संक्षिप्त विवरण सहित ब्यौरा परिशिष्ट 'क' मे दिया गया है । मंजूर की गई, सहायता की कुछ उल्लेखनीय बाते नीचे दी गई है —

अधिसूचित कम विकसित जिलों / क्षेत्रो मे स्थित परियोजनाओ को कुल सहायता का 62% भाग प्राप्त हुआ ।

वर्ष के दौरान जिन 191 परियोजनाओं को सहायता दी गई उनमें से 86 परियोजनाए नई थी तथा इन्हें कुल निवल सहायता का 69 6% भाग प्राप्त हुआ । नये उद्यमकर्ताओं द्वारा स्थापित तेरह नई परियोजनाओं को 5.43 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई ।

लगभग कुल वित्तीय सहायता का 76%भाग उच्च राष्ट्रीय प्राथमिक उद्योगो , जैसे, चीनी, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज, उरवरक तथा चुने हुए अन्य महत्वपूर्ण उद्योगो को प्राप्त हुआ ।

सयुक्त क्षेत्र में प्रवर्तित उन्तीस परियोजनाओ की 17.86 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई ।

सरकारी क्षेत्र की बीस परियोजनाओं की 15.05 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई ।

सहकारी क्षेत्र की इक्कीस परियोजनाओं—सोलह चीनी परियोजनाओं, चार वस्त्र परियोजनाओ तथा एक कृत्रिम रेशा परियोजना को 17 14 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई ।

चुने हुए उद्योगों का आधुनिकीकरण करने के लिए आधुनिकीकरण योजना के अधीन चीनी, सूती वस्त्र, सीमेंट तथा इंजीनियरिंग उद्योगों की 32 परियोजनाओं को 10.24 करोड़ रुपये की सहायता मजूर की गई ।

वर्ष के दौरान मंजूर की गई सहायता 19 राज्यों तथा चार केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों मे व्याप्त थी

नये उद्यमकर्ताओं तथा तकनीकियों को सहायता

6. वर्ष के दौरान निगम ने नये उद्यमकर्ताओ तथा तकनीकियो द्वारा लगाई 13 नई परियोजनाओ को 5.43 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की । ये परियोजनाएं, कागज, कृत्रिम रेशे, औद्योगिक विषफोटक, रिफ्रेक्ट्रीज, लोहा तथा इस्पात, रबर उत्पाद, होटल, वस्त्र, विविध खाद्य उत्पाद और लकडी उत्पाद आदि, उद्योगों से संबंधित थे ।

कम विकसित क्षेत्रों को मंजूर सहायता

7. निगम ने अधिसूचित कम विकसित जिलो/ क्षेत्रो मे स्थापित 96 परियोजनाओं को 62.24 करोड़ रुपये की सहायता मजूर की । ये कुल सहायता का 62% थी जो कि पिछले वर्ष 48 थी । इस वर्ष मंजूर की गई वित्तीय सहायता की उल्लेखनीय बात यह रही है कि कम विकसित जिलो/क्षेत्रों को मजूर की गई सहायता

पिछले वर्ष की 54.60 करोड रुपये की सहायता से बढ़ गई। सारणी 1 में निगम द्वारा 1970-71 से लेकर कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं को दी गई सहायता दिखाई गई है, जब ऋण प्रदान करने वाले अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को रियायती वित्त प्रदान करने की घोषणा की थी।

सारणी 1

अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर सहायता

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	कुल सहायता	कम विकसित जिलों को सहायता	कालम 3 से 2 का प्रतिशत
1	2	3	4
1970-71	35 20	8.32	23.6
1971-72	39.16	14.10	36.0
1972-73	46.15	20.36	44.1
1973-74	39.31	14.56	37.0
1974-75	36.86	19.95	54.1
1975-76	56.60	26.22	48 0
1976-77	99.77	62.24	62 4
	351.05	165 75	47.2

वर्ष के दौरान, अधिसूचित कम विकसित जिलों की जिन 58 नई परियोजनाओं को सहायता दी गई, उनमें से 20 परियोजनाएं 3 00 करोड़ रुपये से कम लागत, 16 परियोजनाएं 3 करोड़ रुपये से 5 00 करोड़ रुपये के बीच की लागत और शेष 22 परियोजनाएं 5.00 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली थी।

सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण

8 सारणी 2 में वर्ष के दौरान की गई मंजूर सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण दिया गया है।

सारणी 2

क्षेत्रवार मंजूर सहायता 1976-77

(रुपये, करोड़ों में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गई निवल सहायता	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4
सहकारी क्षेत्र . . .	21	17 14	17 2
सरकारी क्षेत्र	20	15 05	15.1
संयुक्त क्षेत्र . . .	29	17.86	17 9
निजी निगमित क्षेत्र	121	49 72	49.8
जोड	191	99 77	100 0

9. वर्ष के दौरान, 21 औद्योगिक सहकारिताओं को 17.14 करोड रुपये की सहायता मंजूर की गई। यह सहायता रुपया ऋणों के रूप में दी गई जो कुल मंजूर रूपया ऋणों का 20 भाग थी। यह सहायता सोलह चीनी सहकारिताओं, चार सूती वस्त्र सहकारिताओं तथा कृत्रिम रेशा उद्योग की एक सहकारिता को दी गई।

विसपोषित 16 चीनी सहकारिताओं में से 14 नई थी जिनमें से 8 परियोजनाएं ऐसी थी जो कि अधिसूचित कम विकसित जिलों में लगाई जानी है। दो चीनी सहकारिताओं को उनकी विस्तार योजनाओं के लिए सहायता मंजूर की गई।

सभी चार सूती वस्त्र सहकारिताओं को उनकी विस्तार परियोजनाओं के लिए सहायता मंजूर की गई।

कृत्रिम रेशा उद्योग में एक सहकारिता को इसकी नई परियोजना के लिए 3500 टन वार्षिक की विस्थापित क्षमता से पोलेस्टर फिलामेंट धागे का निर्माण करने के लिए सहायता मंजूर की गई।

10. निगम ने संयुक्त क्षेत्र की 29 परियोजनाओं को 17 86 करोड रुपये की सहायता मंजूर की। इनमें से 20 नई परियोजनाएं थीं, जिनमें से 15 कम विकसित जिलों में लगाई जाएंगी, पहले

से वित्तोपोषित 9 परियोजनाओं की परियोजना लागत, आदि के अति-व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई।

11 वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की 20 परियोजनाओं को 15 05 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई।

परियोजनाओं के प्रकार के अनुसार मंजूरिया

12 सारणी 3 में पिछले दो वर्षों के दौरान परियोजना के प्रकार के अनुसार मंजूर सहायता का विवरण दिया गया है।

वर्ष के दौरान सहायता प्रदान की गई नई परियोजनाओं में से दो तिहाई से अधिक कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में लगाई जायेगी। ये 58 परियोजनाएं अधिसूचित कम विकसित 8 जिलों तथा 2 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में व्याप्त है।

13 1976-77 के दौरान जिन नई परियोजनाओं को सहायता दी गई उनकी पूंजीगत लागत की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण नीचे सारणी 4 में दिया गया है।

वर्ष के दौरान सहायता प्रदान की गई 52 नई परियोजनायें मध्यम स्तर की थी, अर्थात् 5 00 करोड रुपये से कम लागत वाली परियोजनाएं। 65 ऐसी नई परियोजनाएं थी जिन्हे प्रत्येक को 1 00 करोड़ रुपये से कम की सहायता मजूर की गई।

सारणी 3

1975-76 और 1976-77 के दौरान मजूर की गई सहायता का परियोजनाओं के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण

(रुपये, लाखों में)

परियोजना का प्रकार	1975-76		1976-77	
	परियोजनाओं की संख्या	मजूर सहायता	परियोजनाओं की संख्या	मजूर सहायता
नई परियोजनाएं	63	3966 10	86	6942.25
विस्तार/विशाखन . .	22	1021 89	24	1181.12
आधुनिकीकरण/नवीकरण आदि	31	472 48	49	829 44
उप-जोड .	116	5460 47	159	8952.81
उदार ऋण योजना . .	—	—	32	1024.25
जोड़ .	116	5460 47	191	9977.06

सारणी 4

नई परियोजनाओं की पूंजीगत लागत की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण—1976-77

(रुपये, लाखो में)

पूंजी लागत की मात्रा	नई परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत	मजूर सहायता	परियोजना लागत में प्रतिशत सहायता
100 तक .	2	154 04	29 50	19 2
101-300	25	5285 32	976.66	18 5
301-400 .	12	4401.30	646 83	14 7
401-500 . .	13	5919.58	867 82	14 7
501-1000 . .	26	17132 41	2613 94	15.3
1000 से ऊपर . .	8	21247.00	1807 50	8 5
जोड .	86	54139.65	6942.25	12.8

उदार ऋण योजना

14. वर्ष के दौरान, दीर्घ कालीन ऋण प्रदान करने वाले अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानों ने कुछ उद्योगों जैसे, चीनी, पटसन, सूती वस्त्र, सीमेंट तथा इंजीनियरिंग का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन करने के लिए उदार ऋण योजना चालू की। इस योजना के विवरण रिपोर्ट में अन्य स्थान पर दिये गये हैं। इस योजना के अधीन निगम ने 32 परियोजनाओं को 10 24 करोड रुपये की कुल सहायता मजूर की जिसका विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5

उदार ऋण योजना के अधीन मंजूर वित्तीय सहायता

(रुपये, लाखों में)

उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	निगम द्वारा मंजूर की गई सहायता राशि		
		उदार शर्तों पर	सामान्य शर्तों पर	जोड़
चीनी . . .	4	88 24	100 51	188.75
पटसन . . .	2	128.75	—	128 75
सूती वस्त्र . . .	5	75 38	75.37	150.75
सीमेंट . . .	14	185.50	177.50	363.00
इंजीनियरिंग . . .	7	97.20	95.80	193.00
जोड़ . . .	32	575.07	449 18*	1024.25

*इस राशि में अधिसूचित कम विकसित जिलों में स्थित 8 परियोजनाओं को रियायती दरों पर दी गई सहायता शामिल है ।

उद्योगवार मंजूरियां तथा संवितरण—1976-77

15. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंजूर तथा संवितरित की गई वित्तीय सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण सारणी 6 में दिखाया गया है । रिपोर्ट में साख्यिकी आकड़े राष्ट्रीय औद्योगिकरण वर्गीकरण 1970 के अनुसार दिखाये गये है ।

16. निगम की सहायता उद्योगो के विस्तृत समूह को प्राप्त हुई । राष्ट्रीय उच्च प्राथमिकता उद्योगों, जैसे चीनी, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज तथा उर्वरकों को कुल सहायता का 55% के लगभग प्राप्त हुआ । इस उक्त सहायता को मिलाकर वर्ष के दौरान कुल मंजूर सहायता का 76% भाग, भारत सरकार को दिनांक 2 फरवरी, 1977 के औद्योगिक नीति कथन के परिशिष्ट 1 मे उल्लिखित महत्वपूर्ण उद्योगो अर्थात् मूल, विश्लेषक तथा सामरिक महत्व के उद्योगों को प्राप्त हुआ ।

17. वर्ष के दौरान राज्यवार मंजूरियों एव संवितरणो का वर्गीकरण सारणी 7 में दिया गया है ।

सारणी 6

उद्योगवार मंजूरिया तथा संवितरण—1976-77

(रुपये, लाखो में)

उद्योग	मंजूरिया					संवितरण
	परियोजनाओ की संख्या	कुल मंजूरियो का प्रतिशत	ऋण	हामीदारिया/ प्रत्यक्ष अभिदान	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
चीनी						
सहकारी क्षेत्र . . .	16	13 3	1325 00	—	1325.00	1327.00
निगमित क्षेत्र . . .	9	8 0	800 75	—	800 75	565 00
कागज . . .	25	21 3	2125.75	—	2125 75	1892.00
रसायन तथा रसायन उत्पाद	17	17.8	1444.23	329.98	1774.21	433.77
मूल औद्योगिक रसायन . .	9	3.7	305.14	64 40	369 54	147 45
उर्वरक तथा कीटनाशक . .	3	1.7	132 34	40.00	172.34	19.98
कृत्रिम रेशे तथा रेसिंज						
सहकारी क्षेत्र . . .	1	2.5	250.00	—	250 00	225.00
निगमित क्षेत्र . . .	3	0.9	76.74	10 00	86.74	113 22
अन्य रसायन तथा . . .	9	3.0	246 44	55.59	302 03	178.29
रसायन उत्पाद . . .	25	11 8	1010 66	169.99	1180 65	683.94

1	2	3	4	5	6	7
सूती वस्त्र						
सहकारी क्षेत्र	4	1.4	139.00	—	139.00	199.50
निगमित क्षेत्र	14	7 9	750 75	35 50	786 25	581.52
	18	9.3	889.75	35.50	925.25	781.02
सीमेंट						
बिजली मशीनरी तथा पुर्जे	16	6 6	663.00	—	663 00	70 00
परिवहन उपस्कर	9	4 0	337.01	62.50	399.51	153.82
पटसन उत्पाद	10	3.7	340.00	25.49	365 49	175 51
मशीनरी तथा पुर्जे	4	3.5	333.75	17.50	351.25	9.23
होटल	11	3.5	325 36	20 00	345.36	246.31
लोहा तथा इस्पात	11	3.1	294.75	13 00	307.75	307.36
रबर उत्पाद	13	2.6	224.81	36.50	261.31	437 78
ऊनी उत्पाद	4	2.3	211 50	22.39	233 89	173.78
विविध निर्माण उद्योग	5	2.2	190.48	28.00	218.48	35.42
लकड़ी उत्पाद	4	1.8	167.39	10.50	177 89	21.00
काच	4	1.3	106.65	22.50	129 15	34.47
विविध खाद्य उत्पाद	2	1.2	102.50	20.00	122 50	9 00
अलौह धातुएं	3	1.1	95.00	12.50	107.50	14.66
धातु उत्पाद	2	1.1	93.73	13 00	106 73	15.00
विविध अधातु खनिज	4	1.0	96.00	4 00	100 00	159.23
उत्पाद	3	0.7	63.39	8.00	71 39	118.73
खनन	1	0 1	—	10 00	10.00	—
चमड़ा उत्पाद	—	—	—	—	—	51.74
बिजली तथा गैस	—	—	—	—	—	30 00
जोड़	191	100.00	9115.71	861 35	9977.06	5853.76

सारणी 7

राज्य-वार मजूरिया तथा संवितरण—1976-77

(रुपये, लाखों में)

राज्य/ क्षेत्र	मजूरियां						संवितरण
	ऋण		हामीदारिया तथा प्रत्यक्ष अभिदान	जोड़	कूल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	
	सहकारी क्षेत्र	निगमित क्षेत्र					
1	2	3	4	5	6	7	6
आन्ध्र प्रदेश	95.00	901.97	239.00	1235.97	12.4	19	580 74
असम	—	—	2.50	2.50	—	1	87.36
बिहार	—	513 46	31.88	545.34	5 5	15	105.72
गुजरात	380.00	327 32	65 40	772.72	7.8	12	472.01
हरियाणा	—	441.56	115 00	556.56	5.6	8	161.00
हिमाचल प्रदेश	—	90.00	—	90.00	0.9	1	24.98
जम्मू और काश्मीर	—	100 00	—	100.00	1.0	1	24 00

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक . . .	115.00	313.00	24.50	452.50	4.5	10	495.94
केरल	——	176.41	——	176.41	1 8	5	201.76
मध्य प्रदेश .	——	393.00	47 50	440.50	4 4	7	122.28
महाराष्ट्र . . .	785 00	520.00	41 00	1346 00	13 5	29	1086 69
मेघालय	——	——	0.09	0 09	——	1	3 95
उड़ीसा . . .	——	182.00	27 50	209.50	2 21	3	0 50
पंजाब . . .	——	187 00	36 50	223 50	2 2	6	217.42
राजस्थान .	64 00	465.50	48.39	577 89	5 8	8	246 43
तमिलनाडु . .	80 00	578.61	12 50	671.11	6 7	16	578.66
त्रिपुरा . . .	——	80 00	——	80 00	0.8	1	——
उत्तर प्रदेश . . .	195.00	1327 70	110 75	1633 45	16.4	26	1137 28
पश्चिमी बंगाल . .	——	518 28	31 49	549.77	5 5	15	132 90
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह .	——	30 90	——	30 90	0.3	1	10.00
दिल्ली	——	185 00	8.00	193.00	1.9	3	160 64
गोआ	——	30.00	10.00	40.00	0.4	2	3.50
पांडिचेरी . .	——	40.00	9 35	49.35	0 5	1	——
जोड़ . .	1714.00	7401 71	861.35	9977 06	100.0	191	5853.76

वर्ष के दौरान वित्तपोषित परियोजनाओं का आर्थिक योगदान :

18. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संभावित योगदान सारणी 8 में दिया गया है। इसमें परियोजनाओं की अति लागत और आधुनिकीकरण योजनाओं आदि के मामले नहीं दिखाये गये हैं।

सारणी 8

1976–77 के दौरान वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखान परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

(रुपये, करोड़ों में)

उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	कुल पूंजीगत लागत	पैदा किया जाने वाला प्रत्यक्ष रोज-गार (संख्याएं)	उत्पादन मूल्य	सकल मूल्य वृद्धि	वार्षिक क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
चीनी . .	22	122 07	12,760	91 99	22 47	4 06 लाख टन चीनी।
सूती वस्त्र . .	9	39.40	5,780	51 48	11.20	1,31,380 तकुए, 202 करघे।
कागज .	13	139 29	6,608	79 09	39 12	1,84,920 टन कागज तथा गत्ता
सीमेंट . .	3	56.06	1,296	19.15	9.98	9 10 लाख टन।
रसायन तथा रसायन उत्पाद	15	103.71	3,067	105 54	36 67	3200 टन सोडियम डाइक्रोमेट तथा 1470 टन सोडियम उल्फेट, 1898 टन पिगमेंट्स, 144 टन फ्लोरेसेंट्स, 144 टन पियरल असेसिस, 3.3 के 360 टन डायहाइड्रोक्लोराइड, 1250 टन बेटा नेपथोल, 5000 टन सेंथेटिक क्रेसोल्स, 10 लाख क्युबिक मोटर ऐसीटिलीन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						गैस, 2000 टन निटराइल रबर, 3500 टन पोलेस्टर फिलामेंट धागा, 2000 टन एबीएस रेसिन्स, 10,000 टन नाइट्रो ग्लेसरित आधारित औद्योगिक विसफोटक, 6000 टन बैनजीन हेक्सक्लोराइड, 5000 टन पेस्टासाइड आधारित मेथिल आइसोयानेट, 10,000 टन सेंथेटिक डिटरजेन्ट्स, 23,750 टन कार्बन ब्लैक और तेल/खली/ चावल निकालने की 13,000 टन प्रोसेसिंग क्षमता।
रबर उत्पाद	3	9 70	846	10.75	3.58	2100 टन कन्वेयर बेल्टिंग तथा 23,50,000 स्वचालित फेन बेल्ट और 'वी' बेल्ट और 300 टन रबर लाइनिंग, रबर स्क्रीन डेक्स और रबर के अन्य उत्पाद।
लोहा तथा इस्पात	6	16.77	2,390	40 94	7.51	2400 टन बन्द डाई फोर्जिंग, 12,000 टन भारी फोर्जिंग, 2,800 ढलवा कास्टिंग, 85,000 टन ई० आर० डब्ल्यू० स्टील ट्यूब, 4700 टन कोल्ड नरम स्टील, 1200 टन हाई कार्बन स्टील, 600 टन स्टेनलेस स्टील पत्तियां, तथा 15,000 टन ढांचे।
बिजली मशीनरी	7	9 70	846	10.75	3 58	58 पावर स्टेशन पम्प, 1800 ए० वी० ए० ट्रांसफार्मर्स, 50 लाख सकलित सर्किट, पावर ट्रांसिसटर तथा डियोटस् और 12 लाख इलेक्ट्रानिक कनेक्टर और 1520 किलोमीटर क्रास लिंकटड पोलेथलीन तारे।
स्कूटर	5	24 32	3,200	70.85	11.52	1,20,000 दो पहिये स्कूटर और 1,65,000 पावर पैक।
अन्य उद्योग	29	115 55	12,051	119.48	38 23	
जोड़	112	659.21	50,559	633.06	193.54	

टिप्पणी : प्रत्यक्ष रोजगार उत्पादन मूल्य और सकल मूल्य वृद्धि के आंकड़े सर्वोत्तम उत्पादन के वर्ष से संबंधित हैं।

सारणी 8 से देखा जायेगा कि निगम की सहायता राष्ट्रीय प्राथमिक उद्योगो, जैसे चीनी, सूती वस्त्र, कागज तथा सीमेंट में अतिरिक्त क्षमता पैदा करने मे काफी सहायक रहेगी। इन परियोजनाओं को 659 21 करोड रुपये की लागत से कार्यान्वित हो जाने पर सभवत. 633.06 करोड़ रुपये वार्षिक उत्पादन बढ़ जायेगा। जब ये परियोजनाए अपने सर्वोत्तम उत्पादन के स्तर पर पहुंचेगी इस समय इनकी रोजगार क्षमता 50,559 व्यक्ति होने का अनुमान है।

संचालन गतिविधिया

ब्याज की दर

19. वर्ष के दौरान, निगम को ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन सकल तथा निवल ब्याज (मूलधन तथा ब्याज की किस्तें समय पर अदा करने पर दी गई छूट का गणन करने के बाद निवल ब्याज दर) दरों को पहले से चली आ रही अभिव्यक्ति व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब निवल दर से ब्याज अदा करने की व्यवस्था कर दी गई है बशर्ते मूलधन तथा ब्याज को समय पर अदा न की गई किस्तों पर 2% वार्षिक की अतिरिक्त ब्याज निर्धारित हानि के रूप में देना होगा। चूकि की गई किस्तों पर ब्याज मिश्रित ब्याज की दर से लिया जायेगा और इसे स्थगित की गई प्रतिभूति के अन्तर्गत लिया जाना है। यह सशोधित व्यवस्था 28 फरवरी, 1977 से लागू हो गई है। जहा तक अन्तरिम ऋणो का सम्बन्ध है, इन पर ब्याज की दर उस ब्याज दर से एक प्रतिशत अधिक होगी जो ब्याज नियमित ऋण करार के बन्धक होने की तारीख को ब्याज की दर ऋण पर लागू थी।

अन्तराल ऋणो पर निगम ब्याज की दर सम्बन्धित ऋण करार के बन्धक होने की तारीख को लागू ब्याज की निवल दर से दो प्रतिशत अधिक होता है और यह दर अन्तराल ऋण की पूरी अवधि तक लागू रहती है। लेकिन उदार ऋण योजना के अधीन मूल मजूरियो से जब अन्तराल ऋण दिया जाता है तो ऐसी अवस्था मे प्रारम्भिक 120 दिनो के लिए कोई अधिक ब्याज नही लिया जाता। केवल 121वें दिन से नियमित दस्तावेज के बन्धक होने तक और मूल ऋण के संवितरण होने तक उदार ऋण की सीमा से ऊपर के ऋणो पर 2% वार्षिक का अतिरिक्त ब्याज लिया जाता है। यह अतिरिक्त ब्याज इसलिए लिया जाता है ताकि संस्था नियमित दस्तावेज शीघ्र से शीघ्र पूरे कर ले।

अन्य अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानो के साथ समन्वय

20. पिछले वर्ष यह उल्लेख किया गया था कि अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाओं ने वित्तीय सहायता के आवेदनो को मजूर करने की प्रक्रिया को तीव्र करने तथा ऋणो के सवितरण को तेज करने के लिए कदम उठाये है। वित्त मंत्रालय के भूतपूर्व श्री एम० नरसिंहम् की अध्यक्षता मे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नियुक्तसमिति की सिफारिशो के अनुरूप वित्तीय संस्थानो ने कई कदम उठाये जिनमे से महत्वपूर्ण 'अग्रणी संस्थान' की धारणा को गहन करम, अग्रणी संस्थान द्वारा किये गये मूलांकन पर अधिक निर्भर करना और आवेदको को वित्तीय सहायता मजूर करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम को लागू करना।

वर्ष के दौरान, सरकार ने अन्य बातो के साथ-साथ आवेदनो को शीघ्र निपटाने और मजूर पूर्व देरी को कम करने के लिए कार्यकारी दल का गठन किया। इस कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुरूप वित्तीय सस्थानो ने आवेदन प्राप्त होने की तारीख से ऋण मजूर होने तक की व्यवस्था को दोषरहित बनाया है। इस समय पूर्ण आवेदन पत्र के प्राप्त होने से लेकर आवेदक को निर्णय की सूचना देने तक आवेदन की प्रक्रिया मे 4 से 5 मास का समयबद्ध कार्यक्रम अपनाया जाता है।

अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाओ ने पहले ही पात्र संस्थाओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए साझा आवेदन पत्र अपनाया है। इस साझे आवेदन पत्र को भरने के लिए आवेदको के पथप्रदर्शन हेतु आवश्यक निदेश भी दिये गये हैं। अब आवेदक सस्था निगम के किसी भी कार्यालय अथवा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानो से साझा ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और इन सस्थाओ मे से किसी को भी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते है जो कि सयुक्त रूप से गुणावगुणो के आधार पर आवश्यकतानुसार उस पर विचार करते है। अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानो ने परियोजना के मूल्याकन तथा अनुवर्ती कार्यवाही की अवस्थाओ में प्रत्येक मामले के आधार पर अग्रणी सस्थान का उल्लेख करने की व्यवस्था लागू की है, इसका अर्थ यह है कि आवेदक सस्था को निजी रूप से प्रत्येक सस्थान को पहुच करना आवश्यक नही है।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानो ने मानक ऋण करार भी लागू किया है। यह इसलिए किया है ताकि अखिल भारतीय वित्तीय सस्थान ऋण से सम्बन्धित विभिन्न शर्तों तथा व्यवस्थाओ मे एक रूपता ला सके। मानक ऋण करार बनाने का दोहरा उद्देश्य है: पहला, वित्तीय सस्थानो के साथ अपने व्यवहार मे ऋणी संस्थाओ को सुविधा के लिए समरूप खण्ड रखना और दूसरा वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण सस्थाओ से विभिन्न शर्तों को पूरा करने के लिए अपनी पहुच में समन्वय स्थापित रखा जाना।

परियोजनाओं को मिलकर वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मूल्याकन तथा अनुवर्ती कार्रवाई को तीव्रता प्रदान करने के लिए 'अग्रणी सस्थान' की धारणा को ग्रहण किया है, अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानों द्वारा संस्थानो के प्रधानो की मासिक अन्तर संस्थान बैठको के अतिरिक्त प्रमुख अधिकारियों की एक एक मास मे दो बार बैठक की जाती है, जिनमें वित्तीय सस्थाओ मे आपस मे वित्तीय सहायता के आबटन तथा अन्य नीति मामलो पर विचार किया जाता है।

प्रवर्तकों का योगदान

21. वर्ष के दौरान, निगम ने अन्य अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानों के साथ मिलकर वित्त प्रदान करने की कुछ शर्तों को लचीला कर दिया, विशेषकर, परियोजना की पूजीगत

लागत में प्रवर्तको का योग दान। परियोजना लागत में प्रवर्तकों के सामान्य 20% के योगदान को अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना मे 17% की दर से कम योगदान। पहाड क्षेत्र जिले में इससे भी कम 10% का योगदान स्वीकार कर लिया जाता है। इसके अतरिक्त व्यावसायिक रूप से निपुण अथवा अनुभवी तकनीकी अथवा प्रवासी भारतीय अथवा स्थानीय आधारित उद्यमी द्वारा लगाई गई परियोजना के लिए कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 15% योगदान निश्चित किया गया है। जहां तक बहुत बड़ी परियोजनाओं का सम्बन्ध है, विशेषकर प्राथमिक क्षेत्र उनके मामले मे भारी मात्रा मे वित्तीय सहायता पर विचार करते समय शर्तों मे सामान्य ढील दी जाती रहेगी।

अप्रतिदेय परीक्षा शुल्क

22. अभी तक, निगम आवेदक संस्था से वित्तीय सहायता के आवेदन के साथ मागी गई कुल वित्तीय सहायता का 0.1% के बराबर राशि अप्रति देय परीक्षा शुल्क के रूप मे, न्यूनतम 2,500 रुपये तथा अधिकतम 7,500 रुपये थी, लेता रहा है। अधिसूचित कम विकसित जिलो/क्षेत्रों मे स्थापित की जाने वाली परियोजनाओ के मामले मे यह शुल्क 50% कम कर दी गई है। वर्ष के दौरान निगम ने अन्य वित्तीय संस्थानो के साथ मिलकर अप्रतिदेय परीक्षा शुल्क लेने की व्यवस्था समाप्त कर दी है और अब केवल आवेदक संस्था से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की जाच करने पर आया वास्तविक व्यय ही लिया जाता है।

होटल उद्योग को केन्द्रीय सहायता का विस्तार

23. अगस्त, 1971 मे केन्द्रीय सरकार ने कुछ चुने हुए कम विकसित जिलो/क्षेत्रो मे लगाये जाने वाले उद्योगों के लिए केन्द्रीय निवेश सहायता प्रदान करने की योजना की घोषणा की थी, इस योजना के अधीन कुछ औद्योगिक इकाईयों पर लगाई गई स्थिर पूजी परिसम्पतियो, जैसे भूमि, भवन, संयन्त्र तथा मशीनरी पर सीधे तौर से 10% का अनुदान प्राप्त होता था, पहली मार्च 1973 से 15% बढ़ा दी गई। इस अनुदान की अधिकतम उपलब्ध सीमा प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए 15 लाख रुपये तक सीमित है। अब सरकार ने इस योजना को पहली जनवरी, 1977 से होटल उद्योग पर भी लागू कर दिया है। इसके अतिरिक्त केवल वही प्रतिष्ठान इस अनुदान को प्राप्त करने के पात्र ह जो कि राज्य सरकारो द्वारा होटल के रूप मे वर्गीकृत किये गये हैं, और रेस्टोरेट तथा चाय के स्टाल आदि इस अनुदान को प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। अनुदान का गणन केवल स्थिर परिसम्पतियो के निवेश के आधार पर ही किया जाता है और चल परिसम्पतियों, जैसे फर्नीचर, क्राकरी, आदि के आधार पर नही।

छोटी तथा माध्यम स्तर की इकाइयो की शेयर पूजी में अभिदान की विशेष योजना।

24. अब अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान छोटी तथा मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाईयो को प्रारम्भिक लागत तथा खर्चों के भार मे राहत प्रदान करने के लिए छोटी/मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाईयो को शेयर पूजी में, हामोदारी के स्थान पर, जिन मामलो में पब्लिक अभिदान अर्थात् प्रवर्तकों आदि के योगदान को छोड़कर) 25 लाख रुपये से अधिक न हो, सीधे अभिदान करने को सहमत हो सकते है।, लेकिन यह सुविधा वर्तमान कम्पनियों द्वारा साधारण शेयरों के लिए उपलब्ध नही होगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अनुदेश

25. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की दूसरी अनुसूची के खण्ड III द्वारा यथा संशोधित) की धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने निगम को दिये गए अपने नीति सम्बन्धी निदेशों में 29 दिसम्बर, 1976 में संशोधन किया। ये निदेश पहले जारी किए गए विभिन्न निदेशों का स्थान ले लेंगे तथा उनका प्रतिस्थापन करेगे।

उदार ऋण योजना

26. दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले अखिल भारतीय संस्थान अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एव भारतीय औद्योगिक साख एव निवेश निगम कुछ चुने हुए उद्योगों, अर्थात् सीमेट, चीनी, इंजीनियरिंग, पटसन तथा सूती वस्त्र उद्योगो का आधुनिकीकरण करने के लिए उदार ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के शुरू करने का लक्ष्य विशेष उद्योगो की उत्पादन इकाईयो को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उनके संयंत्र तथा मशीनरी का पुनर्स्थापना /नवीकरण/आधुनिकीकरण की कठिनाइयों को दूर किया जा सके ताकि उत्पादन के उच्च आर्थिक उद्देश्यो को पूर्ण किया जा सके। इन उद्योगों को केवल इसलिए प्राथमिकता नही दी जाती कि इन उद्योगो को बहुत सी इकाईयों की आधुनिकीकरण की जरूरत है अपितु इनका कृषि आधार अथवा ग्राम उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन अथवा इनमे उच्च निर्यात और रोजगार क्षमता है। इन उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाली औद्योगिक सस्थाएं जो पब्लिक अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनिया है अथवा सहकारी समितियो के रूप मे पजीकृत है, भी कुछ शर्तों के अधीन सहायता प्राप्त करने की पात्र है।

इसके अतिरिक्त चुने हुए उद्योगों की औद्योगिक संस्थाओं को निसदेह रूप से यह आश्वस्त करना होगा कि उनके आधुनिकीकरण के बाद अल्पावधि मे वाच्छित परिणाम प्राप्त कर लेंगी।

इन इकाइयों के स्वास्थ्य को देखते हुए रियायती वित्त कमजोर इकाईयो को 100% से लेकर कुछ अच्छी इकाईयों को 25% की घटती हुई दर पर दिया जाता है, जिन मामलों में, औद्योगिक सस्थाये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को पुनः बट्टे खाते डालने की योजना के अधीन, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती है, उनसे आशा की जाती है कि वे इस योजना के अधीन उक्त सुविधा का लाभ उठायेगी। इह उद्देश्य के लिए सभी पात्र उद्योगों को आस्थगित अवायगी की

अधिकतम अवधि 7 वर्ष तक बढ़ा दी गई है और पटसन उद्योग के मामले मे ब्याज की निवल प्रभारी दर 11% कर दी गई है।

उदार ऋण योजना (केवल रुपया ऋणो पर लागू) की मुख्य विशेषता यह है कि इन ऋणो पर 7% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है। मूलधन तथा ब्याज की किस्तो की अदायगी मे चूके होने की अवस्था मे 2% वार्षिक का अतिरिक्त ब्याज लिया जाता है। अदायगी की 3 से 5 वर्ष को प्रारम्भिक रियायत अवधि सहित ऋण अदायगी इकाई की आय क्षमता को देखते हुए अदायगी अवधि 12 से 15 वर्ष हो सकती है। ये ऋण योजना के अधीन प्राप्त की गई अचल/चल परिसम्पत्तियो के बधक गिरवी द्वारा रक्षित होते है इसके अतिरिक्त इकाई की वर्तमान अचल परि सम्पत्तियो के प्रथम अथवा द्वितीय अधिकार (जहा प्रथम अधिकार प्राप्त नही है) समतुलन बन्धक/पजीकृत बन्धक द्वारा रक्षित होते है । इक्विटी ऋण अनुपात तथा आधुनिकीकरण की लागत के लिये औद्योगिक सस्थाओ/प्रवर्तको द्वारा दिये गये योगदान की व्यवहार्यता के मामलो मे लोचदार पहुच अपनाई जाती है।

क्योकि इससे कार्यभार काफी बढ़ गया है अत उद्योग के प्रकार के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एव भारतीय औद्योगिक साख एव निवेश निगम मिल कर भार-भार उठा रहे है। चीनी तथा पटसन उद्योगो के लिये निगम, इजीनियरिंग उद्योग के लिये भारतीय औद्योगिक साख एव निवेश निगम, सीमेंट और वस्त्र उद्योगो के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अग्रणी सस्थान के रूप मे निश्चित किये गये है। इस कार्य को तेजी तथा व्यवस्थित ढग से करने के लिये प्रधान कार्यालय मे परियोजना विभाग मे आधुनिकीकरण मामलों का कक्ष नामक एक कक्षक की स्थापना की है। उदारण योजना का विवरण परिशिष्ट 'अ' मे दिया गया ।

वित्तीय सहायता के लिये आवेदन

27. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम को 125 सस्थाओ से कुल 560 34 करोड रुपये की सहायता के लिये आवेदन प्राप्त हुए इनमे वे मामले भी सम्मिलित है जिनमे अन्य अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानो के साथ मिल कर वित्त व्यवस्था की जानी थी, इसमे उदार ऋण योजना के अधीन प्राप्त हुए आवेदन सम्मिलित नही है। इनमें से 63 सस्थाये ऐसी भी है जो अधिसूचित कम विकसित जिलो/क्षेत्रो मे परियोजनाये स्थापित करेगी।

वर्ष के आरम्भ मे 319 25 करोड़ रुपये के लिये 91 संस्थाओ से आवेदन पत्र निगम के पास विचाराधीन थे, इनकी वित्त व्यवस्था अन्य अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाओ के साथ मिलकर सयुक्त रूप से की जानी थी, इसमे वे आवेदन शामिल नही हैं जो उदार ऋण योजना के अधीन विचाराधीन थे।

वर्ष के दौरान 156 आवेदक सस्थाओ को 89 28 करोड़ रुपये की सकल वित्तीय सहायता मंजूर की, इसमे उदार ऋण योजना के अधीन दी गई सहायता सम्मिलित नही है। इसमे से 87 सस्थाओ को 57 90 करोड़ रुपये की सहायता अधिसूचित कम विकसित जिलो/क्षेत्रो मे परियोजनाएं लगाने के लिये दी गई । वर्ष के दौरान 13 संस्थाओ से आवेदन पत्र वापिस लिये हुए मान लिये गये क्योकि कुछ सस्थाओ ने अपने आवेदनो की पैरवी नही की और कुछ सस्थाओ ने लम्बे अरसे तक आवश्यक सूचना नही भेजी।

वर्ष के अन्त मे 47 सस्थाओ से 411 52 करोड़ की वित्तीय सहायता के लिये आवेदन की जाच की विभिन्न अवस्थाओ मे थे, इन मामलो में अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानों के साथ मिलकर वित्त व्यवस्था की जानी थी। इनमे से 22 सस्थाये ऐसी भी थी जिन्होने अपनी परियोजनाये अधिसूचित कम विकसित जिलो/क्षेत्रो मे लगानी है।

वर्ष के दौरान निगम को सहायता के लिये प्राप्त, मजूर किए गये तथा वर्ष के अन्त मे विचाराधीन आवेदनो का ब्यौरा दर्शाने वाली राज्य वार सारणी रिपोर्ट के परिशिष्ट 'घ' में दी गई है।

कार्यों की समीक्षा 1948–77

28. निगम ने उद्योग की सेवा मे 29 वर्ष पूरे कर लिये। इन वर्षों के दौरान निगम ने राष्ट्रीय नीतियो तथा प्राथमिकताओ के अनुरूप राष्ट्र के आर्थिक विकास मे तेजी लाने के लिये महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। निगम ने औद्योगिक सहकारिताओ, विशेषकर, चीनी तथा वस्त्र उद्योगो, को सहायता प्रदान करके, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का विकास किया है। इससे कृषि क्षेत्र की बचत को उत्पादक उद्देश्यो के लिये प्रवाहित करने में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त इन उद्योगो मे अधिक रोजगार प्रदान करने की क्षमता है, विभिन्न क्षेत्रो में उद्योगो के प्रसार के प्रोत्साहित करने की ओर निगम ने विशेष ध्यान दिया है। निगम ने कम विकसित क्षेत्रो मे परियोजनाये लगाने को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष प्रयत्न किया है। कम विकसित क्षेत्रो की परियोजनाओ को 1970-71 के दौरान कुल मजूरियो का 24% के लगभग भाग प्राप्त हुआ था जो कि 1975-76 के दौरान यह सहायता कुल मजूरियो का 62 4% हो गई । इसी प्रकार, निगम ने नये उद्यमकर्ताओ तथा तकनीकियो द्वारा स्थापित की गई परियोजनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया है। कम विकसित क्षेत्रों मे स्थापित की जाने वाली परियोजनाओ तथा नये उद्यमकर्ताओ एवं तकनीकियो द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओ को वित्त प्रदान करने मे अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाओ ने कुछ शर्तों को उदार बनाने का निर्णय किया है। लेकिन परियोजनाओ की व्यवहार्यता के मूल्य पर नही ।

उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता उद्योगों, जैसे चीनी, सूती, वस्त्र, सीमेंट कागज तथा उर्वरको को निगम की सहायता बढती रही है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने मे सहायता प्रदान करने वाले कच्चे माल, जैसे उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी की परियोजनाओ की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सर्वोपरि, निगम देशी तकनीक पर आधारित तथा निर्यात प्रतिस्थान और आयात मे बचत करने वाली परियोजनाओ को प्रोत्साहन प्रदान करता है।

कुल सकल सहायता

29. 30 जून, 1977 तक निगम ने समग्र राष्ट्र मे व्याप्त 912 परियोजनाओं को 655 37 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मजूर की है। इन परियोजनाओ की कुल पूजीगत लागत 4216.69 करोड़ रुपये है। कुल सकल वित्तीय सहायता के क्षेत्रवार वर्गीकरण से पता चलता है कि सहकारी क्षेत्र की 153 परियोजनाओं को 145.06 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई और निगमित क्षेत्र की 759 परियोजनाओ को 510.31 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। सवितरण 543 95 करोड़ रुपये रहा जो कुल मजूरियो का 83% रहा। 30 जून 1977 को कुल बकाया सहायता 310 05 करोड़ रुपये थी।

औद्योगिक सहकारितायें

30. निगम ने सहकारी क्षेत्र की 153 परियोजनाओ को 145.06 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की, जो कि सहकारी तथा निगमित क्षेत्र की सभी परियोजनाओ को मजूर 481.78 करोड़ रुपये की सहायता का 30 1% है। औद्योगिक सहकारिताओं को 134.09 करोड रुपये का सवितरण रहा।

सहकारी क्षेत्र में वित्तपोषित 153 परियोजनाओ मे से 67 परियोजनाए अधिसूचित कम विकसित जिलो मे स्थापित थी। इन परियोजनाओ को कुल 63.52 करोड़ रुपये की सहायता मजूर की गई जो कि सहकारी क्षेत्र की परियोजनाओ को मंजूर सहायता का 43 8% है।

सहकारी क्षेत्र को मंजूर सहायता में से नई औद्योगिक सहकारिताओ को 82 5% सहायता प्राप्त हुई और शेष 17 5% विस्तार परियोजनाओ को प्राप्त हुआ। सहायता की उद्योगवार मजूरियो से पता चलता है कि सहकारिताओ को कूल मजूर सहायता का 82 3% भाग चीनी सहकारिताओं तथा 13.2% भाग व सहकारिताओ को प्राप्त हुआ।

31 30 जून, 1977 तक सहकारी क्षेत्र को मंजूर की गई सहायता का राज्यवार और उद्योगवार वितरण सारणी 9 मे दिया गया है।

निगमित क्षेत्र

32 निगम ने निगमित क्षेत्र की 759 परियोजनाओ को 510.31 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की। सहायता मे सरकारी क्षेत्र की 44 परियोजनाओ की 39.03 करोड़ रुपये की सहायता तथा सयुक्त क्षेत्र की 60 परयोजनाओं को 52 59 करोड़ रुपये की सहायता भी सम्मिलित है।

33 वर्षों के दौरान निगम की सहायता सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र को परियोजनाओ को बढती रही है। वास्तव मे सयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओ की सहायता मे काफी वृद्धि हुई है। सयुक्त क्षेत्र की परियोजनाये 15 राज्यो तथा एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में व्याप्त है। आन्ध्र प्रदेश को चौदह सयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं को 8 96 करोड रुपये, गुजरात की 6 परियोजनाओ को 7.10 करोड रुपये, तमिलनाडु की तीन परियोजनाओ को 6.53 करोड रुपये तथा कर्नाटक की 8 परियोजनाओ को 6 20 करोड रुपये की सहायता मजूर की गई।

सरकारी तथा सयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओ को मजूर की गई सहायता का उद्योगवार विवरण सारणी 10 में दिया गया है।

34 निम्नलिखित अवतरणों मे सरकारी क्षेत्र को मजूर सहायता का विश्लेषण दिया गया है।

रुपया ऋण

रुपया ऋणों मे 336.80 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, यह निगमित क्षेत्र की कुल मजूर सहायता का 66 0% है। रुपया ऋणो के रूप में सवितरणो की राशि 30 जून, 1977 को 270 38 करोड़ रुपये थी।

विदेशी मुद्रा ऋण

निगमित क्षेत्र को विदेशी मुद्रा के रूप मे 65 29 करोड़ रुपये की सहायता मजूर की गई, जबकि संवितरण 54.76 करोड रुपये रहा।

विदेशी मुद्रा ऋणों से सम्बन्धित 30 जून, 1977 तक की स्थिति सारणी 11 मे दी गई है।

हामीदारिया

30 जून, 1977 तक हामीदारियो के 499 आवेदनों पर 49.32 करोड़ रुपये की, साधारण शेयरो, अधिमान शेयरों तथा डिबेंचरो के रूप मे हामीदारी दी। 30 जून, 1977 तक जारी की गई हामीदारिया तथा जिन हामीदारियों को अन्तिम रूप दिया गया, उनका विवरण सारणी 12 मे दिया गया है।

सारणी 9

औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर सहायता —1948—77

(रुपए लाखो मे)

राज्य/क्षेत्र	उद्योगवार मजूर सहायता								
	चीनी		सूत कताई		अन्य		कुल मजूरिया		कुल का प्रतिशत
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	सख्या	राशि	
आन्ध्र प्रदेश .	9	480.00	3	160.00	—	—	12	1000.00	6.9
असम . .	1	60.00	—	—	1	78.50	2	138.50	0.9
बिहार . .	1	90.00	1	24.70	1	—	2	114 70	0 8
गुजरात . .	10	698.50	2	200 00	3	550 00	15	1448.50	10.0
हरियाणा .	4	286.00	1	100.00	—	—	5	386 00	2.7
कर्नाटक . .	11	910.25	3	179.00	1	22.50	15	1111.75	7.7
केरल . .	2	180.00	—	—	—	—	2	180.00	1.2
मध्य प्रदेश .	1	80.00	1	40.00	—	—	2	120 00	0 8
महाराष्ट्र .	49	5784.20	13	884.00	—	—	62	6668.20	46.0
उड़ीसा . .	2	205.00	1	31 00	—	—	3	236.00	1.6
पजाब . .	4	315.00	—	—	—	—	4	315.00	2 2
राजस्थान .	1	95.00	1	109.50	—	—	2	104.50	1.4
तमिलनाडु .	9	888 00	1	35.00	—	—	10	923.00	6.4
उत्तर प्रदेश .	14	1355.00	2	155.00	—	—	16	1510.00	10.4
गोआ . .	1	150.00	—	—	—	—	1	150.00	1.0
जोड़ .	119	11936.95	29	1918.20	5	651.00	153	14506.15	100.0

सारणी 10

सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओ को उद्योगवार सहायता का वितरण

(रुपए लाखो में)

उद्योग 1	परियोजनाओ की संख्या 2	परियोजना लागत 3	मजूर सहायता 4
उर्वरक	5	20178.03	1172.00
चीनी	11	1660.88	1113.34
कागज	5	8747.00	1078.71
वस्त्र	12	4931.29	864.50
मूल औद्योगिक रसायन तथा गैसें	8	5968.45	717.38
सीमेंट	4	10271.00	670.00
बिजली मशीनरी तथा उपस्कर	10	4317.61	573.65
रबर उत्पाद	4	9814.00	522.50
लोहा तथा इस्पात	9	5763.45	456.84
स्कूटर	7	4257.00	395 49
विविध रसायन	6	1775.18	307.81
पटसन उत्पाद	2	1290.00	222.50
कृतिम धागे तथा रेशे	3	5228.00	212.99

(1)	(2)	(3)	(4)
काच तथा काच उत्पाद	3	1486.25	182.00
खनन	3	4907.24	170.00
मशीनरी	3	632 98	145.24
लकड़ी उत्पाद	2	688 00	102.72
विविध अधातु खनन उत्पाद	2	472 00	65.00
चमड़ा उत्पाद	2	318 00	64.59
विविध खाद्य-उत्पाद	1	204 00	45.00
विविध निर्माण उद्योग	1	204 00	42.50
प्राकृतिक गैस	1	400 00	37.35
जोड	104	98014.36	9162.26

अभिदान

30 जून, 1977 तक निगम ने प्रत्यक्ष अभिदान के 76 आवेदन पत्रो पर 619.76 लाख रुपये मंजूर किए जिनमें 405.89 लाख रुपये के साधारण शेयर, 31.87 लाख रुपये के अभिमान शेयर तथा 182.00 लाख रुपये के डिबेंचर शामिल थे । इनमे से निगम द्वारा लिए गये शेयरो के सम्बन्ध मे हामीदारी दायित्वो के अनुरूप 24 शेयर निर्गमो के लिए 66.87 लाख रुपये का प्रत्यक्ष अभिदान करना पड़ा।

सयत्र तथा मशीनरी की आस्थगित अदायगियों लिए गारंटी

30 जून, 1977 को 45 आवेदनों पर आस्थगित अदायगियो के लिए 28.87 करोड़ रुपये की असल गारंटिया मजूर की गई । 30 जून, 1977 तक जारी की गई कुल गारटियों को राशि 28.76 करोड़ रुपये थी। गारटियो के अधीन 30 जू, 1977 को 1 43 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

विदेशी वित्तीय सस्थाओं से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए गारटियां

निगम ने 30 जून, 1977 तक 6 आवेदन पत्रों पर 23.83 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ऋण गारंटिया मजूर की । 5 आवेदन पत्रो के सम्बन्ध मे वास्तव में जारी की गई गारटियों की राशि 23 33 करोड़ रुपये थी तथा 30 जून, 1977 को इन गारटियो के सम्बन्ध मे 2.08 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

परियोजना के प्रकार के अनुसार मंजूरिया

35. 30 जून, 1977 तक वित्तपोषित परियोजना की कुल लागत सहित परियोजना के प्रकार के अनुसार मजूर वित्तीय सहायता का वर्गीकरण सारणी 13 मे दिखाया गया है ।

सारणी 11

निगमित क्षेत्र की विदेशी मुद्रा ऋण

मुद्रा	मजूरिया (निवल)			जारी किए गए साख वचन-पत्र		सवितरित रकम	
	उप-ऋणों की सख्या	विदेशी मुद्रा (दस (लाख में)	रुपए (लाखो मे)	विदेशी मुद्रा (दस लाख मे)	रुपए (लाखो मे)	विदेशी मुद्रा (दस लाख मे)	रुपए (लाखो मे)
पश्चिमी जर्मन मार्क	196	170.33	3477.65	145.67	2972.47	138.98	2835.35
अमरीकी डालर	57	26.75	1963.27	26.75	1963.27	26.75	1963.27
फ्रांसिसी फ्रांक	13	14.89	203.34	14.80	202.07	14.80	202.07
पौंड स्टर्लिंग	32	4.45	842 34	2.69	507.31	2.64	475.08
स्वीडन क्रोनर्स	1	2.91	42.20	—	—	—	—
जोड़	299		6528.80		5645.12		5475 77

सारणी 12

हामीदारी कार्य

(रुपए लाखो मे)

	हामीदारी	रकम जो निगम को देनी पडी	(3) से (2) का प्रतिशत
साधारण शेयर	1936.70	1193 88	61.6
अधिमान शेयर	924.84	742.53	80.3
डिबेंचर	1013.00	855.71	84.5
जोड़ . .	3874.54	2792.12	72.1

सारणी 13

(रुपए करोड़ो मे)

परियोजना का प्रकार	निवल वित्तीय मजूर सहायता					कुल का प्रतिशत
	परियोजना की कुल लागत	ऋण	हामीदारिया तथा प्रत्यक्ष अभिदान	विदेशी मुद्राओ ऋणो के लिए आस्थगित अदायगियों की गारटिया	जोड	
नई परियोजनाए	2976 62	359.80	43 85	42.84	446.49	68.1
विस्तार/विशाखन .	995.05	153.41	9.26	9 00	171 67	26 2
आधुनिकीकरण/नवीकरण, आदि	245.02	33.94	2 41	0.86	37.21	5.7
जोड़ .	4216 69	547.15	55 52	52 70	655.37	100.0

निगम ने नये उप-ऋणो को 446.49 करोड़ रुपये की सहायता दी जो कुल निवल मजूरियो का 68.1 प्रतिशत थी और 208.88 करोड रुपये की सहायता वर्तमान परियोजनाओ के विस्तार, विशाखन, आधुनिकीकरण तथा नवीकरण, आदि के लिए दी गई। 30 जून, 1977 को 912 परियोजनाओ जिन्हे निगम ने सहायता प्रदान की, उनकी कुल लागत 4216.69 करोड़ रुपये थी।

कम विकसित क्षेत्रों को सहायता

36. 30 जून, 1977 तक अधिसूचित कम विकसित जिलो की 319 परियोजनाओ को 244.69 करोड रुपये की सहायता मंजूर की गई, यह कुल मजूरियो का 37.3 प्रतिशत था।

अधिसूचित कम विकसित जिलो/क्षेत्रों मे स्थित 319 परियोजनाओ मे से 128 परियोजनाये चीनी तथा वस्त्र उद्योगो से सम्बन्धित थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है क्योकि ये दोनो उद्योग श्रम प्रधान है तथा प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने मे मदद करते है। इसके अतिरिक्त ये उद्योग ग्रामीण एव औद्योगिक विकास का सम्मिश्रण है जो कि इनकी विलक्षणता है।

37. निगम ने जुलाई, 1970 से कम विकसित जिलों/क्षेत्रो में लगाई जाने वाली परियोजनाओ के लिए रियायती वित्त प्रदान करने की योजना शुरू की है। इस योजना की मुख्य बाते रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ज' में दी गई है तथा अधिसूचित कम विकसित जिलो/क्षेत्रो की सूची परिशिष्ट 'झ' मे दी गई है।

रियायती वित्त की योजना के अधीन निगम ने 30 जून, 1977 तक 191 परियोजनाओ को 101 43 करोड रुपये की सहायता प्रदान की, इन परियोजनाओ पर कुल 925.00 करोड़ रुपये की पूजी लागत आयेगी। सारणी 14 मे मजूर की गई सहायता का प्रकार दिखाया है।

सारणी 14

रियायती दरो पर मंजूर की गई सहायता

(रुपये लाखो में)

सहायता का प्रकार	रियायती दरो पर मजूर सहायता
रुपया ऋण	8743.18
विदेशी मुद्रा ऋण	487.84
हामीदारिया/प्रत्यक्ष अभिदान	911.49
	10142.51

कुल मंजूरिया, सवितरण तथा बकाया

38. 30 जून, 1977 तक निवल मजूर वित्तीय सहायता का राज्यवार तथा उद्योगवार वितरण इस रिपोर्ट के क्रमश 'ख', और 'ग' मे दिया गया है। परिशिष्ट 'ड' में 30 जून, 1977 तक प्रत्येक उद्योग को निवल मजूर वित्तीय सहायता का राज्यवार वितरण दिखाया गया है। परिशिष्ट 'छ' मे निवल वित्तीय सहायता का मजूर की गई राशियों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

39 30 जून, 1977 को मजूरियो की संख्या, सचित मजूरियो, संवितरित राशि तथा बकाया राशि सारणी 16 मे दी गई है।

40 पिछले 29 वर्षों के दौरान मंजूर की गई तथा सवितरित निवल वित्तीय सहायता का पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार वर्गीकरण सारणी 17 मे दिया गया है।

सारणी 15 मे कम विकसित जिलो/क्षेत्रों को मजूर की गई सहायता का उद्योगवार वितरण दिखाया गया है :—

सारणी 15

कम विकसित जिलो/क्षेत्रो को मजूर सहायता का उद्योगवार वितरण 1948—77

उद्योग	परियोजनाओ की संख्या	परियोजना लागत	मजूर की गई सहायता
1 चीनी	67	237.80	64.54
2. वस्त्र	61	133 82	33 97
3 कागज तथा कागज उत्पाद	23	210 39	30.55
4. सीमेंट	15	201 48	19.43
5. रसायन तथा रसायन उत्पाद			
मूल उद्योग रसायन	14	49.04	6 41
उर्वरक	7	225 35	6.67
कृत्रिम रेशे	1	7.90	0.65
अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	14	22 15	4.58
6 अलौह धातुए	5	70 15	14.19
7 लोहा तथा इस्पात	23	119.43	11 53
8 रबर उत्पाद	10	155 50	10.65
9 धातु उत्पाद	10	16.94	5.95
10 विविध अधातु खनिज उत्पाद	8	27 27	5.66
11. बिजली मशीनरी तथा उपस्कर	10	27.50	5 44
12 मशीनरी तथा पुर्जे	8	42 07	4 29
13. परिवहन यत्र	9	50 31	4.24
14. पटसन	7	11 65	3.30
15. लकड़ी उत्पाद	5	10.54	3 05
16. कांच	4	12.84	2.78
17 खनन	4	48 09	1.90
18 होटल	5	5.63	1 88
19 विविध खनन उत्पाद	5	8 52	1.51
20 विविध निर्माण उत्पाद	1	2 81	0.90
21. बिजली	2	0.66	0 43
22 चमडा उत्पाद	1	1 65	0.19
जोड़	319	1699 50	244.69

सारणी 16

कुल मजूरियां, संवितरण तथा बकाया

(रुपये करोड़ों में)

	मंजूरिया (निवल)		संवितरित सहायता	बकाया राशि
	मजूरियों की संख्या	राशि		
1 ऋण:				
रुपया	1180	481.78	404.39	260 42
विदेशी मुद्रा	270	65.37	54.84	26 00
जोड	1450	547.15	459 23	286.42
2. हामीदारियां				
साधारण शेयर	318	28 68	11.95	9.05
अधिमान शेयर	155	10.13	7.45	5.08
डिबेंचर	26	10 51	8 55	0 54
जोड	499	49 32	27.95	14.67
3. प्रत्यक्ष अभिदान				
साधारण शेयर	67	4.06	2.56	4.55
अधिमान शेयर	8	0.32	0.30	0 82
डिबेंचर	1	1.82	1.82	0.08
जोड	76	6 20	4 68	5.45
1 से 3 तक का जोड़	2025	602 67	491 86	306.54
4 गारंटियां				
आस्थगित अदायगियों के लिए	45	28.87	28.76	1.43
विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए	6	23 83	23.83	2.08
जोड	51	52 70	52.09	3.51
कुल का जोड	2076	655 37	543 95	310.05

सारणी 17

पचवर्षीय योजनाओं के दौरान मंजूर की गई तथा संवितरित सहायता

(रुपये करोडो में)

30 जून को	मजूर की गई निवल वित्तीय सहायता				संवितरित वित्तीय सहायता			
	ऋण	हामीदारियां	गारटियां	जोड़	ऋण	हामीदारियां	गारटिया	जोड़
पहली योजना से पूर्व की अवधि								
1949–51	8.13	—	—	8.13	5.79	—	—	5.79
पहली योजना								
1952-56	27 02	—	—	27.02	10.94	—	—	10.94
दूसरी योजना								
1957	9 15	—	—	9.15	9.78	—	—	9.78
1958	5 93	0.75	1 82	8.50	8.33	—	—	8.33
1959	2 77	0.87	0.27	3.91	7.48	0.66	—	8 14
1960	12.62	0 10	6.06	18.78	8.41	0 17	2.09	10.67
1961	18 58	1.84	8.15	28 57	6.62	0.48	13.02	20 12
जोड़	49 05	3.56	6.30	68.91	40.62	1.31	15.11	57.04
तीसरी योजना :								
1962	17 84	0.73	0.48	19.05	10.92	0 24	0.41	11.57
1963	19.82	4.63	10.62	35.07	15.05	3.99	3.18	22.22
1964	23.61	4.34	13 16	41.11	16.94	1.96	6.39	25 29
1965	19.39	3.55	3.92	26.86	19.79	3.36	14.65	37.80
1966	21.47	3.96	1.35	26 78	23.99	4 48	2.17	30 64
जोड़	102.13	17.21	29.53	148 87	86.69	14 03	26.80	127.52
वार्षिक योजनाएं :								
1967	12.34	1.87	4.00	18.21	29.52	2.90	5.64	38.06
1968	14.62	1.48	0.85	16.95	23.35	1 06	2 61	27 02
1969	22 43	2.42	0.29	25.14	15.03	1 68	0.28	16.99
जोड	49.39	5.77	5.14	60.30	67.90	5.64	8 53	82.67
चतुर्थ योजना .								
1970	11.10	1.19	0.13	12.42	16 86	0 85	0.34	18.05
1971	24 04	2.20	0.42	26.66	16.28	0 87	0 20	17.35
1972	32.37	4.57	—	36.94	20 99	1.00	0 11	22 10
1973	39.07	2.02	0.64	41.73	30.00	2.29	0.61	32.90
1974	33.47	2.48	0 04	35 99	28.75	1 46	0 05	30 26
जोड	140 05	12 46	1.23	153.74	112 88	6 47	1.31	120.66
पांचवी योजना ·								
1975	30 33	4.14	0.50	34.97	36 02	1.06	0 34	37.42
1976	49.89	3.77	—	53.66	41 57	2 40	—	43 97
1977	91.16	8.61	—	99 77	56 82	1 72	—	58 54
जोड	171 38	16.52	0.50	188.40	134.41	5 18	0.34	139.93
कुल जोड़	547.15	55.52	52.70	655.37	459 23	32.63	52.09	543.95

प्रवर्तन कार्य

41 निगम 1972 से लेकर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम के साथ मिलकर प्रवर्तक कार्यों में सक्रिय भाग लेता रहा है। यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1972 के संशोधन से दातव्य आरक्षित निधि की स्थापना और सरकार द्वारा ब्याज जन्य अन्तर निधियों के आबंटन से संभव हुआ।

दातव्य आरक्षित निधि

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अधीन दातव्य आरक्षित निधि का उपयोग, अन्य बातों के साथ साथ व्यावहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्टों, मार्केट तथा तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण को शुरू करने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जायेगा जिससे उद्योगों के विकास में सहायता मिल सके। अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि दातव्य आरक्षित निधि का उपयोग विकास बैंकिंग एवं वित्तीय तथा औद्योगिक प्रबन्ध के क्षेत्रों में वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को देश तथा विदेश में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जायेगा। दातव्य आरक्षित निधि का उपयोग तकनीकियों तथा नये उद्यमकर्ताओं द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।

निधि की स्थापना से लेकर, निगम के लाभों में से इस निधि को 143 लाख रुपये की राशि अन्तरित की गई है। चालू वर्ष के लाभों में से 25 लाख रुपये की राशि इस निधि को आबंटित की गई है।

ब्याज जन्य अन्तर निधियां

निगम भारत सरकार से ऋणों तथा अनुदानों के रूप में 50 50 के आधार पर भारत सरकार तथा जर्मन जनतन्त्र गणराज्य सरकार के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार निगम को समय समय पर आबंटित कादितास्तल फार वाइडरफ्यू के ऋणों से प्राप्त जन्य निधियां प्राप्त करता है। अब तक निगम को 126 75 लाख रुपये का अनुदान तथा ब्याज जन्य अन्तर निधियों में से इसी राशि के बराबर ऋण प्राप्त हुआ है। निगम की ब्याज जन्य निधियों का उपयोग उन्हीं विशेष उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जो कि सरकार तथा के० एफ० डब्ल्यू० के बीच में तय किए गए हैं। प्रमुखतः ये उद्देश्य प्रवर्तक प्रकृति के होते हैं।

42 दातव्य आरक्षित निधि तथा ब्याज जन्य अन्तर निधि के अधीन निगम द्वारा हाथ में लिए गए कुछ कार्यों का अवलोकन निम्नलिखित अवतरणों में दिया गया है।

परियोजना प्रवर्तन

जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्टों में उल्लेख किया गया था निगम अन्य दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ कम विकसित राज्यों/क्षेत्रों के औद्योगिक सर्वेक्षण में भाग लेता रहा है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले तीन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने औद्योगिक सर्वेक्षण क्षमता रिपोर्टों में उल्लिखित परियोजनाओं के बारे में व्यावहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया है। केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी खण्ड में तकनीकी सलाहकारी संगठनों की स्थापना की जा चुकी है। ये संगठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नेतृत्व में स्थापित किए गए हैं। जैसा कि रपोर्ट में अन्य स्थान पर उल्लेख किया गया है, निगम ने हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सलाहकारी संगठन लि० नामक तकनीकी सलाहकारी संगठन की स्थापना की है। निगम ने राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में तकनीकी सलाहकारी संगठन स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं। जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था कि निगम ने बाहरी सलाहकारों की सहायता से तेल बीज प्रक्रिया का अध्ययन हाथ में लिया है। भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद ने आगामी दस वर्षों में विभिन्न प्रकार के तेल बीजों की पूर्ति की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन किया है। तेल बीज अभिसंस्कार उद्योग के लिए रिजनल लेबोरेटरी, हैदराबाद संयन्त्रों के नमूने के तकनीकी मापदण्ड तथा विभिन्न उत्पादों एवं उप-उत्पादों की प्रक्रियायें प्रदान करेगी। तेल बीजों तथा उप-उत्पादों जिनके अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न उपयोग हैं तथा निर्यात क्षमता है की मांग संभावनाओं को अध्ययन करने के लिए टाटा इकोनामिक कन्सलटेन्सी सर्विस को लगाया गया है। इन सलाहकारों की रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं और निगम में अन्तिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

विकास के लिए प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के क्षेत्र में निगम ने 1974 में तकनीकी सहायता योजना शुरू की, इस योजना के अधीन राज्य स्तर की वित्तीय निगमों तथा विकास एजेंसियों के अधिकारी निगम के प्रधान कार्यालय तथा इसके दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में एक मास के लिए बुलाये जाते हैं। इस योजना से इन अधिकारियों को निगम नीतियों, प्रक्रियाओं तथा कार्य विधियों को जानने का अवसर मिल सकेगा योजना के प्रारम्भ होने से लेकर राज्य स्तर की 32 संस्थाओं के 68 मध्य स्तर के अधिकारी और 26 संस्थाओं के 36 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

निगम द्वारा प्रवर्तित प्रबन्ध विकास संस्थान को दातव्य आरक्षित निधि तथा ब्याज जन्य अन्तर निधियों के अधीन वित्तीय सहायता दी गई।

राज्य स्तर के वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा विकास बैंकिंग के सामान्य पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए जो फीस देनी पड़ती है, उसका कुछ भाग निगम द्वारा उठाया जाता है। निगम ने राज्य सरकारी, राज्य स्तर की विकास एजेंसियों तथा उद्यम-कर्ताओं के लाभ के लिए औद्योगिक परियोजनाओं के अभिज्ञान, प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों का प्रवर्तन किया है। निगम की ओर से इन कार्यक्रमों का आयोजन प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा किया जाता है तथा खर्च का भाग दातव्य आरक्षित निधि से पूरा किया जाता है।

नये उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन

निगम ने जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को अपना कार्य प्रारम्भ करने के लिए लगभग 1 00 करोड रुपये की राशि आबटित की है।

चेयरों की स्थापना

निगम ने दो चेयरों की स्थापना की है, एक की स्थापना भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद तथा दूसरी की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन संकाय में की गई। समझौते की शर्तों के अनुसार भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद में नियुक्त भा० औद्० वित्त० नि० प्रबन्धक प्राध्यापक ने मार्च, 1977 में वार्षिक व्याख्यान दिया। उनके व्याख्यान का विषय था 'कार्यकारी पूंजी प्रबन्ध के प्रभावकारी निर्धारक तत्व।'

वर्ष के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर ए० वी० श्रीनिवासन को प्रबन्ध अध्ययन संकाय में भा० औ० वित्त निगम अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया। अतिथि प्राध्यापक ने पिछडे क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं तथा विकास ऐजेंसियों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं के बीच सम्बन्ध का निरीक्षण करने का शोध अध्ययन अपने हाथ में लिया है। निगम ने सिद्धांत रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक चेयर की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान

43. जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था निगम द्वारा प्रवर्तित जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने जून, 1976 में अपना कार्य शुरू कर दिया जबकि इसने दो परियोजनाओं के प्रवर्तकों को 10.65 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की थी। पहली जुलाई, 1976 से 30 जून, 1977 तक प्रतिष्ठान ने 5 परियोजनाओं के प्रवर्तकों को 27 75 लाख रुपये की और सहायता मंजूर की। इस सहायता को मिलाकर 30 जून, 1977 को प्रतिष्ठान द्वारा 7 परियोजनाओं के प्रवर्तकों को मंजूर सहायता 38 40 लाख रुपये हो गई है। अभी तक प्रतिष्ठान ने दो परियोजनाओं के प्रवर्तकों को 12.30 लाख रुपये की सहायता संवितरित की है। प्रतिष्ठान से ऋण ब्याज रहित है लेकिन इन पर बकाया राशि के अनुसार 1% का सेवा प्रभार लिया जाता है। यह ऋण प्रवर्तकों द्वारा अपनी आय तथा अधिलाभांश से प्राप्त आय से अदा किये जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में संयुक्त क्षेत्र परियोजना गोदावरी प्लाईवुड्स लि० के एक सह-प्रवर्तक को 2 50 लाख रुपये की सहायता दी गई। प्रतिष्ठान की इस सहायता से सह-प्रवर्तक अपने हिस्से का 11 00 लाख रुपये का अपना प्रवर्तक योगदान दे सकेगा, यह परियोजना 1 42 करोड रुपये की पूंजी लागत से लगाई जा रही है। प्रवर्तकों के योगदान का शेष हिस्सा आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा उपलब्ध कराया जायगा।

आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० की अन्य संयुक्त क्षेत्र परियोजना, नागार्जुन स्टील्स लि० के सह-प्रवर्तक को 66.75 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई. इससे एक टेकनोक्रेट प्रवर्तक को अपने हिस्से का योगदान देने में मदद मिलेगी। परियोजना प्रतिवर्ष 13,500 टन की वार्षिक विस्थापित क्षमता से शीत इस्पात पत्तियों का निर्माण करेगी, यह परियोजना आन्ध्र प्रदेश के पट्टनचेरू नामक स्थान पर लगाई जायेगी। परियोजना की संभावित लागत 5.10 करोड़ रुपये होगी।

एक टेकनोक्रेट को, जिसने राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम लि० के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में परियोजना का प्रवर्तन किया है, 6 00 लाख रुपये की सहायता मंजूर की। इस ऋण से सह-प्रवर्तक 17.00 लाख रुपये का प्रवर्तक योगदान दे सकेगा। परियोजना, बसवाड़ा सिन्टेक्स लि० राजस्थान में बंसवाडा के स्थान पर 12,320 पूरक तकुओं वाली सिन्थेटिक धागा कताई मिल लगायेगी।

प्रतिष्ठान ने कांच तथा कृत्रिम शिल्प तकनीकी को 5.00 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है जिसने दो अन्य व्यक्तियों के साथ रिफेक्ट्रीस स्पेशलटीज (इण्डिया) लि० नामक रिफेक्ट्री परियोजना का प्रवर्तन किया है। इस सहायता से प्रवर्तक 26.00 लाख रुपये का प्रवर्तक योगदान देने में समर्थ होंगे। यह परियोजना 1.90 करोड रुपये की लागत से लगाई जा रही है। यह परियोजना बिहार के कम विकसित जिले सन्थाल परगना में लगाई जा रही है और यह 18,300 टन वार्षिक विस्थापित क्षमता से विशेष प्रकार की रेफेक्ट्रियों का निर्माण करेगी।

प्रतिष्ठान ने माईन (इन्डिया) लि० के प्रवर्तकों को 7.50 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया। इससे प्रवर्तक साधारण शेयर पूंजी में 54.00 लाख रुपये का अपना हिस्सा दे पायेंगे, यह परियोजना 3.60 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जा रही है। यह परियोजना राजस्थान के कम विकसित अधिसूचित जिले अलवर में स्थापित की जा रही है। यह परियोजना सिन्थेटिक ब्लेन्डेड ग्रे रंगे धागे का निर्माण करने के लिये 11,520 पूरक तकुओं वाली कताई मिल लगायेगी।

प्रबन्ध विकास संस्थान

44. प्रबन्ध विकास संस्थान, जिसका निगम ने 1973 में प्रवर्तन किया था, औद्योगिक, संस्थाओं तथा विकास बैंकों में व्यावसायिक प्रबन्ध में नैपुण्यता को उन्नत करने के लिये कार्यक्रमों का गठन करने में विशेष ध्यान दिया है। प्रबन्ध विकास संस्थान ने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है जो भारत में पहली बार आयोजित किये गये हैं, विशेषकर, चीनी तथा पटसन उद्योगों में औद्योगिक सहकारिताओं के लिये तथा होटल एवं खनन उद्योगों के लिये कार्यक्रम। विकास बैंकिंग के क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम करने का आयोजन किया गया जिनमें राज्य स्तर के वित्तीय तथा प्रवर्तक संस्थानों की संगठनात्मक प्रबन्ध तथा संचालन की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। कम विकसित राज्यों में निगम द्वारा प्रवर्तित परियोजना अभिज्ञान, प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन कार्यक्रमों का

आयोजन किया। इन कार्यक्रमों मे राज्य सरकार के अधिकारियो और राज्य के औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार अन्य एजेन्सियो के लाभ के लिये औद्योगिक परियोजनाओ के अभिज्ञान, प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध विकास संस्थान ने पिछडे क्षेत्रो के विकास एव सयुक्त क्षेत्र परियोजनाओ का प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलो पर विशेष गोष्ठियो का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमो का गठन करते समय सस्थान ने इस बात पर ध्यान रखा है कि अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित किए गये कार्यक्रमो को पुनरावृत्ति न हो। अत. संस्थान ने कार्यक्रमों मे नवीनता तथा प्रशिक्षण की जरूरतो की ओर विशेष ध्यान दिया है। सारणी 18 में प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रो में आयोजित कार्यक्रमो का विवरण दिया गया है।

सारणी 18

कार्य क्षेत्रो के अनुसार संस्थान के कार्यक्रमो का वितरण 1974—76

कार्यक्रमो का वर्गीकरण	कार्यक्रमो की सख्या		
	1974	1975	1976
विशेष उद्योग कार्यक्रम	2	5	7
विकास बैंक	3	8	6
वित्तीय प्रबन्ध	2	4	6
सामान्य प्रबन्ध	3	3	3
मार्किटिग प्रबन्ध	2	1	1
तकनीकी प्रबन्ध	—	—	1
जोड	14	23	24
भागीदारो की सख्या	424	813	974

31 दिसम्बर, 1976 तक संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमो में औद्योगिक सस्थाओ, बैंको, वित्तीय संस्थानो, सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के 2,200 भागीदारो ने भाग लिया। 1976 मे आयोजित विकास बैंकिंग के सामान्य पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम पाच विदेशी विकास बैंकों अर्थात् जोर्डन, इरान, मलेशिया, इडोनेशिया और श्रीलंका, से भागीदारो ने भाग लिया। विदेशी विकास बैंको के 16 भागीदार अगस्त, 1977 मे आयोजित होने वाले विकास बैंकिंग के सामान्य पाठ्यक्रम में भाग लेगे। इनमे से कुछ को भारत सरकार की स्वीकृति से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त विदेशी भागीदार राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के विकास बैंको में संस्थान द्वारा आयोजित तीन सप्ताह के 'इन हाउस' डेस्क प्रशिक्षण मे भाग लेगे।

45 पहले की भाति, सस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमो को विभिन्न क्षेत्रो, जैसे, उद्योग, सरकार, वित्त तथा प्रबन्ध शिक्षा मे से प्रख्यात अतिथि सकाय का लाभ प्राप्त होता रहा। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों का आयोजन करने में संस्थान के संकाय को औद्योगिक समिति (यू० के०) तथा न्यू यार्क विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूजिनेस स्कूल से अतिथि सकाय का लाभ मिलता रहा।

46. सस्थान ने 1977 के दौरान जिन 37 कार्यक्रमो को आयोजित करने की योजना बनाई थी उनमे से 15 कार्यक्रम पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं और वर्ष के बाकी महीनो मे 22 कार्यक्रमो को आयोजित करने का प्रस्ताव है।

47. निगम ने सिद्धात रूप में सस्थान को प्रागण स्थापित करने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे न केवल विभिन्न कार्यक्रमो के आयोजन मे लागत कम जायेगी, अपितु सस्थान प्रबन्ध के विभिन्न क्षेत्रो मे लम्बी अवधि के रिहायशी कार्यक्रमो का आयोजन कर सकेगा जोकि इस समय व्यवहार्य नही है। प्रागण की लागत का अनुमान भूमि लागत सहित 1 12 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और सभावना है 1979 तक इसका निर्माण पूरा हो जायेगा।

48 भारत सरकार के अनुदेश पर, सस्थान के अध्यक्ष डा० बी० के० मदान ने वित्तीय संस्थानो, सरकार एजेंसियो, उद्योग तथा अन्यों के द्वारा ऋण तथा इक्विटी के अनुपात मे अपनाई गई कसौटी का अध्ययन किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास शोध केन्द्र, कनाडा के निवेदन पर सस्थान ने भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के चुने हुए देशो मे बायो-गैस व्यवस्था का अध्ययन हाथ में लिया जिससे एशियन अनुभव की सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयो का पता लगाया जायेगा और आगामी शोध के लिये क्षेत्रो का सुझाव देना शामिल है। संस्थान ने भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद् को वित्तीय सहायता से भारत के विभिन्न भागो मे बायो-गैस प्रतिष्ठानो का विस्तृत निरीक्षण किया। एशिया मे बायो-गैस व्यवस्था पर तकनीकी तथा सामाजिक-आर्थिक पहलुओ सहित एक स्तर पत्र तैयार किया गया और सस्थान ने इसे श्रीलका मे नवम्बर, 1976 में आयोजित विकासशील देशों के प्रतिनिधियो की बैठक में प्रस्तुत किया।

निगम की वित्तीय सहायता से सस्थान ने एशिया तथा प्रशान्त के विकास शोध तथा प्रशिक्षण सस्थानो का एसोसियेशन के अधीन छोटे निर्माता उद्यमकर्ताओ के सयुक्त क्षेत्रीय शोध कार्यक्रम मे भाग लेने का निर्णय किया। सस्थान को यह शोध परियोजना जुलाई, 1978 तक पूरी होने की सभावना है। इस परियोजना का प्रथम चरण जुलाई, 1977 में पूरा हो गया और इसने निम्नलिखित लक्ष्य ध्यान मे रखे :

(क) चालू उद्यमी विकास कार्यक्रमो का आलोचनात्मक अवलोकन।

(ख) उद्यमी मदद व्यवस्थाओं, इसके मजबूत तथा कमजोर पहलुओं का विश्लेषण ।

(ग) उद्यम विकास के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये अपनाये गये पाठ्यक्रम, विषय तथा प्रशिक्षण विधियों का अध्ययन, और

(घ) छोटे उद्यमकर्ताओं के प्रवर्तन मे लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का अध्ययन ।

जबकि प्रथम चरण मे उद्यमकर्ता पर विशेष ध्यान रखा गया, दूसरे चरण मे उद्यम पर विशेष जोर दिया जायेगा, अर्थात उद्यमो के सफलता पूर्वक संचालन तथा प्रवर्तन को नियंत्रित करने वाले तत्व तथा इस सम्बन्ध मे नीतियो तथा कार्यक्रमों का गठन करने वाली विभिन्न एजेंसियों की कार्यकुशलता का गहन अध्ययन ।

नये उद्यमकर्ताओं के लिये तकनीकी सलाहकारी सेवायें

49. वर्ष के दौरान, निगम ने हिमाचल सलाहकारी सगठन लि० नामक नये तकनीकी सलाहकारी सगठन की स्थापना की, इसका पंजीकृत कार्यालय शिमला में होगा।

हिमाचल सलाहकारी सगठन की प्रारम्भिक प्रदत्त पूंजी 5 00 लाख रुपये होगी और निगम के पास शुरू मे इसके 57 प्रतिशत शेयर होंगे । अन्य शेयरधारी हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि०, हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकासनिगम लि०, हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लि०, पंजाब नेशनल बैंक यूनाइटेड कर्मीशयल बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला, बैंक आफ इन्डिया, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, तथा न्यू बैंक आफ इण्डिया लि० । राज्य अधिनियम के अधीन हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम अभी तक हिमाचल सलाहकार सगठन के शेयरों मे अभिदान करने की स्थिति में नहीं है।

हिमाचल सलाहकारी सगठन नये उद्यमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करेगा तथा परियोजना अभिज्ञान, परियोजना निर्माण एवं तकनीकी एवं प्रबन्ध सलाह, पथ प्रदर्शन प्रदान करना, आदि क्षेत्रों में नियमित आधार पर कार्य अपने हाथ मे लेगा ।

50. निगम ने राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में भी तकनीकी सलाहकारी संगठन स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये है । जैसा कि पिछली रिपोर्टों में उल्लेख किया गया था निगम ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ मिलकर केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश जम्मू, और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी खण्ड मे तकनीकी सलाहकारी सगठन स्थापित करने के लिये योगदान दिया है ।

उद्योगो की सामान्य समीक्षा ।

51 1975-76 के दौरान 6 1% के औद्योगिक उत्पादन दर की तुलना मे 1976-77 के दौरान विकास की दर 10 प्रतिशत होने का अनुमान है । इस वृद्धि का अधिकार अधिकतर भाग निर्माण उद्योगो, जैसे परिवहन यन्त्र, रसायन तथा रसायन उत्पाद, धातु उत्पाद तथा अधातु खनिज उत्पादों की वृद्धि के कारण हुआ । उत्पादन शुल्क में रियायतें प्रदान किए जाने के परिणाम स्वरूप कुछ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों ने अपना उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ाया । फिर भी, सूती वस्त्र उद्योग ने अपने उत्पादन मे कोई विशेष सुधार नही दिखाया । कुछ उद्योगो की क्षमता उपयोग में काफी सुधार हुआ । औद्योगिक उत्पादन दर की समग्र वृद्धि के बावजूद भी कुछ उद्योगो ने रुग्णता के लक्षण दिखाये । सरकार तथा वित्तीय सस्थाओं ने अन्य बातो के साथ साथ उद्योगों के स्वास्थ्य को और अधिक गिरने से रोकने के लिये कई कदम उठाये । वित्तीय सस्थानो ने उद्योग मे निहित रुग्णता को खोजने के लिये अपनी सूचना व्यवस्था में सुधार किया है ताकि बीमारी के असाध्य बनने से पहले ही उपचारक उपाय किए जा सकें । 1977-78 के केन्द्रीय बजट मे रुग्ण इकाइयों के स्वस्थ इकाइयो में मिलाने के लिये कुछ प्रोत्साहन प्रदान किये गए हैं । इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने निगम तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ने पाच महत्वपूर्ण उद्योगो, अर्थात्, सूती वस्त्र, पटसन, चीनी सीमेंट तथा इजीनियरिंग उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन के लिये उदार ऋण योजना शुरू की ।

वर्ष के दौरान, बढ़ती हुई क्षमता का उपयोग करने के लिए विशेषकर प्राथमिकता क्षेत्रों के उद्योगो के लिये औद्योगिक लाइसेंस नीति मे कुछ ढील प्रदान की । मार्च, 1976 मे सरकार ने तकनीक विकास निधि की स्थापना की । इस निधि से कुछ सीमाओं के अधीन कम मूल्य के सयन्त्र, उपस्कर, तकनीकी जानकारी, विदेशी सलाह सेवायें तथा मानचित्र एवं नमूने का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा का जरूरतों को पूरा किया जायेगा । इस निधि का लक्ष्य निर्यात विकास, टेक्नोलोजी का स्तर उठाना तथा आधुनिकीकरण करना है । सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदम है कुछ शर्तों के अधीन पूंजीगत माल तथा ड्राईंगज तथा डिजाइनो के आयात को उदार करना और कुछ शर्तों के अधीन अतिरिक्त उद्योगो का लाइसेंस मुक्त करना । इसके अतिरिक्त मूल प्रवासी भारतीयो को प्राथमिक तथा निर्यात प्रधान क्षेत्रों मे, भारत मे, उद्योगो मे निवेश करने के लिये आकर्षित करने हेतु सरकार ने विदेशी मुद्रा मे उनकी बचतो से भारत मे औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिये सयन्त्र तथा मशीनरी के आयात की सुविधाओं को उन्मुक्त कर दिया ।

1976-77 के केन्द्रीय बजट मे कुछ प्राथमिकता उद्योगो के लिये निवेश भत्ता प्रदान करने कि योजना शुरु की गई थी । इस वर्ष के बजट मे यह योजना निम्न प्राथमिकता उद्योगो, जैसे सिगरेट, प्रसाधन, तगीने देंगे को छोड़कर सभी उद्योगो पर लागू कर दी गई । देशी तकनीक तथा जानकारी को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये, सरकारी प्रयोगशालाओ, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियो, विश्वविद्यालयों तथा इस सम्बन्ध मे निर्धारित अन्य मान्य प्राप्त सस्थानो द्वारा विकसित जानकारी पर आधारित मशीनरी तथा सयन्त्र को लगाने के लिये निवेश भत्ता 35% तक बढ़ा दिया है ।

आगामी अवतरणो मे कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की समीक्षा दी गई है जिनमें निगम ने सहायता प्रदान की है इसके साथ ही इस

सदर्भ मे किए गये सर्वेक्षण के आधार पर निगम द्वारा वित्तपोषित सस्थाओ की प्रगति का भी ब्यौरा दिया गया है ।

उर्वरक

1975 की तुलना मे 1976 के दौरान नाइट्रोजन और फास्फोटिक ($पी_2 ओ_5$) की विस्थापित क्षमता क्रमश. 5.2 लाख टन तथा 2.2 लाख टन थी । तदनुसार, 1976 के दौरान नाइट्रोजन उर्वरको की 30.3 लाख टन तथा फास्फोटिक उर्वरको की विस्थापित क्षमता 9.1 लाख टन थी ।

पिछले साल की तुलना मे, 1976 के दौरान नाइट्रोजन का उत्पादन लगभग 24% बढा, अर्थात् 15 35 लाख टन से 19 लाख टन और क्षमता उपयोग 69.9% से 72 5 % हो गया । फास्फेटो का उत्पादन 1975 के 3.20 लाख टन से 50% बढ़ कर 1976 मे 4 80 लाख टन हो गया । 1975 के दौरान उत्पादन मे मामूली गिरावट आई । सरकार द्वारा सहायक मूल्य योजना की घोषणा किए जाने से वर्ष के दौरान फासफेटिक उर्वरकों की माग मे काफी सुधार हुआ । नाइट्रोजन तथा फास्फेट के उत्पादन में वृद्धि होने से 110 करोड़ रुपये की लगभग विदेशी मुद्रा में बचत हुई ।

निगम द्वारा वित्तपोषित तीन सस्थाओं का कार्य सन्तोषजनक रहा । यूरिया का उत्पादन करने वाली इन सस्थाओ में क्षमता उपयोग लगभग 71% रहा । सभी तीनो इकाइयों को संचालन कठिनाइयो तथा बिजली की कमी का सामना करना पड़ा और एक सस्था को कच्चे माल की कमी रही । वर्ष के दौरान सहकारी इकाई के दो सस्थानो के उत्पादन मे वृद्धि हुई । तमिलनाडु की एक सयुक्त क्षेत्र उर्वरक परियोजना सयन्त्र की कुछ कमियो के कारण अपनी क्षमता का केवल 70% ही उपयोग कर सकी । इन कमियो को दूर करने के लिये कदम उठाये जा रहे है । वर्ष के दौरान, सयत्र को फास्फेटिक तथा सकलित इकाई चालू कर दी गई । यूरिया का उत्पादन करने वाली एक वित्तपोषित सस्था का उत्पादन का प्रथम वर्ष था और कुछ सचालन कठिनाइयों के कारण क्षमता उपयोग केवल 20% रहा । कम्प्रेशरों मे जो कुछ मशीनरी दोष नजर आये वे दूर कर दिये गये है ।

सीमेंट

सीमेंट उद्योग में 216 7 लाख टन की विस्थापित क्षमता वाली 54 इकाइयां उत्पादन मे लगी है । 1976-77 के दौरान सीमेंट का उत्पादन 185 0 लाख टन होने की संभावना है जो कि पिछले वर्ष के उत्पादन से 12.0 लाख टन अधिक है। पिछले वर्षकी तुलना में क्षमता उपयोग मे औसतन सुधार हुआ । 1976-77 के दौरान यह 88 प्रतिशत रहा जो कि पिछले वर्ष 77 प्रतिशत था । यदि बिजली की कटौती न होती तो क्षमता उपयोग अधिक हो सकता था, विशेषकर दक्षिणी राज्यो में ।

वर्ष के दौरान, सरकार ने देश की सभी वर्तमान सीमेंट इकाइयो का अध्ययन करने तथा सन्तुलन उपस्कर आदि लगाकर उत्पादन बढाने के सभव तरीके सुझाने के लिये चार प्रतिष्ठित सलाहकारों की सेवायें उपलब्ध कराई ।

सरकार ने पहली जुलाई, 1976 से उत्पादन लागत मे कुछ प्रमुख तत्वों की लागत मे वृद्धि को पूरा करने के लिये सीमेंट की फैक्टरी बाहर मूल्य रोक में वृद्धि की स्वीकृति दे दी यह मूल्य निर्धारक आयोग द्वारा सुझाये गये चलायमान सिद्धात के अनुरूप है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

वर्ष के दौरान सरकार ने उद्योग के कुशलता पूर्वक सचालन तथा सुधार लाने के लिये सलाह प्रदान करने हेतु सीमेंट उद्योग के लिये विकास परिषद का गठन किया ।

निगम द्वारा वित्तपोषित तीन सस्थाओ का कार्य संतोषजनक रहा । इनमे से दो बिजली के कटौती के कारण अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नही कर सकी । तीसरी सस्था ने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया । मेघालय की एक इकाई को माल तथा बिजली की कमी रही । और यह बाजार सीमाओ के कारण अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नही कर सकी । बिहार की एक इकाई का कार्य सन्तोषजनक नही रहा क्योकि इसे बिजली की कमी तथा कार्यकारी पूजी का अभाव रहा ।

कागज

1976 के दौरान, 11.27 लाख टन क्षमता वाली 75 मिलें उत्पादन मे लगी थी । उत्पादन लगभग 8.75 लाख टन होने की सम्भावना है । सम्भवत:, उत्पादन कुछ अधिक होता लेकिन बिजली की कमी तथा उद्योग द्वारा अनुभव की गई कुछ विशेष प्रकार के कागज की कम माग होने के कारण उत्पादन कम रहा । 1977-78 के केन्द्रीय बजट में उन मिलो के लिये जो कागज के उत्पादन मे अपरम्परागत कच्चे मालों का उपयोग करेंगे उन्हे उत्पादन शुल्क मे छूट प्रदान की जायेगी लेकिन यह गत्ते के उत्पादन तथा कुछ विशेष प्रकार के कागजो पर लागू नहीं होगी । यह रियायत बाल के कम होते हुए सीमित साधनो की रक्षा करने के लिये दी गई है ।

बिजली की कटौती के कारण निगम द्वारा वित्तपोषित अधिकतर इकाइया अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नही कर सकी इसके अतिरिक्त दो इकाइयो को कुछ विशेष प्रकार के कागज के लिए बाजार कठिनाइयो का सामना करना पडा । लेकिन एक इकाई ने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया ।

सोडा एश

सोडा एश का उत्पादन करने वाली चार इकाइयो की विस्थापित क्षमता 6.33 लाख टन थी, जो कि 1975 के अन्त में इतनी ही थी । 1976 के दौरान सोडा एश का उत्पादन 5.65 लाख टन था जो कि पिछले वर्ष के 23,000 टन के उत्पादन से अधिक था । सोडा एश की देश की समग्र माग आन्तरिक रूप से ही पूरी कर ली जाती है ।

निगम द्वारा वित्तपोषित दो संस्था मे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकी । उनमे से एक को कच्चे माल तथा बिजली की कटौती का सामना करना पड़ा ।

कास्टिक सोडा

1976 के दौरान 32 कम्पनिया कास्टिक सोडा के उत्पादन मे लगी थी जिनकी विस्थापित क्षमता 6.90 लाख टन थी । 1976 के दौरान कास्टिक सोडा का उत्पादन 5.04 लाख टन था जो कि

पिछले वर्ष 4 36 लाख टन था। क्षमता उपयोग लगभग 73 प्रतिशत रहा।

निगम द्वारा वित्तपोषित तीन संस्थाये अपनी क्षमता का केवल 67 प्रतिशत ही उपयोग कर सकी क्योंकि बिजली की कमी के कारण उनके कार्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। दो अन्य संस्थाओं को बाजार सीमाओं का सामना करना पड़ा यद्यपि एक ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन इसी वर्ष शुरू किया था।

आटोमोबाइल टायर और ट्यूबें

टायर और ट्यूब उद्योग में 14 इकाइयां उत्पादन में लगी हैं। इनकी विस्थापित उत्पादन क्षमता 71 29 लाख टायर तथा 73 73 लाख ट्यूबें हैं। 1976 के दौरान टायरों का उत्पादन 56 लाख और ट्यूबों का उत्पादन 53 लाख था। उद्योग टायरों और ट्यूबों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये विस्तृत प्रयत्न कर रहा है।

निगम द्वारा वित्तपोषित दो इकाइयां शीघ्र ही वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन शुरू कर देगी। एक अन्य इकाई ने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया जबकि एक अन्य इकाई को बाजार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निगम द्वारा वित्तपोषित एक अन्य संस्था को बिजली की कमी तथा तनावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों का सामना भी करना पड़ा।

लघु इस्पात संयन्त्र

नरम इस्पात सिल्लियों/बिल्टों का उत्पादन करने के लिये 180 लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत बिजली भट्ठी इकाइयां हैं। लेकिन इनमें से केवल 89 उत्पादन में लगी है और 23 इकाइयां बन्द पड़ी है शेष या तो निर्माणाधीन है या निर्माण पूरा हो चुका है और उत्पादन शुरू करना है। 1976-77 के दौरान इनका उत्पादन केवल 12 लाख टन था। ये इकाइयां अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकी क्योंकि इनके उत्पादन की कम मांग रही। इन लघु इस्पात संयन्त्रों के उत्पादन की लागत संकलित संयन्त्रों की लागत से अधिक है और उनके विभिन्न उत्पादनों अर्थात् इस्पात छड़ों, सरियों, ढांचों की कम मांग रही, क्योंकि निर्माण कार्यों में काफी कमी हुई। लघु इस्पात संयन्त्रों की मदद करने के लिये सरकार ने पिछले वर्ष उत्पादन शुल्क में 200 रु० प्रतिटन से घटाकर 50 रु० प्रतिटन कर दिया है। इसके अतिरिक्त उन्हें विशेष प्रकार के हल्के लोहे और विशेष इस्पात तथा ढांचे का निर्माण करने के लिये उत्पादन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। 1977-78 के केन्द्रीय बजट के अधीन लघु इस्पात संयन्त्रों को प्रमुख इस्पात संयन्त्रों से प्राप्त कच्चे माल को ताजे ढलाई कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिये उत्पादन शुल्क से छूट प्रदान कर दी है। सरकार ने इस्पात सिल्लियों पर 180 रुपये प्रतिटन के उत्पादन शुल्क में भी छूट प्रदान कर दी है। लेकिन सम्बन्धित इस्पात संयन्त्रों के लिये 380 रु० प्रतिटन का वर्तमान उत्पादन शुल्क लागू रहेगा। इसके अतिरिक्त लघु इस्पात संयन्त्रों की कुछ इकाइयों का विनाखन तथा औचित्यकरण करके सरकार मदद करने पर विचार कर रही है।

निगम द्वारा वित्तपोषित लघु इस्पात संयन्त्रों का कार्य अच्छा नहीं रहा क्योंकि इन्हें बाजार सीमाओं का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ को बिजली की कमी तथा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों की कमी रही।

इस्पात की ढलवा वस्तुएं

इस्पात की ढलवा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये 51 इकाइयां उत्पादन में लगी थीं जिनकी विस्थापित क्षमता 1.60 लाख टन थी। 1976 के दौरान इन वस्तुओं का उत्पादन लगभग 63,800 टन हुआ जो कि पिछले वर्ष के 62,000 टन के उत्पादन की तुलना में मामूली सा अधिक था। क्योंकि 10 से 25 टन की श्रेणी में इस्पात ढलवा वस्तुओं की मांग बढ़ रही है।

लोहे की ढली हुई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये 78 वाणिज्यिक लोहा फाउन्ड्रियां थी जिनकी विस्थापित क्षमता 4.10 लाख टन थी, साधारण लोहे की, ढलवा वस्तुओं, जैसे रेलों के लिये लोहे के सलीपरों, मेनहोल कवरों/सेनीटरी की ढलवा वस्तुओं की मांग कम होने से 1976 के दौरान उत्पादन में गिरावट आई। क्षमता उपयोग केवल 42 प्रतिशत रहा।

1976 के दौरान नरम लोहे की ढलवा वस्तुओं का उत्पादन 18,500 टन रहा जबकि विस्थापित क्षमता 25,000 टन थी। पिछले वर्ष के 15,600 टन के उत्पादन की तुलना में उत्पादन अधिक रहा।

निगम द्वारा वित्तपोषित दो संस्थाओं का क्षमता उपयोग कम रहा। एक को बाजार की कठिनाइयों तथा अन्य को बिजली की कमी का सामना करना पड़ा। नरम इस्पात की ढलवा वस्तुओं का उत्पादन करने वाली एक इकाई का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा क्योंकि इसे मजदूरी कठिनाइयों तथा बिजली की कमी का सामना करना पड़ा।

पावर टिलर्स

आजकल शक्ति टिलरों का उत्पादन करने वाली चार इकाइयां है और इनकी वार्षिक विस्थापित क्षमता 10,000 है। 1976-77 के दौरान 2,000 शक्ति टिलरों का उत्पादन हुआ जो कि 1975-76 के दौरान, 2,400 था। पावर टिलरों की अधिक लागत होने के कारण उपभोक्ताओं से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और तदनुसार उद्योग में क्षमता उपयोग बहुत कम रहा।

निगम द्वारा वित्तोपोषित दो संस्थाओं का कार्य असन्तोषजनक रहा। इन्हें बाजार की कठिनाइयों के अतिरिक्त एक इकाई को बिजली की कमी तथा संचालन कठिनाई का सामना करना पड़ा।

कृषि ट्रैक्टर

कृषि ट्रैक्टरों के उत्पादन में 15 इकाइयां लगी है और इनकी विस्थापित क्षमता 1 29 लाख है। इनमें से 11 इकाइयां जिनकी विस्थापित क्षमता 50,000 है, उत्पादन में लगी है। वर्षों के दौरान तीव्रता से ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ता रहा है और 1976-77 में

इनका उत्पादन 37,000 होने की सम्भावना है। उद्योग मे क्षमता उपयोग लगभग 75 प्रतिशत रहा।

पूर्णत. देशी डिजाइन और जानकारी से ट्रैक्टरो का निर्माण करने वाली एक वित्तपोषित सस्था को कच्चे माल की कमी रही और तदनुसार इसका क्षमता उपयोग कम रहा। एक अन्य सस्था जिसका 1976 के दौरान क्षमता उपयोग 83 प्रतिशत था, पिछले दो वर्षों मे अपने उत्पाद का देशीकरण करने मे लगी हुई है और क्रमबद्ध रूप से अपनी क्षमता का उपयोग कर रही है। इस इकाई को बाजार सीमाओ की कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है।

सूती वस्त्र

दिसम्बर, 1976 के अन्त तक देश मे 703 वस्त्र मिल थे। जिनमे से 413 कताई मिल तथा 290 संयुक्त मिल थे। इन 703 मिलों की स्थापित क्षमता 198.4 लाख तकुए तथा 2 07 लाख खड्डिया थी। धागे के उत्पादन मे मामूली 1 7 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई पड़ी, जो 1975 के 9893 कि० ग्रा० से 1976 मे 10059 लाख कि० ग्राम हो गया। सूती कपडे का कुल उत्पादन पिछले वर्ष 40323 लाख मीटर था और इस वर्ष 38810 लाख मीटर, जो कि पिछले वर्ष से मामूली सा कम था।

1976-77 के दौरान, कपास की कम उपलब्धता होने के कारण कपास की लागत मे तेजी से वृद्धि हुई। कच्चे माल को उपलब्ध कराने तथा बढ़ती हुई कीमतों को नियन्त्रण मे रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये, जैसे, असूती धागे का अनिवार्य उपयोग निश्चित करना, कपास की 14 लाख गांठो के आयात की स्वीकृति प्रदान करना, भारत मे कपास निगम द्वारा निर्धारित मूल्य पर आयात की गई कपास की बिक्री स्टाक सीमा पर पाबन्दी लगाना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नीति को सख्त किया जाना आदि।

वस्त्र उद्योग मे निगम द्वारा वित्तपोषित सस्थाओ की स्थिति मिली जुली रही। कपास की लागतो मे वृद्धि का कई सस्थाओ के संचालन पर बुरा प्रभाव पडा और सम्भवत: इनमे से कुछ को वर्ष के दौरान हानि हो सकती है। 1977 के दौरान वित्तपोषित सस्थाओं के कार्य मे सुधार होने की सभावना है।

चीनी

1976-77 के दौरान चीनी का 8 लाख टन रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है जो कि पिछले वर्ष 42.64 लाख टन था।

1976-77 के मौसम के लिये 8.5 प्रतिशत अथवा इससे कम की उपलब्धि के लिये गन्ने के न्यूनतम मूल्य 8.50 रू० प्रति क्विन्टल रखा गया जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिये 10 पैसे का प्रीमियम निश्चित किया 1976-77 के मौसम के लिये नियन्त्रित चीनी का फैक्टरी बाहर मूल्य, जिसकी घोषणा 19 नवम्बर, 1976 को की गई, पिछले वर्ष के बराबर रखा गया अर्थात् उत्पादन शुल्क को छोडकर 141.96 रू० मे 274 60 रुपये प्रति क्विंटल।

पहली जून, 1977 को लाइसेंस प्राप्त/पजीकृत चीनी सहकारिताओ की कुल संख्या 181 थी। 1976-77 के मौसम के दौरान इनमें से 120 चीनी फैक्टरिया उत्पादन मे लगी थी। पहली जून, 1977 को कुल चीनी उत्पादन मे सहकारी क्षेत्र का योगदान 22 82 लाख टन था जो कि कुल उत्पादन का 48 प्रतिशत था।

पटसन वस्त्र

1976-77 के दौरान पटसन उद्योग का कुल उत्पादन 11.87 लाख टन था, यह वर्ष पटसन उद्योग के लिये अच्छा नही रहा। पटसन वस्तुओं के निर्यात मे गिरावट आई, यद्यपि अमरिका मे गलीचे के आस्तीनों की माग बढ रही है। उद्योग को बंगला देश से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडा। निर्यात की धीमी मांग के कारण माल के भारी भण्डार जमा हो गये है और तैयार माल की कीमतें आर्थिक स्तर से नीचे गिर गई है। उद्योग को राहत प्रदान करने के लिये सरकार ने पटसन वस्तुओ पर निर्यात शुल्क खत्म करना, गलीचे के आस्तीनों तथा पटसन वस्तुओ के उत्पादन को नियमित करना और गलीचे के आस्तीनो के निर्माण, आदि मे मदद प्रदान करने, जैसे कदम उठाये।

निगम द्वारा वित्तपोषित अधिकतर संस्थाओं को कच्चे माल की कम पूर्ति, बिजली की कमी और बाजार दबाव का सामना करना पडा। कुछ वित्तपोषित सस्थाओ के कार्य पर तनावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धो का भी दुष्प्रभाव पडा।

अन्तिम उपयोग तक देखरेख तथा

अनुवर्ती कार्यवाही

52. कुछ वर्ष पूर्व तक अन्तिम उपयोग तक देख रेख तथा अनुवर्ती कार्यवाही का दायित्व मूलत. देश के चार महानगरों मे स्थित शाखा कार्यालयों पर था। वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या बढ़ने तथा उनके समग्र देश में और यहां तक कि सुदूर ग्रामो मे व्याप्त होने से आवश्यक मात्रा मे अन्तिम उपयोग तक देख-रेख तथा अनुवर्ती कार्यवाही करना अधिक कठिन हो गया था। अत: पिछले पाच वर्षों में निगम ने विभिन्न राज्यो मे 13 और अधिक कार्यालय खोले हैं। इन कार्यालयों में आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय स्टाफ की व्यवस्था की गई है जो अब अधिक तेजी से फैक्टरी स्थल पर जाकर निरीक्षण कर सकेंगे। अत: निगम के विभिन्न कार्यालय इस स्थिति में हैं कि वे प्रधान कार्यालय से उचित निदेश प्राप्त करके वित्तपोषित सस्थाओ की अनुवर्ती कार्यवाई कर सकते है।

अन्तिम उपयोग तक देख-रेख तथा अनुवर्ती कार्रवाई के उद्देश्यो को संक्षेप मे नीचे दिया गया है :—

(1) यह देखना तथा निश्चित करना कि सहायता का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह मजूर की गई थी।

(2) निर्माण अवस्था मे देखना है कि निर्माण की प्रगति कार्यक्रमानुसार चल रही है ।

(3) इस बात का अनुमान लगाना कि परियोजना मूल प्राक्कलित पूंजी लागत मे पूर्ण हो सकेगी, यदि नही तो कितना अति-व्यय होने का अनुमान है ।

(4) उत्पादन प्रगति तथा कार्य परिणामों का मूल्यांकन करना ।

(5) प्रबन्धक वर्ग की कुशलता ।

(6) प्रगति रिपोर्टों तथा विवरणो को देने में नियमितना ।

(7) किसी उद्योग की खास समस्याए ।

कार्य विधि

53. निगम द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई है —

(1) निश्चित फार्मों में नियमित रूप से अर्ध वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना ।

(2) थोडे-थोडे अन्तरालों के पश्चात वित्तपोषित संस्थाओ के फैक्टरी स्थल पर जाकर जाच करना तथा लेखा पुस्तको की जाच पडताल, ।

(3) वित्तपोषित संस्थाओ की वित्तीय स्थिति तथा कार्य-परिणामो से सम्बन्धित अर्ध वार्षिक सारणियो की जांच करना, तथा

(4) उचित मामलो मे, निगम के हित की देख-भाल करने के लिए वित्तपोषित सस्थाओ के बोर्डों मे सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों को नामित करना और किसी घटना की स्थिति में समय-समय पर कम्पनी के प्रबन्ध तथा सचालन के बारे मे सूचना देना ।

अनुवर्ती कार्यवाही की अवधि के दौरान अग्रणी सस्थान की धारण—साँझी पहुच

54 अनुवर्ती कार्यवाही अवस्था के दौरान समस्याओ, विशेषकर औद्योगिक ऋणता से सम्बन्धित समस्याओ का समाधान निकालने के लिए और वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानो ने अग्रणी सस्थान की धारणा को अनुवर्ती कार्रवाई के क्षेत्र मे भी विस्तार किया है । वर्तमान रुग्ण मामलो मे अग्रणी सस्थान निश्चित किए गए हैं और उन्ही द्वारा सामान्य अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है । प्रत्येक मामले के आधार पर निश्चित की गई 'अग्रणी सस्थान' वित्तपोषित संस्था से नजदीकी सम्बन्ध बनाने रखने और अन्य वित्तीय सस्थानो के साथ मिलकर उनके मामलो मे समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगी । आशा है इस व्यवस्था से वित्तपोषित सस्थाओ की प्रगति की अधिक देख-भाल करने और आरम्भिक रुग्णता को शीघ्र पकडने मे सहायता मिलेगी ।

प्रगति रिपोर्ट

55 प्रत्येक उद्योग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए निर्माण और सचालन काल मे प्रगति रिपोर्ट देने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय सस्थानों ने साझे प्रपत्र बनाए हैं । ये फार्म प्राप्त अनुभव के आधार पर बनाये गये है जिनसे पता चलता है कि किसी सस्था के निर्माण काल मे उनके सामने आने वाली कठिनाइयो में वित्त व्यवस्था, परियोजना को कार्य रूप देने मे देरी, प्रारम्भिक अनुमानो से लागत में अति व्यय और प्रबन्ध की कमजोरियो जैसी समस्याएं प्रमुख है । ये प्रगति रिपोर्टें निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की परियोजना की प्रगति तथा वित्तीय योजना के अनुरूप संवितरणो मे सहायता प्रदान करती हैं ।

इन रिपोर्टों को नियमित रूप से प्राप्त करना तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना निगम के विभिन्न कार्यालयों की जिम्मेदारी है । रिपोर्टों की जाच पडताल के पश्चात यदि इनमें कुछ अनुचित अनियमितताए देखी जाती है तो सम्बन्धित कार्यालय निगम के प्रधान कार्यालय को सूचित करके वित्तीय सस्थानो को सीधे अवगत करा देते है ।

निरीक्षण

56 ऋण करार के बन्धक हो जाने की तारीख से लेकर जब तक ऋण का कोई भाग बकाया रहता है निगम के अधिकारी फैक्टरी स्थल पर जाकर परियोजना के निर्माण तथा कार्य संचालन के बारे में निरीक्षण करते हैं । वित्तपोषित सस्थाओ की लेखा पुस्तको का निरीक्षण भी किया जाता है । सामान्यत , ये निरीक्षण निगम के वित्तीय तथा तकनीकी अधिकारीयो के दल द्वारा किये जाते हैं । निरीक्षण के लिए आवश्यक विवरण तथा आंकडे उपलब्ध कराने के लिए इन वित्तपोषित सस्थाओं को आम तौर पर प्रस्तावित जाच से 10-15 दिन का समय दिया जाता है । निरीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तपोषित सस्थाओ से परियोजनाओ पर किए गए व्यय का ब्यौरा, निगम द्वारा संवितारित ऋणो का उपयोग, परियोजनाओ की प्रगति, संचालन तथा वित्तीय स्थिति के बारे मे ब्यौरा रखने को कहा जाता है । तकनीकी तथा वित्तीय जाच करने के समय निगम के अधिकारी ऋण प्राप्तकर्ता की फैक्टरी स्थल पर जाते है और वहा पर सम्बन्धित रिकार्डों लेखो तथा कार्य-क्रमो, लागत के अनुमानो, संयत्र की योजनाओं तथा मापदंडो, आदि की जाच करते है । इन निरीक्षणो मे इस बात पर जोर दिया जाता है कि कम्पनी के सम्बन्धित अधिकारियों से निजी रूप मे विचार-विमर्श किया जाए और आवश्यकता पडने पर स्पष्टीकरण कर दिया जाए ।

इसके अतिरिक्त निरीक्षण दल अपने आप को इस बात से भी आश्वस्त करता है कि निगम से लिए गए ऋण की मूल राशि अलग बैंक खाते मे रखी गई है तथा इसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसको लिए इसे मंजूर किया गया है । ऋण के संवितरणो की सभी राशियों से पहले तथा बाद मे ऋणो के उपयोग से सम्बन्धित निरीक्षण किये जाते हैं और परियोजना को कार्यरूप देने सम्बन्धी की गई प्रगति का भी निरीक्षण किया जाता है ।

परियोजना के वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन शुरू कर देने के पश्चात प्रथम निरीक्षण पुर्नमूल्याकन के तौर पर किया जाता है ताकि लागत के अनुमान और लाभ की सभावनाओ के अन्तर

का सही प्रकार से पता लगाया जा सके और परियोजना का उचित दृष्टि से पुर्नमूल्यांकन किया जा सके ।

जिन मामलों में अन्य वित्तीय संस्थानों का भी संबंध होता है उनमें यदि नियत समय के पश्चात निरीक्षण संयुक्त रूप से न किया जा सके तो एक दूसरे को अवगत करा दिया जाता है । आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा उधार-ऋणों के मामलों में संबंधित विदेशी वित्तीय संस्थानों को रिपोर्ट भेजी जाती है ।

नियत समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने व निरीक्षण करने के अतिरिक्त वित्तपोषित संस्थाओं को लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा अंशधारियों की बैठकों की सूचनाएं तथा कार्यवृत्त निगम को भेजने होते हैं । वित्तीय सारिणियों का सावधानी से अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है ताकि कम से कम पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी प्रगति लाभ व अन्य वित्तीय पहलुओं की तुलना की जा सके । इस परीक्षण के दौरान कंपनी की समग्र प्रगति के बारे में निष्कर्ष के अतिरिक्त इस बात की भी जांच की जाती है कि निगम के साथ किए गए करारनामों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है ।

सलाहकारी सेवाएं

57 निगम के प्रधान कार्यालय में 1973 में स्थापित सलाहकार सेवाएं विभाग नए उद्यमकर्ताओं तथा अन्यों को उनकी परियोजनाओं, कार्यान्वयन पूर्व अवस्थाओं तथा बाद की अवस्थाओं में तकनीकी तथा वित्तीय क्षेत्रों में परामर्श एवं पथप्रदर्शन प्रदान कर रहा है । इसके अतिरिक्त यह विभाग ऐसी परियोजनाओं के पुनर्स्थापन की ओर भी विशेष ध्यान रखता है जो कठिनाई में पड़ जाती है और किसी भी कारण से उनमें रुग्णावस्था के लक्षण दिखाई पड़ते हैं । प्रत्येक मामले में उनकी चिन्ता दूर करने के लिए वित्तीय तथा तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समस्या का विश्लेषण किया जाता है और अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों के साथ मिलकर समस्या का समाधान निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं ।

नामित संचालक

58 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा वित्तपोषित संस्थाओं के प्रबंधकों के बीच संबंध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आयाम उनके संचालक बोर्डों में अपने सदस्य नामित करना है । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसरण में निगम नीति के तौर पर वित्तपोषित औद्योगिक संस्थाओं के बोर्ड में दो संचालक नियुक्त करने का अधिकार आरक्षित रखता है । संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता देने के मामलों में यह सुनिश्चित किया गया है कि भागीदार संस्थाओं के एक अथवा अधिक सदस्य सामूहिक रूप से नामित किए जा सकें ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उन सभी वित्तपोषित संस्थाओं के मामले में जिन्हें काफी मात्रा में वित्तीय सहायता दी गई है अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करने के ऋण करारों में ऋणों के साधारण शेयरों में बदलने की संपरिवर्तन धाराएं अनुबंधित की गई हैं, अपने प्रतिनिधि नामित करने के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं । सामान्यतः निम्नलिखित स्थितियों में वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में निगम अपने संचालक नामित करने की स्वेच्छा का उपयोग करता है :—

(1) जिन मामलों में निगम की हामीदारी तुलनात्मक रूप से अधिक हो,

(2) जिन मामलों में निगम के ऋणों के मूलधन तथा ब्याज की अदायगी में चूक की गयी है, तथा

(3) जिन मामलों में वित्तपोषित संस्थानों पर सतर्कता रखने अथवा नजदीकी देखभाल रखने की अन्यथा विशेष आवश्यकता हो ।

संचालकों के रूप में नामित व्यक्ति या तो निगम के अपने अधिकारी होते हैं अथवा गैर-सरकारी ।

संचालकों के रूप में नामित व्यक्ति निगम की स्वेच्छा से पद पर रह सकते हैं तथा इनके लिए शेयरों की कोई निश्चित मात्रा रखना अनिवार्य नहीं है और न ही वे क्रमिक रूप से कार्य निवृत्त होते हैं । इन नामित संचालकों से वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों के सभी कार्य-क्रमों में सक्रिय भाग लेने की आशा की जाती है । निगम द्वारा नामित संचालकों से आशा की जाती है कि वे संस्था के दैनिक प्रबंध में हस्तक्षेप के बिना बोर्ड में आने वाले सभी मामलों विशेषकर जिनका संबंध निगम द्वारा दी गई सहायता तथा इसके हित से हो अथवा जो मामले सरकारी नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हों में भाग लें ।

ताकि नामित संचालक संस्था के कार्य संचालन में सम्बन्धित मामलों जैसे, विस्थापित क्षमता की तुलना में उत्पादन, बिक्री, विवरण सूचियों तथा उपलब्धियों की तर्क संगतता, संस्था की रोकड़ स्थिति, कानूनी दायित्वों का पूरा करना, महत्वपूर्ण मदों में परिवर्तन आदि से नजदीकी सम्बन्ध रख सकें, इसके लिए कम्पनियों द्वारा आवश्यक सूचनाएं तथा आंकड़े देने के लिए प्रपत्र बनाये गये हैं । इस सूचना को संचालक बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है ।

नामित संचालकों को प्रभावशाली बनाने के लिए वित्तपोषित संस्थाओं को उनके संगठन में भी प्रबन्ध सूचना, प्रबन्ध लेखांकन, बजटिंग और नियंत्रण की आवश्यकता पर आधारित व्यवस्थाएं रखने को कहा जाता है ।

ऋणों का साधारण शेयरों में संपरिवर्तन

59. सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निगम अपने द्वारा मंजूर किए गए ऋण के कुछ भाग को वित्तपोषित संस्था की साधारण पूंजी में संपरिवर्तन करने का अधिकार आरक्षित रखता है और इस नीति का औचित्य अब पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर चुका है । निगम ने 30 जून, 1977 तक 289 संस्थाओं से सम्बन्धित 361 मामलों में (224 मामलों में ऋण करार अनुबन्ध हो चुके हैं) परियोजनाओं के प्रवर्तकों से पूर्व विचार विमर्श तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अनुमोदन करके रुपया ऋणों के साधारण शेयरों में संपरिवर्तन की शर्त लगाई है । वास्तव में इस अधिकार का 17 मामलों में उपयोग किया गया है और अन्य मामलों में या तो विकल्प के उपयोग की अवधि का समय नहीं आया है या प्रतीक्षा करना उपयुक्त समझा गया है ।

ऋणों की वापसी अदायगी प्रगति

बाकीदारियों का उद्योगवार विश्लेषण

60 इंजीनियरिंग उद्योग में बाकीदारी सस्थाओं की सख्या 63 हो गई जो कि पिछले वर्ष 46 थी। कुछ इकाइयों के सामने माग में नरमी की प्रवृत्ति के कारण बाजार में उच्च प्रतिस्पर्धा तथा बिजली की कमी का सामना करना पड़ा। नई/आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइया कठिनाई में रही। कार्यकारी पूंजी की समस्याओं के परिणामस्वरूप असन्तोषप्रद कार्यकारी परिणामों से इन पर देयता का बोझ बढ़ गया। कमजोर तथा असफल प्रबन्ध भी इस उद्योग में असन्तोषजनक स्थिति का कारण था। वर्ष के दौरान वित्तपोषित सस्थाओं में सुधार लाने के लिये इनके कार्यों का गहन अध्ययन, कार्यों का अवलोकन और विभिन्न पर्यायों का अध्ययन किया गया। यह भी कोशिश की गई कि बाकीदारी करने वाली सस्थाओं को साधनपूर्ण बनाया जाये और कार्यशील उद्यमकर्ताओं को इनका प्रबन्ध दिया जा सके। प्रबन्ध में परिवर्तन करके एक इकाई का सफलतापूर्वक पुर्नस्थापन किया गया और एक अन्य इकाई को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निग० लि० द्वारा चालू किया गया। एक अन्य रुग्ण इकाई का प्रबन्ध निदेशकों की एक समिति को सौंपा जिसमें राज्य सरकार वित्तीय सस्थानों तथा बैंकों के प्रतिनिधि भी होंगे। बिजली के बल्बों तथा फ्लोरिसेंट ट्यूबों का उत्पादन करने वाली एक सस्था को बाजार की कठिनाइयों के कारण काफी हानि उठानी पड़ी, इसको अतिरिक्त सहायता दी गई ताकि इसका कार्य सुचारु रूप से चलता रहे तथा इस पर अतिरिक्त नियन्त्रण एव अनुशासन रखा गया। अन्य एक सस्था के मामले में जो एक ख्याति प्राप्त सस्था के तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से लीड स्टोरिज और औद्योगिक बैटरियों का निर्माण कर रही है को विदेशी सहयोगियों तथा बैंकों एव अन्य वित्तीय सस्थानों के सहयोग से एक सलाहकारी फर्म के अध्ययन के अनुसार पुर्नस्थापन योजना को अन्तिम रूप दिया गया।

चीनी उद्योग में बाकीदारी सस्थाओं की सख्या पिछले वर्ष की 16 से बढ़कर 21 हो गई। इन में से अधिकतर सस्थाओं का कार्य असन्तोषजनक रहा, जिसका कारण थे, सिचाई सुविधाओं के अभाव के कारण गन्ने की कम उपलब्धता और गन्ने के विकास एव त्वरत उन्नति की ओर कम ध्यान दिया जाना। इस महत्वपूर्ण पक्ष की ओर सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया, जिस पर कि चीनी परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। इस दिशा में निगम विशेष जोर दे रहा है और निगम चीनी उद्योग की प्रत्येक इकाई को सभी नये ऋण मजूर करते समय यह शर्त लगा दी जाती कि वे निग० की सन्तुष्टि के अनुसार गन्ना विकास की योजनाये बनायेंगे तथा उन्हे कार्यान्वित करेंगे। इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य सरकार का उल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने राज्य के विभिन्न भागों में गन्ने का विकास करने के लिये कई पाइलेट परियोजनाये बनाई हैं। अन्य राज्य सरकारों द्वारा यह अनुकरणीय उदाहरण है। चीनी सहकारी फैक्टरियों के अखिल भारतीय सघ ने चीनी सहकारिताओं को उनकी योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा निर्माण अवस्था में उनकी प्रगति की तीव्रता प्रदान करने के लिये एक निरीक्षण एजेंसी की स्थापना की है। ऋण मजूर करते समय यह शर्त लगाई जा रही है कि सभी सहकारितायें इस निरीक्षण एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करेंगी।

अलमोनियम की सिल्लियों, पत्रियों, पत्तियों के उत्पादन में औद्योगिक पुर्नर्निर्माण निगम लि० के अधिपत्य में इसके कार्यों को चालू करने के लिये कार्यक्रम बनाया गया है, आशा है कि यह इकाई शीघ्र ही अपना कार्य चालू कर देगी।

वस्त्र उद्योग में बाकीदारी सस्थाओं की संख्या पिछले वर्ष की 27 से बढ़कर 30 हो गई है। पिछले वर्ष जो सस्थाये बाकीदारी में थी, उनमें से अधिकतर अपने वायदे पूरे नहीं कर सकी जिसके प्रमुख कारण थे, कच्चे माल की पूर्ति का अभाव, कपास के मल्यो में तीव्र वृद्धि के कारण बिक्री का कम हो जाना और तैयार माल विशेषकर सूत की लागत में तदनुसार वृद्धि न होना। राज्य सरकारों के माध्यम से बाकीदारी की रकमों को वसूल करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में प्रयत्न जारी है।

निगम द्वारा वित्तपोषित जिन 9 वस्त्र इकाइयों का रुग्ण वस्त्र मिल (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन राष्ट्रीयकरण किया गया, उनके लिये उक्त अधिनियम के अधीन प्राप्त हुए मुआवजे की राशि में से निगम की लेनदारी पूरी न हो सकेगी, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि उक्त अधिनियम के अनुसार मुआवजा वितरण की योजना में निगम की बकाया को तुलनात्मक रूप से निम्न प्राथमिकता मिलती है। निगम ने अपने हितो की रक्षा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से पहुच की है लेकिन प्रयत्न कामयाब नहीं हुए। सभी मामलों में निगम ने अदायगी आयुक्त के सामने अपने दावे पेश किए हैं। कुछ मामलो में तो निगम ने बकाया को प्राप्त करने के लिए गारटरों के विरुद्ध मामले दायर किए हैं। एक मामले में आगामी हित के लिये बिक्री मिल गई है।

जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था, पटसन उद्योग की दो इकाइया उदासीन सचालन और कार्यकारी पूंजी के भारी अभाव तथा दोषपूर्ण प्रबन्ध एव लगातार हानि होने के कारण बन्द करनी पड़ी। वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अधीन उन्हे अधीन ले लिया। आशा है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम एव बैंको के वित्तीय सहयोग से ये इकाइया शीघ्र ही पुन: कार्य करना शुरू कर देगी।

कागज उद्योग की बाकीदारी करने वाली सस्थाओं में से एक इकाई के प्रबन्ध में परिवर्तन किया गया है। अन्य इकाई को इसकी पुर्नस्थापना योजना को कार्यान्वित करने के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता मजूर की गई। सामान्य रूप से कागज का उत्पादन करने वाली इकाइयों तथा विशेषकर कोट्ड कागजो का उत्पादन करने वाली इकाइयों को उत्पादन की भारी लागतो तथा बाजार दबाव के कारण हानि उठानी पड़ी।

टायरो तथा ट्यूबो का उत्पादन करने वाली दो सस्थाओं तथा रबर उत्पादो के उत्पादन में लगी अन्य सस्था को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम सबंधित राज्य सरकार, भागीदार वित्तीय संस्थानों एव बैंकों की सहायता से पुर्नस्थापन कार्यक्रमों को शुरू किया गया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की देख रेख में इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। अन्य इकाई के मामले में, इसको

दीर्घकालीन आधार पर एक अन्य अधिक साधनपूर्ण संस्था को पट्टे पर देकर पुन: चालू किया गया ।

पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था कि सुपर फास्फेट के उत्पादन में लगी एक इकाई का कार्य मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाली इकाइयों की घोर प्रतिस्पर्धा तथा कार्यकारी पूंजी के अभाव के कारण असन्तोषजनक रहा । तब से इस इकाई के कार्य में कुछ सुधार हुआ है और सम्बन्धित वित्तीय संस्थान कोशिश कर रहे हैं कि इस इकाई का प्रबन्ध किसी अन्य इच्छुक पार्टियों को सौंपा जा सके । अन्य उर्वरक इकाई को संयंत्र के यांत्रिक रूप से असफल हो जाने के कारण भारी हानि उठानी पड़ी, इसका अन्य कारण उर्वरकों की कीमतों में गिरावट तथा कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने से माल का भारी मात्रा में जमा हो जाना । केन्द्रीय सरकार तथा सभी भागीदार संस्थान मामले पर सक्रिय रूप से ध्यान दे रहे हैं । प्रबन्ध के ढांचे को सुचारू बनाने के लिये भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

औषध उत्पादों के निर्माण में लगी एक बाकीदारी संस्था को कच्चे माल की भारी लागतों, कम बिक्री कीमतों, सरकार द्वारा लगाये गये बिक्री मूल्य नियन्त्रण और सीमित उत्पादन के कारण हानि उठानी पड़ी लेकिन उसी प्रवर्तक की अन्य संस्था द्वारा कुछ भार उठाये जाने के परिणामस्वरूप इसके कार्य में सुधार हुआ । इस इकाई द्वारा अपने उत्पादन में विस्तार करने तथा विशाखन कार्यक्रमों को शुरू करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

वर्ष के दौरान, पोर्ट्री, चीनी मिट्टी तथा मिट्टी के बर्तनों तथा बिजली के इन्सूलेटरों के उत्पादन में लगी एक संस्था, जो पिछले चार वर्षों से बाकीदारी में थी, उसे केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण कर लिया और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया गया । इकाई ने अपना कार्य संचालन शुरू कर दिया है और सम्भावना है कि इसका कार्यपरिणाम अच्छा रहेगा ।

पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था कि रेडियो, टेपरिकार्डों और कुछ इलेक्ट्रोनिक पुर्जों के उत्पादन से लगी एक ऋण संस्था के कार्य निगम के लिये चिन्ता का विषय थे । इलेक्ट्रानिक व्यापार एवं तकनीकी विकास निगम लि० के माध्यम से गहन अध्ययन किए जाने पर सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों द्वारा इसका हल निकालने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

होटल उद्योग में भी, स्थान के कम उपयोग, निम्न व्यापार स्तर तथा अकुशल एवं कमजोर प्रबन्ध के कारण बाकीदारी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है । दो संस्थाओं के मामले में प्रबन्ध में परिवर्तन करना सम्भव रहा ।

बाकीदारी संस्थाओं की स्थिति का विश्लेषण करने से पता चलता है कि अधिकतर बाकीदारियां चीनी, वस्त्र तथा इंजीनियरिंग समूह के उद्योगों की 114 संस्थाओं द्वारा की गई जो कि कुल बाकीदारियों का 67 0 प्रतिशत है ।

प्रमुख रूप से वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा बाकीदारी किये जाने के कारण हैं, अदृश्य कारणों से परियोजना को कार्यान्वित करने में देरी, इसके परिणामस्वरूप लागतों में वृद्धि, कच्चे माल तथा उत्पादन के लिये अन्य आवश्यक माल का अभाव, कच्चे माल और तैयार माल के मूल्यों में तालमेल की कमी, कार्यकारी पूंजी का अभाव, बिजली की कमी, श्रमिक समस्यायें तथा प्रबन्ध में कमजोरी । वास्तव में, इन कई कारणों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई इकाइयों को कठिनाई में डाल दिया ।

जिन संस्थाओं ने निगम की राशि को अदा करने में बाकीदारी की है उनके कार्यों पर, विशेषकर निगम के सलाहकारी सेवायें विभाग द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है । अनुवर्ती कार्रवाई की अवस्थाओं में समस्याओं का समाधान करने के लिये वर्तमान कार्य-व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से, विशेषकर औद्योगिक रुग्णता के मामले में 'अग्रणी संस्थान', की धारणा को विस्तृत किया गया है और अब इसको और भी गहरा किया जा रहा है । प्राय: सभी रुग्ण मामलों में 'अग्रणी संस्थान' निश्चित कर दिया गया है । इस व्यवस्था के अधीन, अब एक संस्थान के लिये यह सम्भव है कि जिन संस्थाओं की अग्रता करने के लिये उसे दायित्व दिया गया है, उनके लिये वह संस्थान अधिक समय जुटा सकता है और ज्यादा प्रयत्न कर सकता है ।

रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के बारे में दो विशेष उल्लेखनीय तत्व हैं । यदि एक इकाई का उपचारक अध्ययन किया जाना होता है, चाहे इसका अध्ययन सम्बन्धित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा किया जाये अथवा इसी विशेष उद्देश्य के लिये लगाये गये तकनीकी/वित्तीय सलाहकारों द्वारा किया जाये और जिससे पता चले कि इकाई के पुनरुद्धार की सम्भावना नहीं है तब इकाई को उसके भाग्य पर छोड़ देने के इलावा कोई रास्ता नहीं है । इसके अतिरिक्त, यह केवल विभिन्न अवस्थाओं का समन्वित प्रयत्न है, इसमें वह उद्बोधक अवस्था भी शामिल है जबकि वित्तीय संस्थान एवं बैंक दोनों मिलकर पुनर्स्थापन की योजना को लाभकारी अवस्था तक पहुंचा सकती है । अन्त:, रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिये कोई सरल सिद्धांत नहीं हो सकता, प्रत्येक मामले के अपने विशेष लक्षण होते हैं जिसके लिये निजी उपचार की जरूरत है ।

लगभग सभी रुग्ण संस्थाओं के संचालक बोर्डों में तथा प्रबन्ध समितियों में, जहां भी आवश्यकता हो, नामित नियुक्त किए गये हैं । उन संस्थाओं के मामले में भी, जिन्हें सरकार ने उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अधीन अधिग्रहण किया है ऐसी संस्थाओं के मामले में केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी सम्पर्क रख रहे हैं ताकि इस प्रकार की संस्थाओं के कार्यों पर नजर रखी जा सके । व्यावसायिकों को नामिका बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्धकों को मजबूत करने के लिये अथवा जहां आवश्यकता हो, विशेषकर रुग्ण तथा बन्द पड़ी इकाइयों के मामले में, प्रमाद प्रबन्धक वर्ग का प्रतिस्थापन करने के लिये, इन्हें पूर्ण-कालिक नामित संचालक नियुक्त किया जा सके ।

आमतौर पर, वर्ष के दौरान अदायगियों की प्रगति की स्थिति सन्तोषजनक रही । बकाया के प्राप्त करने के लिये सतत प्रयत्न किये गये और कई मामलों में इसके अच्छे परिणाम निकले । निहित मामलों को हल करने के लिये उन संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों

की बैठकें जल्द जल्द की जाती है । उनमें शीघ्र शीघ्र प्रगति रिपोर्टें मांगी जाती है । वित्तीय सस्थानों तथा बैंकों में अधिक समन्वय स्थापित किया जाता है । इन परियोजनाओं में से कुछ को अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई । अदायगियों के मामले में उचित परिवर्तन लाकर, इन्हें वित्तीय अनुशासन में लाने का प्रयत्न किया गया । प्रबन्ध वर्ग में परिवर्तन तथा प्रबन्ध को मजबूत करके, उत्पादन औचित्य-करण करने जैसे कदम भी उठाये गये । इन इकाईयों का पुनर्स्थापन करने की दृष्टि से हाल ही में भारत सरकार ने अच्छी इकाइयों का कुछ कमजोर इकाइयों के साथ मिलाने की दृष्टि से वित्तीय राहत प्रदान करने का निर्णय किया ।

61 30 जून, 1977 को चूकों का उद्योगवार ब्यौरा पिछले वर्ष के तुलनात्मक आकडे सारणी 19 में दिये गये है ।

62 सारणी 20 और 21 में वे रकमें दिखाई गई है, जो पिछले पाच वर्षों के अन्त में ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में लेनी थी और जो रकमें वसूल हुई थी । इसमें प्रत्येक वर्ष के अन्त में बाकीदारी की रकमों का ब्यौरा भी दिया गया है ।

30 जून, 1977 को 284 70 करोड रुपये के कुल बकाया रुपया तथा विदेशी मुद्रा ऋणों में ब्याज की 1211.10 लाख रुपये बाकीदारी थी जो कि कुल ऋणों का 4.3 प्रतिशत है, यह बाकीदारी पिछले वर्ष 4 39 प्रतिशत थी । उपरिलिखित 1211 10 लाख रुपये की राशि में कुछ वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा वर्ष के दौरान की गई बाकीदारी शामिल नहीं है, जिनकी साख स्थिति बहुत सन्तोषजनक नहीं थी, जैसा कि लेखे के साथ सलग्न टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त मूलधन की 1470 38 लाख रुपये की बाकीदारी थी जो कि बकाया ऋणों का 5 2 प्रतिशत है, पिछले वर्ष यह बाकीदारी 4 68 प्रतिशत थी ।

63 जिन आस्थगित अदायगियों के लिये निगम ने गारटी दी थी, उनकी किस्तों में चूके होने के कारण निगम द्वारा पिछले पाच वर्षों में अदा की गई बाकीदारी की रकम और उस पर देय ब्याज आदि का ब्यौरा सारणी 22 में दिया गया है ।

सारणी 22

निगम के द्वारा आस्थगित अदायगियों के लिए दी गई गारटी की बकाया रकमें

(रुपये लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बाकीदारी की रकम	वर्ष के दौरान बाकीदारी की रकम	जोड	वर्ष के दौरान वसूलियां	वर्ष के अन्त में देय बाकीदारी की रकम
1973	236 71	217 23	453 94	4 10	449.84
1974	449 84	36 06	485 90	391 60	94.30
1975	94.30	10 46	104 76	3 77	100 99
1976	100 99	35.72	136 71	15 80*	120 91
1977	120 91	25.77	116 68	8.32**	138 36

* इसमें 8.66 लाख रुपये की बाकीदारी की किस्त शामिल है जिसकी मियाद बढाने की मंजूरी दे दी गई ।

** इसमें 2 50 लाख रुपये की बाकीदारी की किस्त शामिल है जिसकी मियाद बढाने की मंजूरी दे दी गई ।

सारणी 19

बाकीदारियों का उद्योगवार वर्गीकरण

(रुपये लाखों में)

उद्योग	30 जून, 1976 तक बाकीदारियां				30 जून, 1977 तक बाकीदारियां			
	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज	जोड	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज	जोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चीनी	16	59 50	136 76	192 26	21	98 50	158 59	257 09
खाद्य उत्पाद	1	0 90	1 56	2 46	1	1 35	1 99	3 34
वस्त्र	27	237 95	222.01	459 96	30	291 18	213 51	504 69
पटसन उत्पाद	3	29 13	20 31	49 44	3	40 33	34.78	75 11
लकडी उत्पाद	1	3 50	—	3.50	2	—	0 65	0 65

	2	3	4	5	6	7	8	9
कागज और कागज उत्पाद	5	10 51	10 73	21 24	7	14 88	8 67	23 55
रबर उत्पाद	5	110 30	75 70	186 00	5	145 02	75 46	220.48
मूल औद्योगिक रसायन	1	8 83	—	8 83	5	42 55	13 50	56 05
उर्वरक	4	55 50	111 44	166 94	4	83 97	146 53	230 56
कृत्रिम धागा और रेशेज	3	108 84	104 00	212 84	2	10 20	14 44	24.64
विविध रसायन और रसायन उत्पाद	3	17 80	13 67	31 47	3	17 33	2.61	19.94
काच	2	2 25	1 12	3 37	3	9.84	12 51	22.35
सीमेंट	2	10.48	8 43	18 91	1	0 08	—	0 08
चमड़ा उत्पाद	—	—	—	—	3	2.00	2 93	4 93
विविध अधातु खनिज उत्पाद	4	40 83	15 95	56 78	3	18 68	9 94	28 62
लोहा तथा इस्पात	11	110 11	105 07	215 18	19	188 32	149 15	337 47
अलौह धातुएं	2	21 00	14 65	35 65	3	43 62	20 19	63 81
धातु उत्पाद	9	26 60	32 86	59 46	11	48 65	69.55	118 20
मशीनरी और कल-पुर्जे	13	140 22	102.83	243.05	17	168 90	123 98	292 88
बिजली मशीनरी तथा पुर्जे	7	41 03	30 30	71 33	11	96.46	61.90	158.36
परिवहन उपस्कर	6	57.15	20 27	77 12	5	92.52	34 70	127 22
खनन	2	26 50	12 36	38 86	3	29 00	16 07	45 07
होटल	3	18 25	25 65	43 90	6	27 00	39.39	66 39
जोड़	130	1137 18	1065.67	2202 85	168	1470 38	1211 10	2681 41

सारणी 20

ब्याज की वसूली

(रुपये लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ऋण	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ब्याज	वर्ष के दौरान ब्याज की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान ब्याज की प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान ब्याज की अदायगी में चूके होने से बकाया रकम*
1973	16564 97	598 40	1357 50	1955 90	1106 81	691 72
1974	18020.26	691.72	1496 96	2188.68	1256 33	806 10
1975	19320.98	806.10	1700.83	2506.93	1353.72	1085.83
1976	20796.74	1085 83	1943 95	3029 78	1604 92	1065 67
1977	24456 88	1065 67	2130.28	3195 95	1817 07	1211 10

* इसमें वे राशियां शामिल नहीं हैं, जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चूकें नहीं माना जाता।

सारणी 21

मूलधन की अदायगी

(रुपये लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ऋण*	वर्ष के प्रारम्भ में मूलधन की देय रकम	वर्ष के दौरान मूलधन की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान ब्याज की प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान ब्याज की अदायगी में चूके होने में बकाया रकम**
1973	16564 97	637 06	1633 39	2270 45	1478 54	555 94
1974	18020 26	555 94	1899 40	2455 34	1507 84	815 46
1975	19320 98	815.46	2051 53	2836 99	1525 47	1151 28
1976	20796.74	1151.28	2300.65	3451 93	1742 58	1137 18
1977	24456 88	1137 18	2438 73	3575 91	1854 01	1470 38

*इसमें वे बकाया ऋण शामिल नहीं है जिनकी किस्तें अदायगी में चूके होने के कारण आस्थगित कर दी गई है और जिनकी गारन्टी निगम ने दी थी और इसलिए निगम को उन्हें अदा करना पड़ा। ये ऋण और उनके ब्याज का ब्यौरा सारणी 22 में दिया गया है।

**इसमें वे राशियां शामिल नहीं है जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चूके नहीं माना जाता।

निधि स्रोत

शेयर पूंजी

64 निगम की अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपए है तथा 30 जून, 1977 को जारी, अभिदत्त, और प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपए थी।

विभिन्न वर्गों के अंशधारियों के पास निगम के जो शेयर थे, समीक्षाधीन वर्ष में उनके वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

30 जून, 1977 को शेयरों का वितरण नीचे लिखे अनुसार था --

	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	10,000	50
अनुसूचित बैंक	4,067	20
बीमा संस्थाएं, आदि	4,314	22
सहकारी बैंक	1,619	8
	20,000	100

बांड

65 वर्ष के दौरान निगम ने दो बांड निर्गमन, अर्थात् 6 प्रतिशत बांड 1986 (तृतीय सिरीज) और 6 प्रतिशत बांड 1987 (क्रमश 29 50 करोड़ तथा 18 00 करोड़ रुपए के बांड 1 प्रतिशत के बट्टे पर जारी किए गए। निर्गमन के 10 प्रतिशत अनुज्ञेय की राशि को मिलाकर क्रमश 32 46 करोड़ रुपए और 19 88 करोड़ रुपए की राशि के बांड आबंटित किए गए।

केन्द्रीय सरकार से उधार

66 30 जून, 1976 को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों की राशि 56 54 करोड़ रुपए थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने सरकार से के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों से पैदा होने वाली ब्याज की निधियों के अधीन 0 37 करोड़ रुपये तथा होटल विकास योजना के अधीन होटल परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए 0.37 करोड़ रुपए उधार लिए जबकि 7.19 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई। इस वर्ष के अन्त में ऋणों की बकाया राशि 50 09 करोड़ रुपए थी।

सारणी 23

निधियों के स्रोत तथा उपयोग

(रुपए करोड़ों में)

	1974–75	1975–76	1976–77	1948–77
क. निधियों के स्रोत :				
आन्तरिक स्रोत				
1. शेयर पूंजी	—	—	—	10.00
2 कराधान से पूर्व लाभ	4 59	4 18	5 46	64 61
3 उधार लेने वालों द्वारा ऋणों की अदायगी				
(क) रुपया ऋण	12 77	14 94	15 47	159.53
(ख) विदेशी मुद्रा उप-ऋण	3 37	3 49	3 07	27.56
4 निवेशों की बिक्री/विमोचन	0 83	1 08	3 25	15 37
5 गारन्टी दायित्वों के रूप में वसूली	1 28	0 04	0 02	4 75
उप-जोड़	22 84	23.73	27 27	281 82
	(33 3)	(31.4)	(28 0)	(41 0)

*उसमें दो संस्थाओं से संबंधित 2.66 करोड़ रुपए और 1 22 करोड़ रुपए सम्मिलित नहीं है जो पुनर्स्थापन योजनाओं के अधीन क्रमश. ऋण और शेयरों में संपरिवर्तन करके निपटाए गए।

सारणी 23—(जारी)

(रुपए, करोड़ो मे)

	1974-75 (1)	1975-76 (2)	1976-77 (3)	1948-77 (4)
उधार				
6 बाड जारी करके बाजार से उधार	23 47	35.80	52 35	227.03
7 केन्द्रीय सरकार से उधार	1 80	2 09	0 74	111 91
8 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	—	—	—	5.00
9 कुछ ऋणो से सबधित अधिकारो और हितो के हस्तातरण द्वारा	9 98	—	—	9 98
10 विदेशी साख सस्थानो से				
(क) सयुक्त राज्य अतर्राष्ट्रीय विकास एजेसी से अमरीकी डालर मे ऋण	—	—	—	19.63
(ख) पश्चिमी जर्मनी के कडिस्तास्तल से जर्मनी मार्क मे ऋण	1 70	2 10	2.11	28 43
(ग) पेरिस के बैंक फ्रांसिस दु कमर्ज एक्सटिरिय से फ्रांसिसी फ्राक मे ऋण	0 04	0 18	0 06	2 02
उप जोड	36 99	40 17	55.26	404 00
	(53.9)	(53.2)	(56 8)	(58.8)
11. सरकार से विशेष अनुदान**	0 21	0.30	0 37	1.27
	(0 3)	(0.4)	(0.4)	(0.2)
12 प्रारम्भ मे नकदी और बैंक शेष	8 60	11.30	14.39	—
	(12 5)	(15.0)	(14.8)	(—)
निधियो के स्रोत - जोड	68 64	75.50	97 29	687.90
	(100 00)	(100.00)	(100 00)	(100.00)
ख. निधियो के उपयोग				
1 सहायता का सवितरण				
(क) रुपया ऋण	33 51	38 34	53 59	394.46
(ख) विदेशी मुद्रा उप ऋण	2 51	2 99	3.07	54.84
(ग) हामीदारी दायित्वो के रूप मे औद्योगिक इकाइयो के शेयरो/ डिबेचरो मे अभिदान	1 06	2 40	1 72	32 63
(घ) गारटी दायित्वो के रूप मे अदा की गई रकम	—	0 24	0 16	9 93
उप जोड़	37 08	43 97	58 54	491 86
	(54 0)	(58.2)	(60.2)	(71.6)

**के० एफ० डब्ल्यू० ऋण करारो की शर्तों के अधीन ब्याज जन्य अन्तर निधियो मे से।

सारणी 23— (जारी

(रुपए, करोड़ों मे

	1	2	3	4
2. वित्तपोषित संस्थाओ की शेयर पूजी मे संपरिवर्तित ऋण की राशि .	—	0 67 (0 9)	0.77 (0.8)	1.61 (0.2)
ऋणो की अदायगी				
3 केन्द्रीय सरकार को अदा किए गए ऋण . .	6 55	6.86	7.19	71.82
4. बाडों का विमोचन .	6.00	—	11.04	39.28
5 विदेशी साख सस्थानो मे प्राप्त ऋणो की अदायगी .	2.47	2 40	2 19	26 55
6 अन्य ऋणो की अदायगी .	0.89	1.93	2.13	4 95
उप जोड . .	15.91 (23.2)	11 19 (14.8)	22.25 (23 2)	132 60 (19.3)
अन्य उपयोग				
7. वित्तीय/विकास सस्थानो को शेयर पूजी/प्रारम्भिक पूजी मे अभिदान	0.50	0.01	0.06	0.78
8 प्रबन्ध विकास सस्थान को आवटन	0.34	0.32	0 32	1.36
9. जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को आवटन	—	—	0 33	0 33
10. आयकर के लिये व्यवस्था . .	1.99	1.48	2.22	30.02*
11. अधिलाभाश . .	0.60	0.60	0 60	7.26
12. निवल विविध उपयोग . .	0 92	2 87	3.04	12 41
उप जोड़ . .	4.35 (6.3)	5.28 (7.0)	6 57 (6.7)	52.16 (7.6)
13 अन्त मे नकदी और बैक शेष . .	11 30 (16 5)	14 39 (19.1)	8.86 (9.1)	8 86 (1 3)
निधियो का उपयोग : जोड़	68 64 (100.0)	75 50 (100.0)	97 29 (100 0)	687.09 (100 0)

*वास्तव मे अदा किया गया 28 01 करोड़ रुपए का आयकर सम्मिलित है।

नोट . कोष्टको मे दी गई सख्याए जोड़ के प्रतिशत का द्योतक है।

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण

67 समीक्षाधीन वर्ष मे भी पिछले वर्षों की भाति भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण अल्प अवधियो के वास्ते लिए गए। 30 जून, 1977 को इस शीर्षक के अन्तर्गत कोई राशि बकाया नही थी।

विदेशी मुद्राओ मे प्राप्त ऋण

68 150 लाख जर्मन मार्क का एक और पन्द्रहवा ऋण निगम को दिया गया। वर्ष के अन्त मे उपरोक्त ऋण सहित निगम के पास पश्चिमी जर्मन मार्क का कुल ऋण 1775.00 लाख मार्क हो गया है। निगम ने इनमे से 1707 30 लाख मार्क के उप-ऋण मजूर किए। अब ये ऋण पूर्णत संपरिवर्तनीय है, पूजीगत माल, इंजीनियरिग जानकारी और सेवाओ, आदि के आयात के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा भारतीय स्वडिम विकास सहयोग समझौता 1976 के अधीन निगम को 250 लाख स्वेडिश करोनर का ऋण आवटित किया जिसमे से वर्ष के अन्त तक 29 10 लाख स्वेडिश करोनर के उप-ऋण मजूर किए गए। ये ऋण सामान्य आयात का भाग है जो कि पूर्ण रूप मे सपरिवर्तनीय है और इनका उपयोग पूजी माल तथा सेवाओ का आयात करने के लिए किया जा सकता है।

भारत सरकार से निगम को प्राप्त सयुक्त राज्य/भारत पूजी निवेश अनुदान, 1975 के अतर्गत संयुक्त राज्य ऋणो की कुल

राशि 55.0 लाख पौंड हो गई है। इसमें से वर्ष के अन्त तक 44.5 लाख पौंड के उप-ऋण मंजूर किए गए।

बैंक फ्रांसिस डु कामर्स एक्सटरियें द्वारा निगम को दिये गये फ्रांसीसी ऋण का कुल मूल्य 150.0 लाख फ्रांसिसी फ्रांक था, जिसमें से 148.8 लाख फ्रांसिसी फ्रांक के उप-ऋण मंजूर किए गए।

लेखे

69. इस वर्ष का सकल लाभ 545 97 लाख रुपए हुआ। कराधान के लिए 221 97 लाख रुपए (निवल) की व्यवस्था करने के पश्चात् निवल लाभ 1975-76 के 269 50 लाख रुपए की अपेक्षा 324.00 लाख रुपए हुआ। पिछले वर्ष के 209 00 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष आरक्षित निधियों को 263 00 लाख रुपए का विनियोजन किया गया। कर्मचारी कल्याण निधि को 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया।

अधिलाभांश

70 इस वर्ष के लाभों में से 38 00 लाख रुपए की राशि सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित करने से यह निधि 12 88 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वर्ष की भांति निगम ने अपनी प्रदत्त पूंजी पर 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 6 प्रतिशत का अधिलाभांश देने की घोषणा की।

रिजर्व

71. 30 जून, 1977 को निगम के पास आरक्षित निधियों की कुल राशि 26 37 करोड़ रुपए थी, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे —

(रुपए करोड़ों में)

सामान्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32क के अधीन)	12 88
आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32क के अधीन)	1 00
विशेष आरक्षित निधि (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन)	6 91
संदिग्ध ऋणों के लिये आरक्षित निधि	4 70
दातव्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32ख के अधीन)	0.88
कुल निधियां	26.37

आरक्षित निधियों की राशि प्रदत्त पूंजी से 16 37 करोड़ रुपए अधिक हो गई है। निगम के पास विभिन्न आरक्षित निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

सामान्य आरक्षित निधि

वर्ष के दौरान हुए निगम के लाभों में से इस निधि को 38.00 लाख रुपए की राशि अन्तरित कर देने से इस निधि की कुल राशि 1288 00 लाख रुपए हो गई।

आरक्षित निधि

30 जून, 1977 को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32क के अधीन इस निधि का कुल जोड़ 100.00 लाख रुपए हुआ जो अधिनियम के अनुसार अधिकतम स्वीकार्य राशि है।

विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन चालू वर्ष के लाभ में से इस निधि को 140 00 लाख रुपए की राशि अन्तरित की गई, जो कि कुल आय का 25% है। पिछले वर्ष 42 00 लाख रुपए की राशि अन्तरित की गई थी। जो कुल आय का 10% थी। इस वर्ष 15% की अतिरिक्त राशि का अन्तरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के संशोधन के फलस्वरूप हो सका है। वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1977 देखें। 140 00 लाख रुपए की इस राशि के अन्तरित हो जाने से विशेष निधि की जमा रकम 690.78 लाख रुपए हो गई है।

दातव्य आरक्षित निधि

औद्योगिक वित्त निगम की अधिनियम की धारा 32 ख के अधीन समीक्षाधीन वर्ष के लाभों में से दातव्य आरक्षित निधि को 25 00 लाख रुपए की राशि अन्तरित कर दी गई है। जिसका उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा —

(क) व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्टों, मार्केट तथा टेक्नो-इकनामिक सर्वेक्षणों तथा ऐसे अन्य उद्देश्यों जो औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दें, के व्यय को पूरा करने के लिए,

(ख) विकास बैंकिंग तथा वित्तीय और औद्योगिक प्रबन्ध के क्षेत्रों में—

(1) शोध करने तथा शोध को प्रोत्साहन देने के लिए,

(2) वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को भारत तथा बाहर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए,

(3) विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा शोध प्रतिष्ठानों में चेयरों की स्थापना करने के लिए।

(ग) व्यावसायिकों तथा नये उद्यमकर्त्ताओं द्वारा लगाई गई परियोजनाओं को सहायता देने के लिये—

(1) उनको मंजूर ऋणों तथा अग्रिमों पर निगम को सामान्य ब्याज दर में सहायता,

(2) उनके द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं, विशेषकर औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में लगाई गई परियोजनाओं को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता देना।

(घ) उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहायक अथवा आकस्मिक सहायता प्रदान करना।

संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था

वर्ष के अन्त में ऋण खातों की समीक्षा के आधार पर तथा निगम के कार्यक्षेत्र के विस्तार, कुछ संस्थाओं की पुनर्स्थापना की योजनाओं के परिपक्व होने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखते हुए संचालकों ने दूरदर्शिता से काम लेकर समीक्षाधीन वर्ष के लाभ में से 60 00 लाख रुपए संदिग्ध ऋणों को आरक्षित निधि को अन्तरित करने का निर्णय किया है जो अब 469 80 लाख रुपए हो गई है।

आयकर के लिये व्यवस्था

72 30 जून, 1972, 1973, 1974, 1975 तथा 1976 को समाप्त हुए लेखा वर्षों के लिये कर निर्धारण की कार्यवाई को वार्षिक लेखा बन्द होने के पूर्व अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। अत. वर्ष के लेखे में इनका कोई समायोजन नहीं किया गया है। 30 जून, 1977 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के लिये कर लेखे में 211.98 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

73 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लाभ-हानि विवरण का सार सारणी 24 में दिया गया है।

74 पिछले पाच वर्षों से कार्य परिणामों का ब्योरा सारणी 25 में दिया गया है।

सारणी 24

लाभ-हानि सार—1976-77

(रुपए, लाखों में)

	इस वर्ष	पिछले वर्ष
इस वर्ष के कारोबार की सकल आय सकल आय में से घटाने के बाद बांडों और अन्य ऋणों पर अदा किया गया ब्याज	2423 17	1957.92
	1545.31	1283.89
अन्य खर्चे तथा निवेशों की बिक्री से हानि	331.89	256.40
कर के लिये व्यवस्था (निवल)	221.97	148.13
वर्ष का निवल लाभ है—	324.00	269.50
विनियोजन		
सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित	38 00	75.00
आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित	140 00	42.00
दातव्य आरक्षित निधि को अन्तरित	25 00	23 00
संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि को अन्तरिम	60.00	60.00
स्टाफ कल्याण निधि को अन्तरित	1.00	0.50
वर्ष के लिए 10.00 करोड़ रुपए की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से अधिलाभांश की अदायगी	60.00	60.00
	324.00	269.50

सारणी 25

पिछले पाच वर्षों का कार्य परिणाम

(रुपए, लाखों में)

	30 जून को समाप्त हुए वर्ष के लिये				
	1973	1974	1975	1976	1977
उपार्जित ब्याज . . .	1356.97	1613.24	1683.38	1848 94	2305.76
अन्य आय	141.20	163.28	98 94	108 98	117.41
कुल आय .	1498.17	1776.52	1782 32	1957.92	2423.17

सारणी 25

पिछले पाच वर्षों का कार्य परिणाम (रुपये, लाखो मे

	30 जून को समाप्त हुए वर्ष के लिए				
	1973	1974	1975	1976	1977
अदा किया गया ब्याज . .	917 13	1006 52	1131 98	1283 89	1545.31
बांडो पर बट्टा और दलाली	7 61	3 68	33 06	51 47	75 77
स्थापना खर्चे जिसमे चिकित्सा शुल्क तथा खर्च और कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज भी शामिल है . .	71.03	89.20	103 50	138 31	112.50
प्रबन्ध विकास अनुसधान सस्थान को अनुदान . .	--	5 00	5 00	5.00	5 00
निवेशो की बिक्री मे हानि . .	1.29	71 60	—	9 07	63 90
अन्य खर्च . .	49 18	46 87	49.81	52.55	74 72
कुल खर्च :	1046 24	1222.87	1323 35	1540 29	1877.20
सकल लाभ	451.93	553.65	458.97	417 63	545.97
कर के लिए व्यवस्था (निवल) . .	161.53	228 65	198 97	148.13	221 97
निवल लाभ	290 40	325 00	260 00	269 50	324.00
आरक्षित निधिया	232.70	264 00	199 00	209 00	263.00
कर्मचारी कल्याण निधि . . .	1 00	1.00	1 00	0.50	1.00
अधिलाभाश . . .	57.70	60 00	60 00	60 00	60 00

रजत जयती स्मृति व्याख्यान

75 चतुर्थ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान अन्तर अमेरिकी विकास बैंक, वाशिगटन के प्रधान मि० अन्तोनियो ओरटिज मेना ने दिया। व्याख्यान का विषय था "लेटिन अमेरिका में विकास बैंकिंग अमेरिका विकास बैंक का अनुभव" इस स्मृति व्याख्यान का प्रारम्भ निगम ने रजत जयती की स्मृति मे वार्षिक कार्यक्रम के तौर पर किया। इन वार्षिक व्याख्यानो के आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य विकास बैंकिंग के क्षेत्र मे नैपुण्यता एव व्यावसायिक साहित्य का निर्माण करना है। चार वर्ष पहले स्मृति व्याख्यान के प्रारम्भ होने से लेकर, निगम का सौभाग्य रहा है कि विकास बैंकिंग के क्षेत्र मे प्रख्यात व्यक्तियो ने व्याख्यान दिये जो विस्तृत चरित्र सरचना एव अनुभव प्राप्त सस्थानो का प्रतिनिधित्व करते थे।

इस वर्ष का व्याख्यान देते समय मि० मेना ने अन्तर अमेरिकी विकास बैंक के इतिहास की खोज की और याद दिलाया कि 1959 के अन्त मे लैटिन अमेरिका के 19 देशो तथा सयुक्त राज्य अमेरिका ने अन्तर-अमेरिकी विकास बैंक की स्थापना की। बहुमुखी आधार पर आर्थिक एव सामाजिक विकास का प्रवर्तन करने के लिए स्थापित की जाने वाली यह सर्वप्रथम क्षेत्रीय एजेंसी थी। अन्तर-अमेरिकी विकास बैंक के चरित्र एव सगठन पर बोलते हुए मि० मेना ने कहा कि बैंक के चार्टर मे ऐसी व्यवस्थाये थी जो कि अपने समय मे काफी आगे थी— न व्यवस्थाओ से यह सस्थान प्रारम्भ से ही सदस्य देशो मे आर्थिक विकास प्रक्रिया मे होते हुए सतत परिवर्तन के अनुरूप नूतन तथा लोचदार नीतिया अपना सका।

ऋण तथा तकनीकी सहयोग कार्यों का उल्लेख करते समय मि० मेना ने उल्लेख किया कि क्षेत्र के आर्थिक एव सामाजिक विकास के योगदान के रूप मे अन्तर-अमेरिकी विकास बैंक के कार्य आकार तथा क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि बैंक के ऋण कार्यों की वार्षिक विकास दर बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। 1961-65 की अवधि के दौरान, अन्तर अमेरिकी विकास बैंक ने 1600 करोड़ डालर के सकल ऋण प्राधिकृत किए। अगली पाच वर्ष की दो अवधियो के दौरान यह राशि बढ़कर 2600 करोड डालर तथा बाद मे 4800 करोड डालर हो गई। मि० मेना ने बताया कि इस प्रवृत्ति से उस खण्ड के देशो की प्रगति की झलक मिलती है। इन देशो ने बड़ी एव अधिक सकलित परियोजनओ के लिए बाहरी वित्तीय साधनो को अपनाने की क्षमता भी दिखाई है। इस स्थिति से यह भी पता चलता है कि सरकारी एव निजी सस्थाओ जिनकी विकास के लिए निवेश को नियन्त्रित करने की मुख्य जिम्मेवारी है।

जहा तक कि बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी सहयोग की बात है मि० मेना ने कहा कि 1961-65 मे 540 लाख डालर 1966-70 मे 1040 लाख डालर और 1971-75 मे 1620 लाख डालर की सहायता प्रदान की। मि० मेना ने उल्लेख किया कि अपने ऋण तथा तकनीकी सहयोग के कार्यों मे कम विकसित सदस्य देशो तथा सीमित बाजार वाले देशो को अधिक प्राथमिकता प्रदान की है।

व्याख्यान का कार्य विवरण मुद्रित कराया जा चुका है।

संगठन

संचालक बोर्ड

76. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1)(ख) की शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार ने क्रमशः श्री एम० के० वेंकटाचलम् तथा श्री आर० वी० रमन के स्थान पर वित्तीय कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के संयुक्त सचिव श्री एम० दण्डापाणी एवं औद्योगिक विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री पी० सी० नायक को संचालकों के रूप में नामित किया

अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री ए० बी० मजुमदार तथा बीमा संस्थाओं, निवेश न्यासों तथा ऐसे ही अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री आर० एम० मेहता ने निगम के संचालक पद से क्रमशः 25 नवम्बर, 1976 तथा 19 जनवरी, 1977 से त्याग पत्र दे दिया। सर्वश्री ए० बी० मजुमदार के त्यागपत्र से हुई आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए 20 फरवरी, 1977 को हुई निगम के शेयरधारियों की विशेष साधारण सभा में श्री पी० सी० डी० नाम्बियार, प्रबन्ध निदेशक (अब अध्यक्ष) भारतीय स्टेट बैंक और श्री जे० मत्थन कार्यकारी निदेशक (निवेश) (अब प्रबन्ध निदेशक), जीवन बीमा निगम को निगम के संचालक के रूप में चुना गया

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित संचालक श्री विष्णु बनर्जी ने 15 फरवरी, 1977 से निगम के संचालक पद से त्यागपत्र दे दिया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित संचालक डा० डी० टी० लक्कडवाला के योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप पहला जून, 1977 से निगम में संचालक पद से त्यागपत्र दे दिया।

बोर्ड श्री एम० के० वेंकटाचलम, श्री आर० वी० रमन, श्री ए० बी० मजुमदार, श्री आर० एम० मेहता, श्री विष्णु बनर्जी तथा डा० डी० टी० लक्कडवाला द्वारा अपने कार्यकाल में की गई अमूल्य सेवाओं की अत्यधिक सराहना करते हैं और नये संचालकों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

बोर्ड व अन्य समितियों की बैठकें

77. वर्ष के दौरान बोर्ड की तेरह बैठकें हुई हैं जिनमें से नई दिल्ली में सात, हैदराबाद, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, कलकत्ता, अहमदाबाद तथा बंगलौर में एक-एक बैठक हुई। पहले की भांति जहां भी दिल्ली से बाहर बोर्ड की बैठकें होती हैं, अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्य राज्य सरकार तथा राज्यों की राजधानियों में आधारित अन्य वित्तीय तथा विकास संस्थाओं के कर्मचारियों तथा स्थानीय व्यापार तथा उद्योग संघों या चैम्बरों के प्रतिनिधियों को मिलने का शुभ अवसर प्राप्त करते हैं ताकि राज्य अथवा क्षेत्र के औद्योगिक वातावरण और कुछ वित्तपोषित संस्थाओं की समस्याओं का यथोचित मूल्यांकन हो सके।

वर्ष के दौरान बोर्ड की समितियों की भी पांच बैठकें हुईं।

सलाहकारी समितियां

78 वर्ष के दौरान विभिन्न सलाहकारी समितियों की बैठकों की संख्या नीचे दी गई है —

सलाहकारी समिति का नाम	बैठकों की संख्या
रसायन प्रक्रिया और समवर्गीय उद्योग	9
इंजीनियरिंग	7
चीनी	9
वस्त्र	7
होटल	3
पटसन	3

इन बैठकों में कुल 92 संस्थाओं से विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार किया गया।

वर्ष के दौरान निगम की स्थानीय सलाहकारी समिति की बैठकें अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, हैदराबाद तथा मद्रास में हुईं।

निगम ने पहले की भांति विभिन्न उद्योगों के तकनीकी विशेषज्ञों और सलाहकारों की एक नामिका रखी ताकि विभिन्न उद्योगों के लिए उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके और अवसर की आवश्यकतानुसार नामिका में से सम्बन्धित समिति का सदस्य सहयोजित किया जा सके।

लेखा परीक्षक

79 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मैसर्स ए०-एफ० फरगुसन एण्ड कम्पनी, बम्बई को लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया। 23 सितम्बर, 1976 को निगम के शेयरधारियों की वार्षिक साधारण सभा में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को छोड़कर अन्य शेयरधारियों की ओर से उक्त अवधि के लिए मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, बम्बई को लेखा परीक्षक चुना गया मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, वर्ष के अन्त में कार्य-निवृत्त हो जायेंगे। लेकिन वे फिर से चुने जाने के पात्र हैं।

निगम में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

80 काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने की सरकारी नीति के अनुरूप निगम हिन्दी के प्रयोग की अभिवृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील है। निगम में हिन्दी की प्रगति को देखने तथा प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी उठाये गये कदमों पर सुझाव देने हेतु तीन राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, प्रधान कार्यालय, बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय तथा दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक में एक-एक कार्य कर रही है। उन समितियों की बैठकें त्रैमासिक होती हैं। निगम ने सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर गठित की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में भी अपने अधिकारियों का नामांकन किया है। ये समितियां नगर के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित उपाय सुझाने तथा समस्याओं पर विचार करने के लिए बनाई गई हैं।

निगम ने भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना को भी ग्रहण किया है। योजना के अधीन कर्मचारियों को हिन्दी की विभिन्न परीक्षाओं तथा हिन्दी टाइपिंग/शार्टहैंड के लिए तैयार करना है। अभी तक योजना के अधीन निगम के 121 कर्मचारियों ने विभिन्न परीक्षाएं पास की है। इसके अतिरिक्त एक स्टोनोग्राफर तथा चार टाइपिस्टों ने क्रमश: हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा पास की। कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निगम ने कुछ प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

81 अध्यक्ष ने एशिया तथा प्रशान्त के विकास वित्तीय संस्थानों की 29 सितम्बर 1976 से 1 अक्तूबर 1976 तक हुए छटे क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

औद्योगिक विकास वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा सातवीं बैठक नई दिल्ली में 29 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1976 तक आयोजित की गई। अध्यक्ष तथा निगम के प्रमुख अधिकारियों ने प्रतिनिधियों के रूप में सम्मेलन में भाग लिया।

निगम के महाप्रबन्धक श्री आर० बी० माथुर ने टोकियो में 16 मई से 23 मई 1977 तक हुए जापान के औद्योगिक बैंक के चतुर्थ विशेष औद्योगिक वित्त विचार गोष्ठी में भाग लिया।

82 निगम प्रबन्ध विकास के विभिन्न पहलुओं की ओर काफी ध्यान देता आ रहा है। वर्ष के दौरान निगम के 50 अधिकारियों ने प्रबन्ध विकास संस्थान, नई दिल्ली, बैंकिंग ट्रेनिंग कालिज, बम्बई, नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल, नई दिल्ली आदि द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लिया। प्रधान कार्यालय के सहायकों के लिए एक इन-कम्पनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा इस कार्यक्रम में 34 सहायकों ने भाग लिया।

83 वर्ष के दौरान निगम ने अपने इतिहास में पहली बार संगठन को मजबूत करने के लिए प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की योजना शुरू की। 29 प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों के पहले दल ने निगम की सेवा में प्रवेश किया। ये प्रशिक्षणार्थी विभिन्न विषयों से सम्बन्ध रखते है और इनका चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के बाद किया गया। निगम में पहली जून, 1977 से इनका प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया। अध्ययन कक्ष के अधिवेशनों तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार गोष्ठियों द्वारा एक मास के अनुस्थापन तथा आधारात्मक प्रशिक्षण के बाद अब निगम के विभिन्न विभागों में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद उन्हे निगम के विभिन्न विभागों में कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा तदानुपरान्त उन्हे कनिष्ठ अधिकारियों के रूप में लिया जाएगा।

84 स्टाफ कल्याण निधि

84 वर्ष के दौरान स्टाफ कल्याण निधि का उपयोग कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर, कर्मचारियों के स्वयं विकास के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान करके, अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगी, तथा स्कूल की फीस, आदि की प्रतिपूर्ति करके, किया गया। प्रधान कार्यालय तथा बंगलौर कार्यालय की क्लबों को भी अनुदान दिया गया। वर्ष के दौरान स्टाफ कल्याण निधि विनियमों में संशोधन किया गया ताकि कर्मचारियों को कुछ घरेलू सामान खरीदने एवं स्वयं तथा आश्रित बच्चों के विवाह के लिए ब्याज रहित अग्रिम दिया जा सके। इसके अलावा, कुछ शर्तों के अधीन कर्मचारियों के बच्चों को पारितोषिक प्रदान करने एवं ट्यूशन फीस, आदि की प्रतिपूर्ति करने की भी व्यवस्था की गई है।

वर्ष के दौरान निगम ने श्रीनगर में एक अवकाश गृह की स्थापना की और अन्य स्थानों पर अवकाश गृह स्थापित करने के लिए प्रयत्न जारी है।

वरिष्ठ प्रबन्धकवर्ग में परिवर्तन

85 श्री आर० बी० माथुर, ने अपनी दो वर्ष की पुनर्नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर 9 अगस्त, 1977 अपराह्न को महाप्रबन्धक के पद का भार त्याग दिया।

श्री एस० एस० नागरथ, संयुक्त महाप्रबन्धक, जिनको 20 सितम्बर, 1976 से दो वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया गया था, को 9 अगस्त, 1977 अपराह्न से महाप्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया गया। पहले श्री नागरथ को 1 दिसम्बर, 1976 से संयुक्त महाप्रबन्धक के रूप में पदोन्नति की गई थी।

सर्वश्री पी० एस० गोपालाकृष्णन् और डी० एन० डावर को 1 दिसम्बर, 1976 से उप-महाप्रबन्धक के रूप में पदोन्नति की गई थी। श्री डावर ने 9 अगस्त, 1977 की अपराह्न से संयुक्त महाप्रबन्धक के पद का भार संभाल लिया।

श्री ए० के० घोष, उप-विधि सलाहकार को पहली नवम्बर, 1976 से श्री टी० एस० सेन के स्थान पर जो 31 अक्तूबर, 1976 से सेवानिवृत्तिपूर्व छुट्टी पर चले गए है, विधि सलाहकार के पद पर पदोन्नति कर दी गई।

डा० जे० सी० राव, आर्थिक सलाहकार को पहली दिसम्बर, 1976 से आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार के रूप में पदोन्नति कर दी गई।

श्री एन० पी० चक्रवर्ती को पहली मई, 1977 से विशेष कार्य अधिकारी के रूप में एक वर्ष के लिए और पुनर्नियुक्त किया गया।

मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एम० एन० कृष्ण को पहली दिसम्बर, 1977 से सहायक महाप्रबन्धक के रूप में पदोन्नति कर दी गई।

कलकत्ता कार्यालय के सहायक महाप्रबन्धक श्री आर० एन० शाह ने 16 दिसम्बर, 1976 से श्री आई० एम० नागिया, सहायक महाप्रबन्धक, के स्थान पर, जो स्वेच्छा से कार्यनिवृत्त हो गए हैं, बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय का भार संभाल लिया।

कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी प्रबन्धक श्री एस० के० भट्टाचार्य की पहली दिसम्बर, 1976 से क्षेत्रीय प्रबन्धक के रूप में पदोन्नति की गई।

सर्वश्री वी० एस० आर० के० शास्त्री तथा एन० कृष्णास्वामी, प्रबन्धकों की पहली दिसम्बर, 1976 से वरिष्ठ प्रबन्धकों के रूप में पदोन्नति की गई।

सर्वश्री एस० के० ऋषि, एस० पी० बनर्जी पी० ब्रह्मचारी एफ० एम० पटनायक तथा के० सी० हुकमानी प्रबन्धकों (तकनीकी) की पहली दिसम्बर 1976 से वरिष्ठ प्रबन्धक (तक०) के रूप में पदोन्नति कर दी गई।

श्री एस० के० मित्रा, प्रबन्धक (विधि) को 9 जून, 1977 से उप-विधि सलाहकार, के रूप में पदोन्नति कर दी गई।

राष्ट्रीय चीनी संस्थान के मुख्य अभियन्ता श्री पी० एन० राव ने निगम में सहायक महाप्रबन्धक के दर्जे के बराबर विशेष कार्य अधिकारी के रूप में पहली अप्रैल, 1977 से कार्यभार संभाल लिया।

श्री आर० आर० राव क्षेत्रीय प्रबन्धक ने श्री विश्वनाथ कपूर क्षेत्रीय प्रबन्धक के स्थान पर जो कार्य निवृत्ति-छुट्टी पर चले गए हैं, 20 दिसम्बर 1976 से दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का भार संभाल लिया।

प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रदर्शन

86 बोर्ड को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकारों, राज्य-स्तर की वित्तीय और विकास संस्थाओं से जो सहयोग और सहायता मिली है उसके लिए यह उनकी प्रशंसा करता है। जिन सदस्यों ने निगम की विभिन्न सलाहकारी समितियों में कार्य किया है तथा जिन्होंने विभिन्न ऋणी संस्थाओं के संचालक बोर्डों में निगम के द्वारा नामित किए गए संचालकों के रूप में कार्य किया है बोर्ड उनकी अमूल्य सहायता और सलाह के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। बोर्ड क्रेडिटान्स्टाल्ट फुर वाइडरफब्यू के प्रबन्धक-वर्ग, संयुक्त राज्य सरकार के समुद्र पार विकास मन्त्रालय एवं स्वेडिस अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा निगम को निरन्तर की गई मदद और सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता है। निगम के अधिकारी एवं स्टाफ द्वारा वर्ष के दौरान वफादारी और निष्ठापूर्वक की गई सेवा के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है।

संचालकों की ओर से,
बलदेव पसरीचा,
अध्यक्ष

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारी

हम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधोहस्ताक्षरकर्ता लेखा-परीक्षक निगम के 30 जून, 1977 के तुलन-पत्र और लेखों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने सम्बन्धित वाउचरों और लेखों तथा शाखा कार्यालयों से प्राप्त परीक्षित विवरणियों के साथ सलग्न तुलन-पत्र की जांच कर ली है। ये विवरणियां सलग्न तुलन-पत्र में शामिल कर ली गई हैं। हम इस बात की रिपोर्ट देते हैं कि हमने जहां कहीं भी कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है, वह हमें सम्बन्धित स्पष्टीकरण या जानकारी दी गई है और वह संतोषप्रद रही है। हमारी राय में प्रस्तुत तुलन-पत्र पूर्ण और निष्कपट है और जहां तक हमें जानकारी और स्पष्टीकरण दिये गये हैं और जैसा कि निगम के बहीखातों से पता चलता है, यह तुलन-पत्र निगम के अधिनियम और नियमावली के अनुसार इस प्रकार उचित रीति से बनाया गया है कि इससे निगम के कार्यों का सच्चा और सही चित्र सामने आ जाता है।

हरिभक्ति एण्ड कम्पनी,
ए० एफ० फरगुसन एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखापाल

स्थान चंडीगढ़
तारीख 29 अगस्त, 1977

भारतीय औद्योगिक

नई

30 जून, 1977

क्रम संख्या	देयताए	अनुसूची	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(1)	शेयर पूंजी	क	10,00,00,000	10,00,00,000
(2)	रिजर्व और आरक्षित निधिया . . .	ख	26,37,18,012	24,16,26,735
(3)	दीर्घकालीन ऋण	ग	264,89,57,143	2,29,94,15,591
(4)	चालू देयताएं तथा व्यवस्थाए	घ	17,69,67,272	15,58,17,590
(5)	अन्य देयताए	ङ	6,16,63,017	8,09,63,751
(6)	दुतरफा मदो के अनुसार आकस्मिक देयताए . .	च	4,05,36,438	6,16,46,002
			3,29,18,41,882	293,94,69,669

हमारी सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

हरिभक्ति एण्ड क० . . .	पी० सी० नायक	एस० डी० खोसला	निदेशक
ए० एफ० फरगूसन एण्ड कं० . . .	एम० डडापाणी	निदेशक शामराव कदम	
मनदी लेखाताल	सी० टी० दास	जे० यू० पटेल	

वित्त निगम
दिल्ली को
तुलन-पत्र

क्रम संख्या	परिसम्पत्तियां	अनुसूची	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(1)	रोकड़ और बैंक शेष	छ	8,85,90,479	14,39,14,207
(2)	निवेश	ज	20,82,66,195	21,58,53,783
(3)	ऋण तथा पेशगियां	झ	286,42,49,601	2,44,56,88,611
(4)	स्थित परिसम्पत्तियां	ण	87,47,112	57,71,001
(5)	अन्य परिसम्पत्तियां	ट	8,14,52,057	6,65,96,065
(6)	दुतरफा मदों के अनुसार संघटक आभार . .	ठ	4,05,36,438	6,16,46,002
			329,18,41,882	293,94,69,669

एम० एस० नागरथ
महाप्रबन्धक

बलदेव पसरीचा
[illegible]

औद्योगिक वित्त निगम,

30 जून, 1977 को समाप्त

व्यय	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
बांडों तथा ऋणों पर ब्याज, आदि		15,45,30,508	12,83,88,930
विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार		2,77,090	2,02,346
बांडों पर दलाली		23,42,613	15,66,823
बांडों पर बट्टा		52,34,610	35,79,846
निवेशों की बिक्री से हानि		63,89,970	9,07,498
स्थापना व्यय		1,12,49,782	1,38,31,039
संचालकों तथा समिति सदस्यों को फीस तथा खर्चे		2,67,476	4,55,456
किराया, कर, बीमा तथा रोशनी		25,31,480	19,99,771
डाक तार, टिकटें तथा टेलीफोन		6,66,804	4,34,719
छपाई, लेखन सामग्री तथा विज्ञापन		5,87,765	5,22,779
विधि प्रभार		1,62,671	8,512
लेखा-परीक्षा फीस		43,000	38,000
यात्रा तथा विराम व्यय		4,51,393	4,20,508
अन्य व्यय		13,87,340	9,29,257
बट्टा खाते डाले गए ऋण		8,00,000	—
ह्रास मूल्य		2,97,683	2,43,495
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान		5,00,000	5,00,000
कराधान के लिए व्यवस्था	2,21,96,854		2,03,99,567
घटाइए : पिछले वर्षों से सम्बन्धित आयकर की वापसी तथा समायोजना	—		55,86,299
		2,21,96,854	1,48,13,268
वर्ष के लिए निवल लाभ नीचे ले जाया गया		3,24,00,000	2,69,50,000
		24,23,17,039	19,57,92,247
सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित राशि		38,00,000	75,00,000
विशेष रिजर्व (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन		1,40,00,000	42,00,000
दातव्य आरक्षित निधि		25,00,000	32,00,000
कर्मचारी कल्याण निधि		1,00,000	50,000
संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व		60,00,000	60,00,000
प्रस्तावित अधिलाभांश		60,00,000	60,00,000
		3,24,00,000	2,69,50,000

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

हरिभक्ति एण्ड कं०
ए० एफ० फ़रगूसन एण्ड कं०
सनदी लेखापाल

पी० सी० नायक
एम० डंडापाणी
सी० टी० दास

निदेशक

एस० डी० खोसला
शामराव कदम
जे० य० पटेल

निदेशक

नई दिल्ली

हुए वर्ष का लाभ-हानि लेखा

आय	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
ब्याज	23,05,75,909	18,48,93,925
कमीशन	12,25,666	16,35,954
निवेशो की बिक्री से लाभ	9,12,341	23,47,733
परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	6,960	14,144
शेयरो पर अधिलाभांश	44,71,602	21,63,564
बचनबद्धता प्रभार	44,72,047	38,30,551
विविध आय	6,52,514	9,06,376
	24,23,17,039	19,57,92,247
वर्ष के लिए निवल लाभ नीचे ले जाया गया	3,24,00,000	2,69,50,000
	3,24,00,000	2,69,50,000

एम० एस० नागरथ
महा प्रबन्धक

बलदेव पसरीचा
अध्यक्ष

अनुसूची क

शेयर पंजी

30 जून, 1977 को तुलन-पत्र के साथ सलग्न तथा उसका भाग

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
अधिकृत		
पांच-पांच हजार रुपये के 40,000 शेयर	20,00,00,000	20,00,00,000
जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त		
(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की वापसी, अदायगी और न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)		
(i) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर .	5,00,00,000	5,00,00,000
(ii) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सिरीज)	2,00,00,000	2,00,00,000
(iii) पूरी तरह से प्रदत्त पाच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सिरीज)	1,34,60,000	1,34,60,000
(vi) पूर तरह से प्रदत्त पांच-पाच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ सिरीज)	1,65,40,000	1,65,40,000
	10,00,00,000	10,00,00,000

टिप्पणी : न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांश की गारंटी मद संख्या (i) के लिए 2¼% मद सख्या (ii) तथा (iii) के लिए 4% और मद सख्या (iv) के लिए 4½% है।

अनुसूची ख
रिजर्व और आरक्षित निधियां

30 जून, 1977 को तुलन-पत्र के साथ सलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) सामान्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अन्तर्गत)			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	12,50,00,000		11,75,00,000
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित . . .	38,00,000		75,00,000
		12,88,00,000	12,50,00,000
(ii) आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32क के अधीन) . .		1,00,00,000	1,00,00,000
() वातव्य आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन)			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	1,05,68,752		79,51,008
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित . . .	25,00,000		32,00,000
	1,30,68,752		1,11,51,008
घटाइए : उपयोग की गई राशि . . .	42,08,723		5,82,256
		88,60,029	1,05,68,752
(vi) विशेष आरक्षित निधि (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) VIII के अधीन)			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . . .	5,50,78,362		5,08,78,362
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित . . .	1,40,00,000		42,00,000
		6,90,78,362	5,50,78,362
() संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व .			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	4,09,79,621		3,49,79,621
घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण .	—		—
	4,09,79,621		3,49,79,621
लाभ हानि लेखे से अन्तरित . .	60,00,000		60,00,000
		4,69,79,621	4,09,79,621
		26,37,18,012	24,16,26,735

अनुसूची ग
दीर्घकालीन ऋण

30 जून, 1977 को तुलन-पत्र के साथ सलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1. बाड (आरक्षित औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी—भारत सरकार द्वारा गारटी प्राप्त)			
4-3/4 प्रतिशत संपरिवर्तनीय बांड, 1976 .		—	4,45,50,000
4-3/4 प्रतिशत बाड 1976 . . .		—	6,58,48,100
5-1/2 प्रतिशत बांड 1977 . . .		2,00,00,000	2,00,00,000
5-1/2 प्रतिशत बांड 1978 . . .		6,12,90,000	6,12,90,000
5-3/4 प्रतिशत बाड 1979 . . .		8,24,86,700	8,24,86,700
5-3/4 प्रतिशत बाड 1980 . . .		8,33,30,800	8,33,30,800
5-3/4 प्रतिशत बाड 1981 . . .		5,50,00,000	5,50,00,000
5-3/4 प्रतिशत बाड 1982 . . .		4,95,00,000	4,95,00,000
5-3/4 प्रतिशत बाड 1883 . . .		8,80,08,800	8,80,08,800
5-3/4 प्रतिशत बाड 1984 . . .		11,00,67,300	11,00,67,300
5-3/4 प्रतिशत बाड 1985 . . .		13,16,67,800	13,16,67,800
6 प्रतिशत बाड 1986 . . .		7,99,08,000	7,99,08,000
6 प्रतिशत बांड 1984 . . .		11,00,12,000	11,00,12,000
6 प्रतिशत बाड 1985 . . .		12,47,37,800	12,47,37 800
6 प्रतिशत बाड 1985 (द्वितीय सीरीज) . .		16.54,79,200	16.54,79,200
6 प्रतिशत बांड 1986 (द्वितीय सिरीज) .		19,25,05,400	19,25,05,400
6 प्रतिशत बाड 1986 (तृतीय सिरीज) . .		32,45,87,200	—
6 प्रतिशत बाड 1987 . . .		19,88,73,800	—
		187,74,54,800	1,46,43,91,900
2. उधार			
(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (4) के अधीन) निगम द्वारा जारी किए गए 5 करोड रुपए अंकित मूल्य के 6-3/4 प्रतिशत तदर्थ बाड पर लिए गए . . .		5,00,00,000	5,00,00,000
(ii) भारत सरकार से (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (4) के अधीन)		48,82,43,503	55,64,06,509
(iii) फ्रदिस्तांस्तल के साथ साझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से . .		1,26,75,000	89,64,000
(iv) विदेशी मुद्राओं में विदेशी साख सस्थानों से		22,05,83,840	21,96,53,182
		264,89,57,143	229,94,15,591

अनुसूची-घ

चालू देयताए तथा व्यवस्थाएं

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ सलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
क. चालू देयताए			
(i) भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकालीन ऋण—3 25 करोड रुपए के अकित मूल्य के निगम द्वारा जारी किए गए रक्षित बाडो द्वारा औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (3) (ख) के अधीन) . . .		25,00,000	- -
(ii) फुटकर लेनदार . .		2,00,69,220	1,33,34,901
(iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु अप्राप्य :			
(क) उधार			
(i) भारत सरकार से	1,03,77,071		1,13,34,977
(ii) विदेशी मुद्राओ मे विदेशी साख सस्थानों से . .	3,60,066		4,81,802
	1,07,37,137		1,18,16,779
(ख) बांडो पर . . .	2,08,92,495		1,51,29,030
		3,16,29,632	2,69,45,809
(iv) अग्रिम गारंटी कमीशन . .		1,37,191	2,51,549
(v) विधिक प्रभारो के लिए प्राप्त अग्रिम		1,55,300	1,74,050
(vi) दावा न किया गया अधिलाभाश .		462	14,746
(vii) विदेशी साख सस्थानो से विदेशी मुद्राओं मे बचनबद्धता प्रभार . .		46,393	232
(viii) आवेदको से मूल्यांकन खर्चों के लिए अग्रिम		2,70,470	—
आगे ले जाया गया . .		5,48,08,668	4,07,21,287

अनुसूची-घ—जारी

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
आगे लाया गया			5,48,08,668	4,07,21,287
(ख) व्यवस्थाएं				
(i) विनिमय अन्य उचंत लेखे में			2,40,08,574	1,75,26,089
(ii) उचंत डाली गई रकमें				
(क) ब्याज	7,15,84,053			7,47,38,644
(ख) बचतबद्धता प्रभार	85,832			2,48,218
(ग) प्रासंगिक प्रभार	2,37,704			2,49,125
(घ) गारंटी कमीशन	1,70,051			1,70,051
			7,20,77,640	7,54,06,038
(iii) कराधान के लिए व्यवस्था :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		11,11,71,504		9,29,71,937
जोड़िए : वर्ष के लिए व्यवस्था		2,21,96,854		2,03,99,567
		13,33,68,358		11,33,71,504
घटाइए : गत वर्षों के लिए समायोजन		—		22,00,000
		13,33,68,358		11,11,71,504
घटाइए : स्रोत पर काटा गया कर	1,18,64,518			1,05,96,076
अदा किया गया अग्रिम कर	10,14,31,450			8,44,11,252
		11,32,95,968		9,50,07,328
			2,00,72,390	1,61,64,176
प्रस्तावित अधिलाभांश			60,00,000	60,00,000
			12,21,58,604	11,50,96,303
			17,69,67,272	15,58,17,590

अनुसूची ङ
अन्य देयताएं

30 जून, 1977 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) सरकार से विशेष अनुदान			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष .	—		—
फ्रदिस्तातल के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार अनुदान	37,11,000		30,28,000
	37,11,000		30,28,000
घटाइए . उपयोग की गई राशि . .	32,85,000		30,28,000
		4,26,000	
(ii) स्टाफ कल्याण निधि :			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	4,58,261		4,35,452
घटाइए : उपयोग की गई राशि . . .	35,749		27,191
	4,22,512		4,08,261
जोड़िए : लाभ-हानि लेखे से अन्तरित . .	1,00,000		50,000
		5,22,512	4,58,261
(iii) औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य-निधि .		1,04,63,505	89,23,490
(iv) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(ख) के अधीन अन्तरित ऋणो तथा अग्रिमो मे अधिकार एवं हित के सम्बन्ध में देयता		5,02,51,000	7,15,82,000
		6,16,63,017	8,09,63,751

सूची च
दुतरफा मदो के अनुसार आकस्मिक देयताए

30 जून, 1977 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) गारंटिया [धारा 23(1)(ख) के अधीन] .		1,43,23,700	2,40,48,779
(ii) विदेशी ऋण गारंटिया [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1848 की धारा 23(1) के अधीन] .		2,07,88,887	3,10,09,615
(iii) मूलधन की राशि के लिए और आस्थगित फांसीसी ऋण हामीदारी सविदा [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 23(1)(घ) के अधीन] . .		54,23,851	65,87,608
(पिछले वर्ष रु० 22,50,000) . .	1,02,25,000		
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1)(घ) तथा धारा 23(1)(च) के अधीन निवेश के रूप मे अशत: प्रदत्त शेयरों के लिए दावा न की गई राशि			
(पिछले वर्ष 52,05,538) . .	18,34,825		
		4,05,36,438	6,16,46,002

अनुसूची छ

30 जून, 1977 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं में रोकड तथा स्टैम्प हाथ में		23,192	22,358
(ii) बैंक हाथ में तथा वसूली के अधीन		2,02,74,209	1,33,20,302
(iii) बैंकों में शेष			
(क) चालू खाते में			
भारत में	1,81,25,635		1,59,56,010
विदेशों में	67,443		15,537
	1,81,93,078		1,59,71,547
(ख) जमा खाते में	5,01,00,000		11,46,00,000
		6,82,93,078	13,05,71,547
		8,85,90,479	14,39,14,207

अनुसूची ज

30 जून 1977 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अधीन :			
कुछ वित्तीय संस्थानों की प्रारम्भिक पूंजी/शेयर		71,00,000	71,00,000
(ii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1)(घ) के अधीन :			
(क) औद्योगिक संस्थाओं के स्टाक बाड तथा डिबेचर	14,64,52,290		16,56,77,848
(ख) शेयरों, डिबेचरों, आदि पर आवेदन मुद्रा	2,62,500		—
		14,67,14,790	16,56,77,848
(iii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1)(च) के अधीन :			
(क) शेयर	3,66,03,515		3,16,52,795
(ख) शेयरों के लिए अदा की गई आवेदन मुद्रा	—		3,06,250
		3,66,03,515	3,19,59,045
(iv) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 23(1)(छ) के अधीन			
डिबेचर	7,65,000		17,40,000
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1)(छ) के उपबन्ध के अधीन लिए गए शेयर	1,70,82,890		93,76,890
		1,78,47,890	1,11,16,890
		20,82,66,195	21,58,53,783
(क) कथित निवेश			
पुस्तक मूल्य		9,50,64,835	9,00,35,200
बाजार मूल्य		9,14,22,467	8,66,74,560
(ख) निवेश, जिनके लिए मूल्य विवरण उपलब्ध नहीं है			
पुस्तक मूल्य		11,32,01,360	12,58,18,583

अनुसूची झ
ऋण तथा अग्रिम

30 जून, 1977 को तुलन-पत्र के साथ सलग्न तथा उसका भाग

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
ऋण तथा अग्रिम भारतीय मुद्रा में	2,60,42,45,786	2,18,06,05,687
विदेशी मुद्राओ में	26,00,03,815	26,50,82,924
	2,86,42,49,601	2,44,56,88,611

टिप्पणिया :—

(क) सस्थाओ से प्राप्य ऋण जिनमे निगम के संचालक नामित संचालक की हैसियत से सचालक के रूप में हितबद्ध हैं .	3,18,02,332	2,15,78,496
(ख) वर्ष के दौरान उन सस्थाओ को सवितरित ऋण की कुल रकम जिनमे निगम के संचालक, नामित संचालक की हैसियत से सचालक के रूप मे हितबद्ध हैं . . .	80,00,000	50,00,000
(ग) उन सस्थाओं से या मूलधन अथवा ब्याज को अशिदेय रकम जिनमें निगम के सचालक, सचालक के रूप मे हितबद्ध हैं . .	शून्य	शून्य

अनुसूची ञ
स्थिर परिसम्पत्तियां

30 जून, 1977 को तुलन-पत्र के साथ सलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1. भूमि पट्टे पर पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य		14,40,817		13,60,816
वर्ष के दौरान वृद्धियां		30,401		80,001
			14,71,218	14,40,817
2. निष्कर भूमि तथा भवन :				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य		31,51,989		31,50,063
वर्ष के दौरान वृद्धियां		28,03,693		1,926
		59,55,682		31,51,989
घटाइए : ह्रास मूल्य—				
पिछले साल तक	1,49,238			98,142
वर्ष के लिए	69,526			51,096
		2,18,764		1,49,238
			57,36,918	30,02,751
3. मोटर कारें, साइकिल, फर्नीचर, जुड़नार, फिटिंग आदि				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य		26,04,873		24,71,988
वर्ष के दौरान वृद्धियां/समायोजन		4,50,642		1,81,845
		30,55,515		26,53,833
घटाइए : बेची गई/फेंकी गई		32,799		48,960
		30,22,716		26,04,873
घटाइए : ह्रास मूल्य—				
पिछले वर्ष तक	12,77,440			11,14,386
वर्ष के लिए	2,28,157			1,92,399
	15,05,597			13,06,785
घटाइए . बेची गई/फेंकी गई परिसम्पत्तियों पर	21,857			29,345
		14,83,740		12,77,440
			15,38,976	13,27,433
			87,47,112	57,71,001

अनुसूची ट

अन्य परिसम्पत्तियां

30 जून, 1977 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(क) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु अप्राप्य :			
बैंको मे जमा रकमो पर	3,78,298		8,28,329
डिबेंचरों पर	4,97,108		14,46,657
ऋणो तथा अग्रिमों पर	5,09,78,796		4,15,32,637
अन्य	7,61,569		5,54,153
		5,26,15,771	4,43,61,776
(ख) वचनबद्धता तथा अन्य प्रोद्भूत प्रभार		23,54,738	20,43,783
(ग) फुटकर ऋणी		2,12,38,069	1,60,05,380
(घ) कर्मचारियो को अग्रिम		35,72,333	33,99,976
(ङ) लेखन सामग्री का स्टाक		1,43,061	1,26,580
(च) टेलीफोन जमा		36,274	37,036
(छ) पूर्ववत्त खर्चे		85,459	77,768
(ज) प्रोद्भूत एजेंसी कमीशन		66,640	1,35,505
(झ) स्टाफ कल्याण निधि की असल परिसम्पत्तिया		4,22,512	4,08,261
(ञ) कम्पनी जमा (आयकर पर अधिभार) योजना के अधीन जमा		9,17,200	—
		8,14,52,057	6,65,96,065

अनुसूची ठ

तुलरफा मदो के अनुसार सघटक आभार

30 जून, 1977 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(क) गारटियां [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 23(1)(ख) के अधीन]	1,43,23,700	2,40,48,779
(ख) विदेशी ऋण गारंटिया [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1)(ग) के अधीन]	2,07,88,887	3,10,09,615
(ग) आस्थगित फ्रांसीसी ऋण मूलधन के लिए	54,23,851	65,87,608
	4,05,36,438	6,16,46,002

तुलन पत्र का भाग टिप्पणिया

1 निगम द्वारा गृहित निवेशों के मूल्य के लिए उचित व्यवस्था नही की गई है क्योंकि निगम का विचार है कि विकास बैंक के कार्यों में इस प्रकार का ह्रास सामान्य रहता है ।

2. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(1) (घ) के अन्तर्गत दो कम्पनियो (पिछले वर्ष तीन कम्पनिया) के 11,84,500 रु० (पिछले वर्ष 21,66,900 रु०) साधारण पूजी के रूप मे नियोजित राशि शामिल है, कम्पनियो ने ऐच्छिक परिसमापन कर दिया है और सम्भवत. निगम की नियोजित पूरी राशि वसूल न की जा सकेगी । इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नही की गई है ।

3 ऋणो और अग्रिमो मे 4,56,04,000 रु० (पिछले वर्ष 7,02,87,447 रु०) शामिल है जिनमे सम्बन्धित अधिकार तथा हित औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 ख के अधीन हस्तान्तरित किए गए ।

4. फुटकर ऋणो मे एक राज्य सरकार से ली जाने वाली 1,05,00,000 रु० (पिछले वर्ष 1,25,000 रु०) की राशि शामिल है, जो कि चार वार्षिक किस्तो के रूप मे पुनर्स्थापन योजना के कारण वित्त-पोषित संस्था के शेयरो के बेचने से देय है ।

5. दातव्य आरक्षित निधि और विशेष अनुदान से उपयोग की गई राशि मे शामिल है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा निगम द्वारा प्रवर्तित कुछ सलाहकारी कम्पनियो के शेयरो के अधिग्रहण करने से क्रमश. 3,51,000 रु० तथा 2,85,000 रु० के सम मूल्य के शेयर ।

6. जिस एक कोयला खनन और कुछ वस्त्र कम्पनियों का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, उनसे तुलन-पत्र की तारीख के दिन कुल 3,65,69,166 रु० (पिछले वर्ष 3,68,58,040 रु०) बकाया थे । यह निश्चित नही हो पाया है कि मुआवजे की राशि मे से अथवा गारंटरो से कितनी राशि वसूल हो सकेगी । उचित लेखे में पड़ा रकमों, निवल कर आधार पर संदिग्ध ऋणो के लिए आरक्षित निधियो को देखने के बाद ऐसा माना गया है कि संदिग्ध ऋणों, अग्रिमो और फुटकर देनदारों के लिए उचित व्यवस्था है ।

7. पहले से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणो का रुपए में संपरिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सम दरो के अनुसार होगा, अर्थात् 1 00 डालर=7.50 रुपए और 1 00 ज० मा०=2 05 रु० । 30 जून, 1977 को लागू टेलिग्राफिक ट्रांसफर विक्रय दरों पर इन ऋणो का मूल्य 39 78 करोड़ रुपए था (पिछले वर्ष 36.62 करोड रुपए) । उप-ऋणियो को दिए गए विदेशी मुद्रा मे उप ऋणो को गणन विनिमय की विभिन्न दरों के असनुार किया गया है । 30 जून, 1977 को लागू टेलीग्राफिक ट्रासफर विक्रय दरो के अनुसार इन उप ऋणों की राशि 40.87 करोड़ रुपए होगी (पिछले वर्ष 39 39 करोड़ रुपए) ।

8 विनिमय अन्तर सदिग्ध लेखा तुलन-पत्र की तारीख को वास्तव मे हुए कुल विनिमय अन्तर का द्योतक है, निगम द्वारा अपनाए गए आधार के अनुसार औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 27 (4) (क) के अधीन ली जाने वाली हानि की राशि 30 जून, 1977 को 21,24,494 रुपए थी (पिछले वर्ष 7,55,623 रु०) । विनिमय से हानि को किस प्रकार पूरा किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव सरकार के पास भेजे गए है, लेकिन सरकार का निर्णय मिलने तक इस सम्बन्ध मे निगम के खातों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

9. वर्ष के दौरान 31,44,761 रु० की राशि (पिछले वर्ष 41,79,858 रुपए) संदिग्ध ब्याज लेखे से लेखे को अन्तरित कर दी गई, क्योकि ये बकाया ब्याज की रकमे प्राप्त हो गई है ।

10. 'आकस्मिक देयताओं' के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा मे अभिव्यक्त 3,84,34,805 रुपए का आकस्मिक देयताएं शामिल है । जो कि विभिन्न तारीखों को लागू विनिमय दरो के अनुसार है । तुलन-पत्र की तारीख को लागू विनिमय दरो के अनुसार यह राशि 4,75,63,320 रुपए होगी ।

11 आयकर विभाग के संकेत पर जिन मामलों में निगम के पक्ष में फैसला हुआ है ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय में अपील/संदर्भ किया गया है । ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय में विचाराधीन इन अपीलों/संदर्भों में तुलन-पत्र की तारीख को सम्बन्धित राशि 59.08 लाख रुपए है (पिछले वर्ष 45 45 लाख रुपए) ।

12. ब्याज आय में पिछले वर्ष से सम्बन्धित 10,10,485 रुपए की राशि शामिल है । इस मद में 46,42,711 रुपए (पिछले वर्ष 69,13,840 रुपए) शामिल नहीं हैं, यह राशि उन ऋणों तथा अग्रिमों का ब्याज है जिनके अधिकार तथा हित औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 ख के अधीन हस्तांतरित किए गए है, यह राशि हस्तांतरी को देय ब्याज की राशि से अलग रख दी गई है। कुछ लेखों पर ब्याज आभारित नहीं किया गया है जिनमें न्यायालय से डिक्रियां ली गई हैं अथवा निगम ने ब्याज आभारित न करने का निर्णय लिया है । इसके अतिरिक्त उन मामलों में इस वर्ष ऋणियों के खातों के ब्याज, हामीदारी प्रभार, कमीशन आदि नहीं डाला गया है, जिनमें बकाया को प्राप्त करने की संभावना कम समझी गई है ।

13. आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन. एकत्रित किया गया है ।

परिशिष्ट

1 जुलाई 1976 से 30 जून, 1977 तक भारतीय औद्योगिक वित्त

क्रम संख्या	संस्था का नाम तथा परियोजना का स्थान	परियोजना लागत	वित्त के साधन					
			शेयर पूंजी		ऋण	आस्थगित अदायगी	अन्य (आन्तरिक प्रोद्भूत को मिलाकर)	जोड
			साधारण शेयर	अधिमान शेयर				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश								
1.	मै० भद्राचलम पेपरबोर्डस् लि० सरापका, जिला : खमम (अधिसूचित पिछड़ा जिला), प्रबन्ध निदेशक : आर० सी० सरीन ।	4400.00	1050.00	50.00	3300 00	—	—	4400 00
2.	मै० भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० रामाचन्द्रापुरम्, जिला : मेडक (अधिसूचित पिछडा जिला), अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक : वी० कृष्णामूर्ती (भारत सरकार का उपक्रम) ।	397.50	—	—	317.50	—	80.00	397.50
3.	मै० चौगुले मैट्रिक्स हाब्स लि० पेटनचेरु, जिला . मेडक (अधिसूचित पिछडा जिला), प्रस्तावित पूर्णकालिक निदेशक. जे० एम० धनवते,	189.00	59.00	8.00	104.50	2.50	15.00	189.00
4.	मै० डेल्टा पेपर मिल्स लि० वेन्द्रा, जिला : पश्चिमी गोदावरी, अध्यक्ष : एस० एस० राव, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : भ० विजयकुमार राजू ।	—	160.00	—	248.00	—	—	408 00
5.	मै० डोल्फिन होटल्स लि० विशाखापटनम, प्रबन्ध निदेशक : चो० रामोजी राव ।	*	—	—	—	—	—	—

*परियोजना लागत का गणन 1975–76 में किया जा चुका है ।

'क'

निगम द्वारा मजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मजूर की गई सहायता (सकल)						परियोजना विवरण अथवा सहायता का प्रयोजन
रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा ऋण (रुपये के बराबर)	हामीदारियां			जोड़	
		साधारण शेयर	अधिमान शेयर	डिबेंचर		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
310.00	—	65.00	—	—	375.00	प्रतिवर्ष 39,870 टन डिब्बों के लिए गत्ता तथा लिखाई कागज के उत्पादन के लिए नई परियोजना ।
75.00	—	—	—	—	75 00	प्रतिवर्ष 79 से बढ़ाकर 137 पावर स्टेशन पम्पो के निर्माण की विस्तार योजना ।
—	9.49 (डी० एम०) 8.72 (पो०स्ट्र)	5.00	—	—	23.21	प्रतिवर्ष 6,000 हुक्सो का निर्माण करने के लिए लगाई गई नई परियोजना ।
40.00	—	12,50	—	—	52.50	प्रतिवर्ष 30 लाख टन लिखाई तथा छपाई का कागज बनाने के लिए नई परियोजना ।
5 00	—	—	—	—	5 00 (अति०)	72 दोहरे कमरों वाले नए 3-स्टार होटल का निर्माण ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	मै० गोदावरी प्लाईवुडस लि० रम्पाचोट्यारम्, जिला · वेस्ट गोदावरी, अध्यक्ष : के० श्रीरामाचन्द्रामूर्ती, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : एन० वेन्कया ।	**	--	--	--	--	--	--
7	मै० हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, हैदराबाद, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक: डा० एस० एम० पाटिल (भारत सरकार का उपक्रम) ।	1101.00	31 00	--	550.00*	--	520.00	1101.00
8.	मै० हैदराबाद एलिवन मेटल वर्कस लि० हैदराबाद, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक : बी० प्रताप रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की कम्पनी) ।	13.00	--	--	8.58	--	4.42	13.00
9	मै० हदराबाद कनैक्ट्रोनिक्स लि० पटनचेरु, जिला : मेढक (अधिसूचित पिछडा जिला), अध्यक्ष : डा० आर० के० वेपा, आई० ए० एस० कार्य-सचालन निदेशक : के० सी० शर्मा ।	260.00	80.00	--	160.00	--	20.00	260.00
10.	मै० नोवोपन इन्डिया लि० पटनचेरु, जिला . मेढक (अधिसूचित पिछडा जिला), अध्यक्ष एम० आर० पै, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : जी० वी० कृष्णा रेड्डी ।	550.00	190.00	--	360.00	--	--	550.00
11.	मै० पायनियर अलाए कास्टिंग लि० गजुलामल्लियम, जिला . चित्तूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला), अध्यक्ष : वी० पी० रामा राव, आई० ए० एस० ।	170.00	50 00	--	105.00	--	15.00	170.00

**परियोजना लागत का गणन 1974–75 में किया जा चुका है ।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
--	0.82 (ज० मा०)	—	—	—	0.82 (अति०)	प्रतिवर्ष 15 लाख वर्ग मीटर कर्मशियल तथा सजावटी प्लाईवुड बनाने के लिए नई परियोजना लगाना ।
—	—	—	—	37.50	37.50	विशाखन योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 165 लाख जी० एल० एच० लैंपो तथा कम्पोनेंट्स बनाने के लिए नई परियोजना लगाना ।
—	4.31@ (ज० मा०)	—	—	—	4.31	एक कम्परेर्स क्लोरोमीटर तथा रेफरिजरेंट तथा तेल चार्जिंग उपकरण का आयात ।
10.00	21.37 (ज० मा०)	10.00	—	—	41.37	प्रतिवर्ष 12 लाख कनैक्टर बनाने के लिए नई परियोजना ।
30.00	23 43 (ज० मा०)	15.00	—	—	68 43	प्रतिवर्ष 12,900 टन सादा तथा परतदार पारटिकल बोर्ड बनाने की नई परियोजना ।
30.00	—	5.00%	—	—	35.00	प्रतिवर्ष 2800 टन मैलियबल आयरन कास्टिंग बनाने की नई परियोजना ।

@ बाद में रु० 4.29 लाख तक घटा दी ।

% प्रत्यक्ष अभिदान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	मै० पोचमपड् सालवेन्ट आयल्स लि० पेठापल्ली, जिला करीमनगर (अधिसूचित पिछडा जिला), प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : जे० नरसिंघा राव ।	116.00	30 00	—	73.50	—	12 50	116 00
13.	मै० आर० जी० फाउन्ड्री पौर्ज लि० जीडीमेटला इन्डसट्रियल डिवैलपमेट एरिया, जिला : हैदराबाद, प्रबन्ध निदेशक : के० के० गुप्ता ।	**	—	—	—	—	—	—
14.	मै० सालिडस्टेट डिवाइसिस् इन्डिया लि० पट्टनचेरु, जिला मेढक (अधिसूचित पिछड़ा जिला), अध्यक्ष : डा० राम के० वेपा, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक . जी० गोविन्द रेडी ।	335.00	119.00	—	201.00	—	15.00	335.00
15	मै० श्रीरायलसीमा पेपर मिल्स लि० गोडीपार्ला, जिला . कुरनूल, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) , अध्यक्ष : वी० पी० रामाराव, आई० ए० एस० ।	4100.50	915.00	90 00	3095 00	—	—	4100.00
16	मै० श्री वेकटेश्वरा को० शुगर फैक्ट्री लि० इर्लानगर, जिला : चितूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला), प्रधान : एम० एस० राजाजी, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : पी० सुब्रहमनयम रेड्डी ।	634 00	75.00	155.00	394.00	—	10 00	634.00
17.	मै० विद्युत् स्टील्स लि० पट्टनचेरु, जिला. मेढक (अधिसूचित पिछड़ा जिला), अध्यक्ष : वी० पी० रामाराव, आई० ए० एस० प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : ए० सुरेन्द्र ।		—	—	—	—	—	—

**परियोजना लागत का गणन 1975-76 में किया गया ।

*डिबेचरों का सार्वजनिक जारी करना

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
25.00	—	—	—	—	25 00	प्रतिदिन 100 टन चावल भूसी अथवा 150 टन मूंगफली की खली अथवा मूंगफली का तेल या मूल उत्पाद के रूप में अन्य खली तेल निकालने के लिये या उप-उत्पाद के रूप मे तेल रहित खली का प्रोसेसिग करने के लिये नई इकाई लगाना।
—	—	3.00	—	—	3.00	प्रतिवर्ष 2000 टन हाई अलाय वियर रसिसटेट मैंगनीज स्टील कास्टिग का निर्माण।
—	43.85 (ज० मा०)	15.00	—	—	58.85	प्रतिवर्ष 50 लाख सेमी-कंडक्टर डिवाइसिस बनाने की नई परियोजना।
265.00	—	45.00	25.00	—	335.00	प्रतिवर्ष 42,000 टन लिखाई तथा छपाई का कागज बनाने की नई परियोजना।
95.00	—	—	—	—	95.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना।
—	—	1.00	—	—	1.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 2,000 टन मैंगनीज स्टील कास्टिग तथा 450 टन नी-हार्ड कास्टिग बनाने के लिए नई परियोजना लगाना।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
असम								
18.	मै० ईस्टर्न स्टील एण्ड अलाय कं० लि० धालेगांव, जिला : गोलपारा (अधिसूचित पिछडा जिला), निदेशक पी० के० भुये, डा० एस० दत्ता राय ।	84.04	31.00	—	42.00	9.66	1.38	84.04
बिहार								
19.	मै० बिहार एयर प्रोडक्टस् लि० अधिस्यापुर, जिला : सिंघभूम, अध्यक्ष : आर० झा, प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : एस० एस० मलिक ।	152.00	61.05	—	90.95	—	—	152.00
20.	मै० बिहार अलाय स्टील्स लि० पतरातू, जिला : राची, अध्यक्ष : एम० पी० बिरला, प्रबन्ध निदेशक : डा० बी० सी० जैन, (बिरला ग्रुप) ।	515.35 (अतिव्यय)	—	—	400.00	—	115.35	515.35
21.	मै० बिहार होटल्स लि० पटना, प्रबन्ध निदेशक : शैलेन्द्र प्रकाश सिन्हा ।	35.00 (अतिव्यय)	—	—	25.00	—	10.00	35.00
22.	मै० बिहार स्कूटर्स लि० फत्वाहु, जिला : पटना, प्रवर्तक : बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० (बिहार राज्य सरकार की कम्पनी) ।	388 00	163.00	—	225.00	—	—	388.00
23.	मै० हथवा मेटल्स एण्ड ट्यूब्स लि० जसीदीह, जिला : सथाल परगना (अधिसूचित पिछडा जिला), अध्यक्षा : श्रीमती दुर्गेश्वरी साही ।	570.00	200.00	—	370.00	—	—	570.00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	—	2 50	—	—	2 50	प्रतिवर्ष 11,700 टन की विस्थापित क्षमता से नरम इस्पात सिल्लियों का उत्पादन करने के लिए जिन्हें विभिन्न ढांचों में बदला जायेगा तथा 15,000 टन ढांचों का निर्माण ।
15.00	9.61 (ज०मा०)	4.00	—	—	28.61	प्रतिवर्ष 10 लाख घन मीटर आक्सीजन तथा 3 लाख क्यूबिक मीटर एसीटिलीन गैस बनाने के लिये नई परियोजना ।
37.50	—	—	—	—	37.50 (अति०)	प्रतिवर्ष 40,000 टन अलाय, कनस्ट्रक्शनल टूल तथा हाई स्पीड स्टील बनाने के लिए परियोजना लागत में आये अति-व्यय को पूरा करना ।
25.00**	—	—	—	—	25.00 (अति०)	80 दोहरे कमरों वाले 5-स्टार वाले नये होटल की लागत में आये अति-व्यय को पूरा करना ।
50.00	—	—	—	—	50.00	प्रतिवर्ष 30,000 दो पहियों वाले स्कूटरों के निर्माण के लिए नई परियोजना ।
48.17	15.56 (ज० मा०)	13 00	—	—	76.73	प्रतिवर्ष 1;200 टन की विस्थापित क्षमता से तांबा तथा तांबा अलाय ट्यूबें बनाने की नई परियोजना ।

**बिहार राज्य साख तथा निवेश निगम के योगदान के बाद रु० 10 लाख तक घटाना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24.	मै० इन्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सूलेशन क० लि० राची रो, जिला : हजारी बाग, निदेशक : आई० एम० पुरी, एन० के० मित्रा (भारत सरकार का उपक्रम) ।	90 00	—	—	65.00	25.00	—	90 00
25	मै० इन्डियन केबल कं० लि० जमशेदपुर, जिला : सिंघभूम, अध्यक्ष : डी० पी० एम० कंगा, प्रबन्ध निदेशक : ए० के० कहाली ।	275 00	—	—	192 50	—	82 50	275.00
26.	मै० कल्यानपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स लि० बजारी, जिला : शाहबाद, प्रबन्ध निदेशक : सत्यदेव प्रकाश सिन्हा ।	270.00	27.50	—	210.00	—	32.50	270.00
27.	मै० नालंदा सेरामिक्स एण्ड इन्डस्ट्रिस लि० गेतालसद्द, जिला: रांची, अध्यक्ष : डी० एल० मजूमदार, प्रबन्ध निदेशक : समीर कुमार घोष ।	126.27 (अति व्यय)	—	—	79.76	—	46.51	126.27
28	मै० नार्थ बिहार शुगर मिल्स लि० बगाहा, जिला : पश्चिमी चपारन (अधिसूचित पिछड़ा जिला), प्रबन्ध निदेशक : तुलसी दास कनौरिया ।	275 00	55.00	—	195.00	—	25.00	275.00
29	मै० रिफ्रैक्टरी स्पैस्यिलिटीस (इन्डिया) लि० जमतारा, जिला : सथाल परगना (अधिसूचित पिछडा जिला), अध्यक्ष : बिहारी अग्रवाल ।	190 00	70.00	—	105.00	—	15.00	190.00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	16)
25.00	—	—	—	—	25.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 42,000 टन विशेष ईंटें बनाने की पुनर्स्थापन योजना ।
20.00	—	—	—	—	20 00	प्रतिवर्ष 720 किलोमीटर फ्लास लिक्ड पोलीथीलीन तारें बनाने की विस्तार योजना ।
45.00	—	—	—	—	45.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 4 लाख टन सीमेंट की अनुमानित क्षमता को बनाये रखने की आधुनिकीकरण/ संतुलन योजना ।
17.00	—	—	—	—	17.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 3,000 टन मेजो के चमकीले सजावटी बर्तनो का उत्पादन करने के लिये नई परियोजना लागत के अति-व्यय के कुछ भाग को पूरा करना ।
50.00	—	6.88	—	—	56.88 (अति०)	प्रतिवर्ष 7,500 टन लिखाई और छपाई का कागज तथा रंगदार कागज बनाने के लिए नई परियोजना लगाकर विशाखन ।
8.50	13.03* (ज० मा०)	8.00	—	—	29.53 (अति०)	प्रतिवर्ष 5,000 टन ढलवा रिफ्रेक्ट्रियां, 3,000 टन प्लास्टिक रिफ्रेक्ट्रियां, 2,800 टन एयर सेटिंग सीमेंट और जमाऊ टुकडे आदि तथा 7,500 टन उच्च अलुमिना ईंटो का उत्पादन करने के लिये नई परियोजना ।

*बाद मे घटा करके रु० 12.89 लाख कर दी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30	मै० रोहतास इन्डस्ट्रीस लि० डालमियानगर, जिला : रोहतास, अध्यक्ष : एस० पी० जैन (साहू-जैन ग्रुप) ।	835.00	—	—	670.00	—	165.00	835.00
	गुजरात							
31.	मै० ए० बी० एस० प्लास्टिक्स लि० नंदेसरी, जिला : बड़ौदा, प्रबन्ध निदेशक : आर० एस० अग्रवाल ।	425.00	170.00	—	255.00	—	—	425.00
32.	मै० गुजरात अल्कालीस एण्ड कैमीकल्स लि० जवाहरनगर, जिला : बड़ौदा, अध्यक्ष : जे० जे० मेहता, प्रबन्ध निदेशक : एच० आर० पाटनकर ।	520.00 (अतिव्यय)	170.00	—	350.00	—	—	520.00
33.	मै० गुजरात एरोमेटिक्स लि० अंलकेश्वर, जिला : बरौच (अधिसूचित पिछड़ा जिला), अध्यक्ष : के० टी० सतारवाला, प्रबन्ध निदेशक : पी० एस० धर्वादकर ।	950.00	326.00	10.00	599.00	—	15.00	950.00
34.	मै० गुजरात कार्बन लि० पालेज, जिला : बरौच (अधिसूचित पिछड़ा जिला), अध्यक्ष . बी० पी० पटेल, पूर्णकालिक निदेशक : वी० एम० कीमत ।	485.00	168.00	—	317.00	—	—	485.00
35.	मै० हरोकोटे (इन्डिया) लि० वापी, जिला : बलसर, निदेशक : एम० एस० पारखे ।	10 00	—	—	10.00	—	—	10.00

(10)	(11)	(13)	(14)	(14)	(15)	(16)
134.23	—	—	—	—	134.23 (अति०)	प्रतिवर्ष 60,000 टन से बढ़ा कर 75,000 टन कागज तथा गत्ता बनाने की विस्तार योजना ।
15.00	25 51 (ज० मा०)	10.00	—	—	50.51	प्रतिवर्ष 2,000 टन ए० बी० एस० रेसिन्स बनाने की नई परियोजना ।
29.00	—	15.40@	—	—	44.40 (अति०)	प्रतिवर्ष 37,425 टन कास्टिक सोडा, 33,000 टन क्लोरिन तथा 6,000 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नई परियोजना के अति-व्यय का कुछ भाग पूरा करना ।
100.00	—	30.00	—	—	130.00	प्रतिवर्ष 5,000 टन कृत्रिम क्रिसोल बनाने की नई परियोजना ।
35.25	17.58**	10.00	—	—	62.83	प्रतिवर्ष 12,500 टन कार्बन ब्लैक बनाने के लिये नई परियोजना ।
5.00	—	—	—	—	5.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 3,000 टन हाई ग्लोस कास्ट कोटिड कागज/गत्ता बनाने की पुर्नस्थापन योजना ।

@इसमें 0.40 लाख रुपये का साधारण शेयरो में किया गया अभिदान भी शामिल है ।

**बाद मे घटा कर रु० 17.56 लाख कर दी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36.	मै० पैटोफाइल्स को० लि० धानौरा, जिला : बड़ौदा, अध्यक्ष : डा० एस० वर्धा-राजन, प्रबन्ध निदेशक . बी० बी० माथुर।	3800.00	1267.00	—	2533.00	—	—	3800.00
37.	मै० रिलायन्स टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीस लि० अहमदा-बाद, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदे-शक : डी० एच० अम्भानी।	1250.00	—	30.00	708.65	118.00	393.35	1250.00
38.	मै० श्री सयान विभाग सहकारी खाण्ड उद्योग मण्डली लि० सयान, जिला : सूरत, अध्यक्ष . मगनभाई ध्यान भाई पटेल ।	657 50	65.00	160.00	400.00	—	32.50	657.50
39.	मै० सूरत डिस्ट्रक्ट कोप० स्पिनिंग मिल्स लि० सूरत, प्रधान : बृजलाल बालूभाई पटेल ।	175.00	—	—	90.00	—	85.00	175.00
हरियाणा								
40.	मै० अमेरिकन यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक (इन्डिया) लि० फरीदाबाद, जिला गुड़गाव, प्रबन्ध निदेशक : के० पी० सिंह ।	95.00	—	—	70.00	—	25.00	95.00
41.	मै० भारत स्टील ट्यूब्स लि० गनौर, जिला सोनीपत, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक : रौनक सिंह ।	87.00	—	65.00	—	—	22.00	87.00
42.	मै० हरियाणा डिट्रजेन्ट्स लि० दारुहेरा, जिला : महेन्द्रगढ़ (अधिसूचित पिछड़ा जिला), अध्यक्ष : एम० सी० गुप्ता, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : आर० एस० डाबरीवाला ।	270.00	94.00	—	176.00	—	—	270.00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
250.00	—	—	—	—	250.00	प्रतिवर्ष 3,500 टन पोलिस्टर फिलामेंट धागा बनाने की नई परियोजना।
100.00	—	—	—	—	100.00	202 अतिरिक्त तकुए तथा दूसरे पूरक प्रक्रिया संयन्त्र लगाने की विस्तार योजना।
100.00	—	—	—	—	100.00	प्रतिदिन 1250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना।
30.00	—	—	—	—	30 00 (अति०)	25,288 से 38,936 तकुओं की संख्या बढ़ाने के लिए विस्तार।
30.00	—	—	—	—	30.00 (अति०)	कम्पनी का वित्तीय पुर्नस्थापन।
—	—	—	10.00	—	10.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 1,44,000 टन काले तथा अस्तीकृत ट्यूब/पाइप बनाने की सतुलन/विस्तार योजना।
50.00	—	10.00	—	—	60.00	प्रतिवर्ष 10,000 टन सिन्थेटिक डिटर्जेन्ट बनाने की नई परि-योजना।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43.	मै० हरियाणा पोलास्टील्स लि०, सतरोद, जिला : हिसार (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष . जे० डी० गुप्ता, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : जी० एम० मुसाफिर	141.45 (अति व्यय)	20.00	—	52 71	—	68.74	141.45
44	मै० मोहना इलैक्ट्रो स्टील लि० भिवानी, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष . एम० के० मोहता प्रबन्ध निदेशक : बलवन्त सिंह	125.00	25.00	12.00	88.00	—	—	125.00
45.	मै० महगल पेपरस लि० बाग्हेडा, जिला . मोहिन्द्र-गढ़ (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्धक निदेशक : एम० एम० सहगल	1740.00	565.00	--	1175.00	—	—	1740.00
46	मै० तिरुपति वूलन मिल्स लि० सोनिपत के समीप निदेशक : भीमराज भूवाल्का मुरारीलाल भूवाल्का	47.00@	—	—	32.00	—	15.00	47.00
हिमाचल प्रदेश								
47.	मै० जी० एस० पुरेवाल एण्ड एसोसियट्स प्राइवेट लि०, छमिगां, जिला : सोलन (अधिसूचित पिछड़ा जिला, प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : जी० एस० पुरेवाल	281.00	90.00	—	176.00	—	15.00	281.00

*हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के योगदान की राशि कम की जानी है।

**36 00 लाख रु० तक राशि घटाना जिस के लिए हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम योगदान कर सकता है।

@अतिरिक्त लागत, मूल लागत का गणन 1974-75 में किया जा चुका है।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
17 56	—	—	—	—	17 56 (अति)	प्रतिवर्ष 46,000 टन नरम स्टील, मध्यम तथा उच्च कार्बन स्टील बिल्ट बनाने की नई परियोजना पर आये अति-व्यय का एक भाग पूरा करना ।
44.00*	—	—	2.00	—	46.00 (अति)	उत्पाद मिश्रण बदल कर प्रतिवर्ष 4,700 टन कोल्ड रोल्ड स्टील, 1200 टन हाई कार्बन स्टील तथा 600 टन स्टेनलैस स्टील पत्तियां बनाने के आधुनिकीकरण व-सतुलन-व विशाखन योजना ।
300.00	—	90.00	—	—	390.00	प्रतिवर्ष 8,000 टन उच्च श्रेणी का लिखाई तथा छपाई कागज, 6000 टन विशेष ग्रेड नरम टीशू कागज तथा 3000 टन कार्बन-रहित कापिंग कागज बनाने की नई परियोजना ।
—	—	3.00	—	—	3.00 (अति)	324 पूरक तकुओं से गलीचे का धागा बनाने की कम्पनी की नई परियोजना ।
90.00**	—	—	—	—	90.00	प्रतिवर्ष 6 लाख पिन लीवर हाथ की घड़ियां बनाने की नई परियोजना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
जम्मू व काश्मीर								
48.	मै० जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेंट्स लि० खर्यू, जिला अनंतनाग (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : तुर मोहम्मद, आई० ए० एस० (जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य सरकार की कम्पनी)	1906 00	650.00	—	1256.00	—	—	1906.00
कर्नाटक								
49.	मै० एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनिस लि० (1) शाहबाद (2) वादी, जिला गुलबर्गा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) (3) जिला : गंतूर (4) जिला : अदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश) (5) जिला : धनबाद (6) जिला : सिंघभूम (बिहार) (2 परियोजना) (7) जिला : जामनगर (8) जिला : कैरा (गुजरात) (9) जिला : अम्बाला (हरियाणा) (10) जिला : जबलपुर, (मध्य प्रदेश) (11) जिला बूंदी (राजस्थान) अध्यक्ष : एन० ए० पाल्कीवाला प्रबन्ध निदेशक : कमलजीत सिंह (ए० सी० सी० ग्रुप)	340 00	—	—	272.00	—	68.00	340.00
50.	मै० भद्रा सहकारी सक्कर कारखाने नियमित दोदाबाथी, जिला चित्रदुर्गा अध्यक्ष : एन० नागाराजा सैट्टी	712 00	73.00	182.00	457.00	—	—	712.00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
100 00	—	—	—	—	100 00	प्रतिवर्ष 2 10 लाख टन पोर्टलैण्ड सीमेंट बनाने की नई परियोजना ।
68 00	—	—	—	—	68.00 (अति)	कम्पनी की 11 सीमेंट फैक्ट्रियो तथा सलैग ग्रनूलेशन यूनिट का आधुनिकीकरण ।
115.00	—	—	—	—	115.00	प्रतिवर्ष 1250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्ट्री लगाना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	मै० डेम्पों डेरी इन्डस्ट्रीस लि० असोगी, जिला : बीजापुर (अनुसूचित पिछड़ा जिला) निदेशक : वसतराव एस० डेम्पो (वी० एस० डेम्पों ग्रुप)	280 00	95.00	—	160.00	—	25.00	280.00
52.	मै० कर्नाटक एग्रो प्रोटीन्स लि० रायचुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एम० डी० शिवानजाप्पा, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : बी० पी० बालाकृष्णा	204.00	60.00	—	144.00	—	—	204.00
53.	मै० कर्नाटक स्कूटरस लि०, मादूर, जिला : मडया अध्यक्ष . वीराराज अर्स प्रबन्ध निदेशक : के० बी० दत्त	425 00	140.00	20.00	249.00	1.00	15.00	425.00
54	मै० मंगलोर कैमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० पनाम्बर, जिला : दक्षिण केनरा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष . पी० ए० नरेलवाला प्रबन्ध निदेशक : एफ० जे० हेरेडिया	727.76 (अतिव्यय)	—	—	662.00	—	66.00	728.00
55	मै० श्री० मुकेश टेक्सटाइल मिल्स प्रा० लि० युनिट : तुगभद्रा शुगर वर्क्स लि० हरिज जिला : शिमोगा प्रभारी निदेशक : मायूर एम० माधवानी	309.00	—	—	50.00	49.59	209.41	309.00
56	एन० जी० ई० एफ० लि० ब्यापनहाला बेंगलोर अध्यक्ष : दयानन्द सागर प्रबन्ध निदेशक : एच० जी० वी० रेड्डी, आई०. ए० एस० (कर्नाटक राज्य सरकार की कम्पनी)	505.00	150.00	—	322.00	—	33.00	505.00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30.00	—	7.50	—	—	37.50	प्रतिवर्ष 900 टन दूध पाउडर बनाने तथा 630 टन सक्रिमड दूध पाउडर बनाने एवं 480 टन बेबी फूड का उत्पादन करने के लिये प्रतिदिन 1.20 लाख टन का प्रोसेसिंग करने हेतु तथा डैरी कम्पलैक्स लगाना ।
40.00	—	5.00	—	—	45.00	प्रतिवर्ष 30,000 टन की क्षमता से बिनौले/मुगफली का प्रोसेसिंग करके आटे के रूप में खाद्य प्रोटीन बनाने के लिये तथा तेल बीज प्रोसेसिंग सम्मलित संयंत्र लगाना ।
40.00	—	10.00	—	—	50 00	प्रतिवर्ष 30,000 दो-पहियों वाले स्कूटर बनाने की नई परियोजना ।
35.00	—	—	—	—	35.00 (अति)	प्रतिवर्ष 2,17,800 टन अमोनिआ तथा 3,40,000 टन युरिया बनाने की नई परियोजना पर आए अति व्यय के एक भाग को पूरा करना ।
50.00	—	—	—	—	50.00	1500 टन से 25000 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार योजना ।
50.00	—	—	—	—	50.00 (अति)	ट्रासफार्मरों की क्षमता 1800 मेगावाट से 3600 मेगावाट बढ़ाने की विस्तार योजना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
57	मैं० त्रिटोन वाल्वस लि० मैसूर बल्वाधी औद्योगिक क्षेत्र ix, जिला : मैसूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एस० रंगानाथन प्रबन्ध निदेशक : एम० वी० गोकरन केरल							
58.	मैं० ब्रिटिश फिसिकल लेबोरेट्रीस इंडिया प्रा० लि०, पालघाट अध्यक्ष : ए० के० सिवा-रामाकृष्णन प्रबन्ध निदेशक · टी० पी० जी० नम्बियार	50.24	—	—	35 26	—	14 98	50.24
59.	मैं० केरल एग्रो मशीनरी कारपोरेशन लि० अथानी, जिला : इर्नाकुलम अध्यक्ष : सी० दमोदरन पोट्टी प्रबन्ध निदेशक : पी० आर० चन्द्रन, आई० पी० एस० केरल राज्य सरकार कम्पनी)	250.00	117.00	—	133.00	—	—	250.00
60.	मैं० टी० के० कैमीकल्स लि० वेली इन्डस्ट्रियल इस्टेट त्रिवेंद्रम के समीप) (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एस० सी० त्रिखा	20.00 (प्रति व्यय)	—	—	16.50	—	3.50	20.00
61.	मैं० ट्रावनकोर रेयन्स लि० रेयनपुरम, जिला: इर्नाकुलम, अध्यक्ष : ए० आर० रामानाथन प्रबन्ध निदेशक : एम० सीटी० पेथाची	17.04	—	—	11.44	—	5 60	17 04

*परियोजना लागत का गणन 1975-76 में किया जा चुका है ।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	—	—	2.00	—	2.00 (अति)	प्रतिवर्ष 40 लाख आटोमोबाइल टायर ट्यूबो के वाल्व स्टेमो और 60 लाख कोरो की विस्थापित क्षमता से उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना ।
29.00	1.68	—	—	—	30.68	इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रोनिक उपकरणो तथा यत्रों का उत्पादन बढ़ाने तथा शोध विकास के उपकरणो के आयात की विस्तार योजना ।
33.00	—	—	—	—	33.00	प्रतिवर्ष 3,000 शक्ति टिल्लर बनाने के लिये नई परियोजना ।
6.50	—	—	—	—	6.50 (अति)	प्रतिवर्ष 2,850 टन मेंगानीस सल्फेट मोनेहाइड्रेट तथा 950 टन इलैक्ट्रोलिटिक मैगनीज डी०-ओक्साइड बनाने के लिए नई परियोजना में आये अति-व्यय के कुछ भाग को पूरा करना ।
—	6.23 (ज० म०)	—	—	—	6.23 (अति)	दो स्टेटिक इनवर्टर का आयात

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
62.	मै० सीताराम टैक्स-टाइल्स लि० त्रिचूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक : के० श्री-निवासन, आई० ए० एस० (केरल राज्य सरकार की कम्पनी)	470.00	188.00	—	282.00	—	—	470.00
मध्य प्रदेश								
63.	मै० सैन्ट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० बिरलानगर, जिला : ग्वालियर अध्यक्ष : डी० पी० मंडेलिया	271.00	—	—	216.00	—	55 00	271.00
64.	मै० गजरा बेवल गियर्स लि० देवस (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एम० एल० आप्टे प्रबन्ध निदेशक : आई० एस० गजरा							
65.	मै० हुकम चन्द मिल्स इन्दौर अध्यक्ष : एम० आर० मोर्का प्रबन्ध निदेशक : मना-लाल ओंकारमल	164.50	—	—	130.00	—	34.50	164.50
66.	मै० मैसूर सीमेंटस लि० नरसिंहगढ़ (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : : जी० डी० बिरला (बिरला ग्रुप)	2300.00	175.00	—	1600.00	524.50	—	2300.00
67.	मै० ओरिएंट प्लाईवुड एंड विनियरिसग इंड-स्ट्रीस लि० रायपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदे-शक : के० सी० सेठी	160 00	55.00	5.00	100.00	—	—	160.00

*परियोजना लागत का गणन 1975-76 में किया जा चुका है ।

**बाद में घटाकर 12.50 लाख रुपए कर दी गई ।

@बाद में घटा कर 9.00 लाख रुपए कर दी गई ।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
100 00	—	—	—	—	100 00	संतुलन उपकरणों सहित 12,064 तकुए लगाने की आधुनिकीकरण-व-विस्तार योजना ।
54.00	—	—	—	—	54.00 (अति)	कम्पनी के टैक्सटाइल मशीनरी बनाने वाले संयंत्र का आधुनिकीकरण ।
5.00	—	—	—	—	5.00 (अति)	प्रतिवर्ष 800 टन क्राउन पहिए तथा पीनियन सैटों और विभेदन गियर किट्टों के उत्पादन के लिए नई परियोजना ।
32.50	—	—	—	—	32.50	69,820 तकुओं तथा 1,416 करघों से कम्पनी की मिश्रित टैक्सटाइल मिल का आधुनिकीकरण/विशाखन ।
200.00	—	—	—	—	200.00 (अति)	प्रतिवर्ष 5 लाख टन पोर्टलैंड सीमेंट बनाने की विशाखन योजना ।
15.00**	9.71@ (ज० मा०)	7 50	—	—	32.21	प्रतिवर्ष 26 लाख वर्गमीटर कमर्शियल प्लाईवुड, डेकोरेटिव प्लाईवुड, विनियर्स, ब्लॉकबोर्ड तथा फ्लश के दरवाजे बनाने की नई परियोजना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
68	मै० यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० काली परेड औद्योगिक इस्टेट भोपाल अध्यक्ष : केशंब महेंद्रा प्रबन्ध निदेशक : जे० बी० लां	1900 00	530.00	—	667.00	—	703.00	1900.00
महाराष्ट्र								
69.	मै० अम्भाजोगाई सहकारी शक्कर कारखाना लि० वायला, जिला, जिला भिड़ (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : आर० एस० कोटा	400.00	60.00	80.00	260.00	—	—	400.00
70.	मै० एग्लो-अमेरिकन मेटिन कं० लि० नारेगाव, जिला: औरंगाबाद (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष . एस० के० माजुमदार	11.25	—	—	11.25	—	—	11.25
71.	मै० एशियन केबल्स कारपोरेशन लि०, जिला : थाना अध्यक्ष: एम० ए० बाक्रे	360.00	—	—	283.60	—	76.40	360.00
72.	मै० एशियन पेंट्स (इन्डिया) लि० भेंधूप, बम्बई अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक: सी० एच० चौकसी	242.00	—	—	124.00	—	118.00	242.00
73.	मै० औरगाबाद पेपर मिल्स लि० वाहेगांव, जिला : औरगाबाद (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष . मलीराम जी० मित्तल प्रबन्ध निदेशक : परमेश्वर जी० मित्तल	272.00	104.00	—	168.00	—	—	272.00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
80.00	—	40.00	—	—	120.00	प्रतिवर्ष 5000 टन मेथिल आइसोसाइनेट पर आधारित कीटनाशक दवाइया बनाने की विस्तार योजना ।
65.00	—	—	—	—	65.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
3.50	—	—	—	—	3.50	कम्पनी की विशाखन योजना के अन्तर्गत 6,000 गियर हब्ब बनाने की नई इकाई पर आये अति-व्यय के एक भाग को पूरा करना ।
20.00	41.79 (ज० म०)	—	—	—	61.79 (अति०)	प्रतिवर्ष 800 किलोमीटर क्रास लिंक्ड पोलीथीलिन तारे बनाने की विशाखन योजना ।
35.00	—	—	—	—	35.00	प्रतिवर्ष पेंटस तथा अनमल्स की उत्पादन क्षमता 14,640 टन से 17,190 टन बढ़ाने के लिए विस्तार योजना ।
35.00	—	10 00	—	—	45 00	प्रतिवर्ष 6600 टन रैपिंग/क्राफ्ट कागज बनाने की नई परियोजना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
74.	मै० बेलगन्गा सहकारी शक्कर कारखाना लि० भास, जिला . जल-गांव (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष . आर० डी० पाटिल प्रबन्ध निदेशक : के० बी० डांडगे	575.00	70.00	135.00	370.00	—	—	575.00
75.	मै० भारत फोर्ज कं० लि० कोरेगाव, जिला सतारा अध्यक्ष : एस० एल० किरलोस्कर प्रबन्ध निदेशक : एन० ए० कल्याणी	850.00	—	—	564.50	93.50	192.00	850.00
76	मै० कुर्ला स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि० कुर्ला, बम्बई। अध्यक्ष : जगदीश प्रसाद गोयन्का।	208.00	—	—	160.00	—	48.00	208.00
77.	मै० दौलत शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि० हालकर्णी जिला : कोल्हापुर प्रबन्ध निदेशक : बी० जी० साल्वी	435.00	53.00	100.00	282.00	—	—	435.00
78.	मै० डक्कन कोप० स्पिनिग मिल्स लि० इच्छल-करजी, जिला : कोल्हापुर अध्यक्ष : गजानन् कृष्णा-जी काम्बले							
79.	मै० ईस्टर्न इन्टेरेशनल होटल्स लि० जुहु, बम्बई प्रबन्ध निदेशक : आर० के० खन्ना	55.00 (अति व्यय)	12.00	—	18 00	—	27.60	57.60
80	मै० इलौरा पेपर मिल्स लि० देवहाला (खर्द) जिला : बाद्रा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : रामप्रसाद पोद्दार प्रस्तावित प्रबन्ध निदे-शक : सीताराम कदिया	365.00	120.00	15.00	230.00	—	—	365.00

*परियोजना लागत का गणन 174-75 में किया जा चुका है ।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
90 00	—	—	—	—	90 00	प्रतिदिन 1250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी लगाने की नई परियोजना ।
50.00	—	—	—	—	50.00 (अति)	प्रतिवर्ष 12,000 टन भारी फोर्जिंग्स बनाने की विस्तार योजना ।
40.00	—	—	—	—	40.00	36,228 तकुओं तथा 654 करघों के साथ कम्पनी की मिश्रित टैक्सटाइल मिल का आधुनिकीकरण ।
70.00	—	—	—	—	70.00	प्रतिदिन 1250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
15.00	—	—	—	—	15.00 (अति)	54,520 से 79,552 तकुओं की संख्या बढ़ाने के लिए विस्तार योजना ।
18.00	—	—	—	—	18.00 (अति)	140 दोहरे कमरों वाले 5-स्टार होटल पर आये अति-व्यय का एक भाग पूरा करना ।
40.00	—	11.00	—	—	51.00	प्रतिवर्ष 10,000 टन क्राफ्ट तथा लिखाई और छपाई का कागज बनाने की नई परियोजना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
81.	मै० फर्थ (इंडिया) स्टील कं० लि० नागपुर अध्यक्ष : एम० पी० पै प्रबन्ध निदेशक : आई० एम० पै	49.00	—	—	30.00	—	19.00	49 00
82	मै० जी० एल० होटल्स लि०, बम्बई अध्यक्ष : श्रीमति पृथ्वी बीर कौर	16.83	—	—	13.50	—	3.33	16.83
83.	म० जय भवानी सहकारी शक्कर कारखाना लि० गडी, जिला : भीर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एस० डी० पाल प्रबन्ध निदेशक : डी० बी० पवार	570.00	60.00	140 00	370.00	—	—	570.00
84	मै० जवाहर सहकारी कपास उत्पादक सूत गिर्णी मर्यादित, लातूर जिला : औसमानाबाद (अधिसूचित पिछडा जिला अध्यक्ष : बी० के० नागर-गोजे)	125.00	—	33.50	70.00	—	21.50	125.00
85.	मै० कदवा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मतेरेवाड़ी, जिला: नासिक अध्यक्ष : बी० के० कावले	560.00	82.00	115.00	360.00	—	3.00	560.00
86.	मै० कर्मवीर काका साहिब वाघ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, काक साहिब नगर, जिला : नासिक अध्यक्ष : बालासाहिब देयोरस वादे प्रबन्धक निदेशक : डी० जी० भामरे	512.00	80.00	110.00	320.00	—	2.00	512 00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
12.50	—	—	—	—	12.50	कम्पनी की विस्तार योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 4,420 टन हाई कार्बन तथा अलाय स्टील बिल्टें बनाने की नई इकाई पर आये अति-व्यय का एक भाग पूरा करना।
13.50	—	—	—	—	13.50	82 कमरो वाले होटल का नवीकरण।
110 00	—	—	—	—	110.00	प्रतिदिन 1250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना।
30.00	—	—	—	—	30 00 (अति)	तकुओं की संख्या 17,004 से 25,288 तक बढ़ाने के लिए विस्तार योजना।
90.00	—	—	—	—	90 00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना।
80.00	—	—	—	—	80.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
87.	मै० किर्लोस्कर ब्रादर्स लि०, किर्लोस्करवदी, जिला : सांगली अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक : एस० एल० किर्लोस्कर (किर्लोस्कर ग्रुप)	120 00	—	—	96.00	—	24.00	120.00
88.	मै० मराठवाड़ा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, डोगरकाड़ा, जिला : प्रभानी (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष . शिवाजीराव शकरराव देशमुख	450.00	65 00	160.00	225 00	—	—	450.00
89.	मै० माडर्न नेट्स लि०, अहमदनगर प्रस्तावित अध्यक्ष : बी० एन० अडारकर	115.00	27.00	5.00	63.00	—	20.00	115.00
90.	मै० नासिक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पाल्से, जिला : नासिक प्रबन्ध निदेशक : आर० डी० परसकर	565.00	82 00	115.00	365 00	—	3 00	565.00
91.	मै० नाथ पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०, वाहेगाव, जिला औरगाबाद (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एन० एल० कागलीवाल	265.00	85 00	5 00	175.00	—	—	265.00
92.	मै० नेशनल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लि० (i) काल्वे जिला : थाना (ii) बड़ौदा, गुजरात अध्यक्ष : अरविंद एन० मफतलाल							
93.	मै० प्रीमियर आटोमोबाईल्स लि० कुर्ला, कल्याण तथा वाडला, बम्बई अध्यक्ष : लालचन्द हीराचन्द उपाध्यक्ष : तुलसीदास किलाचन्द (वालचन्द ग्रुप)	620.06	—	—	300.00	—	320.06	620.06

*प्रत्यक्ष अभिदान ।

**परियोजना लागत का गणन 1975–65 में किया जा चुका है ।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
24.00	—	—	—	—	24.00	कम्पनी की कास्ट आयरन फाउंड्रियो के कुछ एक अनुभागो का आधुनिकीकरण ।
60.00	—	—	—	—	60.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
7.50	4.21 (ज० मा०)	3.00*	—	—	14.71	प्रतिवर्ष 270 टन मछलियां पकड़ने वाले नेटवेब बनाने की नई परियोजना ।
90.00	—	—	—	—	90 00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
35.00	—	10.00	—	—	45.00	प्रतिवर्ष 6,600 टन पैकिंग तथा रेपिंग कागज बनाने की नई परियोजना ।
50 00	—	—	—	—	50 00 (प्रति)	टैक्सटाइल मशीनरी बनाने वाली कम्पनी की दो इकाइयों की आधुनिकीकरण / प्रतिस्थापन तथा सतुलन योजना ।
30.00	—	—	—	—	30 00 (प्रति०)	सवारी कारों तथा वाणिज्यिक वाहनो के उत्पादन के लिये सुविधाओ को मजबूत करना एव पुनर्स्थापन योजना का आधुनिकीकरण ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
94.	मै० रेमन एण्ड डेम लि०, थाना अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक : एच० के० शाह	172.06 (अति व्यय)	—	—	210 00	0 06	—	210 06
95.	मै० श्रीविध्या पेपर मिल्स लि०, नासिक अध्यक्ष : एस० के० सोमानी							
96.	मै० सुदर्शन कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि०, रोहा, जिला कोलाबा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष तथा तकनीकी निदेशक : डा० आर० जे० राठी प्रबन्ध निदेशक : एल० जे० राठी	380.00	130 00	—	165 00	—	85.00	380.00
97.	मै० वसत सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कासोडा, जिला : जलगाव (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एम० जी० पवार उपाध्यक्ष : पंडलिक कालू पाटिल	530 00	75 00	115.00	340.00	—	—	530.00
मेघालय								
98.	मै० मेघालय फिटो कैमीकल्स लि०, बारापानी, जिला : खासी हिल्स (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : बी० हिमत्तसिंहका प्रबन्ध निदेशक : श्रीमती उषा हिमत्तसिंहका							
उड़ीसा								
99.	मै० कोनार्क जूट लि०, धानमंडल, जिला कटक अध्यक्ष : एस० एन० दा महापात्र	660 00	240.00	—	420 00	—	—	660.00

*परियोजना लागत का गणन 1973–74 में किया जा चुका है ।
**परियोजना लागत का गणन 1975–76 में किया जा चुका है ।
@प्रत्यक्ष अभिदान ।

(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30.00	—	—	—	—	30.00 (अति)	प्रतिवर्ष 1190 टन से 1760 टन आटो-मोबाइल गियर बनाने की विस्तार योजना पर आए अति-व्यय के एक भाग को पूरा करना।
—	—	2.00	—	—	2.00 (अति)	प्रतिवर्ष 1,500 टन से 3,000 टन कोटेड कागज और गत्ते के उत्पादन की विस्तार-व-विशाखन योजना तथा प्रतिवर्ष 750 टन आपट्टित उत्पादकों ।
30.00	—	5.00@	—	—	35.00	प्रतिवर्ष 144 टन फलोरेंसें फिलामेंटस, 144 टन पियरल असेमस, 3·3 के 360 टन डाइहाइडो क्लोराइड, 1250 टन बेटा नेप-थोल का उत्पादन करने के लिये विस्तार योजना।
85.00	—	—	—	—	85.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
—	—	0.09@	—	—	0.09 (अति)	प्रतिवर्ष 100 टन फिटो-कैमीकल्स बनाने की नई परियोजना ।
125.00	—	17 50	—	—	142.50	प्रतिवर्ष 13,240 टन पटसन की वस्तुएं बनाने की नई परियोजना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
100.	मै० ओरिकेम लि०, घाटापाडा, धियोझरण जिला : धेनकनाल (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एस० एन० धाम महापात्र प्रबन्ध निदेशक : एम० के० झुनझुनवाला	295.00	105.00	—	190.00	—	—	295.00
101.	मै० उड़ीसा वेजीटेबुल आयल कम्पलैक्स लि०, नोरला रोड, जिला : कालाहाण्डी (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : अजित समन्त राय	70.00	20.00	—	43.00	—	7.00	70.00
पंजाब								
102.	मै० अक्युमयर्स पंजाब लि०, मोहाली, जिला : रोपड़ अध्यक्ष : ए० एस० चट्ठा, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : डी० एस० बराड़	204.00	82.00	—	122.00	—	—	204 00
103.	मै० कुकेरियां पेपरस लि०, चक्क अलाहबक्श जिला : होशियारपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : ए० एस० चट्ठा, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : सुकतिन्द्र सिंह	380.00	130.00	—	250.00	—	—	380.00
104.	मै० पंजाब स्कूटरस लि० ककराला, जिला : पटियाला अध्यक्ष : एस० एल० कपूर, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : ए० एस० चट्ठा, आई० ए० एस० (पंजाब राज्य सरकार की कम्पनी)	340.00	120.00	—	220.00	—	—	340.00

@प्रत्यक्ष अभिदान।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
35.00	—	5.00	—	—	40.00	प्रतिवर्ष 3,200 टन सोडियम डाइक्रोमेट तथा 1,470 टन सोडियम सल्फेट बनाने की नई परियोजना ।
22.00	—	5.00@	—	—	27.00	अखाद्य/खाद्य तेलों तथा तेल रहित खल्ली का उत्पादन करने के लिये प्रतिवर्ष 13,000 टन तेल बीजों/खलों/चावल भूसी का प्रोसेसिंग करने हेतु नई परियोजना लगाना ।
35.00	—	7.50	—	—	42.50	लाभप्रद मापक यन्त्र बनाने की नई परियोजना ।
65.00	—	18.00	—	—	83.00	प्रतिवर्ष 9,000 टन एम० जी०/एम० एफ० कागज बनाने की नई परियोजना ।
35.00	—	8.00	—	—	43.00	प्रतिवर्ष 30,000 दो पहियो वाले स्कूटरो का निर्माण करने की नई परियोजना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
105.	मै० श्रीभवानी काटन मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीस लि०, अबोहर, जिला . फिरोजपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक : एम० के० मेहता	230.00	—	—	188.00	—	42.00	230.00
106.	मै० स्टेपिन केमीकल्स लि०, राजपुरा, जिला . पटियाला अध्यक्ष : एस० एल० कपूर, आई० ए० एस०							
राजस्थान								
107.	मै० बांसवाडा सिटैक्स लि०, बामवाड़ा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एल० एन० गुप्ता, आई० ए० एस०	366 00	122.00	—	244.00	—	—	366.00
108.	मै० भीलवाड़ा प्रोसेस्सर्स लि०, भीलवाडा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक . आर० एस० भण्डारी	8.00 (अति व्यय)	—	—	8.00	—	—	8.00
109.	मै० हिंदुस्तान शूगर मिल्स लि०, उदयपुर के पास (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष . रामाकृष्ण बजाज प्रबन्ध निदेशक : आर० पी० नेवातिया (बजाज ग्रुप)	1400 00	—	—	1175.00	—	225.00	1400.00
110.	मै० जे० के० इंडस्ट्रीज लि०, कंकरोली, जिला उदयपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : रघुपति सिंघानिया (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	800.00 (अति व्यय)	131.16	18.84	650.00	—	—	800.00

*परियोजना लागत का गणन 1975-76 में किया जा चुका है ।

**3.89 लाख रूपए के साधारण शेयरो मे अभिदान शामिल है ।

@प्रत्यक्ष अभिदान ।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
47.00	—	—	—	—	47.00 (अति०)	26,220 पूरक तकुओं वाली कम्पनी की वर्तमान सूती वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण।
5.00	—	3.00	—	—	8.00 (अति०)	प्रतिवर्ष क्रमश. 10,000 टन सिंथेटिक डिटर-जेंटस, 7,200 टन नहाने का साबुन तथा गलिसरीन बनाने के लिये नई परियोजना।
65.00	—	16.50	—	—	81.50	12,320 पूरक तकुओं वाली नई कृत्रिम रेशा बुनने की मिल लगाना।
8.00	—	2.00@	—	—	10 00 (अति०)	प्रतिदिन 2,800 मीटर कपड़े के टुकड़े रगने तथा 1,200 मीटर टेरीविसकोस सूटिंग की रंगाई करने के लिये नये प्रक्रिया हाउस में लगाने में आया अति-व्यय को पूरा करना।
250.00	—	—	—	—	250 00 (अति०)	प्रतिवर्ष 2 लाख टन से 4 लाख टन सीमेंट बनाने की क्षमता मे विस्तार।
60.00	—	9.89**	—	—	69 89 (अति०)	प्रतिवर्ष प्रत्येक 5 लाख आटोमोबाइल टायर तथा ट्यूबे बनाने की नई परियोजना पर आये अतिव्यय के एक भाग को पूरा करना।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
111	मै० मॉडर्न सिटैक्स (इन्डिया) लि०, अलवर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक . एच० एस० राका	360 00	110 00	—	235.00	—	15.00	360.00
112.	मै० राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, गुलाबपुरा, जिला : भीलवाड़ा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : भंवर लाल भदादा	194.50	—	50.00	114.00	—	30.50	194.5
113.	मै० एस० बी० प्रापर्टीज एंड एनटरप्राइसिस लि०, जयपुर निदेशक : मनमोहन दास मुदरा	145.50	58.00	—	87.50	—	—	145.50
तमिलनाडु								
114.	मै० अशोक लिलैंड लि०, इन्नौर, जिला : चिंगलपेट अध्यक्ष : एस० रगानाथन, आई० सी० एस० (सेवानिवृत) प्रबन्ध निदेशक : एफ० डब्लयू० होल्डसवर्थ (अशोक लिलेन्ड ग्रुप)	2532.00	64.62	—	939.00	—	1528.38	2532.00
115.	मै० वेस्ट एण्ड क्राम्पटन इंजीनियरिंग लि०, मद्रास (2 परियोजनाएं) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक · श्री गोपाल मेनन	195.00	—	—	160.00	—	35.00	195.00
116.	मै० कलाकुरुचि कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मूगिलथुराइपट्टू, जिला : दक्षिण अरकोट (अधिसूचित पिछड़ा जिला) विशेष अधिकारी . एन० नटराजन	287.00	30.00	20.00	90.00	15.00	132.00	287.00
117.	मै० कनाल इंजीनियरिंग कं० लि०, अम्बातूर, जिला : चिंगलेपट्टू, अध्यक्ष · डी० सी० कोठारी प्रबन्ध निदेशक · दीपक बेकर	307.00	60.00	—	247.00	—	—	307.00

*बाद में घटाकर 22.36 लाख कर दिया ।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
50.00	—	15.00	—	—	65.00	11,520 पूरक तकुओं सहित निर्धारित लच्छेदार भूरे धागो बनाने एवं सूत की रंगाई के लिये नया मिल लगाना ।
64.00	—	—	—	—	64.00 (प्रति०)	14,688 से 25,056 तकुओं की संख्या बढ़ाने के लिए विस्तार योजना।
32.50	—	5.00	—	—	37.50	90 दोहरे कमरों वाला एक नया 3-स्टार होटल लगाना ।
50.00	—	—	—	—	50.00 (प्रति०)	प्रतिवर्ष 7,000 से 10 000 कोमेंट चेसिस बनाने की विस्तार योजना।
40.00	—	—	—	—	40 00	कम्पनी की पम्प फैक्टरी, डाइनामो तथा स्टार्टर फैक्टरी का आधुनिकीकरण।
45.00	—	—	—	—	45.00 (प्रति०)	1,250 टन से 2,000 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार।
30.00	22.87* (ज० मा०)	7.50	—	—	60.37	प्रतिवर्ष (i) वस्त्र तकुओं की उत्पादन क्षमता 2.16 लाख से 5 लाख बढ़ाने तथा (ii) 5 लाख उच्च गति रोजर बियरिंग इन्सर्टस का उत्पादन करने के लिए विस्तार एवं विशाखन योजना।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
118	मै० मेटल पाउडर कम्पनी लि०, मारावनकुलम्, जिला · मदुरई (अधिसूचित पिछडा जिला) संचालक तथा महाप्रबन्धक एम० घनशेकर पाडियान	155.69	—	—	53.00	—	102.69	155.69
119.	मै० नेशनल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, मट्टुपट्टी, जिला : मदुरई (अधिसूचित पिछडा जिला) विशेष अधिकारी · जगमोहनसिंह काँग, आई० ए० एस०	250.00	—	—	140.00	—	110.00	250.00
120.	मै० पांडियॉन होटल्स लि०, मदुरई (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : पी० सी० एम० सुन्दारापांडियान	6.50	—	—	6.50	—	—	6.50
121.	मै० पेराम्बलुर शुगर मिल्स लि०, इरेयुर, जिला : तिरुचेरापल्ली (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : ई० सी० पी० प्रभाकर, आई० ए० एस०	660.00	250 00	—	410.00	—	—	660.00
122.	मै० श्री वेंकटेना मिल्स लि०, (i) उदामलपेट, जिला कोयम्बतूर, (ii) मदाथुकुलम्, जिला · मदुरई (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : ए० आर० अदेकप्पा चेतियार	150.72	15.00	—	125.00	—	10.72	150.72
123.	मै० साउदर्न एग्रीफुरेन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुडियम्बक्कम्, जिला: दक्षिणी अरकोट (अधिसूचित पिछडा जिला) अध्यक्ष : एम० ए० चिदाम्बरम् (एस० पी० आई० सी० ग्रुप)	481.58	165.00	—	307.95	—	8.63	481.58

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
48.00	—	—	—	—	48 00 (अति०)	पाइरो-टेकनीक अल्मोनियम पाउडर तथा पेस्ट विस्फोटक अल्मोनियम पाउडर, कांमी पाउडर एव जिंक धूली का उत्पादन बढाने तथा प्रतिवर्ष 75 टन लाल फास्फोरस का उत्पादन करने के लिए विस्तार/विशाखन ।
35.00	—	—	—	—	35.00 (अति०)	1,000 टन से 1,500 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार ।
3.25	—	—	—	—	3 25 (अति०)	57 कमरो वाले होटल का नवीकरण तथा स्तर ऊंचा करना ।
123.00	—	—	—	—	123 00	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता से नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
31.25	—	—	—	—	31.25	उदामलपेट्ट के स्थान पर कम्पनी की 62,260 तकुओं तथा 330 करघो वाली सकलित वस्त्र मिल का आधुनिकीकरण एव मदाथुकुलम् के स्थान पर स्थित प्रक्रिया हाऊस मे परम्परागत स्टनटिग मशीन का उच्च क्षमता वाली मशीन प्रतिस्थापन ।
35.00	—	5.00	—	—	40.00	प्रतिवर्ष 3,000 टन गेहू के चोकर का तेल निकालने के लिए नई परियोजना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
124	मै० तमिलनाडु कैमिकल प्रोडक्ट्स लि०, कलानिवासल जिला : रामा नाथापुरम् (अधिसूचित पिछडा जिला) अध्यक्ष . एस० नारायणस्वामी प्रबन्ध निदेशक · बी० अनंतास्वामी	245.00 (अति व्यय)	35.00	—	210.00	—	—	245.00
125.	मै० तमिलनाडु शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, (अरिगनार अन्ना शुगर मिल्स) कारुगलम्, जिला: थन्जावुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक. ई० सी० पी० प्रभाकर, आई० ए० एस०, (तमिलनाडु राज्य सरकार की कम्पनी)	647.75	250.00	—	390.00	—	7.55	647.75
126.	मै० टैक्सटूल कम्पनी लि०, कोइम्बटूर, अध्यक्ष : सी० एस० राघवन, आई० ए० एस०, प्रबन्ध निदेशक. एस० सुब्रह्मणियम्	125.00	—	—	100.00	—	25.00	125.00
127	मै० तिरुमलई कैमिकल्स लि०, रानीपेट, जिला : उत्तरी आरकोट (अधिसूचित पिछडा जिला) अध्यक्ष: एन० एस० आइंगर पूर्ण कालिक निदेशक : एन० टी० आइंगर	44.00 (अति व्यय)	—	—	18.30	2.70	23.00	44 00
	त्रिपुरा							
128.	मै० त्रिपुरा जूट मिल्स लि०, हफनिया, जिला. पश्चिमी त्रिपुरा, (अधिसूचित पिछडा जिला) निदेशक . डी० एन० बरुआ के० डी० मेनन (त्रिपुरा राज्य सरकार की कम्पनी)	410.00	205.00	—	410.00	—	15 00	630 00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
40.00	—	—	—	—	40 00 (अति०)	प्रतिवर्ष 3,300 टन सोडियम हाइड्रोस्लफाइट बनाने की नई परियोजना पर आए अति-व्यय का एक भाग पूरा करना ।
125.00	—	—	—	—	125.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
25.00	—	—	—	—	25.00	वस्त्र मशीनरी बनाने वाली कम्पनी की दो इकाईयों का आधुनिकीकरण ।
5 75	—	—	—	—	5.75 (अति०)	प्रतिवर्ष 6,000 टन पथालिक एन हाइड्राइड बनाने की नई परियोजना पर आये -व्यय के एक भाग को पूरा करना ।
80.00	—	—	—	—	80.00	प्रतिवर्ष 13,782 टन पटसन की वस्तुए बनाने की नई पटसन मिल ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	उत्तर प्रदेश							
129.	मै० अजन्ता ट्यूब्स लि०, गाजियाबाद प्रबन्ध निदेशक : जे० आर० जैन	305.11	79 00	30.00	140.00	3 70	52.41	305 11
130.	मै० बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, बलरामपुर, जिला · गौडा, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष जी० एल० सरोगी	150.00	—	—	125.00	—	25.00	150 00
131.	मै० बिलासपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, कस्बापत्ती, जिला : पीलीभीत (अधिसूचित पिछड़ा जिला) महाप्रबन्धक : सी० के० चतुर्वेदी	750 00	75 00	190.00	485.00	—	—	750 00
132.	मै० ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०, (i) कानपुर, (ii) धारीवाल, जिला · गुरदासपुर, पजाब (अधिसूचित पिछडा जिला) कार्यकारी निदेशक . श्रीमती बजोरिया	340.00	—	—	268.74	—	71.26	340.00
133.	मै० चादपुर शुगर क० लि०, खेरकी, जिला : बिजनौर, अध्यक्ष : एन० एल० मजुमदार, आई० एस० एस० । कार्यकारी निदेशक : ए० सी० शर्मा (उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कम्पनी)	645.00	238.00	20.00	387.00	—	—	645.00
134.	म० छाता शुगर क० लि०, छत्ता, जिला : मथुरा (अधिसूचित पिछड़ा (जिला) अध्यक्ष . एम० एम० मजुमदार, आई० ए० एस० कार्यकारी निदेशक : एम० जी० पाण्डेय (उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कम्पनी)	630.00	233.00	20.00	377.00	—	—	630.00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30.00	—	10 00	—	—	40.00	प्रतिवर्ष ई० आर० डब्ल्यू० स्टील पाइपों की उपादन क्षमता 15,000 टन से 1,00,000 टन बढ़ाने के लिए विस्तार योजना ।
31.25	—	—	—	—	31.25	प्रति दिन 1250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी का आधुनिकीकरण ।
115.00	—	—	—	—	115 00	प्रतिदिन 1250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
—	42.20 स्वे० क्रो०	—	—	—	42.20	वस्टर्ड कताई अनुभाग का आधुनिकीकरण और इसकी कानपुर इकाई में 24 अर्ध स्वचालित खड्डियों का लगाना तथा धारीवाल की इकाई में 18 ऊनी म्यूल कताई फ्रेमो का प्रतिस्थापन ।
117 00	—	—	—	—	117.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
112.00	—	—	—	—	112 00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।

(1)	2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
135.	मैं० होटल पिक सिटी (प्रा०) लि०, आगरा प्रबन्ध निदेशक : एन० बी० लक्षमण	9.70 (अति व्यय)	1 75	—	7.50	—	0.45	9.70
136.	मैं० कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, रेनूकोट जिला. मिरजापुर प्रबन्ध निदेशक : एस० एस० कनोरिया	168.00	—	—	146.00	—	22.00	168.00
137.	मैं० मोदी कारपेट्स लि०, रायबरेली, (अधिसूचित पिछडा जिला) प्रभारी निदेशक : सतीश कुमार मोदी	577.16	200.00	—	367.53	11.00	—	578.53
138.	मोदी इन्डस्ट्रीज लि०, मोदी नगर, जिला : गाजियाबाद अध्यक्ष : के० एन० मोदी (मोदी ग्रुप)	456.00	—	—	350.00	—	106.00	456.00
139.	मैं० नरेन्द्रा एक्सप्लोसिव्स लि०, ललितपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक: एन० के० जैन	400.00	150.00	—	250.00	—	—	400 00
140.	मैं० नदगज सिंहोरी शुगर क० लि०, नदगज, जिला: गाजीपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष · एन० एम० मजुमदार, आई०ए०एस० कार्यकारी निदेशक : जे० पी० तिवारी (उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कम्पनी)	650.00	260.00	—	390.00	—	—	650 00
141.	मैं० ओरियण्टल कार्बन लि०, गाजियाबाद, मुख्य कार्यकारी : सी० बी० बम्बावाला	465.00	200.00	—	235 00	—	30.00	465.00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.50	--	—	--	--	7 50 (अति०)	40 कमरों वाले 3 स्टार होटल पर आए अति-व्यय का कुछ भाग पूरा करना ।
--	18.44* (ज० मा०)	—	--	—	18.44 (अति०)	प्रतिवर्ष बेन्जीन हैक्साक्लोराइड का उत्पादन 6,000 टन से 12,000 टन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार ।
20.00	81.01** (पो०) 2.08 ज० मा०	10.00	—	--	113.09	प्रतिवर्ष 10 लाख किलोग्राम गलीचे का धागा तथा 9.33 लाख लच्छीदार गलीचे बनाने की नई परियोजना ।
87.50	—	--	--	—	87.50 (अति०)	1150 टन से 1500 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण तथा विस्तार ।
—	35.13 (ज० मा०)	12.50	--	--	47 63	प्रतिवर्ष नाइट्रोग्लिसरिन पर आधारित 10,000 टन औद्योगिक विस्फोटक बनाने की नई परियोजना ।
120.00	—	—	—	—	120 00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
40.00	—	15.00	—	—	55 00	प्रतिवर्ष 11,250 टन कार्बन ब्लैक बनाने की नई परियोजना ।

*बाद में घटाकर 17.34 रुपये कर दिये गये ।

**बाद में घटाकर 66.20 लाख रुपये कर दिये गये ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
142	मै० रुद्रबिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, जिलामपुर, जिला : रामपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) उपाध्यक्ष · हरचन्द्र सिंह	785.00	190.00	480 00	—	30 00	785 00	80.00
143.	मै० सर्वोदय पेपर मिल्स, लि०, सिकन्दराबाद, जिला : बुलन्दशहर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक: जयसुख-राम शर्मा	421 00	161.00	—	260.00	—	—	421.00
144.	मै० स्कूटर्स इण्डिया लि०, लखनऊ, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक: एस० सुन्दरा-राजन (भारत सरकार का उप-क्रम)	985.00	200.00	—	315.00	—	470.00	985.0
145.	मै० सिवालिक सेलूलोस लि०, गजरौला, जिला · मुरादाबाद (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक: इन्द्र पी० चौधरी							
146.	मै० सिंथेटिक्स एण्ड कमिकल्स लि०, भिटरा, जिला : बरेली अध्यक्ष : तुलसीदास किलाचन्द (किलाचन्द ग्रुप)	129 00	—	—	98.90	—	30.10	129.00
147.	मै० ट्रैक्टर्स आफ इंडिया लि०, कानपुर प्रबन्ध निदेशक · एच० एन० भार्गव	142 82	42.82	—	75.00	—	25.00	142.82
148.	मै० टफ्टेड कार्पेट्स एण्ड वूलन इंडस्ट्रीज लि० सिकन्दराबाद: औद्योगिक क्षेत्र जिला बुलदशहर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) निदेशक · जी० एस० अग्रवाल	454.00	162 00	—	292.00	—	—	454.00

*परियोजना लागत का गणन 1975-76 में किया जा चुका है।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	—	—	—	—	80.00	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
70.00	—	22.00	—	—	92 00	प्रतिदिन 23 टन एम० जी० कागज बनाने की नई परियोजना ।
50.00	—	—	—	—	50.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 1,65,000 तक पावर पैको की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की विस्तार योजना ।
—	—	1.25	—	—	1.25 (अति०)	प्रतिदिन 20 टन लिखाई तथा छपाई का कागज बनाने की नई परियोजना ।
30.00	—	—	—	—	30.00	प्रतिवर्ष 2,000 टन निट्राइल रबड़ बनाने की विशाखन परियोजना ।
15.00	—	5 00	—	—	20.00	प्रतिवर्ष 2,400 टन बंद डाई फार्जिंग्स बनाने की नई परियोजना ।
60 00	—	15 00	—	—	75 00	प्रतिवर्ष अर्ध-ऊनी धागे से 7.23 लाख वर्ग मीटर टफ्टेड गलीचा बनाने की नई परियोजना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
149	मै० तुलसीपुर शुगर क० लि०, शितालपुर, जिला : गोंडा, (अधिसूचित पिछडा जिला) निदेशक : मातादीन खेतान शिवचन्द्रे डारीवाला	154 00	—	—	140.00	—	14.00	154.00
150.	मै० यू० पी० स्टेट स्पिनिंग मिल्स कं० (सं० 1) लि०, बाराबाकी, (अधिसूचित पिछडा जिला) अध्यक्ष : टी० एन० शर्मा प्रबन्ध निदेशक : ओ०एन० वैद्य, आई० ए० एस० (उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कम्पनी)	500.00	250 00	—	250.00	—	—	500.00
151.	मै० यू० पी० स्टेट टैक्स-टाइल कारपोरेशन लि०, (1) झासी (अधिसूचित पिछड़ा जिला) (2) काशीपुर, (जिला : नैनीताल अध्यक्ष : टी० एन० शर्मा प्रबन्ध निदेशक . एस० रमेश, आई० ए० एस०, (उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कम्पनी)	490.00	230.00	—	245.00	—	15.00	490.00
152.	मै० यू० पी० ट्विगा फाइबरग्लास लि०, सिकदराबाद औद्योगिक क्षेत्र जिला . बुलदशहर (अधिसूचित पिछडा जिला) अध्यक्ष : आर० के० भार्गव, आई० ए० एस०	770.00	250.00	10.00	510.00	—	—	770.00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
35.00	—	—	—	—	35.00	1350 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी का आधुनिकीकरण ।
70.00	—	—	—	—	70.00	25080 तकुओं वाली नई सूती वस्त्र मिल लगाना ।
110.00	—	—	—	—	110.00	25080 तकुओं वाली नई सूती वस्त्र मिल लगाना ।
40.00	65.00 (अ० मा०)	20.00	—	—	125.00	2100 टन की वार्षिक विस्थापित क्षमता से फाइबर ग्लास का निर्माण तथा इसका वस्त्रों मे परिवर्तन करने के लिए नई परियोजना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	पश्चिमी बंगाल							
153.	मै० एन्ड्रयू यूल एण्ड क० लि०, कल्याणी, जिला नादिया (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक : आर० लाल	655.00	—	—	525.00	—	130.00	655.00
154.	मै० ब्राइट बायर्स लि०, मध्यमग्राम, जिला : 24 परगना, प्रबन्ध निदेशक : एस० एन० अग्रवाल	12.00 (अति व्यय)	—	—	12.00	—	—	12.00
155	मै० डेवी एशमोर इण्डिया लि०, खरागपुर, जिला मिदनापुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक: पी० सेन	345.00	63.00	15 00	190.00	—	77.00	345.00
156	मै० ईस्टेंड पेपर इन्डस्ट्रीज लि०, बसबेरिया, 4 जिला हुगली, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) निदेशक: जे० एम० जातिया	128.00	10.00	—	75.00	—	43 00	128.00
157.	मै० गोरेपुर कं० लि०, गारीफा, जिला : 24 परगना, अध्यक्ष : बी० एम० खेतान निदेशक: एम० मित्तर (मेछनील मैंगोर ग्रुप)	312 89	—	—	270.00	—	43.00	313.00
158.	मै० हिमालय रबड़ प्रोडक्ट्स लि०, कल्याणी, जिला : नादिया (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : ओ० पी० मुन्द्रा प्रबन्ध निदेशक: ए० बी० गंगोली	175.00	60 00	10.00	104.00	1.00	—	175.00

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
96.50	—	—	—	—	96.50	प्रतिवर्ष 2100 टन कन्वेयर बेल्टों 13.5 लाख आटोमेटिक पखो एव औद्योगिक वी० बेल्टो का उत्पादन करने के लिए नई इकाई लगाकर विशाखन ।
4 00	—	—	—	—	4.00 (अति)	प्रतिवर्ष 2,3100 टन गेलवेनाइजेड तथा गैर-गेलवेनाइजेड स्टील वायरो को बनाने की नई परियोजना पर आए अति-व्यय का एक भाग पूरा करना ।
45.00	—	7.50	—	—	52.50	प्रतिवर्ष 4 फरजिंग प्रेसे, 4 रोलिंग मिले, 60 टन लगातार कास्टिग मशीनें, 30 टन साइड ब्लोन कनवीनर्स तथा 10 टन ब्लास्ट फरनेस अक्सेसरीज बनाने की नई परियोजना ।
55.00	—	—	—	—	55.00 (अति)	प्रतिवर्ष लिखाई तथा छपाई के कागज की उत्पादन क्षमता 6,000 टन से 10,500 टन बढ़ाने के लिए विस्तार योजना ।
67.50	—	—	—	—	67.50	पटसन की बहुत सी वस्तुएं बनाने वाली कम्पनी की वर्तमान पटसन मिल का आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा सतुलन योजना ।
30.00	—	5 00	2.50	—	37.50	प्रतिवर्ष 10 लाख आटोमोटिव फेन बेल्ट्स तथा वी-बेल्ट्स बनाने की नई परियोजना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
159.	मै० हिन्दुस्तान मैस एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, नागी (बज-बज) जिला : 24 परगना प्रधान : आर० एल० बथवाल (बिरला ग्रुप)	17.25	—	—	10.00	—	7 25	17.25
160.	मै० नधिया मिल्स क० लि०, तेहाटी, जिला, 24 परगना अध्यक्ष: बी० एम० खेतान निदेशक: एम० मित्तर (मैकनील मैगोर ग्रुप)	287.54	—	—	245.00	—	42.54	287.54
161.	मै० शालीमार वायर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, उत्तर-पाडा जिला: हुगली (अधिसूचित पिछडा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एस० एन० खेतान	56.00	—	—	30.00	14.25	11.75	56.00
162.	मै० श्री इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लि०, रिसरा, जिला हुगली (अधिसूचित पिछड़ा जिला) निदेशक : बी० डी० मिमानी, एन० डी० मिमानी	21.00	4.50	—	16.00	—	—	21.00
163.	मै० टेगा इन्डिया लि०, कल्याणी, जिला: नादिया (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : डा० डी० पी० आतिया प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक: एम० मोहन्का	140.00	50.00	—	90.00	—	—	140.00
164.	मै० टैक्सटाइल प्रोसेसिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०, सपना, मिर्जानगर, जिला. 24 परगना अध्यक्ष: एस० एन० हूडा प्रबन्ध निदेशक: आर० के० सेनगुप्ता	150.00 (अग्रि व्यय)	60.00	—	90.00	—	—	150.00

*प्रत्यक्ष अभिदान
**साधारण शेयरों में अभिदान

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	5.78 (ज० मा०)	—	—	—	5.78 (अति)	एक एयर एक्सपेंडर का आयात ।
61.25	—	—	—	—	61.25	पटसन की वस्तुए वाली कम्पनी की वर्तमान पटसन मिल का आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा संतुलन ।
30.00	—	—	—	—	30.00 (अति)	प्रतिवर्ष फोरड्राइनियर वायर क्लाथ का उत्पादन 78,000 वर्ग मीटर से 1,12,000 वर्ग मीटर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार ।
8.25	—	—	—	—	8.25 (अति)	प्रतिवर्ष मेलिएबल आयरन कास्टिंगस की उत्पादन क्षमता 150/175 टन । रखने के लिए संतुलन-व-पुर्नस्थापन ।
25.00	—	5.00*	—	—	30.00	प्रतिवर्ष 300 टन रबर की लाइनिंग, रबर स्क्रीन डेकों तथा रबर के अन्य सामान का उत्पादन करने के लिये नई परियोजना ।
17.00	—	2.00**	—	—	19.00 (अति)	प्रतिदिन 1,45,000 मीटर वस्त्र के रंगने, मावा देने तथा छपाई करने के लिये एक नये केन्द्रीय कृत वस्त्र प्रक्रिया हाऊस को लगाने मे आये अति-व्यय के एक भाग को पूरा करना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
165	मैं० युनिवर्सल पेपर मिल्स लि०, ग्रारग्राम, जिला : मिदनापुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष. जे०पी० कनोरिया प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक: ए० के० खेमका	%						
166.	मैं० वेस्ट बंगाल स्कैटर्स लि०, खड़गपुर, जिला : मिदनापुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : दीपक राय प्रबन्ध निदेशक : ए० के० रूंगटा	294.00	101.00	—	193.00	—	—	294 00
167.	मैं० विण्डो ग्लास लि०, बंसबेरिया, जिला : हुगली (अधिसूचित पिछड़ा जिला) निदेशक: बी०एल० खेरुका	66.00	15.00	--	45.00	—	6.00	66.00
	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह							
168.	मैं० अण्डमान टिम्बर इन्डस्ट्रीज लि०, पोर्ट ब्लेयर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक: बी० के० खेतान, ए० के० बोस	83.60	7.50	—	54.64	--	21.46	83.60
	दिल्ली							
169	मैं० आई० टी० सी० लि०, (i) नई दिल्ली (ii) आगरा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष: एन०एन० हक्सर (इण्डिया टोबाको ग्रुप)	1218.00	—	—	550.00	—	668.00	1218.00
170	मैं० सुनेयर होटल्स लि०, दिल्ली प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक: एस० पी० अग्रवाल	180 00	60.00	—	120.00	--	—	180.00

%परियोजना लागत का गणन 1975-76 में किया जा चुका है।

%%बाद में घटा कर रु० 16.50 लाख कर दिया।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	—	2.00	—	—	2.00 (प्रति)	प्रतिवर्ष 5,940 टन एम० जी० क्राफ्ट कागज बनाने की नई परियोजना ।
50.00	—	7.49	—	—	57.49	प्रतिवर्ष 30,000 दो पहियों वाले स्कूटर बनाने की नई परियोजना ।
23.00	—	—	—	—	23.00 (प्रति)	अन्य बातों के साथ साथ प्रतिवर्ष 1200 टन रेखाकित/धारीदार/रंगदार कांच का सीमांत उत्पादन बढ़ाने के लिये आधुनिकीकरण/नवीकरण की योजना ।
31.86%%	14 40 (ज० मा०)	—	—	—	46.26 (प्रति)	प्रतिवर्ष प्लाईवुड की उत्पादन क्षमता 15 लाख वर्ग मीटर से 30 लाख वर्ग मीटर बढ़ाने के लिए विस्तार योजना ।
125.00	—	—	—	—	125.00	दिल्ली में 350 तथा आगरा में 200 कमरों वाले 5-स्टार होटल लगाने की विस्तार योजना ।
5.00	—	8.00	—	—	43.00	126 दोहरे कमरों वाला नया होटल बनाना ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
171.	मै० सिल्वानिया एण्ड लक्ष्मण लि०, दिल्ली अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक : एस० एल० अग्रवाल	143.00	--	--	100.00	--	43.00	143.00
	गोआ, दमन और दिव							
172.	मै० मन्वोवी पेलेटैस लि०, (भूतपूर्व मै० चौगुले मैटल इंडस्ट्रीज लि०) सन कोले, गोआ (अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र) अध्यक्ष: वी० डी० चौगुले प्रबन्धक निदेशक : आर० एल० चौगुले (चौगुले ग्रुप)							
173.	मै० ट्रेड विगंस लि०, बोगमालों बीच, गोआ (अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र) अध्यक्ष : ए० एन० किलाचन्द प्रबन्ध निदेशक. यु० एस० अभयकर, एस० आर० पारेख	260.00	50.70	--	170.50	--	39.30	260.00
	पांडिचेरी							
174.	मै० पाडिचेरी पेपर्स लि०, पिलियारकुप्पम, पाडिचेरी (अधिसूचित पिछडा क्षेत्र) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक: गक्षागिरी गनेशन	341.30	120.00	--	221.30	--	--	341.30
		75285.46	15517.10	2489.34	48056.06	346.96	8918.32	75327.78

एक संस्था को पहले वर्षों में मंजूर सहायता का जर्मनी मार्क से रुपया ऋणों मे सपरिवर्तन करने से मंजूर राशि --40.75 लाख रुपये ।

*परियोजना लागत का गणन 1975-76 मे किया जा चुका है ।

**परियोजना (ओ) की कुल लागत के आंकड़े कुछ समायोजन किए जाने के कारण वित्तीय साधनों के कुल जोड़ से मेल नही खाते ।

टिप्पणियां :--

1. कुछ संस्थाओ के सामने जो 'औद्योगिक समूह' का नाम दिया गया है, वे उन उप-क्रमो से सम्बन्धित हैं जो एकाधिकार एव निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अधीन पंजीकृत हैं, ये आंकड़े निगम को प्राप्त नवीनतम जानकारी पर आधारित हैं ।
2. प्रत्येक सस्था के आगे वर्तमान/प्रस्तावित अध्यक्षो/प्रबन्ध निदेशको आदि के जो नाम दिये गये हैं वह वित्तीय सहायता मंजूर करते समय थे ।
3. परियोजना लागत तथा वित्तीय साधन के आकड़े वित्तीय सहायता मजूर करते समय लगाये गये अनुमान पर निर्भर हैं ।

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
25.00	—	—	—	—	25 00 (अति)	कम्पनी की कार्य-विधियों को पुर्नस्थापन पुनर्जीवीकरण करने पर आये खर्च का कुछ भाग पूरा करना ।
—	—	—	10.00	—	0.00 (अति)	18 लाख टन की वार्षिक विस्थापित क्षमता से नया लोहा धातु भराई सयत्र लगाना ।
30.00	—	—	—	—	30.00	126
40.00	—	9.35	—	—	49.35	प्रतिदिन 25 टन छपाई का कागज बनाने की नई परियोजना ।
8632.57	518.31	772.35	51.50	37.50	10012.23	

परिशिष्ट 'ख'

30 जून, 1977 तक (रद्द की गई/वापिस ली गई मंजूरियो का समायोजन करने के बाद) मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का राज्य/क्षेत्रवार विवरण

(रुपये, लाखो मे)

राज्य/क्षेत्र	मंजूरियां						कुल का प्रतिशत
	परियोजनाओं की संख्या	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप ऋण	हामीदारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	72	3256.82	339.64	491.60	925.82	5013.88	7.7
असम	11	610.43	115.86	377.50	—	1103.79	1.7
बिहार	41	2269.31	254.35	350.38	329.75	3203.79	4.9
गुजरात	65	3469.25	526.97	358.11	130.97	4485.30	6.8
हरियाणा	47	2078.59	299.12	245.77	19.08	2642.56	4.0
हिमाचल प्रदेश	6	184.50	—	24.50	—	209.00	0.3
जम्मू और कश्मीर	2	140.00	—	—	—	140.00	0.2
कर्नाटक	73	3225.44	329.07	402.94	221.52	4478.97	6.8
केरल	28	1450.50	298.17	102.00	172.47	2023.14	3.1
मध्य प्रदेश	24	1212.06	203.20	320.75	39.82	1775.83	2.7
महाराष्ट्र	179	10402.05	1202.33	827.57	375.93	12807.88	19.5
मेघालय	2	280.00	—	4.09	—	294.09	0.4
नागालैंड	1	50.00	—	—	—	50.00	0.1
उड़ीसा	20	1213.23	219.27	152.50	—	1585.00	2.4
पंजाब	24	1084.09	155.36	104.00	9.96	1353.41	2.1
राजस्थान	23	1673.45	154.52	130.64	786.07	2744.68	4.2
तमिलनाडु	89	5123.80	812.54	665.42	1281.31	7883.07	12.0
त्रिपुरा	1	80.00	—	—	—	80 00	0.1
उत्तर प्रदेश	96	5666.33	870.01	511.38	353.59	7401.31	11.3
पश्चिमी बंगाल	91	3515.66	658.99	304.99	532.13	5011.77	7.7
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	27.50	14.40	—	—	41.90	0.1
दिल्ली	7	417.98	82.86	48.75	83.33	632.92	1.0
गोआ	7	355.00	—	120.00	—	475.00	0.7
पांडिचेरी	2	92.00	—	9.35	8.16	109 51	0.2
जोड़	912	48177.99	6536.66	5552.24	5269.91	65536 80	100.0

परिशिष्ट 'ग'

30 जून, 1977 तक (रद्द की गई/वापिस ली गई मंजूरियो के समायोजन के बाद) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए मजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का विवरण

(रुपये, लाखो में)

		मंजूरिया						
रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	परियोजनाओ की सं०	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	हामीदारिया तथा प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियो और विदेशी ऋणो के लिए गारटिया	जोड़	कुल क प्रति श
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	खनन और खदान :							
100	—कोयला खनन	3	120.00	—	—	—	120.00	0.2
110	—कच्चा पैट्रोलियम	1	—	—	350.00	—	350.00	0.5
120,125,127	—धातु खनन खाद्य उत्पाद	4	210.00	—	45.00	—	255.00	0.4
206	—चीनी उत्पाद	154	14162.78	7.86	85.34	—	14255.98	21.8
201,202,210, 211,212,219, 222	—अन्य खाद्य उत्पाद	11	180.50	9 00	31 40	—	220.90	0.3
231,232, 241,244,247, 248	—वस्त्र	135	6432.47	274.88	313.00	306 93	7327.28	11 2
251	पटसन उत्पाद	18	1078.36	0.72	17 50	—	1096 58	1 7
270,278,	लकड़ी उत्पाद	9	172.26	185 43	43 00	—	400.69	0 6
280,281	कागज तथा कागज उत्पाद	48	3230.86	721.20	554 06	551.16	5057.28	7.7
290	चमड़ा उत्पाद	4	87.75	13.84	17 50	—	118 59	0.2
300	रबर उत्पाद	22	1699.28	283.02	292 06	315 61	2589 97	4.0
303	रसायन और रसायन उत्पाद							
310	—मूल औद्योगिक संगठित तथा विघटित रसायन और गैसें	38	2072.47	668.57	308.15	431 36	3480.55	5.3
311	—उर्वरक और कीटनाशक	17	1673.50	58.70	440 93	1278.86	3451 99	5 3
316	—कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे	18	1031.00	540.46	170.45	46.02	1787.93	2.7
316	—कृत्रिम रेसिन्स तथा प्लास्टिक उत्पाद	11	400.00	260.04	100.00	—	760.04	1.2
305, 312 से 315,318,319	—अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद अधातु खनिज उत्पाद	29	664.75	169.52	168.78	—	1003.05	1.5
321	—कांच तथा काच उत्पाद	15	492.38	109.54	55.00	—	656.92	1.0
324,328	—सीमेंट	38	2740.00	348 16	215.89	18.54	3322.59	5.1
320,323,329	अन्य अधातु खनिज उत्पाद	22	777.89	281.66	121.00	—	1180.55	1 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मूल धातु तथा अलाय उद्योग :							
330 से 332	—लोहा तथा इस्पात एव फेरो-अलाय	64	2787 67	568 44	653 29	103 26	4112.66	6.3
333 से 336 339	अलोह धातु उद्योग	13	855 12	25 03	321.00	1945.65	3146.80	4.8
340,341, 343,344,349	—धातु उत्पाद सिवाय मशीनरी तथा परिवहन सयत्र मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी ·	35	826.94	245 62	238.69	62 78	1374.03	2.1
350	—कृषि यन्त्र तथा कुल पुर्जे	8	316.00	100 33	55.50	—	471.83	0.7
351 से 359	—मशीनरी और कुल पुर्जे	60	1517.22	720 84	260 30	103 76	2602 12	4 0
360 से 364, 367, 369	—बिजली मशीनरी,उप-स्कर, कल पुर्जे परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे	50	1513 10	459.07	278.01	—	2250.18	3.4
371,372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	4	105.00	—	10.00	—	115.00	0.2
374	—मोटर गाड़ियां तथा कल पुर्जे	21	688.08	358.04	196.69	—	1242.81	1.9
375	—मोटर साइकिल, आटो-साइकिल, स्कूटर तथा पुर्जे	15	685 94	105.61	62 99	26.95	881.49	1.3
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	3	198.20	8.85	—	—	207.05	0.3
261, 380, 382 385	विविध निर्माण उद्योग	7	168.60	12.23	10 50	—	191.33	0.3
40, 41	बिजली और गैस	8	155.50	—	65.00	—	220.50	0.3
691	होटल उद्योग	26	1134.37	—	58.10	79 03	1211.50	1.9
710	जहाजरानी	1	—	—	13.61	—	13 61	—
	जोड़	912	48177.99	6537 66	5552 24	5269.91	65536 80	100 0

परिशिष्ट 'घ'

वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का निपटान

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या जिनसे आवेदन पत्र वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन थे (1-1-1976)		संस्थाओं की संख्या जिनसे वर्ष के दौरान आवेदन पत्र प्राप्त हुए		संस्थाओं की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान आवेदन पत्र वापिस ले लिए		संस्थाओं की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान सहायता (सकल) मंजूर की गई		संस्थाओं की संख्या जिनसे आवेदन वर्ष के अन्त (30-6-1977) में विचाराधीन थे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
आन्ध्र प्रदेश	7	4737 35	14	5871 51	—	—	17	1235 99	4	880 50
असम	2	302 50	—	—	1	300.000	1	2.50	—	—
बिहार	5	2461.74	8	1204.94	1*	943.00*	11	500 48	1	423.00
गुजरात	4	3123.00	9	26777.47	—	—	9	772.74	4	24517.00
हरियाणा	3	413 20	9	2252 81	2	205 00	7	556.56	3	476.60
हिमाचल प्रदेश	—	—	1	120 00	—	—	1	90 00	—	—
जम्मू और कश्मीर	1	1250 00	—	—	—	—	1	100 00	—	—
कर्नाटक	5	1455.98	5	1072.55	—	—	8	384.50	2	540.00
केरल	2	562 00	4	195.35	—	—	5	176.41	1	142.0
मध्य प्रदेश	3	1627 00	2	780 00	1*	205.00*	4	357.21	—	—
महाराष्ट्र	17	4882 40	16	2033.07	1	40.00	26	1232.00	6	1606.37
मेघालय	—	—	1	0 09	—	—	1	0.09	—	—
उड़ीसा	4	1362.50	1	48.00	1*	290 00+	3	209.50	1	379 00
पंजाब	1	270 64	5	1297.18	—	—	4	176 50	2	836 00
राजस्थान	6	1543.66	5	580.50	3*	701.90*	6	327 89	2	139.00
तमिलनाडु	8	3067.44	13	6376.10	—	—	10	540 37	11	6866.00
त्रिपुरा	1	410 00	—	—	—	—	1	80.00	—	—
उत्तर प्रदेश	14	5740.89	15	3835 81	2	843 11	21	1495 61	6	2080.50
पश्चिमी बंगाल	5	1039 46	13	3227.92	1	315 46	13	421 02	2	2266.13
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	40 00	—	—	—	—	1	46 26	—	—
दिल्ली	1	370.00	2	244.00	—	—	3	193.00	—	—
गोआ, दमन तथा दीव	—	—	2	115.00	—	—	2	40.00	—	—
पाडिचेरी	1	265.00	—	1 85	—	—	1	49 35	—	—
जोड़	91	34924 16	125	56034 15	13	3843.47	156	8987 98	47	41152.10

टिप्पणियां —*वित्तीय सहायता की राशि सहित संस्था का द्योतक है (71.90 लाख रुपये की राशि वाली राजस्थान की एक संस्था), जिनके आवेदन पूर्ण से अपूर्ण में परिवर्तित करने पड़े, अर्थात्, वर्ष के दौरान निष्किर्य सूची)

खाना 2, 4, 6, 8 और 10 में दी गई संस्थाओं की संख्या में वे संस्थाएं भी सम्मिलित हैं जिन्होंने अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से सहायता के लिए आवेदन किया है।

खाना 3, 5, 7 और 11 में दी गई राशियों में अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से ली गई सहायता शामिल है।

परिशिष्ट

30 जून, 1977 तक प्रत्येक राज्य मे (रद्द की गई/वापिस ली गई मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात
1	2	3	4	5	6
	खनन और खदान :				
100	—कोयला खनन	—	—	50.00	—
110	—कच्चा पैट्रोलियम	—	350.00	—	—
120, 125, 127	—धातु खान खनन	—	—	—	—
	—खाद्य उत्पाद:				
206	—चीनी	1100.00	185.00	166.50	698.50
201, 202, 210, 211, 212, 219, 222	—अन्य खाद्य उत्पाद	25.00	—	18 00	—
231, 232, 241, 244, 247, 248	—वस्त्र	395.44	26.17	127.70	655.70
251	—पटसन उत्पाद	98.00	78.50	34.00	—
270, 278	—लकडी उत्पाद	102.72	100.74	—	7.00
280, 281	—कागज तथा कागज उत्पाद	900.60	197.00	721.08	283.23
290	—चमड़ा उत्पाद	45.75	—	—	—
300 से 303	—रबर उत्पाद	—	—	21.64	—
	रसायन तथा रसायन उत्पाद				
310	—मूल औद्योगिक संघटित तथा विघटित रसायन तथा गैसे	237.45	—	28.61	611.57
311	—उर्वरक और कीटनाशक	963.29	36.38	—	520.00
316	—कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे	—	—	—	982.04
316	—कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक मासान	162.24	90.00	—	63.50
305, 312 से 315 318, 319	—अन्य रसायन तथा उत्पाद	66.00	—	—	73.45
	आगे ले जाया गया	4096.49	1063.79	1167.53	3894.99

'ङ'

मंजूरियों का समायोजन करने के बाद)

का उद्योगवार वितरण

(रुपये लाखों में)

हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	50 00	—	—	—
286 00	—	—	1240.59	180 00	80 00	5889.20
	—					
	—					
26.90	—	—	107.50	—	—	—
			—			
			—			
338.23	77.00	40.00	460.33	141.68	396 46	1141.70
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	64.80	29.00	—
480.77	—	—	649 80	117.34	—	330 72
—	—	—	—	18.44	—	—
—	—	—	90.00	162.04	—	131.80
		—				
—	—	—	112.87	140.00	—	726.97
—	20.00	—	236.00	306.00	120 00	31.50
		—				
23.00	—	—	—	48.01	96 25	143.03
—	—	—	15.00	—	—	294.30
72 00	2.50	—	52.58	125.50	22.38	76.85
1226 90	99.50	40.00	3014.67	1304.21	744.09	8766.07

परिशिष्ट

30 जून, 1977 तक प्रत्येक राज्य मे (रद्द की गई/वापिस ली गई मजूर की गई निवल आर्थिक सहायता

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	मेघालय	नागालैंड	उडीसा	पजाब	राजस्थान
(1)	(2)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	खनन और खदान :					
100	कोयला खनन	—	—	—	—	—
110	कच्चा पैट्रोलियम	—	—	—	—	—
120, 125, 127	धातु खान खनन	—	—	75 00	—	—
	खाद्य उत्पाद :					
206	चीनी	—	50 00	205 00	315.00	95.00
201, 202, 210, 211, 212, 219, 222	अन्य खाद्य उत्पाद	—	—	—	—	—
231, 232, 241, 244, 247, 248	वस्त्र	—	—	232 88	325.29	655.93
251	पटसन उत्पाद	—	—	142.50	—	—
270, 278	लकड़ी उत्पाद	—	—	—	—	—
280, 281	कागज तथा कागज उत्पाद	—	—	252.08	83.00	—
290	चमडा उत्पाद	—	—	—	—	—
300 से 303	रबर उत्पाद	—	—	130.00	—	204.89
	रसायन तथा रसायन उत्पाद :					
310	मूल औद्योगिक सघटित तथा विघटित रसायन तथा गैसे	—	—	69.29	—	—
311	उर्वरक और कीटनाशक	—	—	—	—	253.98
316	कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे	—	—	—	—	55.80
316	कृत्रिम रेमिन्ज तथा प्लास्टिक सामान	—	—	—	—	—
305, 312 से 315, 318, 319	अन्य रसायन तथा उत्पाद	14.09	—	27.00	58.00	—
	आगे ले जाया गया	14 09	50 00	1133.75	781 29	1265.60

'ङ'

मंजरियों का समायोजन करने के बाद)

का उद्योगवार वितरण

(रुपये लाखों में)

तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	जोड़	परियोजनाओं की संख्या
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
—	—	—	70.00	—	120.00	3
—	—	—	—	—	350.00	1
85.00	—	—	—	45.00	255.00	4
		—				
1562.44	—	2052.75	—	150.00	14255.98	154
			—			
			—			
—	—	38.24	5.26	—	220.90	11
505.14	—	1362.65	315.52	129.46	7327.28	135
—	80 00	—	663.58	—	1096.58	18
—	—	—	20.00	76.43	400.69	9
75.00	—	495.98	421.33	49.35	5057.28	48
37.00	—	—	17.00	—	118 59	4
468.82	—	441.44	839.34	100.00	2589.97	22
			—			
1117.31	—	211.63	224.85	—	3480.55	38
395.00	—	494.84	—	75.00	3451.99	17
			—			
161.20	—	278.60	—	—	1787.93	18
			—			
105.00	—	30.00	—	—	760.04	11
222.82	—	144.88	45.00	—	1003.05	29
4734.73	80.00	5551.01	2621.88	625.24	42275 83	522

परिशिष्ट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	आगे लाया गया	4096 49	1063.79	1167 53	3894.99
	अधातु खनिज पदार्थ :				
321	—कांच तथा कांच उत्पाद	47.50	—	114 93	—
324, 328	सीमेंट	144 89	—	474.76	142.30
320, 323, 329	—अन्य अधातु खनिज उत्पाद	—	—	284 14	67.30
	मूल धातु तथा अलाय उद्योग				
330 से 332	लोहा तथा इस्पात और फैरी अलायज	201.50	2.50	808.84	—
333 से 336, 339	—अलोह धातु उद्योग	—	—	76 73	—
340, 341, 343, 344, 349	—धातु उद्योग सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	—	—	—	47.00
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी :				
350	—कृषि यन्त्र तथा पुर्जे	—	—	—	—
351 से 359	मशीनरी और हिस्से	33.39	—	87.86	268.71
360 से 364, 367, 369	—बिजली मशीनरी उपस्कर, कल पुर्जे	294 98	—	32.00	—
	परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे			3	
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	—	—	15.00	—
374	—मोटर गाड़िया तथा पुर्ज	—	—	25.00	—
375	मोटर साइकल, आटोसाइकल, स्कूटर तथा पुर्जे	44.29	—	50.00	—
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	—	—	—	—
261, 380, 382, 385	—विविध निर्माण उद्योग	6.34	—	—	—
40, 41	—बिजली और गैस	—	37.50	—	65.00
91	—होटल उद्योग	144 50	—	67.00	—
710	—जहाजरानी	—	—	—	—
	जोड	5013.88	1103.79	3203 29	4485.30
	राज्यवार परियोजनाओं की संख्या	(72)	(11)	(41)	(65)

'ङ'—जारी

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1226.90	99 50	40 00	3014.67	1304 21	744 09	8766 07
35 00	—	—	1 50	40 00	—	54.83
—	—	100 00	116 00	—	529 59	—
101 98	—	—	2 85	—	160.00	83.90
438 23	—	—	246 25	48 27	98 71	1149 59
—	—	—	215.00	309.10	—	65.27
252.50	—	—	62 41	—	—	107.10
109.99	—	—	32.50	33.00	—	83.39
85.37	—	—	179.35	—	94 00	816 91
			—			
			—			
196.92	—	—	267.94	257.88	90.49	450.11
—	—	—	70.00	—	—	—
—	—	—	187.50	—	58.95	636.04
127.82	—	—	50.00	—	—	157.05
67.85	—	—	—	—	—	—
—	90.00	—	—	30.68	—	20.91
—	—	—	—	—	—	115.00
—	19.50	—	33.00	—	—	288.10
—	—	—	—	—	—	13.61
2642.56	209 00	140.00	4478 97	2023 14	1775.83	12807.88
(47)	(6)	(2)	(73)	(28)	(24)	(179)

परिशिष्ट

(1)	(2)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	आगे लाया गया	14.09	50 00	1133.75	781 29	1265.60
	अधातु खनिज पदार्थ :					
321	--काच तथा कांच उत्पाद	—	—	—	—	—
324, 328	--सीमेंट	270 00	—	100.00	—	375.00
320, 323, 329	--अन्य अधातु खनिज उत्पाद	—	—	156.25	—	—
	मूल धातु तथा अलाय उद्योग					
330 से 332	लोहा तथा इस्पात और फैरी अलायज	—	—	195.00	127.50	102.73
333 से 336, 339	--अलौह धातु उद्योग	—	—	—	—	688.35
340, 341, 343, 344, 349	--धातु उद्योग सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	—	—	—	57.50	65.26
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी :					
350	--कृषि यन्त्र तथा पुर्जे	—	—	—	107.95	—
351 से 359	--मशीनरी और हिस्से	—	—	—	—	—
360 से 364, 367, 369	--बिजली मशीनरी उपस्कर, कुल पुर्जे	—	—	—	60.28	192.74
	--परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे					
371, 372	--लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	—	—	—	—	—
374	--मोटर गाडियां तथा पुर्जे	—	—	—	133.29	—
375	--मोटर साइकल, आटोसाइकल, स्कूटर तथा पुर्जे	—	—	—	43.00	37.50
376	--अन्य परिवहन उपस्कर	—	—	—	—	—
261, 380, 382, 385	--विविध निर्माण उद्योग	—	—	—	42.50	—
40, 41	--बिजली और गैस	—	—	—	—	—
691	--होटल उद्योग	—	—	—	—	37.50
710	--जहाजरानी	—	—	—	—	—
	जोड	284.09	50.00	1585.00	1353.41	2744.68
	राज्यवार परियोजनाओं की संख्या	(2)	(1)	(20)	(24)	(23)

'ङ—जारी'

(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
4734.73	80.00	551.01	2621.88	625.24	42275.83	522
			—			
—	—	220.15	143.01	—	656.92	15
770.05	—	300.00	—	—	3322.59	38
3.00	—	40 00	281.13	—	1180 55	22
			—			
			—			
165.07	—	345.22	183.25	—	4112.66	64
1188.50	—	75.00	548 85	—	3146.80	13
94.63	—	272 78	414.85	—	1374.03	35
			—			
			—			
15.00	—	90.00	—	—	471.83	8
487 12	—	40.00	465.56	43.85	2602.12	60
			—			
			—			
40.88	—	116.82	103.55	145 59	2250.18	50
			—			
			—			
—	—	—	30.00	—	115.00	4
80.00	—	101.93	20.00	—	1242.81	21
			—			
			—			
189.34	—	125.00	57.49	—	881.49	15
—	—	—	139.20	—	207.05	3
—	—	0.09	—	—	191.33	7
—	—	—	3.00	—	220.50	8
114.75	—	112.50	—	444.65	1271.50	26
—	—	—	—	—	13.61	1
7883.07	80.00	7401.31	5011.77	1259.33	65536 80	912
(89)	(1)	(96)	(91)	(17)	(912)	

परिशिष्ट च

वर्ष 1975 तथा 1976 के दौरान देश के चुने हुए उद्योगो की कुल विस्थापित क्षमता और औद्योगिक उत्पादन तथा उसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त औद्योगिक सस्थाओं का योगदान

उद्योग	सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में				भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त सस्थाओ के सम्बन्ध में			
	1975		1976		1975		1976	
	इकाइयों की सख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता	इकाइयों की सख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता	इकाइयो की संख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता	इकाइयो की सख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. रसायन तथा रसायन उत्पाद								
–कास्टिक सोडा	31	72.4	32	73.0	3	47.9	5	47.2
–तरल क्लोरिन	24	54.7	25	55 0	2	45.5	2	59.9
–सोडा एश	4	85.6	4	89 3	2	88.2	2	88.0
–सल्फ्यूरिक एसिड़	69	54.2	70	59.8	1	78.6	1	54.9
2. उर्वरक								
(क) नाइट्रोजन	26	61.2	29	62.7	4	36.7	4	66.1
(ख) फास्फेटिक	38	46.2	40	52 5	3	31.0	2	61.8
3. सीमेंट	54	77.0	54	88.0	8	80.9	8	92.2
4. कागज तथा कागज उत्पाद	74	79.7	75	77.6	12	72 8	14	77.1
5. लोहा तथा इस्पात								
–इस्पात की ढलवा वस्तुएं	51	38.8	51	39.9	3	60.0	2	55.1
–लोहे की लोचदार ढलवा वस्तुएं	12	67.6	11	74.0	1	53.3	1	63 7
–इस्पात की सिल्लियां तथा बिल्टें					6	40.6	8	66.7
6. मशीनरी								
–कृषि ट्रैक्टर	11	64.0	11	78 6	5	62.8	3	63.9
–शक्ति टिलर्स	4	24.0	4	20.0	2	15 7	1	4.8

7. रबर उत्पाद								
—आटोमोबाइल टायर	13	79.9	14	78.6	5	62.8	3	63.9
—आटोमोबाइल ट्यूब	13	72.2	14	71.9	5	57.9	3	57.5
8. बिजली मशीनरी तथा उपस्कर								
—बिजली मोटरें	34	50.1	33	54.8	2	70.1	2	68.2
—ट्रांसफार्मर	31	61.3	33	60.0	3	64.4	3	77.8
—पी० आई० एल० सी० पावर तारें —पी० वी० सी० पावर तारें	11	58.4	11	71.2	2	45.3	1	44.1
9. आटोमोबाइल उद्योग								
—मोटर साइकिलें	4	83.5	4	87.5	6	67.6	5	67 9
—स्कूटर	4	51.0	4	65.2				
—तिपहिए	2	57.7	2	63.0				
—मोपड	3	51.4	3	48.6				
10. कृत्रिम रेशे								
—नाइलोन फिलामेंट धागा	8	86.3	8	101.5	3	75.0	4	93.6
—पोलेस्टर फिलामेंट धागा	5	103.1	6	100.9	3	98.5	3	85.3
—पोलेस्टर तन्तु रेशे	5	56.6	5	86.0	1	71 2	1	78.8
11. चीनी								
—सहकारिताएं	104	89.3	120	[92.5%	46	99.1	43	89 4
—अन्य	156		157		7	52.3	6	56.4
12. सूती वस्त्र								
धागा		195.44 (लाख तकुए)		198.43 (लाख तकुए)		13.03 (लाख तकुए)		12.28 (लाख तकुए)
	698**	9893 (धागा लाख कि०)	703***	10059 (धागा लाख कि०)	47*	712 (धागा लाख कि०)	41*	606 (धागा लाख कि०)
कपड़ा		2.08 (लाख खड्डियां)		2.07 (लाख खड्डियां)		0.06 (लाख खड्डियां)		0.06 (लाख खड्डिया)
		40323 (कपड़ा) (लाख मीटर)		38810 (कपड़ा) (लाख मीटर)		1505 (कपड़ा) (लाख मीटर)		983 (कपड़ा) (लाख मीटर)

%1976-77 के मौसम के लिए 22 जुलाई, 1977 को उत्पादन पर आधारित (अनन्तिम)।
**289 संयुक्त मिल्स ***290 संयुक्त मिल्स *8 संयुक्त मिल्स (खाद्य विभाग)

टिप्पणियां : 1. खाना 2, 3, 4 और 5 में दी गई संख्याएं उद्योग, रसायन तथा उर्वरक, पैट्रोलियम, कृषि तथा सिचाई मंत्रालयो की वार्षिक रिपोर्टों, चीनी तथा वनस्पति निदेशालय, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम तथा वस्त्र आयुक्त, बम्बई के कार्यालय से प्राप्त सूचना पर आधारित है। सूती वस्त्र से सम्बन्धित संख्याएं वास्तविक हैं।
2. खाना 6, 7, 8 और 9 में दी गई सूचना निगम की वित्तपोषित इकाइयों से प्राप्त प्रश्नावली पर आधारित है।

परिशिष्ट 'छ'

30 जून, 1977 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई विवल वित्तीय सहायता का धनराशि के अनुसार वर्गीकरण

(प्रत्येक औद्योगिक संस्था के लिए मंजूर की गई रकमों के अनुसार)

(रुपये, लाखों में)

	सहकारिताए		पब्लिक लिमिटेड कम्पनिया					जोड़				
	सस्थाओ की सख्या	ऋण	संस्थाओ की संख्या	ऋण	हामीदारिया/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणो के लिए गारटिया	जोड़	सस्थाओं की सख्या	ऋण	हामीदारिया/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियो और विदेशी ऋणों की गारटियां	जोड़
1. रकमें, जो दस लाख रु० से अधिक अधिक न हो	—	—	86	271.60	221.75	—	493.35	86	271 60	221.75	—	493 35
2. रक़मे, जो दस लाख रु० से अधिक पर 20 लाख रु० से अधिक न हो	1	20.00	58	715.60	211.58	—	927.18	59	735.60	211.58	—	947.18
3 रक़में, जो 20 लाख से अधिक पर 30 लाख रु० से अधिक न हो	3	75.20	56	1292.80	159 70	3.71	1456.21	59	1368 00	159.70	3.71	1531.41
4 रकमें, जो 30 लाख रु० से अधिक पर 40 लाख रु० से अधिक न हो	11	406 50	83	2576.76	366 50	25 28	2968 54	94	2983.26	366 50	25.28	3375.04
5 रकमें, जो 40 लाख रु० से अधिक पर 50 लाख रु० से अधिक न हों	7	324.50	78	3106.52	474.52	38 68	3619.72	85	3431 02	474.52	38.68	3944 22
6 रकमें, जो 50 लाख रु० से अधिक पर 60 लाख रु० से अधिक न हों	13	733.75	49	2396 60	307 13	—	2703.73	62	3130.35	307.13	—	3437.48
7. रकमें, जो 60 लाख रु० से अधिक पर 70 लाख रु० से अधिक न हो	10	654.50	37	2191.54	163.38	58.75	2413.67	47	2846 04	163.38	58.75	3068.17
8. रकमें, जो 70 लाख रु० से अधिक पर 80 लाख रु० से अधिक न हो	15	1163.00	33	2112 83	356.24	24 99	2494.06	48	3275 83	356.24	24 99	3657.06
9. रकमें, जो 80 लाख रु० से अधिक पर 90 लाख रु० से अधिक न हों	35	3094.39	24	1823.73	242.44	—	2066.17	59	4918.12	242.44	—	5160.56
10 रकमें, जो 90 लाख रु० से अधिक पर एक करोड़ रु० से अधिक न हों	13	1283.00	27	2269.24	266.35	79.65	2615.24	40	3552.24	266.35	79.65	3898.24
11. रकमें जो एक करोड़ रु० से अधिक हों	44	6751.31	132	21451.28	2782.65	29272.78	176		28202.59	2782.65	5038.85	26024.00
जोड	152	14506 15	663	40208.50	5269.91	51030 65	815		54714.65	5552.24	5269.91	65530.80

परिशिष्ट 'ज'

रियायती दरो पर वित्त प्रदान करने की शर्तें

(30 जून, 1977 को)

देश के कम विकसित भागो मे उद्योगो का प्रसार करने की दृष्टि से उद्यमकर्ताओ को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जुलाई, 1970 से एक योजना चल रही है जिस के अन्तर्गत इन क्षेत्रों की परियोजनाओ को रियायती दरों पर वित्त प्रदान किया जाता है। यह योजना अब होटलो सहित निगमित तथा सहकारी क्षेत्र की सभी प्रकार की परियोजनाओ, जैसे नई, विस्तार अथवा विशाखन पर भी लागू होगी, चाहे उनकी पूजी लागत कुछ भी हो। कम विकसित जिलों क्षेत्रो की इकाइयों को रियायती दरों पर वित्त प्रधान करने की इस संशोधित योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।

1. स्थिति :

यह सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न राज्यो अथवा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के चुने हुए जिलों में स्थापित/स्थापित की जाने वाली सभी औद्योगिक परियोजनाओं को उपलब्ध हो सकेगी।

2. योजना का क्षेत्र :

रियायती वित्त सभी पात्र परियोजनाओ (होटलों सहित) —नई तथा विशाखन—निगमित (लिमिटेड कम्पनियो) तथा सहकारी क्षेत्र—के लिए बढ़ाया गया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिसूचित कम विकसित जिलों की परियोजनाओं को पुनर्स्थापन के लिए भी उन्ही शर्तों पर वित्त प्रदान करता है जिन शर्तों पर नई तथा विस्तार परियोजनाओं को रियायती वित्त प्रदान किया जाता है।

3. सहायता की सीमा :

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अकेले रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की समग्र सीमा, अन्य वित्तीय संस्थानो के साथ सामानुपातिक आधार पर 2.00 करोड़ रुपये तथा वैसे 1.00 करोड़ रुपये होगी। इस 1 00 करोड़ रुपये की सीमा में पहले के बकाया रियायती शर्तों पर रुपया ऋणो, आदि कोई है, का गणन किया जायेगा। निगम सहित अन्य दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती शर्तों पर प्रदान की जाने वाली हामीदारी सहायता की सीमा 1 00 करोड़ रुपये होगी, चाहे परियोजना की लागत कुछ भी हो।

4 शर्तें :

(1) ब्याज दर

योजना के अन्तर्गत रुपया ऋणों तथा विदेशी मुद्रा ऋणों पर वर्तमान ब्याज की दर 11 प्रतिशत से कम ब्याज दर अर्थात क्रमश: 9 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत लिया जाता है।

ऋणों की अदायगी अवधि

निगम की सामान्य पद्धति रही है कि सहायता प्राप्त करने वाली सस्था को ऋण अदायगी मे मूलधन की प्रथम किस्त प्रदान करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाता है। कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओ के लिए प्रत्येक मामले की लाभ संभावनाओ और साधन तथा स्रोतों की स्थिति को देखते हुए यह अवधि ऋण के प्रथम संवितरण की तारीख से पांच वर्ष तक बढ़ा दी जायेगी। कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं के मामले मे प्रत्येक के गुणावगुणो के आधार पर उनकी लाभ-क्षमता और नकद बहाव स्थिति को देखते हुए ऋण अदायगी की सामान्य स्वीकृत अवधि बढाई जा सकती है।

प्रवर्तकों का योगदान तथा इक्विटी-ऋण अनुपात

प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर प्रवर्तको का वित्तीय स्तर तथा ख्याति, योजना विशेष की परिपक्व अवधि, अन्य सम्बन्धित तत्व तथा लाभ क्षमता को देखते हुए परियोजना लागत में प्रवर्तकों के 17.5 प्रतिशत के सामान्य योगदान से कम योगदान तथा अधिक उन्मुक्त इक्विटी-ऋण अनुपात पर विचार किया जायेगा।

साधारण और अधिमान पूजी मे साझेदारी

प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर निगम अन्य जिलो/क्षेत्रो मे स्थित परियोजनाओं की तुलना में कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए हामीदारी अथवा शेयर पूजी में अधिक योगदान देने पर विचार करने पर तत्पर रहेगा।

अन्य प्रभारो मे कटौती

रुपया ऋणों के मामले में, निगम के सामान्य प्रभारो, हामीदारी प्रभार, आवेदनो की जाच के लिए अप्रतिदेय शुल्क, तथा विधिक प्रभारों मे 50 प्रतिशत तथा आस्थगित अदायगी कमीशन के निवल प्रभार में 25 प्रतिशत की कटौती कर दी जायेगी। हामीदारी कमीशन मे सम्बन्धित निगम के सामान्य प्रभारो में भी 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

परिशिष्ट 'झ'

सरकारी वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पात्र जिलों/क्षेत्रों की समेकित सूची (18 जून, 1977 को)

राज्य (1)	चुने हुए जिले (2)
1. आन्ध्र प्रदेश	अनन्तपुर, चितुर, कुड्डपा, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेलौर, निजामाबाद, ओंगोले, श्रीकाकुलम* और वारंगल ।
2. असम	कछार*, गोलपारा*, कामरुप*, मिकिर हिल्स*, उत्तरी कछार हिल्स, नवगंग*, तथा लखिमपुर जिला* ।
3. बिहार	औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर*, भोजपुर, %चम्पारन*, %दरभंगा*, गया, मुंघेर, मुज्जफरपुर, नालन्दा, नवदा, पालमाऊ*, पूर्णिया, सहरसा*, संथाल परगना*, और %सारन ।
4. गुजरात	अमरेली, बसकण्ठ, भावनगर, भड़ौच*, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल्स*, साबरकंठ तथा सुरेन्द्रनगर* ।
5. हरियाणा	भिवानी, %%हिसार, जीव तथा महेन्द्रगढ़%% ।
6. हिमाचल प्रदेश	चम्बा*, कांगड़ा*, किन्नौर, कुल्लू*, लाहौर तथा स्पिथि, सिरमूर*, और सोलन*।
7. जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग*, बारामूला*, डोडा, जम्मू, कथुवा, लद्दाख, पूछ*, राजौरी, श्रीनगर*, तथा उद्‌यमपुर ।
8. कर्नाटक	बेलगांव, विदार, बीजापुर, धारवाड़*, गुलबर्गा, हसन, मैसूर*, उत्तरी कनारा, रायचुर*, दक्षिणी कनारा तथा टुमकर ।
9. केरल	ऐलेपों*, कन्नानोर*, मालापुरम*, त्रिचूर तथा त्रिवेन्द्रम ।
10. मध्य प्रदेश	बालाघाट, बस्तर, बेतूल, बिलासपुर, भोड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, देवास, गूना, होशंगाबाद, झबुआ, खरगाव, मांडला, मंदसौर, मोरेणा, नरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रायसन, राजगढ़, राजनंदगांव, रतनाम, रीवा, सागर, रयगंर्म, साजपुर, शिवपुरी, सिद्धी, सरगूजा, टिक्कमगढ़, विदिशा तथा सिहोर ।
11. महाराष्ट्र	औरंगाबाद*, भंडारा, भोर, बुल्डाना, चन्द्रपुर*, कोलाबा, धुलिया, जलगांव, नांदेह, औसमानाबाद, प्रभनी, रत्नगिरि* और योतमल ।
12. मणीपुर	सभी पांचो जिले*
13. मेघालय	गारो हिल्स*, तथा संयुक्त खासी तथा जयन्तिया हिल्स*%
14. नागालैण्ड	कोहिमा*, मोकोकचुंग*, तथा तेनसंग*।
15. उड़ीसा	बालासोर, बोलंगीर*, धेनकनल*, कालाहांडी*, क्योझर*, कोरापुट*, मयूरगंज*, तथा फुलवानी ।
16. पंजाब	भटिंडा*%, गुरदासपुर, होशियारपुर*, संगरूर, और फिरोजपुर%%।
17. राजस्थान	अलवर*, बासवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा*, चुरू*, डुगरपुर, जयसलमेर, जेलौर, झुनझुनू झालवाड़, जोधपुर*, नागौर, सीकर, सिरोही, टौंक तथा उदयपुर* ।
18. सिक्किम	गंगटोक* के सभी चार जिले, गयालसिंघ*, मगा*, एवं नमची* ।
19. तमिलनाडु	धर्मापुरी, कन्याकुमारी, मदुरई, उत्तरी अरकोट, पुडुकोटाई, रामानाथपुरम, दक्षिणी अरकोटा, तंजाबुर और तिरुचेरापल्ली ।

(1)	(2)
20. त्रिपुरा	सभी तीनो जिले* ।
21. उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा*, आजमगढ, बदायू, बहराइच, बलिया*, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलंदशहर%, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, पीलीभीत*, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालोन, जौनपुर, झांसी%*, कानपुर देहात, ललितपुर*, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ, प्रतापगढ, रायबरेली*, रामपुर, शाहजहानपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी गढ़वाल, उन्नाव तथा उत्तरकाशी ।
22. पश्चिमी बंगाल	बांकुरा, बिरभुम, बुर्दवान, कूचबिहार, दार्जिलिंग, हुगली जलपाईगुड़ी, मालदा, मदनापुर*, मुर्शिदाबाद, नदिया*, पुरुलिया*, दक्षिण दिनाजपुर ।

केन्द्र प्रशासित क्षेत्र

1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह* . .	सम्पूर्ण क्षेत्र
2. अरुणाचल प्रदेश*	सम्पूर्ण क्षेत्र
3. दादरा और नागर हवेली* . . .	सम्पूर्ण क्षेत्र
4. गोआ, दमन और दीव* . .	सम्पूर्ण क्षेत्र
5. लक्षद्वीप*	सम्पूर्ण क्षेत्र
6. मिजोरम*	सम्पूर्ण क्षेत्र
7. पाडिचेरी*	सम्पूर्ण क्षेत्र

*ये जिले/क्षेत्र केन्द्रीय सरकार की निवेश आर्थिक सहायता के पात्र हैं ।
%हाल ही में किये गये पुर्नगठन करने से पहले के जिले ।
%%हाल ही में पुर्नगठित जिले ।

टिप्पणियां :

(1) आन्ध्र प्रदेश :

श्रीकाकुलम जिला और 5 क्षेत्र :

रायमसीमा खण्ड के 22 ब्लाको वाले दो क्षेत्र, अर्थात् चितूर%, बगारुपेलम%, पुलिचेरला%, प्रतुर%, चन्द्रगिरी तथा कालायो% (चितूर जिले से) और कोडुर, राजपेट, सिद्धोत, कुडुपा, कमलापुरम्, प्रोदत्तर, और पुलिवेंडला, (कुड्डपा जिले से) तथा तदपत्तरो, सिंहमाला, गुट्टो, कुडेर (अनन्तपुर जिले से) और धोन, कुरनूल, बंगानपल्लो%, नन्दल%, और गिवालूर (कुरनूल जिसे से) तेलगना क्षेत्र से 43 ब्लाकों वाले 3 क्षेत्र, अर्थात् मेहबूब नगर%, जदचेरला%, शादनगर%, कल्वाकुर्ति और अमगल (महबूब नगर जिले से) और नालगौडा, मंगदी, नकरकल, सूर्यपेट, कोडाद%, कुजरंगर%, मिरगलगुडा%, पेडावोर% तथा देवर कोडा%, (नालगौडा जिले से) खममभ, तिरुमालइपेलम, कुल्लूर%, चेलुंड%, कोदागुडक%, अशर वितेट%, भुर्गापद%, मद्रचेलम% (खम्मभ जिले से) और महबूबाबाद, नरसापोट, हुनमकोडा, धनापुर%, जगांव और मुलुग% (वारांगल जिले से) जहीराबाद, पतनचेरुवु%, नरसापुर%, मेडक%, सिद्धिपेट (मेडक जिले से), येदापाली, निजामाबाद%, कमारेड्डी% और दमोकोडा, (निजामाबाद जिले से) और सिरिसिल्ला%, करीमनगर%, सुल्तानाबाद%, पोडापल्ली मंथानी% और हुजूराबाद (करीमनगर जिले से) केन्द्रीय जिले से केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ।

( ) हरियाणा

महेन्द्रगढ़ का पुनर्गठित जिला (महेन्द्रगढ़ तथा रिवाड़ी उप-खण्डों वाला) भिवानी जिला और आठ ब्लाको वाला एक क्षेत्र, अर्थात्—हिसार ब्लाक नं० 1 बड़वाला ब्लाक (हिसार तहसील से) हासी ब्लाक नं० 1 (हासी तहसील से), बहुना ब्लाक (फतेहाबाद तहसील से) ठेहाण ब्लाक/तहसील (टेहाणा तहसील से), जीद जिले से जोद ब्लाक और जलाणा ब्लाक (जीद तहसील से) उचाना ब्लाक (नरवाणा तहसील से) केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ।

(iii) मध्य प्रदेश

पूर्वी खण्ड से 12 ब्लाकों वाला एक क्षेत्र अर्थात् कोरबा, बलौदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी और बिल्हा (बिलासपुर) ब्लाक (बिलासपुर जिले से) भारापाटा, सिंगा, तिल्दा, धारसीवा (रायपुर) अभनपुर और राजीम ब्लाक (रायपुर जिले से), उत्तरीखण्ड से 9 ब्लाकों वाला क्षेत्र, अर्थात, शिवपुरी एव करेड़ा (शिवपुरी जिले से) दतिया और स्यौंदा (दतिया जिले से), भिंड, मेगाव और माहद (भिंड जिले से) और मोरेना और जोरा (मोरेना जिले से) पश्चिमी खण्ड से 10 ब्लाको वाला क्षेत्र अर्थात् देवस, और टौक खुर्द ब्लाक (देवस जिला से), गुलाना, सुजालपुर तथा साजापुर ब्लाक (साजापुर जिले से), पचौर (सारगपुर) और मियौरा ब्लाक (राजगढ़ जिले से) और चाचौरा राधोगढ़, और गुना ब्लाक (गुना जिले से); पश्चिमी खण्ड—11 से 12 ब्लाको वाला क्षेत्र, अर्थात् पोटलवाड़, एव मेघनगर, (झबुआ जिले से) बदनावर, धार और नालचा (धार जिले से) महेशवर और बरवाहा (खरगांव जिले से) रतलाम और जोरा (रतलाम जिले से), मदसौर, मल्हारगढ और नीमच, (मदसौर जिले से), मध्य क्षेत्र से 11 ब्लाकों वाला क्षेत्र अर्थात् बीना, इटावा, खुरी बादा (बिनैका), राहतगढ, सागर, साहगढ (अमरामाऊ) (सागर जिले से) टिक्कमगढ, और बलदेवगढ़ (टिकमगढ़ जिले से) विदिशा और ग्यारसपुर (विदिशा जिले से) और छत्तरपुर (छत्तरपुर जिला), उत्तर पूर्वी खण्ड से 11 ब्लाकों वाला क्षेत्र अर्थात् रिवा और रायपुर, (गढ) (रींवा जिले से) मझौली, सिद्धि, दयोसर और बैधान (सिद्धि जिले से) मोंड़न, बैकुठपुर, महेन्द्रगढ़, सूरजपुर और अम्बिकापुर (सरगुजा जिले से) केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र है।

(iv) तमिलनाडु

उपतालुकाओं सहित 11 तालुको वाला क्षेत्र, अर्थात् रामानाथापुरम मदुकुलातुर, शिवगंगा परमाकुडो, तिरुवदनीकेराकुदी एव निरातुर, तालुके (रामानाथापुरम जिले से) मैलूर तालुका मदुरई जिले से) पडुकोटई, निरुमयम, अलागुडी, कालाथुर तालुके (पडुकोटई जिले से), दो खण्ड—एक 11 तलुको वाला क्षेत्र अर्थात् धर्मापुरी, पालेकोड, होसूर, देनकेनीकोटाह, कृष्णागिरी, उथनगिरई, हरूर (धर्मापुरी जिले से) निरुपतुर, वनियमवदी, वेल्लूर, बल्जापेट (उत्तरी आरकोट जिले से) तथा दूसरा 9 तलुको वाला क्षेत्र, अर्थात् अरुपकोटई, सत्तूर, श्रीविलीपुतुर, राज्यापलयम् (रामानाथापुरम जिले का पश्चिमी रामानाथापुरम) तिरूमंगलम, उसिलमपत्तो, निलाकोटई, डिंडीगुल, वेदासद्दुर (मदुरई जिले से) केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहायता प्राप्त करने के पात्र है।

क्रम सख्या 4 और 7 के केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में उनकी राजधानियों की नगरपालिका सीमाओ की भीतर भाग को छोड़कर सम्पूर्ण जिले केन्द्रीय योजना के अधीन निवेश सहयता प्राप्त करने के पात्र है।

%10-7-1972 के बाद मे चुने हुए जिलो/उप-खण्डो/तालुको/ ब्लाकों/तहसीलो का द्योतक है।

परिशिष्ट 'भ'

चुने हुए उद्योगो के आधुनिकीकरण के लिए उदार ऋण योजना

1. योजना का लक्ष्य

योजना का लक्ष्य कुछ चुने हुए उद्योगो को उनके सन्यन्त्रों तथा साज सामान के आधुनिकीकरण, एवं प्रतिस्थापित की कठिनाईयो को दूर करने के लिए रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि ये उद्योग उत्पादन के अधिक एव उच्च आर्थिक स्तर को प्राप्त कर सकें तथा घरेलू एव अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे अपनी प्रतिस्पर्धा मे सुधार कर सके। इस योजना का उद्देश्य, आवश्यकतानुसार इन इकाईयों को आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है।

2. सहायता की पात्रता

योजना के अधीन सहायता, सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र, पटसन एवं कुछ इजीनियरिंग उद्योगो की संस्थाओं तक ही सीमित रहेगी।

योजना के अधीन सहायता प्रदान करने का मूल मापदण्ड पुरानी मशीनरी के फलस्वरूप औद्योगिक सस्था की कमजोरी अथवा अव्यवहार्यता होगा। निसन्देह रूप से आधुनिकीकरण की आवश्यकता को स्थापित करना होगा और यह तथ्य भी आस्वस्त करना होगा कि उचित लघु अवधि में व्यावहार्यता प्राप्त कर ली जायेगी जो औद्योगिक सस्थाये वित्तीय संस्थानो के ऋण पर ब्याज का सामान्य भार उठाने में समर्थ नहीं है, उन्हें पूरा ऋण रियायती सहायता के रूप मे प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी मामलों में ऋण के 66 प्रतिशत (पटसन उद्योग के मामलो में 75 प्रतिशत) तक की सहायता रियायती शर्तों पर प्रदान की जायेगी। जिन मामलो में औद्योगिक संस्थाये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वित्त रिडिस्काउंटिंग योजना के अधीन आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को सुविधात्मक रूप से पूरा कर सकती हैं, उनसे आशा की जाती है कि अभी तक की व्यवस्था के अनुसार वे उस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठायेगी। इस उद्देश्य के लिए सभी पाचो पात्र उद्योगो के मामलो मे आस्थगित अदायगी की अधिकतम अवधि 7 वर्ष तक बढ़ा दी गई है और पटसन उद्योग के मामले में ब्याज की प्रभावी दर घटाकर 11 प्रतिशत कर दी गई है।

3. औद्योगिक संस्थाओं की संरचना

इस योजना के अधीन सहायता की पात्र बनने के लिए औद्योगिक सस्थाओ को पब्लिक अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा सहकारी समिति के रूप में पजीकृत होना चाहिए। हिस्सेदारी अथवा स्वामित्व संस्थाये सहायता प्राप्त करने की पात्र नही हैं।

4. ऋण का उद्देश्य

योजना के मुख्य लक्ष्यों के अनुरूप चुनी हुई पहुंच अपनानी जरूरी है, अत औद्योगिक सस्थाओं को अपने आधुनिकीकरण पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है, जिसमे कि आधुनिकीकरण के लिए भौतिक तथा वित्तीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया होना चाहिए। इन परियोजना रिपोर्टों को तैयार करते समय प्रक्रियाओ अथवा कार्यों में किए जाने वाले विशेष तकनीकी सुधारो पर गौर किया जाना चाहिए जो कि अल्पावधि मे ही उत्पादन प्रक्रिया पर निश्चित प्रभाव डालेगे। जब कि विभिन्न औद्योगिक सस्थाओं की आवश्यकतायें अलग अलग होगी और भौतिक आवश्यकताओ के लिए कोई एक निश्चित मापदण्ड नही लगाया जा सकता, फिर भी सीमेंट, चीनी एवं इजीनियरिंग उद्योगो के मामले में आधुनिकीकरण में क्या किया जा सकता है, उनकी सांकेतिक/व्याख्यात्मक सूची तैयार की गई है (इस परिशिष्ट का सलग्नक देखें) अभी तक इन उद्योगों की उल्लिखित प्रक्रियाओ/कार्यों तक ही सहायता का प्रसार सीमित रहेगा। सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योगो में इस प्रकार की कोई सूची तैयार नही की गई है क्योकि इन उद्योगो मे उत्पादों की विविधता की मात्रा अधिक है। आधुनिकीकरण की आवश्यकता को आश्वस्त करने के बाद, यह औद्योगिक सस्थाओं को स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है। पटसन, उद्योग के मामले मे कताई प्रारम्भिक अवस्था सहित तथा प्रक्रिया अनुभागो के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जायेगी।

5 ऋण की राशि

योजना के अधीन सहायता की मात्रा आवश्यकता के अनुसार होगी। अतः किसी एक ऋण की कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम सीमा निश्चित नही की गई है।

6. ऋण की शर्तें

(i) ब्याज की दर

इस योजना के अधीन ऋण पर ब्याज की दर 7½ प्रतिशत वार्षिक ली जायेगी। ब्याज तथा मूलधन की किस्तों की अदायगी मे चूंकि चूके करने पर बाकीदारी की अवधि के लिए बाकीदारी के ब्याज/मूलधन पर 2 प्रतिशत वार्षिक का अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा।

(ii) हामीदारी प्रभार

स्वीकृति पत्र की तारीख अथवा ऋण करार के बन्धक होने की तारीख के 6 मास की अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी पहले हो, ऋण की राशि पर ½ प्रतिशत का हामीदारी प्रभार देना होगा जो कि अर्द्धवार्षिक किस्तो मे देय होगा।

(iii) ऋण की अवधि

इस योजना के अन्तर्गत मजूर किए गए ऋण की अदायगी अवधि 15 वर्ष तक होगी जिसमे उसे 5 वर्षों तक की रियायत अवधि भी शामिल होगी।

(iv) प्रतिभूति एव अन्तर

इस योजना के अन्तर्गत मजूर किया गया ऋण सस्था द्वारा योजना के अधीन अर्जित अचल/चल परिसम्पतियो के प्रथम प्रभार द्वारा बन्धक/गिरवी रखकर रक्षित किया जायेगा इसके अतिरिक्त औद्योगिक संस्था की वर्तमान अचल परिसम्पतियों के प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार (जिन मामलों में प्रथम प्रभार उपलब्ध नही है) द्वारा भी ये ऋण रक्षित होगे। वित्तीय संस्थान,

अर्थात, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक साख एव निवेश निगम, अपनी स्वेच्छा से उचित व्यक्तिगत और/अथवा अन्य गारंटी पर भी दबाव दे सकते हैं।

प्रत्येक मामले के गुणावगुणो के आधार पर प्रतिभूति की सीमा का निर्णय लिया जायेगा।

7 ऋण इक्विटी अनुपात

योजना के अधीन जिन औद्योगिक संस्थाओं को सहायता प्रदान की जायेगी, उनके ऋण-इक्विटी अनुपात मे लोचदार पहुंच अपनाने का प्रस्ताव है। फिर भी, उदार शर्तों पर दिए गए ऋणो की सेवा को आश्वस्त करने के लिए एक उचित इक्विटी आधार की आवश्यकता होगी

8. औद्योगिक संस्थाओं/प्रवर्तकों से योगदान

वित्तीय सस्थान, आमतौर पर औद्योगिक संस्थाओ/प्रवर्तको से आशा करते हैं कि वे आधुनिकीकरण योजना की लागत के लिए उचित योगदान देगे। फिर भी इस योगदान की राशि का निर्णय प्रत्येक मामले के अनुसार दिया जायेगा जो कि औद्योगिक सस्थाओ/प्रवर्तकों की निधिया पैदा/जमा करने की योग्यता पर निर्भर करेगा।

9. प्रबन्ध

इस योजना के अन्तर्गत सहायता मंजूर करने में प्रमुख आवश्यकता होगी। सम्बन्धित इकाई को उपलब्ध प्रबन्धक वर्ग की योग्यता। सस्थान इस बात को आश्वस्त करना चाहेंगे कि योजना के अधीन वित्तपोषित आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रबन्धक वर्ग दायित्वपूर्ण, काफी एवं सक्षम है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सस्थान सहायता मजूर/संवितरण करने से पहले प्रबंध के ढाचे (सचालक मण्डल और/अथवा मुख्य कार्यकारी और/अथवा महत्वपूर्ण कार्मिक मे परिवर्तन का सुझाव दे सकते हैं। ऋण की अवधि के किसी समय भी आवश्यकतानुसार सस्थान के प्रबन्धक वर्ग के ढाचे मे इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए ऋण करारों में उचित व्यवस्था की जायेगी।

10. कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताएं

क्योकि इस योजना की काफी कुछ सफलता वाणिज्यिक बैंको के सहयोग पर निर्भर करेगी और आधुनिकीकरण कार्यक्रम का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए, वित्तीय संस्थान आधुनिकीकरण के लिए ऋण मंजूर करते समय इस बात से आश्वस्त होना चाहेंगे कि इकाईयों ने उचित ब्याज दर पर अपने बैंकरो से अपनी कार्यकारी पूजी की आवश्यकता की काफी व्यवस्था करली है।

11 बकाया सांविधिक देयताए

यदि आवेदक सस्था की कोई बकाया सांविधिक देयताएं हैं, तो संस्था के लिए आवश्यक होगा कि वह इस प्रकार की बकाया को क्रमिक रूप से अदा करने के लिए सम्बधित अधिकारियो से पत्र करे।

12. लाइसेंसिंग की आवश्यकता और कार्यकारी पूंजी निर्बाधिता

जिन मामलों मे पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता के बढ़ाने की सभावना नही है उन मामलों में औद्योगिक लाइसेस में ससोधन का प्रश्न नहीं उठता। यदि क्षमता के बढने की संभावना है, उन मामलों मे औद्योगिक स्वीकृतियो के आवेदनो पर विचार करने के साथ-साथ वित्तीय संस्थान उनके आवेदनों पर विचार करना शुरु कर देंगे।

जिन मामलों में संयंत्र का आयात आवश्यक है, उन मामलों मे सामान्य व्यवस्था के अनुसार आवेदक संस्थान के लिए सरकार को पूजीगत माल लाइसेस के लिए आवेदन देना जरूरी है। इन मामलों में पूजीगत मामले के आवेदनों पर विचार करने के साथ-साथ वित्तीय संस्थान भी प्रत्येक आवेदनो पर विचार शुरु कर देगे।

13. योजना के सचालन के लिए एजेंसी

जबकि योजना के संचालन का समग्र दायित्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में निहित है, सहायता के लिए आवेदनों पर विचार करने तथा मंजूर करने का कार्य भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एवं भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम द्वारा बांटा जायेगा।

14 सामान्य

इस योजना के अतर्गत सहायता के लिए आवेदन निर्धारित, प्रपत्र मे दिया जायेगा जो कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम से उपलब्ध हो सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (5 प्रतियां) निम्नलिखित सस्थानों के किसी भी कार्यालय मे दिए जा सकते हैं।

उद्योग	संस्थान जिसमें आवेदन दिया जाना है
सीमेंट	भा० औ० वि० बैं०
सूती वस्त्र	भा० औ० वि० बैं०
चीनी	भा० औ० वि० नि०
पटसन	भा० औ० वि० नि०
इंजीनियरिंग	भा० औ० साख० एवं नि० निगम

इस योजना के अतर्गत सहायता के लिए आने वाले प्रस्तावों की पात्रता आदि के बारे में वित्तीय संस्थानों का निर्णय अन्तिम होगा। जहा कही यदि आवश्यक हो, अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व वित्तीय संस्थान प्रस्तावो को सलाहकारो की तदर्थ समिति को भेज सकते हैं। इस सदर्भ में किया गया व्यय तथा औद्योगिक सस्थाओ के निरीक्षण पर अन्य खर्च आवेदक सस्थाओ द्वारा उठाया जायेगा।

परिशिष्ट भ का संलग्नक

उदार ऋण योजना के अधीन पात्र आधुनिकीकरण कार्यक्रम

सीमेंट

योजना के अधीन सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाये/का कार्य-पात्र होगे।

(i) आर्थिक स्तर तक विस्तार, अर्थात् 1200 टन दैनिक की क्षमता तक

(ii) निम्नलिखित से सम्बन्धित निवेश

(क) गीली प्रक्रिया से सूखी प्रक्रिया में परिवर्तन

(ख) मुख्य कच्चे माल अर्थात् चूना पत्थर में लाभ।

(ग) आधुनिक खनन तथा परिवहन यंत्रों जैसे शावल बुलडोजर्स आदि की स्थापना, जिससे खनिज भण्डारों का अधिक वैज्ञानिक एवं आर्थिक उपयोग किया जा सके।

(घ) सीमेंट उत्पादन में पूर्व-भस्मीकरण तकनीकें।

(ङ) औद्योगिक व्यर्थ पदार्थों का उपयोग, जैसे, भट्टी का लावा और अन्य ज्वालामुखी पदार्थों का उपयोग।

(iii) धूल एकत्रीकरण सुविधाओं, जैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक परिसिपेट्रक की स्थापना, इससे अधिक उत्पादन बढ़ेगा और कम वायु दूषण होगा।

(i) चीनी

रियायती वित्त के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाये/कार्य पात्र होंगे।

1. 1500 टन दैनिक तक का क्षमता विस्तार

2 वर्तमान कम दबाव बायलरों का उच्च दबाव बायलरों से प्रतिस्थापन करके थर्मल क्षमता में सुधार।

3. व्यर्थ नष्ट होने वाली आंच को रोकने के लिए इकाईयों की स्थापना, जैसे, इकोनोमाइजर्स और एयर परिहीटर्स, आदि।

4. पावर जेनरेटरों की स्थापना करके संयंत्र का अर्ध-विद्युतीकरण और भाप से चलने वाले पम्पों का बिजली से चलने वाली पम्पों का प्रतिस्थापन, आदि।

5 मिल की कुशलता बायलर हाउस की क्षमता और चीनी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वर्तमान संयंत्र तथा मशीनरी का प्रतिस्थापन।

(ii) इंजीनियरिंग

रियायती वित्त के लिए इंजीनियरिंग उद्योग के निम्नलिखित उद्योग पात्र हैं :—

(i) आटोमोबाइल उद्योग

(क) कृषि ट्रैक्टर

(ख) आटो-सहायक उद्योग (केवल वही इकाईयां जो कि अपने उत्पादों की न्यूनतम 10 प्रतिशत पूर्ति मूल यंत्रों के उत्पादकों में करते हैं।)

(ग) वाणिज्यिक वाहन

(घ) यात्री कारें

(ङ) स्कूटर तथा मोटर कारें

(ii) औद्योगिक यंत्र उद्योग

(क) एयर कम्प्रेसर (100 सी० एफ० एम० और उसके ऊपर)

(ख) बिजली मोटरें (1) फ्रेक्सनल हार्स पावर मोटरें अर्थात् 1 हार्स पावर से कम तथा (2) 20 हार्स पावर और उससे अधिक की मोटरों का उत्पादन।

(ग) पावर तारें

(घ) औद्योगिक फास्टनर्स केवल उच्च गति तथा विशेष प्रकार जैसे स्टेनलेस स्टील आदि और आटोमोटिव उद्योग को मूल यंत्र की पूर्ति करने वाले।

(ङ) पम्प जैसे प्रक्रिया पम्प, पानी पम्प, 4"×4" से बड़े।

(च) गति धीमी करने वाले यंत्र।

(iii) औद्योगिक मशीनरी उद्योग

(क) बाल, टेपर और रोलर बियरिंग

(ख) सीमेंट मशीनरी

(ग) चीनी मशीनरी

(घ) वस्त्र मशीनरी

हल्के इंजीनियरिंग उद्योग

(क) साइकल (छोटे पुर्जों का निर्माण सहित, जैसे, चेनें फ्री-व्हील, हाब्स, चेन विल और क्रेंच)

(ख) बिजली के पंखे

(ग) बिजली के बल्ब (केवल जी० एल० एस०)

(घ) औद्योगिक सिलाई मशीनें।

धातु उद्योग

(क) ग्रे आयरन नरम लोहा और औद्योगिक उपयोग के लिए एस० जी० सी० आई० तथा अलाय आयरन की ढलवा वस्तुएं।

(ख) क्लोज डाई फोर्जिंग्स

कटाई औजार

20 हार्स पावर से ज्यादा के आन्तरिक कम्बुस्टन इंजन

मशीनरी औजार (केवल औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त इकाइयां)

उपरिलिखित उद्योगों में पात्रता का पता लगाने के लिए निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाई जायेगी :—

(क) औद्योगिक इकाई की स्थापना कम से कम 15 वर्ष पूर्व की गई होनी चाहिए।

(ख) जिन मशीनों औजारों अथवा यंत्रों का प्रतिस्थापन किया जाना है, वे 15 वर्ष से अधिक पुराने होने चाहिए।

(ग) उत्पादन में सुधार करने, व्यर्थ को कम करने एवं व्यर्थ का पुन: उपयोग करने के लिए संतुलन यंत्र की वृद्धि।

(घ) माल के बटोरने के यंत्र।

(ङ) गुणवत्ता की जांच करने एवं नियंत्रण करने के लिए औजार तथा यंत्र।

उक्त (घ) में उल्लिखित आयु में ढील दी सकती है बशर्ते इकाईयां अपने उत्पादन की लागत कम करके अथवा गुणवत्ता सुधार कर काफी मात्रा में निर्यात बढ़ाने में समर्थ हैं।

STATE BANK OF HYDERABAD

SIGNING POWERS OF MEMBERS OF BANK'S STAFF NOTIFIED IN GAZETTE OF INDIA

No. SRH/G-3/1977.—It is hereby notified that consequent upon the upgradation of the posts of Manager, Credit and Inspector to the rank of Assistant General Manager and their redesignation as Chief Manager, Credit and Chief Inspector respectively, each of these officials would now exercise the signing powers authorised by the Board of Directors to the posts of Manager, Credit and Inspector respectively as already notified under the notification No. SBH/G-1/1976, dated 1st October 1976 and SBH/G-2/1977, dated 28th February 1977 published in the Gazette of India dated 2nd October 1976 part III—Section 4 and Gazette of India dated 1st June 1977 part III—Section 4.

By order of the Board.

S. K. DATTA,
anaging Director

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta, the 6th October 1977

No. 18-CWR(37)/77.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 26th September 1977 the name of Shri Kamalesh Bhattacharjee, BCOM, AICWA, 59, Subhas Nagar Road, Calcutta-700065, (Membership No. M/3267).

No. 16-CWR(194)/77.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, on account of death, the name of Shri Kamal Krishna Ghosh, BA, AICWA, Cost Accounts Officer, Modi Spinning & Weaving Mills Co. Ltd., Modinagar, (Membership No. 363), with effect from 10th December 1976.

The 11th October 1977

No. 18-CWR(38)/77.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 27th September 1977 the name of Shri S. N. Bhushan, BSc (Hons.), FCA, ACMA, AICWA, 45, Chord Road, Rajajinagar, Bangalore-560044, (Membership No. M/751).

H. P. RAY CHAUDHURY
Director of Administration

GUJARAT REGIONAL OFFICE

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Ahmedabad, the 12th October 1977

No. G/ADM/239(Constt)/77.—It is hereby notified that the Local Committee set up vide this Office Notification of even No. dated 31-1-1975 for *Surat* area under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 has been re-constituted with the following members with effect from the date of Notification.

1. Collector, Surat—Chairman.
2. Government Labour Officer, Surat—Representative nominated by the State Government of Gujarat.
3. Administrative Medical Officer, ESI Scheme, Surat—Representative nominated by the Director of Medical Services, E.S.I. Scheme, Ahmedabad-14.
4. Shri Pranlal H. Bachkaniwala, Vice-President, The Southern Gujarat Chamber of Commerce & Industry, Samruddhi", Nanpura, Surat-395001—Employers' Representative.
5. Shri Arunchandra N. Juriwala, Chairman, Surat Art Silk Cloth Manufacturers Association, "Resham "Bhavan", Lal Darwaja, Surat-395003—Employers' Representative.
6. Shri Jairambhai Narayan Yadav, C/o The Surat Textile Labour Union, "Shram Jivi Sevalaya", Near Alankar Cinema, Opp. Railway Station, Surat—395003—Employees' Representative.
7. Shri Ishwarlal G. Desai, President, the Surat Silk Mill Labour Union, Shramjivi Sevalaya, Opp. Railway Station, Surat-395003—Employers' Representative.
8. The Manager, Local Office Salabatpura, E.S.I. Corporation, Surat—Secretary.

By Order

S. SAHAI
Regional Director
& Secretary, Gujarat Regional Board,
E.S.I. Corporation, Ahmedabad-14

INDIAN AIRLINES EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

In exercise of the powers conferred by section 45 of the Air Corporation Act, 1956 (27 of 1953), the Indian Airlines with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Airlines Employees' Provident Fund Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Airlines Employees' Provident Fund (Amendment) Regulations, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Airlines Employees' Provident Fund Regulations, 1955 hereafter referred to as the said regulations (1) for regulation 12-A, the following regulation shall be substituted, namely :—

"12-A. Procedure on employment of a person who was previously a subscriber to any Provident Fund of the Government or a Body Corporate, owned or controlled by the Government and a recognised Provident Fund of a private organisation.

Where a person employed in the Corporation was previously a subscriber to any Provident Fund of the Government or a Body Corporate, owned or controlled by the Government, the transfer of his Provident Fund accumulations from the Government Department or the body corporate namely, his subscriptions as also the contributions of the previous employer, if any, together with interest thereon, shall be accepted as an initial deposit in his account in the Fund. Persons joining the Corporation from private organisations may also be allowed transfer of their Provident Fund accumulations together with contribution of the employer and interest thereon provided they have been contributing to a recognised Provident Fund of the Government. Such a person will be permitted to become a member from the date of commencement of his employment in the Corporation or from the date of his resignation from the service of the Government or body corporate owned or controlled by the Government or private organisation takes effect, whichever is later. The Corporation contribution will also be admissible to such an employee from the date his membership takes effect;

Provided that after the acceptance of the transfer, the Provident Fund account of the employee shall be governed by the regulations of the Fund".

(2) for opening paragraph of regulation 19-A, clause 1 and sub-clauses a and b of said clause 1, the following shall be substituted, namely :—

"Regulation 19-A : Non-refundable withdrawals may be sanctioned by the Board to a member any time after his completing 15 years of service, (including service in the Ex-Airlines and including broken period or service, if any)

or within 10 years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount of subscriptions and interest standing to the credit of the members in the Fund for the following purposes :—

1 Meeting the cost of purchasing or constructing a dwelling house or the cost of purchasing or acquiring a dwelling site for such construction or the cost of purchasing, taking or acquiring a flat in a building belonging to or which is to belong to a Co-operative Housing Society or in respect of which a Co-operative Housing Society is to be formed or the cost of purchasing, taking or acquiring a flat under the provisions of the Maharashtra Apartment Ownership Act, 15 of 1971 or the cost of purchasing taking or acquiring a flat under the provisions of any law in that behalf for the time being in force or making additions/alterations to a house already owned

Provided that such dwelling house or flat is to be purchased, taken or acquired for the purpose of the residence of the member

Provided further that the amount of withdrawal shall not exceed the total amount of the member's own subscriptions and interest thereon standing to the credit of the member in the Fund and the withdrawal shall be granted only once during the membership of the fund.

3 The existing sub-clauses (c), (d), (e) of clause 1 of the regulation 19-A of the said regulations shall be renumbered as clauses (b), (c) and (d) respectively

4 For existing sub-clauses (f) and (g) of clause 1 of regulation 19-A of the said regulations, the following sub-clauses shall be substituted, namely —

"(e) The member shall not sell or otherwise transfer or dispose of the dwelling house or dwelling site or flat as the case may be, within 5 years from the date of such withdrawal or within 5 years of the last instalment of the withdrawal or till the date of his retirement whichever is earlier.

(f) A member who has availed himself of an advance under the scheme of the Works and Housing or of the Corporation for house building purpose or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source (Central Government/ State Government) or of the Life Insurance Corporation of India or of the General Insurance Corporation of India shall not be eligible for the grant of this withdrawal"

4 For clause 3 of regulation 19-A of the said regulations, the following clause shall be substituted, namely —

"3 Meeting the expenditure in connection with marriage of the member's sons, daughters, sisters and any other female relations actually dependent on him;

Provided that a prmanent withdrawal sanctioned under this Regulation shall not normally exceed 50% of the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the member in the Fund or six months pay, whichever is less, but the Board of Trustees may, in their discretion sanction in deserving cases withdrawals of an amount not exceeding two-thirds of the said amount of subscriptions and interest thereon or twelve months' pay whichever is less"

N. C. BHARMA, Wg Cdr Secy.

29TH ANNUAL REPORT

JUNE 30, 1977

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

NOTICE

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

NEW DELHI

Notice is hereby given that the TWENTY-NINTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA will be held on Monday, the 26th September, 1977 at 4.00 P M (Standard Time) at Hotel Imperial, Janpath, New Delhi, to transact the following business

(1) To read and consider the Balance Sheet of the Corporation and the Profit and Loss Account for the year ending the 30th June, 1977, together with the Report by the Board on the working of the Corporation for the year and the Auditors' Report on the said Balance Sheet and Accounts

(2) To elect one Director each in place of (i) Shri P C D Nambiar, (ii) Shri J Matthan and (iii) Shri J U. Patel, being Directors elected to represent shareholders referred to in clauses (c), (d) and (e) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 respectively, who retire, but are eligible for re-election under Section 11 of the Act

(3) To elect under Section 34 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, one Auditor duly qualified to act as Auditor of Companies under Section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) by the parties mentioned in sub-section (3) of Section 4 of the Industrial Finance Corporation Act, namely scheduled banks, insurance companies, investment trusts and other like financial institutions, and co-operative banks, in place of Messrs. Haribhakti & Company, Chartered Accountants, Bombay, who retire, but are eligible for re-election

R B MATHUR*
General Manager

5th July, 1977

Since retired from the Corporation.

BOARD OF DIRECTORS

BALDEV PASRICHA,
Chairman
M DANDAPANI
P. C NAYAK
Nominated by the Central Government

C T DAS
M. R B PUNJA
BAGARAM TULPULE
DR I C SANDESARA
Nominated by the Industrial Development Bank of India

B K VORA
P C D NAMBIAR
Elected to represent Scheduled Banks

B. C. RANDERIA
J MATTHAN
Elected to represent Insurance concerns, Investment Trusts and other like financial institutions.

SHAMRAO KADAM
JASHBHAI U PATEL
Elected to represent Cooperative Banks

BANKERS

Reserve Bank of India

AUDITORS

M/s A F Ferguson & Co.
Chartered Accountants

M/s Haribhakti & Co.
Chartered Accountants

ADVISORY COMMITTEES

CHEMICAL PROCESS & ALLIED INDUSTRIES

Baldev Pasricha, *Chairman*
Jashbhai U Patel
B. K Vora
S. P Verma
S. S Sachdeva
P Jayantha Rao
K C. Sharma
P K. Sanyal
R. V. Ramani
J. P Kapur
A. Seetharamiah
D M. Trivedi

ENGINEERING

Baldev Pasricha, *Chairman*
C T. Das
P. R Latey
Hari Bhushan
N. K. Mitra
S R. Tata
Pranlal Patel
B. D Panda
D. S Mulla
N. T Gopala Iyengar
K. B. Rao
B Ramachandra

TEXTILES

Baldev Pasricha, *Chairman*
Shamrao Kadam
J. Matthan
B K Sinha
I. B Dutt
K. I Narasimhan
M S. Gill
Prafull Anubhai
Ishwarlal C Shah
N S Sharma
T N. Sharma

SUGAR

Baldev Pasricha, *Chairman*
Shamrao Kadam
Jashbhai U Patel
C N Raghavan
B. K. Sinha
P S Rajagopal Naidu
S. N Gundu Rao
J P. Mukherji
D Sridharan
M S Gill
M. Lakshmikantham
N. A Ramaiah
Kishan Singh

HOTELS

Baldev Pasricha, *Chairman*
B. K. Vora
C T. Das
C B Jain
Miss Thangam E Philip
Nari H. Dastur
Pesi M Shaw
Ajit Kerkar
P Ananda Rau

JUTE

Baldev Pasricha, *Chairman*
C T. Das
S. K Palit
B L. Das
S Y Gupte
L M. Roy
Gautam Ukil
P V. Subba Rao
I. K. Kejriwal

BRIEFLY ABOUT IFCI

INCORPORATION AND PURPOSE

The Industrial Finance Corporation of India (IFCI) was established in 1948 under an Act of the Parliament with the object of providing medium and long-term credits to industrial concerns in India.

CAPITAL

The authorised capital of IFCI is Rs 20 crores Of the paid-up capital now standing at Rs 10 crores, 50% is held by the Industrial Development Bank of India (IDBI), the remaining 50% is held by scheduled banks, cooperative banks, insurance concerns and investment trusts, etc.

MANAGEMENT

The Board of Directors consists of a whole-time Chairman and twelve directors The Chairman is appointed by the Central Government after consultation with IDBI Two directors are nominated by the Central Government and four by IDBI. Six directors are elected by shareholders other than IDBI.

FUNCTIONS AND LENDING POLICIES

Any limited company or cooperative society incorporated and registered in India which is engaged, or proposes to engage itself, in the manufacture, preservation or processing of goods, or in the shipping, mining or hotel industry or in the generation or distribution of electricity or any other form of power, is eligible for financial assistance.

Public sector projects are also eligible for financial assistance from the Corporation on the same basis as industrial projects in the private and joint sectors.

Assistance may take the form of long-term loans—both in rupees and foreign currencies, underwriting of equity, preference and debenture capital, guaranteeing of deferred payments in respect of machinery imported from abroad or purchased in India and guaranteeing of loans raised in foreign currency from foreign financial institutions

Financial assistance from the Corporation is available for the setting-up of new industrial projects as also for the expansion, diversification, renovation or modernisation of existing ones

Financial assistance, on concessional terms, is available for setting up industrial projects in industrially less developed districts in the States/Union Territories notified by the Central Government

SOURCES OF FUNDS

The main sources of funds of the Corporation other than its own capital, retained earnings, repayment of loans and sale of investments, are borrowings from the market by the issue of bonds, loans from the Central Government and foreign credits

SUMMARY OF OPERATIONS

(Rs. Crores)

	1976-77			1948-77		Amount outstanding as on June 30, 1977
	No	Sanctions Amount	Amount disbursed	Amount sanctioned	Amount disbursed	
Loans						
Rupee	163	86 15	53 75	481 ·78	404 39	260 42
Foreign currency	25	5 ·01	3 07	65 37	54 84	26 00
TOTAL	188	91 ·16	56 ·82	547 15	459 23	286 42
Underwritings						
Equity shares	68	7 41	1 07	28 68	11 95	9 05
Preference shares	6	0 51	0 18	10 13	7 45	5 08
Debentures	1	0 38	—	10 ·51	8 55	0 54
TOTAL	75	8 ·30	1 25	49 32	27 95	14 67
Direct Subscriptions						
Equity shares	10	0 31	0 47	4 06	2 ·56	4 55 *
Preference shares	—	—	—	0 ·32	0 30	0 82 *
Debentures	—	—	—	1 ·82	1 82	0 08
TOTAL	10	0 ·31	0 47	6 20	4 ·68	5 45
Guarantees						
For deferred payments	—	—	—	28 87	28 76	1 ·43
For foreign loans	—	—	—	23 83	23 33	2 08
TOTAL	—	—	—	52 70	52 09	3 51
GRAND TOTAL	273@	99 ·77	58 ·74	655 ·37	543 ·95	310 ·05

* Includes Rs 0 87 crore representing part of outstanding loans (overdue interest etc.) of 5 concerns converted into shares, Rs. 0 16 crore of convertible debentures of two concerns converted into equity shares and also Rs 1 61 crores of outstanding loan amount converted into equity shares in respect of seventeen concerns, where the condition of right of conversion was stipulated at the time of sanction of loan assistance.

@ These sanction were made to 174 concerns,

SPREAD OF ASSISTANCE

As on June 30, 1977

Amount sanctioned (Rs. Crores)	No. of Projects	INDUSTRY	Amount sanctioned (Rs Crores)	No. of projects	STATE/TERRITORY
		Sugar :			
119 37	119	Cooperatives	50 14	72	Andhra Pradesh
23 19	35	Others	11 04	11	Assam
			32 04	41	Bihar
142 56			44·85	65	Gujarat
			26·43	47	Haryana
			2 09	6	Himachal Pradesh
		Chemicals :			
			1 40	2	Jammu & Kashmir
34 52	17	Fertilisers and pesticides	44 79	73	Karnataka
			20 23	28	Kerala
34 81	38	Basic chemicals			
25 48	29	Synthetic fibres & resins	17 76	24	Madhya Pradesh
10 03	29	Other chemicals	128 08	179	Maharashtra
			2 84	2	Meghalaya
104 84					
			0 50	1	Nagaland
—			15 85	20	Orissa
73 27	135	Textiles	13 53	24	Punjab
50 57	48	Paper			
41·13	64	Iron & steel	27 45	23	Rajasthan
33 23	38	Cement	78 83	89	Tamil Nadu
31·47	13	Non-ferrous metals			
30·74	68	Machinery	0 80	1	Tripura
25 90	22	Rubber products	74 01	96	Uttar Pradesh
24 46	43	Transport equipment			
22·50	50	Electrical machinery and appliances	50·12	91	West Bengal
			0·42	1	Andaman & Nicobar Islands
13 74	35	Metal products	6 33	7	Delhi
12 72	26	Hotel			
			4·75	7	Goa
10 97	18	Jute manufactures			
37 27	85	Others	1 09	2	Pondicherry
655 37	912	TOTAL	655 37	912	TOTAL

As on June 30, 1977

FINANCIAL SUMMARY

	Rs Crores	US $ Million Equivalent*
CAPITAL AND RESERVES		
Authorised capital	20 00	22 42
Paid-up capital	10 00	11 21
Reserves	26·37	29 56
Paid-up capital and reserves	36 37	40·77
BORROWINGS		
Bonds	187 75	210 48
From foreign credit institutions	22 06	24 73
From Industrial Development Bank of India	5 00	5 61
From Government		
Interest Differential Funds under KfW lines of credit	1 27	1·42
Other loans	48·82	54 73
TOTAL BORROWINGS	264 90	296 97
EARNINGS 1976-77		
Gross income	24 23	27·16
Gross profit before taxation	5·46	6·12
Provision for taxation	2 22	2 49
Net profit	3 24	3·63
Dividend	0 60	0 67

*Rupee amount converted @Rs. 8·92/US $

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
For the year ended June 30, 1977

Under Section 35 of the Industrial Finance Companies Act, 1948, (15 of 1948)

THE YEAR REVIEWED

The Board of Directors hereby present their Twenty-Ninth Report on the operations of the Corporation, together with the audited Statement of Accounts for the year ended June 30, 1977.

2 The economy of the country presented a mixed picture during the year Prices showed a tendency to rise and inflationary pressures developed. Agricultural production declined slightly though industrial production showed an encouraging trend There was a significant improvement in the balance of payments position and the country was comfortable in the matter of foreign exchange reserves Government had also built up a large buffer stock of foodgrains which together with imports had a moderating influence on prices Utilisation of capacity in some of the industries improved during the year though in some other industries, there was under-utilisation owing to inadequate demand A somewhat disquieting feature of the industrial scene was the problem of sickness which affected some of the industries like cotton textiles, jute textiles, sugar and some engineering industries resulting in the closure of some of the units. The financial institutions and banks have had to tighten their follow-up procedures and evolved special monitoring mechanisms to detect incipient sickness in their assisted concerns so as to take, as far as practicable, remedial measures in time This also called for greater cooperation and closer collaboration between banks and the financial institutions in analysing the problems of sick units and devising ways and means of restoring them to health. In order to stem the growth of sickness in certain industries and pursuant to a study made by a Task Force set up by Government, a Soft Loans Scheme has been instituted for providing assistance on soft terms for modernisation and renovation etc. to certain units in the sugar, jute, textiles, engineering and cement industries. The Corporation along with ICICI is participating in this Scheme on a consortium basis with IDBI, who have been entrusted with the task of administering the Scheme.

REVIEW OF OPERATIONS DURING THE YEAR

3 Gross financial assistance sanctioned by the Corporation during the year amounted to Rs 100 12 crores as against the previous years figure of Rs 54 84 crores. After accounting for cancellations to the extent of Rs 0 35 crore, the net financial assistance sanctioned was Rs 99 77 crores for 191 projects, including 96 projects, for which the Corporation sanctioned assistance of Rs. 56 95 crores as a Lead Institution The net sanctions during the year represented an impressive increase of 83% as compared to last year's net sanctions which aggregated Rs 54 60 crores for 116 projects The total cost of the projects assisted during the year was estimated at Rs. 752 85 crores.

4 During the year, financial assistance disbursed amounted to Rs 58 54 crores as against Rs 43.97 crores during the previous year which represented an increase of about 33%

5 The details of assistance sanctioned during the year for projects in a wide variety of industries, are given in Appendix 'A' along with a brief description of each project Some of the salient features of the assistance sanctioned were as follows —

—62% of the total assistance was sanctioned for projects being located in notified less developed districts/areas

—Of the 191 projects assisted during the year, 86 projects were new and these claimed 69.6% of the total net sanctions.

—Thirteen new projects promoted by new entrepreneurs were sanctioned assistance amounting to Rs 5.43 crores.

—Nearly 76% of the total assistance sanctioned was for industries of high national priority like sugar, cotton textiles, cement, paper, fertilisers and other selected industries of importance

—Twenty-nine projects promoted in the joint sector were sanctioned assistance amounting to Rs. 17 86 crores

—Twenty projects in the public sector claimed assistance aggregating Rs 15.05 crores

—Twenty-one projects in the cooperative sector—sixteen sugar projects, four textile projects and one synthetic fibre project—were sanctioned assistance amounting to Rs. 17 14 crores

—Under the Soft Loans Scheme for modernisation of selected industries Rs 10 24 crores were sanctioned for 32 projects in the sugar, jute, cotton textiles, cement and engineering industries

—Financial assistance sanctioned during the year was spread over 19 States and 4 Union Territories

Assistance to New Entrepreneurs and Technologists

6 Thirteen new projects promoted by new entrepreneurs and technologists were sanctioned assistance during the year amounting to Rs 5 43 crores by the Corporation These projects were in industries like paper, synthetic resins, industrial explosives, refractories, iron and steel, rubber products, hotels, textiles, miscellaneous food products and wood products.

Assistance to New Entrepreneurs and Technologists

7 The Corporation sanctioned financial assistance amounting to Rs. 62 24 crores for 96 projects being located in the notified less developed districts/areas. This constituted 62% of the total assistance as against 48% in the previous year A significant feature of this year's financial assistance has been that the assistance sanctioned for projects in the notified less developed districts/areas by itself exceeded the previous year's total sanctions of Rs 54.60 crores. Table 1 gives the trend in the Corporation's assistance to projects located in the less developed areas since 1970-71, in which year the all-India term lending institutions announced their scheme of concessional finance for projects in districts/areas notified by Government as industrially backward

TABLE 1

Assistance Sanctioned to Projects in the Notified Less Developed Districts/Areas

(Rs. Crores)

Year	Total assistance	Assistance to projects in less developed districts	Percentage of Col 3 to Col. 2
(1)	(2)	(3)	(4)
1970-71	35·20	8 32	23 6
1971-72	39·16	14 10	36 0
1972-73	46·15	20 36	44·1
1973-74	39·31	14 56	37 0
1974-75	36 86	19 95	54 1
1975-76	54·60	26·22	48 0
1976-77	99·77	62 24	62 4
TOTAL . .	351 05	165·75	47 2

Fifty-eight new projects in notified less developed districts assisted during the year included 20 projects with a capital cost of less than Rs 3 crores each, 16 projects with a capital cost between Rs 3 crores and Rs 5 crores and the capital cost of the balance 22 projects was more than Rs 5 crores each

Sectoral Classification of Assistance

8. Table 2 gives the sector-wise classification of financial assistance sanctioned during the year.

TABLE 2

Assistance Sanctioned Sector-wise—1976-77

(Rs. Crores)

Sector	No of projects	Net assistance sanctioned	Percentage to Total
Cooperative Sector	21	17 14	17 2
Public Sector	20	15 05	15·1
Joint Sector	29	17·86	17 9
Private Corporate Sector	121	49 72	49 8
TOTAL	191	99·77	100·00

9 During the year 21 industrial cooperative were sanctioned upto June 30, 1977 amounted to Rs 28 87 crores in which was by way of rupee loans formed 20% of the total rupee loan assistance sanctioned and was extended to sixteen sugar cooperatives, four cotton textile cooperatives and one cooperative in the synthetic fibre industry.

Of the 16 sugar cooperatives assisted, 14 were new projects including 8 projects being set up in the notified less developed districts Two sugar cooperatives were sanctioned assistance for their expansion schemes.

All the four cotton textile cooperatives were sanctioned assistance for their expansion projects.

One cooperative in the synthetic fibre industry was sanctioned assistance for its new project envisaging the manufacture of polyester filament yarn with a licensed capacity of 3,500 tonnes per annum.

10 The Corporation sanctioned assistance amounting to Rs. 17 86 crores for 29 projects in the joint sector Of these, 20 are new projects, of which 15 would be located in industrially less developed districts; 9 previously assisted projects were sanctioned additional assistance for the purposes of meeting over-runs in the project costs etc

11 During the year twenty projects in the public sector were sanctioned assistance aggregating Rs. 15 05 crores

Sanctions by Type of Project

12 Table 3 gives the assistance sanctioned during the last two years according to type of projects.

More than two-thirds of the new projects assisted during the year would be located in the less developed districts/areas; these projects, 58 in number, were spread over 38 districts and 2 Union Territories notified as less developed

13 The classification of new projects assisted during 1967-77 according to the size of the total capital outlay involved in each is given in Table 4

Fifty-two new projects assisted during the year were of medium scale, i e with project cost below Rs. 5 crores, 65 new projects were sanctioned assistance of less than Rs. 1 crore each

TABLE 3

Assistance Sanctioned During 1975-76 *and* 1976-77 *Classified According to Type of Project*

(Rs. Lakhs)

Type of project	1975-76		1976-77	
	No of projects	Amount sanctioned	No of projects	Amount sanctioned
New Projects	63	3966·10	86	6942·25
Expansion/ Diversification	22	1021·89	24	1181·12
Modernisation/ Renovation etc	31	472·48	49	829·44
SUB-TOTAL	116	5460·47	159	8952·81
Soft Loans Scheme	—	—	32	1024·25
TOTAL	116	5460·47	191	9977·06

TABLE 4

Classification of New Projects by Range of Capital Outlay—1976-77

(Rs Lakhs)

Range of Capital outlay	No. of New projects	Total project cost	Assistance sanctioned	Assistance as percentage of project cost
Upto—100	2	154·04	29·50	19·2
101—300	25	5285 32	976 66	18·5
301—400	12	4401·30	646·83	14 7
401—500	13	5919·58	867·82	14·7
501—1000	26	17132·41	2613·94	15·3
Above 1000	8	21247·00	1807·50	8·5
TOTAL	86	54139 65	6942·25	12·8

Soft Loans Scheme

14 During the year, the all-India term lending institutions introduced the Soft Loans Scheme for modernisation and rehabilitation of certain industries viz, sugar, jute, cotton textile, cement and engineering. The details of the Scheme are given elsewhere in the Report Under the Scheme, the Corporation sanctioned assistance aggregating Rs 10.24 crores for 32 projects, the details of which are given in Table 5

TABLE 5

Financial Assistance Sanctioned under the Soft Loans Scheme

(Rs Lakhs)

Industry	Assistance sanctioned by the Corporation			
	No of projects	Amount		
		On Soft terms	Normal terms	Total
Sugar	4	88 24	100·51	188 75
Jute	2	128·57	—	128·75
Cotton Textiles	5	75·38	75·37	150·75
Cement	14	185 50	177 50	363 00
Engineering	7	97 20	95·80	193 00
TOTAL	32	575·07	449 18*	1024·25

*Includes assistance sanctioned on concessional terms for 8 projects located in the notified less developed districts.

Industry-wise Sanctions and Disbursements—1976-77

15 The industry-wise distribution of financial assistance sanctioned during the year under review as also disbursements made during the year, are shown in Table 6 The industry-wise statistical data in the Report have been presented according to the National Industrial Classification, 1970

16. The Corporation's assistance covered a wide range of industries Industries of high national priority, i.e. sugar, cotton textiles, cement, paper and fertilisers accounted for about 55% of the total assistance This assistance together with the assistance to other important industries i.e. of basic, critical and strategic importance, listed in Appendix I of the Industrial Policy Statement of the Government of India dated February 2, 1973 accounted for 76% of the total assistance sanctioned during the year under review

17 A statement giving the State-wise sanctions and disbursements during the year is given in Table 7.

TABLE 6

Industry-wise Sanctions and Disbursements—1976-77

(Rs. Lakhs)

Industry	Sanctions					Disbursements
	No of projects	Percentage of total sanctions	Loans	Underwritings/ Direct subscriptions	Total	
Sugar						
Cooperative sector	16	13 3	1325 00	—	1325 00	1327 ·00
Corporate sector	9	8 0	800 75	—	800 75	565 ·00
	25	21 3	2125 75	—	2125 ·75	1892 00
Paper	17	17 8	1444 23	329 ·98	1774 21	433 77
Chemicals and chemical products						
Basic industrial chemicals	9	3 ·7	305 14	64 40	369 54	147 45
Fertilisers and pesticides	3	1 7	132 ·34	40 00	172 34	19 ·98
Synthetic fibres & resins						
Cooperative Sector	1	2 ·5	250 00	—	250 ·00	225 00
Corporate Sector	3	0 ·9	76 74	10 00	86 ·74	113 ·22
Other chemicals and chemical products	9	3 0	246 ·44	55 ·59	302 03	178 29
	25	11 ·8	1010 66	169 99	1180 65	683 94
Cotton textiles						
Cooperative sector	4	1 4	139 ·00	—	139 ·00	199 ·50
Corporate sector	14	7 ·9	750 ·75	35 50	786 ·25	581 ·52
	18	9 3	889 75	35 50	925 25	781 ·02
Cement	16	6 ·6	663 ·00	—	663 00	70 ·00
Electrical machinery and appliances	9	4 0	337 01	62 ·50	399 51	153 82
Transport equipment	10	3 7	340 ·00	25 49	365 49	175 51
Jute manufactures	4	3 ·5	333 ·75	17 ·50	351 ·25	9 ·23
Machinery and accessories	11	3 5	325 ·36	20 00	345 36	246 31
Hotel	11	3 ·1	294 ·75	13 00	307 75	307 36
Iron and steel	13	2 ·6	224 81	36 ·50	261 ·31	437 ·78
Rubber products	4	2 3	211 ·50	22 39	233 ·89	173 ·78
Woollen manufactures	5	2 ·2	190 48	28 ·00	218 ·48	35 42
Misc manufacturing industries	4	1 ·8	167 ·39	10 50	177 89	21 ·00
Wood products	4	1 ·3	106 65	22 ·50	129 15	34 47
Glass	2	1 2	102 50	20 00	122 ·50	9 00
Misc food products	3	1 1	95 00	12 50	107 50	14 ·66
Non-ferrous metals	2	1 ·1	93 73	13 00	106 73	15 ·00
Metal products	4	1 0	96 00	4 ·00	100 ·00	159 23
Misc non-metallic mineral products	3	0 ·7	63 ·39	8 00	71 39	118 ·73
Mining	1	0 1	—	10 ·00	10 00	—
Leather products	—	—	—	—	—	51 74
Electricity and Gas	—	—	—	—	—	30 00
TOTAL	191	100 00	9115 ·71	861 35	9977 ·06	5853 ·76

TABLE 7
State-wise Sanctions and Disbursements—1976-77

(Rs Lakhs)

State/Territory	Sanctions						Disbursements
	Loans		Underwritings & Direct subscriptions	Total	Percentage of total sanctions	No. of projects assisted	
	Cooperative sector	Corporate sector					
Andhra Pradesh	95·00	901·97	239·00	1235·97	12·4	19	580·74
Assam	—	—	2·50	2·50	—	1	87·36
Bihar	—	513·46	31·88	545·34	5·5	15	105·72
Gujarat	380·00	327·32	65 40	772·72	7 8	12	472·01
Haryana	—	441·56	115 00	556 56	5·6	8	161·00
Himachal Pradesh	—	90 00	—	90 00	0·9	1	24·98
Jammu & Kashmir	—	100·00	—	100·00	1 0	1	24 00
Karnataka	115·00	313·00	24 50	452 50	4·5	10	495·94
Kerala	—	176·41	—	176 41	1·8	5	201·76
Madhya Pradesh	—	393·00	47·50	440·50	4·4	7	122·28
Maharashtra	785·00	520·00	41·00	1346·00	13·5	29	1086 69
Meghalaya	—	—	0·09	0·09	—	1	3·95
Orissa	—	182·00	27·50	209·50	2·1	3	0·50
Punjab	—	187·00	36·50	223·50	2·2	6	217·42
Rajasthan	64·00	465 50	48·39	577·89	5·8	8	246·43
Tamil Nadu	80 00	578·61	12·50	671·11	6·7	16	578·66
Tripura	—	80·00	—	80·00	0 8	1	—
Uttar Pradesh	195·00	1327·70	110·75	1633 45	16·4	26	1137·28
West Bengal	—	518·28	31·49	549·77	5·5	15	132·90
Andaman & Nicobar Islands	—	30 90	—	30·90	0·3	1	10·00
Delhi	—	185·00	8·00	193·00	1·9	3	160 64
Goa	—	30·00	10 00	40 00	0·4	2	3·50
Pondicherry	—	40·00	9·35	49·35	0·5	1	—
TOTAL	1714·00	7401·71	861·35	9977·06	100·00	191	5853·76

Economic Contribution of Projects Assisted During the Year

18. The direct contribution to the national economy expected to be made by new, expansion and diversification projects assisted during the year under review, which do not include cases of over-run in project costs and modernisation schemes, etc, is presented in Table 8.

It will be observed from Table 8 that the Corporation's assistance will go a long way in creating additional capacities in industries of national importance like sugar, cotton textiles, paper and cement. The value of annual output to be generated by these projects being implemented at an estimated cost of Rs. 659.21 crores is expected to be of the order of Rs. 633 06 crores, when they reach their optimum production levels and their direct employment potential is estimated as 50,559 persons.

TABLE 8
Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects Assisted by the Corporation During 1976-77

(Rs. Crores)

Industry	No. of Projects	Total capital cost	Direct employment to be created (Nos.)	Value of output	Gross value added	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar	22	122·07	12,760	91·99	22·47	4·06 lakh tonnes of sugar.
Cotton textiles	9	39·40	5,780	51 48	11·20	1,31,380 spindles 202 looms.
Paper	13	139·29	6,608	79·09	39·12	1,84,920 tonnes of paper and paper boards.
Cement	3	56·06	1,296	19·15	9·98	91·0 laksh tonnes.
Chemicals and chemical products	15	103·71	3,067	105·54	36·67	3,200 tonnes of sodium di-chromate and 1,47(tonnes of sodium sulphate, 1,898, tonnes of pigments, 144 tonnes of flourescent pigments, 14· tonnes of pearl essences, 360 tonnes o 3:3 dihydrocholoride and 1,250 tonnes of Beta Napthol, 5,000 tonnes o synthetic cresols, 3,00(tonnes of furfural, 1 (million cubic metres o oxygen and 0·3 millio

1	2	3	4	5	6	7
						cubic metres of acetylene gas, 2,000 tonnes of nitrile rubber, 3,500 tonnes of polyester filament yarn, 2,000 tonnes of ABS resins, 10,000 tonnes of nitroglycerine based industrial explosives, 6,000 tonnes of Benzene Hexachloride, 5,000 tonnes of Methyl Isocyanate based pesticides, 10,000 tonnes of synthetic detergents, 23,750 tonnes of carbon black and capacity for processing of 13,000 tonnes of oil-seeds/cake/rice bran.
Rubber products . .	3	9·70	846	10·75	3·58	2,100 tonnes of conveyor belting and 23,50,000 nos. of automotive fan belts and 'V' belts and 300 tonnes of rubber lining, rubber screen decks and other wear resistance rubber components.
Iron & steel . . .	6	16·77	2,390	40·94	7·51	2,400 tonnes of closed die forgings, 12,000 tonnes of heavy forgings, 2,800 tonnes of malleable castings, 85,000 tonnes of ERW steel tubes, 4,700 tonnes of cold rolled mild steel, 1,200 tonnes of high carbon steel, 600 tonnes of stainless steel strips and 15,000 tonnes of structural sections.
Electrical machinery . . .	7	32·34	2,561	43·79	13·26	58 Nos. of power station pumps, 1,800 MVA of transformers, 5 million nos. of integrated circuits, power transistors and diodes, 1·2 million nos. of electronic connectors, and 1,520 Kms. of cross linked polythylene cables.
Scooters	5	24·32	3,200	70·85	11·52	1,200,000 nos of two-wheeler scooters and 1,65,000 nos. of power packs.
Other industries	29	115·55	12,051	119 48	38 23	
TOTAL .	112	659·21	50,559	633·06	193·54	

NOTE : Direct employment, value of output and gorss value added relate to the year of optimum production.

OPERATIONAL DEVELOPMENTS

Rate of Interest

19. During the year, there was no change in the lending rates of the Corporation. However, the erstwhile practice expressing grass and net rates of interest (the net rate being the interest rate after accounting for the rebate for punctual payments of instalments of principal and interest) was dispensed with. Provision has now been made for payment of interest at the net rate subject to the condition that the defaulted instalments of principal and interest shall carry further interest at 2% per annum by way of liquidated damages. Interest on the defaulted instalments is charged on the footing of compound interest and is required to be covered under the security created. This revised procedure has come into effect from February 28, 1977.

As regards interim loans, the rate of interest to be charged is one per cent higher than the net rate of interest applicable to the loan prevailing on the date of execution of the regular loan agreement.

On bridging loans, the Corporation charges interest at the rate of 2% above the net applicable lending rate prevailing on the date of execution of the relative loan agreement uniformly throughout the period for which the bridging finance is availed of. However, in the case of bridging loans granted against substantive sanction of loans under the Soft Loans Scheme, no higher rate of interest is charged during the initial period of 120 days. Only from the 121st day onwards, till the completion of regular documentation and disbursement of substantive loan, additional interest of 2% per annum above the Soft Loans rate is charged The charging of additional interest is to induce the concern to complete regular documentation as early as possible.

Coordination with other all-India Financial Institutions

20. Last year, it was reported that the all-India financial institutions have taken steps to quicken the process of sanction of applications for financial assistance and also streamline the methods and procedures for speedier disbursements of funds Pursuant to the recommendations of the Committee appointed by the Industrial Development Bank of India under the chairmanship of Shri M. Narasimham, formerly of the Ministry of Finance, some of the important steps taken by the Institutions related to the deepening of the concept of the 'Lead Institution' placing greater reliance on the appraisal done by the 'Lead Institution' and adoption of a time-bound programme for sanctioning assistance to applicants.

During the year, a Working Group was constituted by overnment to look, inter-alia, into the aspects of speedier disposal of applications and reducing post-sanction delays. Following the recommendations of the Working Group, the procedure followed by the Institutions from the stage of receipt of application to the sanction of assistance has been streamlined The accent at present is on a time-bound programme for processing of an application and communicating decisions to the applicant within a period of 4 to 5 months from the date of receipt of the complete application.

The all-India financial institutions have already adopted the Common Loan Application Form for use by eligible concerns seeking financial assistance from them. The Common Loan Application Form also contains the guidelines for applicants to fill up the same. The applicant concerns can now obtain the Common Loan Application Form from any of the officers of the Corporation or form the other all-India financial institutions and apply for financial assistance to any one of these institutions, who could take care of the same jointly, if necessary, depending, of course, on the merits of the case The all-India financial institutions have also introduced the system of indicating the lead institution on a case to case basis both in the appraisal and follow-up stages of the project, which means that the applicant concerns need not approach all the institutions individually

The all-India financial institutions have also introduced a Standard Loan Agreement This has been done in order to bring about uniformity in approach of the all-India financial institutions in the matter of terms and conditions governing the loans. The objective of evolving a Standard Loan Agreement is primarily two fold first, to have uniform clauses for the convenience of the borrower concerns in their dealings with the financial institutions, and secondly, to enable the latter to coordinate their approach in respect of the compliance of various stipulations vis-a-vis the borrower concerns.

With the adoption of the concept of the 'Lead Institution' in the spheres of both appraisal and follow-up to expedite decisions on various matters relating to joint financing of projects, the all-India financial institutions have introduced the norms o financing, especially relating to the promoters, twice a month in addition to the monthly Inter-Institutional Meetings of the Heads of the Institutions, where policy issues are discussed as also allocation of financial assistance as between the institutions.

Promoters' Contribution

21. During the year the Corporation, in common with the other all-India financial institutions, liberalised some of the norms of financing, especially relating to the promoters' contribution to the capital cost of a project. Against the normal level of promoters' contribution at 20% of the total cost of a project and a lesser contribution at the rate of 17 5% in respect of a project proposed to be set up in a notified less-developed district/ area, a still lower contribution at 10% for a project set up in a Hill Area district is acceptable. Further, in respect of a project sponsored by either a professionally qualified and/or experienced entrepreneur/ technocrat, or a non-resident Indian or a locally-based entrepreneur, the minimum promoters' contribution is fixed at 15% of the total project cost. In so far as very large projects, particularly in the priority sectors are concerned, the institutions would continue in relaxing the norms considering the substantial amounts involved.

Non-Refundable Examination Fee

22. Until recently the Corporation was recovering from an applicant concern a sum equivalent to 0 1% of the aggregate amount of financial assistance applied for subject to a minimum of Rs 2,500/- and a maximum of Rs 7,500/- towards non-refundable examination fee along with the application for financial assistance In the case of projects located in the notified less developed districts/areas, the amount of non-refundable examination fee was reduced by 50% During the year the Corporation, in line with the other financial institutions, despensed with the existing practice of charging the non-refundable examination fee and now recovers from the applicant concerns the actual expnses incurred by the Corporation for processing their applications for financial assistance.

Extension of Central Investment Subsidy to the Hotel Industry

23. In August, 1971, the Central Government had announced the Scheme of Central Investment Subsidy to industries set up in certain selected less developed districts/ areas. According to the Scheme, certain industrial units were entitled to an out-right subsidy of 10% of investment made on fixed capital assets, such as land, buildings and plant and machinery, which was raised to 15% from March 1, 1973 The Maximum amount of subsidy presently available is restricted to Rs 15 00 lakhs per industrial units Government have now extended the Scheme to the hotel industry also with effect from January 1, 1977 Further only those establishments which are classified as hotels by the State Governments are eligible to the subsidy and not those which came under the category of resturants and tea-stalls etc. Subsidy will be calculated on the basis of investment in fixed assets and not in moveable assets, such as furniture, crockery etc.

Special Scheme of Subscription to Share Capital of Small and Medium Sized Units

24. With a view to providing a measure of relief to small and medium sized industrial units in the matter of initial costs and preliminary expenses, the all-India financial institutions can now agree to subscribe directly to the share capital of small/medium sized industrial units, instead of underwriting it, where the amount for public subscription (i e excluding the contribution by the promoters, etc.) does not exceed Rs 25 lakhs. This facility would, however, not be extendable to rights issue made by existing companies

IDBI Directives

25. In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 6 of the IFC Act, 1948 (as amended by Part III of the second schedule to the Industrial Development Bank of India Act 1964), the Industrial Development Bank of India have issued revised directives to the Corporation on questions of policy with effect from December 29, 1976 This is in supersession and in substitution of the various directives issued by them in the past.

Soft Loans Scheme

26 The all-India term lending institutions *viz*, IDBI, IFCI and ICICI, are now administering a Soft Loans Scheme for modernisation of industrial units in certain selected industries, *viz*, cement, sugar, engineering, jute and cotton textiles The Scheme is designed to provide financial assistance to productive units in the specified industries to enable them to overcome the back-log in replacement/renovation/ modernisation of their plant and equipment so as to achieve higher and more economic levels of production These industries are accorded priority not only because a number of units in these industries require to be modernised, but also because of their important role in being either agro-based or producing mass consumption goods or possessing high export and employment potential Industrial concerns belonging to these industries which are registered as public or private limited companies or cooperatives are eligible for assistance under certain conditions

Further, the industrial concerns in the selected industries have to establish beyond doubt the need for modernisation as also the fact that the desired results would be achieved within a reasonably short period following modernisation.

Depending on the health of the units, assistance on concessional terms is granted on a graduated scale ranging from 100% in case of weak units to 25% to well off concerns In cases where industrial concerns can meet the requirements of modernisation under the Bills Re-discounting Scheme of IDBI, they are expected as at present, to avail themselves of facilities under that Scheme; for this purpose, the maximum period of deferred payments has been extended to 7 years for all the five eligible industries and in case of jute industry, the effective rate of interest has been reduced to 11%.

The main feature of the Soft Loans Scheme (applicable to rupee loans only) are that interest on loans is charged at 7½% per annum. In the event of default in the payment of interest and of principal, additional interest at 2% per annum for the period of default is charged The period of repayment could be 12 to 15 years including initial moratorium of 3 to 5 years depending upon the earning capacity of a unit. The loans are secured by a first charge by way of mortage/hypothecation of the fixed assets moveables to be acquired under the Scheme along with a first charge or second charge (where the first charge is not available) by way of equitable mortgage/registered mortgage on the existing fixed assets of a units A flexible approach is adopted both in regard to the equity: debt ratio and reasonableness of contribution to be expected of industrial concerns/promoters towards the cost of modernisation scheme

Since the volume of work involved is considerable, IDBI, IFCI and ICICI are sharing the same on an industry-wise basis The Corporation has been designated as the Lead Institution in respect of Sugar and Jute Industries, ICICI in respect of Engineering Industry and IDBI for Cement and Textiles In order to attend to this work in a concerted manner and on an expenditious basis, the Corporation has established a cell known as the Modernisation Cases Cell within the Projects Department at Head Office. Details of the Soft Loans Scheme are given in Appendix J

Applications for Assistance

27. During the year under review, the Corporation received applications for financial assistance from 125 concerns for an amount aggregating Rs. 560.34 crores inclusive of assistance sought for jointly with other all-India financial institutions but excluding the applications under the Soft Loans Scheme Of these, applications from 63 concerns were for projects to be set up in notified less developed district/areas.

At the beginning of the year, applications for financial assistance from 91 concerns for an amount aggregating Rs 349.25 crores inclusive of assistance sought for jointly with other all-India financial institutions but excluding the applications under the Soft Loans Scheme were under consideration by the Corporation

The Corporation sanctioned during the year gross financial assistance of the order of Rs. 89.88 crores to 156 applicant concerns, which excludes assistance under the Soft Loans Scheme Of these, 87 concerns were sanctioned assistance of the order of Rs 57 90 crores for setting up projects in notified less developed districts/areas. Applications in all from 13 concerns were treated as withdrawn due to the fact that while in some cases, the applicant concerns did not pursue their applications, in others, the applications were incomplete due to concerns not complying with the essential requirements or not furnishing the requisite information.

At the end of year, applications from 47 concerns for an amount aggregating Rs. 411.52 crores inclusive of assistance sought for jointly with other all-India financial institutions were under various stages of processing. Of these, applications from only 22 concerns were for the projects to be set up in notified less developed districts/areas.

A statement showing particulars of State-wise applications under processing at the beginning of the year and applications received, sanctioned or withdrawn during the year, as also applications under various stages of processing at the end of the year are given vide Appendix D of the Report.

REVIEW OF OPERATIONS 1948—77

28 The Corporation has completed 29 years of service to industry. Over these years, the Corporation has in conformity with national policies and priorities, played a significant role in fostering economic development of the country. The Corporation has helped in the development of the rural economy through assistance to industrial cooperatives, especially in the sugar and textile industries. This has helped in canalising the savings of the agricultural sector for productive purposes Further, these industries have high employment potential. Increasing attention has been given by the Corporation to the need for encouraging the regional dispersal of industries. It has tried to encourage projects being set up in industrially less developed area, the share in total annual sanctions claimed by the Corporation's assistance to projects in the less developed areas which stood around 24% in 1970-71 increased to 48% in 1975-76. In 1976-77, assistance sanctioned to projects in less developed areas was 62.4% of the total sanctions. Similarly, the Corporation has given special attention to projects being promoted by new entrepreneurs and technologists In the case of projects coming up in less developed areas as also those promoted by new entrepreneurs and technologists, the all-India financial institutions have decided to liberalise some of the norms of financing, without compromising on the viability of the projects.

The Corporation's assistance to high national priority industries like sugar, cotton textile, cement, paper and fertilisers has been on the increase Particular attention is given to projects which augment the availability of inputs for increasing agricultural production, e g. fertilisers, pesticides and agricultural machinery Above all, the Corporation has been encouraging projects based on indigenous technologies as well as export-oriented and import saving projects.

Total Cumulative Assistance

29. The Corporation, as on June 30, 1977 had sanctioned assistance amounting to Rs 655.37 crores for 912 projects spread all over the country The total project cost of these projects was Rs 4216 69 crores Sector-wise classification of the total cumulative assistance of the Corporation shows that Rs 145 06 crores was claimed by 153 projects in the cooperative sector, while the corporate sector was sanctioned assistance amounting to Rs. 510 31 crores for 759 projects. Disbursements amounted to Rs 543.95 crores which represented 83% of the sanctions The total assistance outstanding as on June 30, 1977 amounted to Rs 310.05 crores.

INDUSTRIAL COOPERATIVES

30. The Corporation's financial assistance of Rs 145.06 crores for 153 projects in the cooperative sector constituted about 30.1% of the total rupee loan assistance of Rs. 481 78 crores sanctioned for all projects both in the cooperative and corporate sectors Disbursements of assistance to industrial cooperative aggregated Rs 134.09 crores

Of the 153 projects in the Cooperative sector assisted by the Corporation, 67 were located in the notified less developed districts. The amount of financial assistance sanctioned for these projects aggregated Rs. 63 52 crores or 43.8% of the Corporation's assistance extended to projects in the cooperative sector

New industrial cooperatives claimed 82.5% of the assistance sanctioned to the cooperative sector and the balance of 17.5% was for expansion projects Industry-wise sanction of assistance shows that 82 3% of the total assistance to industrial cooperatives went to the sugar cooperatives and 13 2% to the textile cooperatives.

31. The State-wise and industry-wise distribution of assisted industrial cooperatives upto June 30, 1977 is given in Table 9.

THE CORPORATE SECTOR

32. The Corporation's financial assistance to the Corporate sector aggregated Rs. 510.31 crores for 759 projects. Included in this was assistance to the extent of Rs. 39 03 crores for 44 public sector projects and Rs 52.59 crores for 60 joint sector projects.

TABLE 9

Assistance Sanctioned to Industrial Cooperatives—1948-77

(Rs Lakhs)

State/Territory	Assistance Sanctioned Industry-wise								
	Sugar		Cotton Spinning		Others		Total		% of Total
	No.	Amount	No	Amount	No.	Amount	No.	Amount	
Andhra Pradesh	9	840·00	3	160·00	—	—	12	1000·00	6·9
Assam	1	60·00	—	—	1	78·50	2	138·50	0·9
Bihar	1	90 00	1	24·70	—	—	2	114·70	0·8
Gujarat	10	698 50	2	200·00	3	550·00	15	1448·50	10·0
Haryana	4	286·00	1	100·00	—	—	5	386 00	2·7
Karnataka	11	910·25	3	179·00	1	22·50	15	1111·75	7·7
Kerala	2	180 00	—	—	—	—	2	180·00	1·2
Madhya Pradesh	1	80·00	1	40·00	—	—	2	120 00	0·8
Maharashtra	49	5784·20	13	884·00	—	—	62	6668·20	46·0
Orissa	2	205 00	1	31·00	—	—	3	236·00	1·6
Punjab	4	315·00	—	—	—	—	4	315·00	2·2
Rajasthan	1	95·00	1	109·50	—	—	2	204·50	1·4
Tamil Nadu	9	888·00	1	35·00	—	—	10	923·00	6·4
Uttar Pradesh	14	1355·00	2	155·00	—	—	16	1510·00	10·4
Goa	1	150 00	—	—	—	—	1	150·00	1·0
TOTAL	119	11936 95	29	1918·20	5	651·00	153	14506·15	100·0

33. The Corporation's assistance to projects in the public and joint sectors has been increasing steadily over the years. In fact, there has been substantial rise in the assistance to the joint sector projects. The joint sector projects assisted are spread over 15 States and 1 Union Territory.Fourteen joint sector projects in Andhra Pradesh have been sanctioned assistance amounting to Rs. 8.96 crores followed by Gujarat claiming Rs. 7 10 crores for 6 projects, Tamil Nadu claiming Rs. 6 53 crores for 3 projects and Karnataka Rs. 6.20 crores for 8 projects.

Table 10 gives the industry-wise sanction of assistance to public and joint sector projects.

34 Details of assistance sanctioned to the corporate sector are reviewed in the following paragraphs.

TABLE 10

Industry-wise Distribution of Assistance to Public and Joint Sector Projects

Industry	No. of projects	Project cost	Assistance sanctioned
1	2	3	4
Fertilisers	5	20178·03	1172·00
Sugar	11	6160 88	1113·34
Paper	5	8747 00	1078·71
Textiles	12	4931·29	864·50
Basic industrial chemicals and gases	8	5968·45	717·38
Cement	4	10271·00	670·00
Electrical machiner and Appliances	10	4317·61	573·65
Rubber products	4	9814·00	522 50
Iron and steel	9	5763·45	456·84
Scooters	7	4257·00	395·49
Misc. chemicals	6	1775·18	307·81
Jute manufactures	2	1290·00	222·50
Synthetic fibres and resins	3	5228·00	212·99
Glass and glass products	3	1486·25	182·00
Mining	3	4907·24	170·00
Machinery	3	632·98	145·24
Wood products	2	688·00	102·72
Misc. non-metallic mineral products	2	472·00	65·00
Leather products	2	318·00	65·59
Misc. food products	1	204·00	45·00
Misc. manufacturing industries	1	204 00	42·50
Natural gas	1	400·00	37·50
TOTAL	104	98014·36	9162 26

Rupee Loans

Assistance sanctioned in the form of rupee loans amounted to Rs. 336.80 crores and represented 66% of the total assistance to the corporate sector. The disbursement of rupee loans to the corporate sector as on June 30, 1977 amounted to Rs. 270.38 crores.

Foreign Currency Loans

Foreign currency loans sanctioned by the Corporation to the corporate sector aggregated Rs. 65 29 crores, while disbursements amounted to Rs. 54.76 crores.

The position relating to foreign currency loans as on June 30, 1977 is given in Table 11.

TABLE 11

Foreign Currency Loans to the Corporate Sector

Currency	Sanctions (net)			Letters of Credit/ Commitments issued		Amount disbursed	
	Number of sub-loans	Foreign currency (million)	Rupee equivalent (lakhs)	Foreign currency (million)	Rupee equivalent (lakhs)	Foreign currency (million)	Rupee equivalent (lakhs)
Deutsche Marks	196	170 33	3477·65	145·67	2972·47	138·98	2835·35
U. S. Dollars	57	26.75	1963·37	26·75	1963·27	26·75	1963·27
French Francs	13	14 89	203·34	14·80	202·07	14·80	202 07
Pound Sterling	32	4 45	842·34	2 69	507·31	2·64	475·08
Swedish Kroners	1	2·91	42·20	—	—	—	—
TOTAL :	299		6528·80		5645·12		5475·77

Underwritings

Upto June 30, 1977, the Corporation had sanctioned 499 applications for underwriting of equity shares, preference shares and debentures for a net amount of Rs. 49 32 crores. The position in respect of the issues underwritten and finalised upto June 30, 1977 is given in Table 12.

TABLE 12

Underwriting Operations

(Rs. Lakhs)

	Amount underwritten	Amount devolved	Percentage of (3) to (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Equity shares	1936·70	1193·88	61·6
Preference shares	924·84	742·53	80·3
Debentures	1013 00	855 71	84·5
TOTAL	3874·54	2792·12	72·1

Direct Subscriptions

As on June 30, 1977, the Corporation had sanctioned 76 applications for direct subscription for Rs 619.76 lakhs which included Rs. 405.89 lakhs for equity shares, Rs. 31.87 lakhs for preference shares and Rs. 182 00 lakhs for debentures. Of these, direct subscriptions for 24 Rights Issues in respect of shares held by the Corporation in pursuance of underwriting obligations amounted to Rs. 66.87 lakhs.

Guarantees for Deferred Payments for Plant and Machinery

The net amount of guarantees for deferred payments sanctioned upto June 30, 1977 amounted to Rs 28.87 crores in respect of 45 applications The total amount of guarantees actually issued upto June 30, 1977 was Rs. 28.76 crores. The amount outstanding under guarantees as on June 30, 1977 was Rs 1.43 crores.

Guarantees for Foreign Currency Loans from Financial Institutions Abroad

The Corporation had sanctioned guarantees for foreign currency loans amounting to Rs 23 83 crores in respect of 6 applications as on June 30, 1977. The total amount of guarantees actually issued was Rs. 23.33 crores in respect of 5 applications and the amount outstanding in respect of these guarantees stood at Rs. 2 08 crores as on June 30, 1977.

SANCTIONS BY TYPE OF PROJECT

35. The classification of financial assistance sanctioned according to type of project upto June 30, 1977 along with the total cost of the assisted projects is shown in Table 13.

Assistance of the order of Rs. 446 49 crores being 68.1% of the total net assistance sanctioned by the Corporation was extended to new undertakings and assistance of Rs. 208.88 crores was extended to existing projects for expansion, diversification, modernisation and renovation etc The total cost of the 912 projects for which the Corporation had extended financial assistance as on June 30, 1977 was of the order of Rs. 4216.69 crores.

ASSISTANCE TO LESS DEVELOPED AREAS

36 The Corporation has, as on June 30, 1977 sanctioned financial assistance aggregating Rs. 244.69 crores for 319 projects being located in the notified less developed districts/areas. This constituted 37 3% of the total sanctions.

Of the 319 projects located in the notified less developed districts/areas, 128 projects belong to the sugar and textile industries. This is a significant phenomenon as the two industries are labour intensive and contribute both to increase in indirect and direct employment. That apart, these two industries combine industrial development and rural development which is a unique characteristic.

TABLE 13

Total Assistance Sanctioned classified according to Type of Project

(Rs. Crores)

Type of project	Total cost of the projects	Net financial assistance Sanctioned				Percentage of total
		Loans	Underwritings and Direct sbuscriptions	Guarantees for deferred Payments and for foreign loans	Total	
New Projects	2976·62	359·80	43·85	42·84	446·49	68·1
Expansion/diversification	995·05	153·41	9·26	9·00	171·67	26·2
Modernisation, renovation etc..	245·02	33·94	2·41	0·86	37·21	5·
TOTAL :	4216·69	547·15	55·52	52·70	653·37	100·00

37 Since July 1970, the Corporation has been offering a scheme of concessional finance for projects being located in the notified less developed districts/areas The salient features of the Scheme are set out in Appendix H to the Report and the list of notified less developed districts/areas in Appendix I to the Report

Under the scheme of concessional finance, the Corporation had approved till June 30, 1977, concessional finance, totalling Rs 101.43 crores for 191 projects with a total capital outlay of Rs 925.00 crores. Table 14 shows the type of assistance sanctioned.

TABLE 14

Assistance Sanctioned on Concessional Terms

(Rs. Lakh

Type of facility	Assistance sanctione on concessional term
Rupee loans	8743·18
Foreign currency loans	487·84
Underwritings/Direct subscriptions	911·49
TOTAL	10142·51

Table 15 gives the industry-wise distributoin of assistance sanctioned for projects in less developed districts/areas

TABLE 15

Industry-wise Distribution of Assistance Sanctioned for Projects in Notified Less Developed Districts/ Areas—1948—77

(Rs Crores)

Industry	No of projects	Project cost	Assistance sanctioned
1	2	3	4
1. Sugar	67	237·80	64·54
2. Textiles	61	133·82	33 97
3. Paper and paper products	23	210·39	30·55
4. Cement	15	201·48	19·43
5. Chemicals and chemical products			
Basic industrial chemicals	14	49·04	6·41
Fertilisers	7	225·35	6·67
Synthetic fibres	1	7·90	0·65
Other chemicals and chemical products	14	22 15	4 58
6. Non-ferrous metals	5	70 16	14 19
7. Iron & steel	23	119·43	11·53
8. Rubber products	10	155 50	10 65
9. Metal products	10	16 94	5 95
10 Misc. non-metallic mineral products	8	27·27	5 66
11. Electrical machinery and appliances	10	27·50	5·44
12. Machinery and accessories	8	42 07	4 29
13 Transport equipment	9	50·31	4 24
14. Jute	7	11·65	3·30
15. Wood products	5	10·54	3 05
16. Glass	4	12 84	2·78
17. Mining	4	48 09	1·90
18. Hotel	5	5 63	1·88
19. Misc. food products	5	8·52	1 51
20 Misc. manufacturing industries	1	2 81	0·09
21 Electricity	2	0·66	0·43
22. Leather products	1	1·65	0 19
TOTAL	319	1699·50	244·69

Total Sanctions, Disbursements and Outstandings

38 The State-wise and Industry-wise distribution of the net financial assistance sanctioned upto June 30, 1977 is given in Appendices B and C respectively to this Report. Appendix E shows the State-wise distribution of the net financial assistance sanctioned in each industry as on June 30, 1977. In Appendix G, the net financial assistance has been classified according to the size of the amounts sanctoned.

39. The number and amount of net cumulative sanctions, the amount disbursed and the amounts outstanding as on June 39, 1977 are shown in Table 16.

TABLE 16

Total Sanctions, Disbursements and Outstandings

(Rs. Crores)

	Sanctions (net)		Assistance disbursed	Amount outstanding
	Number of sanctions	Amount		
1. Loans :				
Rupee	1180	481·78	404·39	260·42
Foreign currency	260	65·37	54·84	26 00
TOTAL:	1450	547 15	459·23	286·42
2. Underwritings :				
Equity shares	318	28·68	11·95	9 05
Preference shares	155	10·13	7·45	5·08
Debentures	26	10·51	8·55	0·54
TOTAL :	499	49·32	27·95	14·67
3. Direct Subscriptions :				
Equity shares	67	4·06	2·56	4·55
Preference shares	8	0·32	0·30	0·82
Debentures	1	1·82	1·82	0·08
TOTAL :	76	6·20	4 68	5 45
TOTAL 1 to 3 :	2025	602 67	491 86	306·54
4. Guarantees :				
for deferred payments	45	28·87	28·76	1·43
for foreign loans	6	23·83	23·33	2·08
TOTAL :	51	52·70	52·09	3·51
GRAND TOTAL	2076	655·37	543·95	310·05

40. The net total financial assistance sanctioned and disbursed during the last twenty-nine years, classified according to the Five Year Plans is shown in Table 17

TABLE

Assistance Sanctioned and Disbursed during the Five Year Plans

(Rs Crores)

Year ending June 30	Net financial assistance sanctioned				Financial assistance disbursed			
	Loans	Under-writings	Guarantees	Total	Loans	Under-writings	Guarantees	Total
PERIOD PRIOR TO THE FIRST PLAN								
1949-1951	8·13	—	—	8 13	5·79	—	—	5·79
THE FIRST PLAN								
1952-1956	27 02	—	—	27·02	10 94	—	—	10·94
THE SECOND PLAN								
1957	9 15	—	—	9 15	9 78	—	—	9·78
1958	5·93	0 75	1 82	8 50	8·33	—	-	8 33
1959	2 77	0 87	0·27	3·91	7·48	0 66	—	8 14
1960	12·62	0·10	6 06	18 78	8·41	0·17	2 09	10·67
1961	18·58	1·84	8·15	28·57	6 62	0 48	13 02	20·12
TOTAL	49 05	3·56	16·30	68 91	40 62	1 31	15 11	57 04
THE THIRD PLAN								
1962	17 84	0 73	0 48	19 05	10 92	0 24	0 41	11 57
1963	19 82	4 63	10 62	35 07	15·05	3 99	3 18	22 22
1964	23·61	4·34	13·16	41·11	16 94	1 96	6 39	25 29
1965	19·39	3·55	3·92	26·86	19 79	3 36	14 65	37 80
1966	21 47	3 96	1 35	26 78	23 99	4 48	2 17	30 64
TOTAL	102 13	17 21	29 53	148 87	86 69	14 03	26 80	127 52
THE ANNUAL PLANS								
1967	12 34	1·87	4 00	18 21	29 52	2 90	5·64	38·06
1968	14 62	1 48	0 85	16 95	23 35	1·06	2·61	27·02
1969	22·43	2 42	0 29	25 14	15 03	1·68	0·28	16·99
TOTAL	49 39	5 77	5·14	60·30	67 99	5·64	8·53	82 07
THE FOURTH PLAN								
1970	11·10	1 19	1 13	12 42	16·86	0·85	0·34	18·05
1971	24 04	2 20	0 42	26·66	16·28	0·87	0 20	17 35
1972	32 37	4·57	—	36·94	20 99	1 00	0 11	22 10
1973	39 07	2·02	0·64	41·73	30 00	2 29	0 61	32 90
1974	33 37	2 48	0 04	35 99	28 75	1 46	0·05	30·26
TOTAL	140 05	12 46	1 23	153 74	112 88	6·47	1·31	120 66
THE FIFTH PLAN								
1975	30 33	4 14	0 50	34 97	36 02	1 06	0·34	37 42
1976	49 89	3 77	—	53 66	41·57	2·40	—	43 97
1977	91 16	8 61	—	99·77	56·82	1 72	—	58·54
TOTAL	171 38	16 52	0 50	118 40	134 41	5 18	0 34	139 93
GRAND TOTAL	547 15	55 52	52·70	655 37	459·23	32 63	52 09	543·95

41 Since 1972, the Corporation along with IDBI and ICICI, has been actively undertaking promotional activities. This has been possible with the creation of the Benevolent Reserve Fund by an amendment of the IFC Act in 1972 as also the allocation of the Interest Differential Funds by the Government.

Benevolent Reserve Fund

Under the IFC Act, the Benevolent Reserve Fund is to be utilised, inter-alia, for commissioning feasibility studies, project reports, market and techno-economic surveys and such other purposes which may promote the development of industries The Act also provides for undertaking and promoting research in the field of development banking and in financial and industrial management and training in India or abroad personnel of financial institutions The Benevolent Reserve Fund could also be utilised for assisting projects promoted by technologists and new entrepreneurs.

Since the creation of the Fund a sum of Rs 143 lakhs has been transferred to it out of the profits of the Corporation A further sum of Rs 25 lakhs is being transferred to the Fund out of the current year's profits of the Corporation

Interest Differential Funds

The Corporation has been receiving from the Government of India, Interest Differential Funds in the form of loans and grants on 50.50 basis under an agreement entered into by the Government of India with the Government of Federal Republic of Germany in respect of Lines of Credit from the Kreditanstalt fur Wiederaufbau allocated to the Corporation from time to time So far, the Corporation has received Rs 126 75 lakhs as grants and an equal amount as loans out of the Interest Differential Funds These Funds are made available to the Corporation in accordance with the budgetary provisions made each year by the Government. The Interest Differential Funds are being made available to the Corporation to be utilised for specific purposes as agreed to between the KfW and the Government. These purposes are primarily of a promotional nature.

42 Some of the promotional activities undertaken by the Corporation which have been financed out of the Benevolent Reserve Fund and the Interest Differential Funds are briefly reviewed in the following paragraphs.

Project Promotion : As mentioned in the earlier Reports, the Corporation, along with other all-India term lending institutions, has participated in the industrial potential surveys of the less developed States/Union Territories The three all-India term lending institutions have also commissioned feasibility studies for some of the projects identified in the industrial potential survey reports Technical Consultancy Organisations (TCOs) have been established in Kerala, Bihar, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa,

Jammu & Kashmir and one for the North-Eastern Region. These have been set up under IDBI's lead As mentioned elsewhere in the Report, the Corporation has set up a TCO in Himachal Pradesh known as the Himachal Consultancy Organisation Ltd The Corporation has also initiated steps to set up TCOs in Rajasthan and Madhya Pradesh. As reported last year, the Corporation has undertaken a study of the Oilseeds Processing Industry with the help of outside consultants The Indian Institute of Management, Ahmedabad studied the supply projections of the various oilseeds during the next 10 years The Regional Research Laboratory, Hyderabad has provided the technical specifications of model plants and the processes to be used for the manufacture of various products and by-products of the oilseeds processing industry The Tata Economic Consultancy Services was engaged to make a study of the demand projections for vegetable oils and by-products which have varied uses in the different sectors of the economy as also export potential The Reports of these consultants have been received and the final Report is under preparation in the Corporation

Training for Development : In the field of training, the Corporation's Scheme, known as the Technical Assistance Scheme for training middle-level executives of the State financial and developmental agencies as also the senior executives of these organisations was started in 1974 and has enabled 68 middle-level executives from 32 Statelevel institutions to visit the Head Office of the Corporation and its Regional Office at New Delhi for a period of one month and to acquaint themselves with the policies, procedures and practices of the Corporation Thirty-six senior executives from 26 institutions have also participated in the Scheme.

The Management Development Institute, sponsored by the Corporation, was also given financial support by the Corporation out of its Benevolent Reserve Fund as well as the Interest Differential Funds

The course fees being charged from participants from the State-level institutions in respect of their participation in the General Course on Development Banking are being subsidised by the Corporation The Corporation has been sponsoring and subsidising programmes on 'Identification, Promotion and Implementation of Industrial Projects' which are conducted by the Management Development Institute on behalf of the Corporation The Programme is meant for the officials of the State Governments, State-level financial and developmental agencies as also new entrepreneurs The subsidy for these programmes is met out of the Benevolent Reserve Fund

Encouragement to New Entrepreneurs : The Corporation has also allocated funds amounting to nearly Rs 1 crore to the Risk Capital Foundation to enable it to commence its operations

Creation of Chairs : The Corporation has instituted two Chairs; one at the Indian Institute of Management, Ahmedabad and another at the Faculty of Management Studies, University of Delhi. Under the terms of Understanding, the IFCI Professor of Management in the Indian Institute of Management, Ahmedabad delivered the annual Lecture in March, 1977 The subject of his Lecture was 'Determinants of Effective Working Capital Management'

The University of Delhi during the year appointed Professor A V Srinivasan as the IFCI Visiting Professor in the Faculty of Management Studies. The visiting Professor has undertaken research study to investigate the relationship between social infrastructure facilities existing in backward regions and the economic infrastructure facilities provided by developmental agencies and financial institutions

The Corporation has also decided, in principle, to create a Chair at the University of Calcutta

RISK CAPITAL FOUNDATION

43 As reported last year, the Risk Capital Foundation, sponsored by the Corporation, began its operations in June 1976 when it sanctioned assistance amounting to Rs 10 65 lakhs to the promoters of two projects During the year July 1, 1976 to June 30, 1977 the Foundation sanctioned further assistance of Rs 27 75 lakhs to the promoters of five projects With this, the total assistance sanctioned by the Foundation as on June 30, 1977 aggregated Rs 38 40 lakhs to the promoters of seven projects The Foundation has so far disbursed a sum of Rs 12 30 lakhs to the promoters of two projects The loans from the Foundation are interest-free, but carry a nominal service charge of 1% per annum on the amount outstanding The loans are to be repaid by the promoters out of their income including income from dividends

A co-promoter of a joint sector project, Godavari Plywoods Ltd, in Andhra Pradesh was sanctioned assistance amounting to Rs 2 50 lakhs With the assistance from the Foundation, the co-promoter would be able to provide the promoters' contribution of Rs 11.00 lakhs required for establishing the project with a capital cost of Rs 1 42 crores The Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Ltd, will provide the balance of the promoters' contribution

A co-promoter of Nagarjuna Steels Ltd, another joint sector project of the Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Ltd, was sanctioned assistance amounting to Rs. 6 75 lakhs This would enable the promoter, a technocrat, to provide his share of the promoters' contribution to the equity of the project. The project envisages the manufacture of cold rolled steel strips with an installed capacity of 13,500 tonnes per annum at Pattancheru in Andhra Pradesh. The capital cost of the project is estimated at Rs. 5 10 crores

A technocrat, who is promoting a joint sector project in collaboration with the Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation Ltd, was sanctioned assistance aggregating Rs 6 00 lakhs. With this loan, the co-promoter would be able to contribute his share of the promoters' contribution amounting to Rs 17 00 lakhs. The project, Banswara Syntex Ltd, envisages the setting up of a synthetic yarn spinning mill with a complement of 12,320 spindles at Banswara, Rajasthan.

The Foundation also sanctioned a loan of Rs 7.50 lakhs to a glass and ceramics technologist, who, along with two others, has promoted a refractory project, known as the Refractory Specialities (India) Ltd. With this assistance, the promoters would be able to provide the promoters' contribution of Rs. 26.00 lakhs for implementing the project with a capital cost of Rs. 1 90 crores The project being set up in industrially less developed area of Santhal Parganas in Bihar envisages the manufacture of special refractories with a total installed capacity of 18,300 tonnes per annum.

The Foundation also sanctioned as loan of Rs 7 50 lakhs to the promoters of Modern Syntex (India) Ltd. This would enable the promoters to provide the promoters' equity contribution of Rs 54 00 lakhs required for establishing their project with a capital cost of Rs 3 60 crores The project which is being located in the notified industrially less developed district of Alwar in Rajasthan envisages the setting up a spinning mill with a complement of 11,520 spindles for the manufacture of synthetic blended grey and fibre dyed yarn.

MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE

44 The Management Development Institute which was sponsored by the Corporation in 1973 has been endeavouring to design its programmes with a clear focus on upgrading the skills of professional managers in industrial concerns and development banks. The Institute has conducted programmes, some of them for the first time in the country, specially designed for industrial cooperatives in the sugar and cotton textile industries as also programmes for the hotel and mining industries Specific programmes have been conducted in the development banking area with particular emphasis on the problems of organisation, management and operation of State-level financial and promotional institutions. In the less developed States, the Institute has conducted 'Identification, Promotion and Implementation of Industrial Projects' (IPIIP) programmes sponsored by the Corporation, with their focus on identification, promotion and implementation of industrial projects for the benefit of the officials of the State Governments and State-level agencies responsible for the industrial development of the State Further, the Institute has conducted seminars on issues related to backward area development and management of joint sector projects In designing its training programmes, the Institute has kept in view the need to avoid duplication of training programmes already being offered by other training institutions As such, it has laid stress on innovative programmes based on careful identification of training needs Table 18 gives the programmes in the different areas conducted by the Institute over the last three years

As on December 31, 1976 more than 2 200 participants from industrial concerns, banks, financial institutions, Government and public select undertakings and participated in

the programmes conducted by the Institute. The General Course on Development Banking held in 1976 attracted, for the first time, participants from five development banks abroad, viz, Jordan, Iran, Malaysia, Indonesia and Sri Lanka. 23 participants from development banks abroad will be attending the General Course on Development Banking being held in August 1977, some of them have been granted scholarships by UNIDO with the approval of the Government of India The overseas participants will have an additional three weeks of 'in-house' desk training organised by the Institute in the national and State-level development banks in the country.

TABLE 18

Distribtuion of Institue's Programmes by Functional Areas (1974-76)

Classification of programmes	No. of Programmes		
	1974	1975	1976
Specific Indusrty Programmes	2	5	7
Development Banking including IPIIP	3	8	6
Financial Management	2	4	6
General Management	3	3	3
Marketing Management	2	2	1
Personnel Management	2	1	2
Technical Management	—	—	1
TOTAL	14	23	26
Number of Participants	424	813	974

45 As in the past, the programmes conducted by the Institute had the benefit of inputs provided by eminent Guest Faculty from different sectors such as industry, Government, finance and management education in addition, Guest Faculty from the Industrial Society (U.K.), London and from the International Business School of New York University assisted the faculty of the Institute in conducting two training programmes.

46 Of the 37 programmes that the Institute has planned for the year 1977, it has already conducted 15 programmes and proposes to organise 22 more during the remaining months of the year.

47. The Corporation has approved, in principle, the proposal of the Institute to establish its campus which would not only reduce the costs of conducting various programmes, but also enable the Institute in conducting residential programmes in different areas of management of a longer duration than is feasible at present The construction of the campus, estimated to cost Rs. 1.12 crores including the cost of land, will be taken up shortly and is expected to be completed by 1979.

48. At the instance of the Government of India Dr. B K. Madan, Chairman of the Institute, carried out a study of the debt : equity norms adopted by the financial institutions, Government agencies, industry and others.

At the request of the International Development Research Centre, Canada (IDRC), the Institute undertook a study of the bio-gas system in India and in selected South-East Asian countries with special reference to the social and economic implications of the Asian experience and to suggest areas for further research. The Institute carried out a detailed survey of bio-gas establishments in different parts of India with financial assistance from the Indian Council of Social Science Research. A status paper on bio-gas system in Asia covering the technological and socio-economic aspects was prepared and presented by the Institute at a meeting of delegates from developing countries held in Sri Lanka in November, 1976.

With financial support from the Corporation, the Institute has decided to participate in a joint regional research programme on Small Manufacturing Enterprises under the auspices of the Association of Development Research and Training Institutes of Asia and the Pacific (ADIPA) This research project of the Institute is expected to be completed by July 1978. The first phase of the project which was completed in July 1977 had the following objectives in view :—

(a) to critically review the on-going entrepreneurial development programmes,

(b) to analyse the entrepreneurial support systems, relative strengths and weaknesses,

(c) to study the course design, content and training methods employed in various training programmes for entrepreneurial development, and

(d) to study the extent of coordination among different agencies involved in promotion of small entrepreneurs.

While the first phase had the "entrepreneur" as the focus, in the second phase, the emphasis will be on the "enterprise" namely, factors governing promotion and successful operation of enterprises, including an in-depth study of the performance of various agencies responsible for formulating policies and programmes in this regard.

TECHNICAL CONSULTANCY SERVICES FOR NEW ENTREPRENEURS

49. During the year, the Corporation sponsored a new Technical Consultancy Organisation, known as the Himachal Consultancy Organisation Ltd (HIMCON) with its registered office in Simla.

The initial paid-up capital of HIMCON is Rs 5 lakhs and the Corporation will initially be holding 57% of the shares. The other subscribers are IDBI, ICICI, Himachal Pradesh Mineral & Industrial Development Corporation Ltd, Himachal Pradesh State Small Industries and Export Corporation Ltd, Himachal Pradesh State Forest Corporation Ltd, Punjab National Bank, United Commercial Bank, State Bank of Patiala, Bank of India, Union Bank of India and The New Bank of India Ltd. Under its Statute, the Himachal Pradesh Financial Corporation is at present not in a position to subscribe to the paid-up capital of HIMCON.

HIMCON would cater to the requirements of new entrepreneurs and undertake on a regular basis assignments in the areas of project identification, project formulation, technical and management advice and guidance, etc

50. The Corporation has also taken steps to sponsor a consultancy organisation each in the States of Rajasthan and Madhya Pradesh As already stated in the past Reports, the Corporation has also made its contribution towards the establishment of consultancy organisations by the Industrial Development Bank of India in Kerala, Bihar, Uttar Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir and in the North-Eastern region

GENERAL REVIEW OF INDUSTRIES

51. As against a rate of growth of industrial production of 6 1 per cent in 1975-76, the growth rate in 1976-77 is estimated to be around 10 per cent. Much of this increase was accounted for by the manufacturing industries such as transport equipment, chemicals and chemical products, metal products and non-metallic mineral products Consequent to the grant of excise concessions, some of the consumer durable industries were able to substantially step up their production. However, the cotton textile industry did not register much improvement in its output. In some of the industries, capacity utilisation improved considerably. In spite of the overall increase in the rate of industrial production, certain industries showed signs of sickness. The Government and the financial institutions have, inter-alia, taken steps to avoid further deterioration in the health of such industries. The financial institutions have also improved their information systems to detect incipient sickness so that corrective measures can be taken before the malady becomes chronic. In the Central Budget for 1977-78, certain incentives have been provided for facilitating voluntary amalgamation of sick industrial units with sound ones. Further as reported earlier, IDBI, in cooperation with the Corporation and ICICI, is administering the Soft Loans Scheme for the modernisation and rehabilitation of five important industries, viz, cotton textile, jute, sugar, cement and engineering industries.

During the year, Government made some relaxations in industrial licensing to achieve increased utilisation of capacity especially in the priority sectors. In March 1976, Government set up the Technological Development Fund This Fund would cover the foreign exchange requirements, subjects to a limit, for import of small value balancing equipment, technical know-how, foreign consultancy services and drawings and designs This Fund aims at export development, modernisation and upgradation of technology Other steps taken by Government include liberalisation of import of capital goods and drawings and designs under certain conditions and delicensing of additional industries, subject to certain conditions Further to attract non-residents of Indian origin to invest in India in industries in the priority and export-oriented sectors, Government have liberalised facilities for import of plant and machinery 'for the establishment of industrial projects in India from their own savings in foreign exchange'

In the Central Budget for 1976-77, a scheme of Investment Allowance for certain priority industries was introduced In this year's Budget, the scheme has been extended to all industries except those which are engaged in the manufacture of specified low priority items such as cigarettes, cosmetics and alcoholic beverages In order to encourage indigenous know-how and technology, the Investment Allowance has been raised to 35 per cent on machinery and plant installed for the manufacture of any article made in accordance with know-how developed in Government laboratories, public sector companies, universities and any other institution recognised in this behalf by the prescribed authority.

The performance of some of the important industries in which the Corporation has rendered assistance is reviewed in the following paragraphs along with the performance of the Corporation's assisted concerns in these industries during the calendar year 1976, based on a survey conducted in this behalf

Fertilisers

The installed capacity of nitrogenous and phosphatic fertilisers (P_2O_5) increased in 1976 by 5 2 lakh tonnes and 2 2 lakh tonnes respectively as compared to 1975 Accordingly, the installed capacity of nitrogenous fertilisers in 1976 was 30 3 lakh tonnes and that of phosphatic, 9 1 lakh tonnes.

The production of nitrogen increased by nearly 24 per poration was satisfactory The average utilisation of capafrom 15 35 lakh tonnes and the capacity utilisation improved from 69.9 per cent to 72 5 per cent Production of phosphate increased by 50 per cent from 3 20 lakh tonnes in 1975 to 4.80 lakh during the year 1976 as compared to a marginal decrease in production in 1975 The scheme of price support announced by Government improved the demand for phosphatic fertilisers during the year The increased production of nitrogen and phosphate has helped in saving foreign exchange to the extent of about Rs 110 crores

The performance of three assisted concerns of the Corporation was satisfactory The average utilisation of capacity in these concerns producing urea was about 71 per cent All three of them faced operational problems and power shortage, and in addition one of them had shortage of raw materials Production from the two plants of a cooperative unit improved during the year. A joint sector fertiliser project in Tamil Nadu was able to utilise only 70 per cent of its capacity due to certain deficiencies in the plant Steps have been taken to remove these deficiencies The phosphatic and complex unit of the plant was commissioned during the year This was the first year of production of another assisted concern producing urea and its capacity utilisation was only 20 per cent as the concern faced some operational problems. Certain mechanical defects noticed in the compressors have since been overcome

Cement

In the cement industry 54 units are in production with an installed capacity of 216 7 lakh tonnes The production of cement in 1976-77 is expected to be 185.0 lakh tonnes being 12 0 lakh tonnes more than the previous year The average capacity utilisation showed an improvement over the previous year, it was 88 per cent in 1976-77 as against 77 per cent in the last year. The capacity utilisation could have been better, but for power cuts, especially in the southern States.

During the year Government commissioned the services of four established consultants to study all the existing cement units in the country and suggest possible ways of increasing production through installation of balancing equipment etc.

With effect from July 1, 1976, Government allowed increase in ex-works retention price of cement to compensate for increase in the cost of certain major elements of cost of production This is in accordance with the escalation formula suggested by the Tariff Commission and accepted by Government

During the year Government constituted a Development Council for the cement industry to advise on improved and efficient norms for the operation of the industry.

Three of the assisted concerns of the Corporation showed satisfactory performance Of these, two of them could not operate to full capacity as they were affected by power cuts The third concern more than fully utilised its capacity. One unit in Meghalaya reported raw material and power shortage as also market limitations as reasons for not fully utilising its capacity. Another unit in Bihar did not fare well as it was faced with the problem of power shortage and inadequate working capital.

Paper

In 1976 there were 75 mills in production with an installed capacity of 11 27 lakh tonnes The production is estimated to be around 8 75 lakh tonnes The output could have been higher, but for power cuts as also inadequate demand for certain types of paper faced by the industry In the Central Budget for 1977-78, excise duty concession has been announced for mills using non conventional raw materials, but this is not applicable to paper boards and certain specified papers This concession is designed to conserve the fast depleting timber resources.

Most of the Corporation's assisted concerns could not utilise their capacity fully as they were affected by power cuts In addition, two of them reported market constraints for certain types of paper. However, one unit more than fully utilised its capacity

Soda Ash

The installed capacity of the four units producing soda ash was 6 33 lakh tonnes, the same as at the end of 1975 The production of soda ash in 1976 was 5 65 lakh tonnes which was higher than the previous year's production by 23,000 tonnes The entire demand in the country for soda ash is met indigenously

Two of the assisted concerns of the Corporation could not utilise their capacity fully One of them reported raw material and power shortage

Caustic Soda

In 1976 there were 32 companies producing caustic soda in the country with an installed capacity of 6 90 lakh tonnes The production of caustic soda during 1976 was 5 04 lakh tonnes as against 4 36 lakh tonnes in the previous year The utilisation of capacity was about 73 per cent

Three of the Corporation's assisted concerns could utilise only 67 per cent of their capacity as their production was affected by power shortage Two other concerns faced market limitations though one of them commenced commercial production during the year

Automobile Tyres and Tubes

In the automobile tyres and tubes industry there are 14 units with an installed capacity of 71 29 lakh nos of tyres and 73 73 lakh nos of tubes The production of automobile tyres in 1976 is estimated at 56 lakh nos and that of tubes at 53 lakh nos The industry is making intensive efforts to increase of automobile tyres and tubes

Two of the assisted concerns are expected to go into commercial production shortly. Another concern fully utilised its capacity, while one other faced marketing constraints One of our assisted concerns, in addition, faced power shortage and strained industrial relations.

Mini-Steel Plants

There are 180 licensed/registered electric furnace units for production of mild steel ingots/billets. However, only 89 units are in production and 23 units are lying closed and the rest are either under erection or just completed erection and ready for production. In 1976-77 their production was only 12 lakh tonnes. These units have not been able to utilise fully their capacity due to poor marketability of their products. The cost of production of such mini-steel plants is higher than that of the integrated steel plants and they also face poor off-take for their range of products viz., steel bars, rods and structurals, because of the decline in construction activity. In order to help the mini-steel plants, Government last year reduced the excise duty from Rs. 200 per tonne of ingots to Rs. 50 per tonne. Further, they were permitted to diversify their production to the manufacture of certain specified categories of low alloys and special steel and castings. Under the Central Budget for 1977-78, mini-steel plants have been exempted from excise duty on the identifiable types of fresh melting scrap cleared from the main steel plants as raw material for the mini-steel plants. It has also been decided to exempt mini-steel plants from the payment of customs duty on imported scrap. Government have also exempted the mini-steel plants from the excise duty of Rs. 180 per tonne on steel ingots. The current duty of Rs. 380 per tonne on the integrated steel plants would, however, continue. Further measures to help the mini-steel plants regarding matters relating to diversification and rationalisation of some of the units is being examined by Government.

The Corporation's assisted mini-steel plants did not fare well as they were also affected by market limitations. Further, some of them faced power shortage and/or shortage of graphite electrodes.

Castings

In steel castings there are 51 units in production with an installed capacity of 1.60 lakh tonnes. The production of steel castings in 1976 is estimated to be around 63,800 tonnes which is slightly higher than the last year's production of 62,100 tonnes. As the demand for steel castings in the 10 to 25 tonnes range is increasing, the electric furnace industry has been permitted to undertake their manufacture.

In the field of cast iron castings there are 78 commercial iron foundries with an installed capacity of 4.10 lakh tonnes. There was a fall in production in 1976 due to a decline in demand for ordinary iron castings such as cast iron sleepers for railways, manhole covers/sanitary castings. The utilisation of capacity would only be 42 per cent.

The production of malleable iron castings in 1976 is estimated to be 18,500 tonnes as against an installed capacity of 25,000 tonnes. The production was higher when compared to the previous year's production of 15,600 tonnes.

The capacity utilisation of two of the Corporation's assisted concerns was low. One of them faced marketing problems and the other power shortage. The performance of one assisted concern manufacturing malleable iron castings was not satisfactory as it experienced operational problems and power shortage.

Power Tillers

There are at present four units manufacturing power tillers with an installed capacity of 10,000 nos. per annum. The production of power tillers in 1976-77 is estimated at 2,000 nos. as compared to 2,400 nos. in 1975-76. The industry has been facing consumer resistance mainly due to the high price of power tillers and consequently the utilisation of capacity in the industry has been rather poor.

The performance of the Corporation's two assisted concerns has been rather unsatisfactory. They faced market limitations, and in addition, one of them was further affected by power shortage and the other was beset with operational problems.

Agricultural Tractors

Fifteen units have been licensed to manufacture agricultural tractors and their total capacity is 1.29 lakh nos. Of these, 11 units with an installed capacity of 50,000 nos. are in production. Over the years, the production of tractors has been steadily increasing and in 1976-77, it is expected to be 37,000 nos. The utilisation of capacity in the industry is around 75 per cent.

One of the assisted concerns manufacturing tractors with compete indigenous design and know-how faced raw material shortage and consequently its utilisation of capacity was low. Another concern whose capacity utilisation during 1976 was about 83 per cent has been engaged for the last two years in the indigenisation of the product and is utilising its capacity in a phased manner. This unit is also facing market limitations.

Cotton Textiles

By the end of December 1976, there were 703 cotton textile mills in the country consisting of 413 spinning mills and 290 composite mills. The installed capacity of the 703 mills was 198.4 lakh spindles and 2.07 lakh looms. The output of yarn showed a marginal increase of 1.7 per cent from 9893 lakh Kgs. in 1975 to 10059 lakh Kgs. in 1976. The total cotton cloth production was slightly lower at 38810 lakh metres as against 40323 lakh metres in the previous year.

During 1976-77, due to inadequate availability of cotton, there was a sharp increase in its price. In order to improve the availability of raw material as also to control the rising trend of prices, Government took a number of measures like liberalisation of import of non-cotton fibres, statutory obligations to use non-cotton fibres by the industry, authorisation for the import of 14 lakh bales of cotton, sale of imported cotton at ruling prices by the Cotton Corporation of India, ceiling on stock limits, tightening of credit policy by the Reserve Bank of India, etc.

The performance of the Corporation's assisted concerns in the textile industry presented a mixed picture. The increase in cotton prices did have an adverse effect on the operations of the concerns and some of them are expected to incur cash losses during the year. The performance of the assisted concerns is expected to improve during 1977.

Sugar

During the 1976-77 sugar season, production of sugar is expected to reach a record level of 48 lakh tonnes as against the previous year's output of 42.64 lakh tonnes.

The minimum sugarcane price payable by sugar factories for 1976-77 was maintained at the previous year's level of Rs. 8.50 per quintal for a basic recovery of 8.5 per cent or below, subject to a premium of 10 paise for every 0.1% increase in recovery. The ex-factory price of levy sugar for the 1976-77 season, which was announced on November 19, 1976, was the same as for the previous year, i.e. ranging between Rs. 141.96 and Rs. 274.60 per quintal excluding excise duty.

As on June 1, 1977, the total number of co-operative sugar factories licensed/registered was 181. Of this, 120 cooperative sugar factories were in production during the 1976-77 season. The share of the cooperative sector in total sugar production as on June 1, 1977 was 22.82 tonnes constituting about 48 per cent of total production.

Jute Textiles

The total production in the jute industry was of the order of 11.87 lakh tonnes in 1976-77 which was a bad year for the industry. Export of jute goods fell during the year though the demand for carpet backing in USA picked up. The industry had to face increased competition from Bangla Desh. Due to sluggish export demand, the industry was faced with a piling of stocks and prices of finished goods fell to uneconomic levels. In order to assist the industry, Government took certain measures like abolition of export duty on jute goods, production regulations in respect of carpet backing and hessian, and grant of cash compensatory support on export of carpet backing, etc.

The problems faced by most of our assisted concerns were insufficient supply of raw materials, power shortage and market constraints. Strained industrial relations also hampered the working of some of the assisted concerns.

END-USE SUPERVISION AND FOLLOW-UP

52. The end-use supervision and follow-up was initially the responsibility of the branch offices of the Corporation

located in the four metropolitan cities of the country. With the increase in the number of projects assisted as well as the fact that the assisted projects are located all over the country and in some cases in the interior villages, it became increasingly difficult to carry out end-use supervision and follow-up with the required frequency The Corporation during the last five years has, therefore, opened thirteen more offices in different States These offices of the Corporation have been equipped with the necessary technical and financial staff who now undertake more frequent site inspections of the assisted concerns The various offices of the Corporation are therefore, in a position to undertake regular follow-up of the assisted concerns with necessary guidance from the Head Office

The follow-up procedures of the Corporation are designed to call for information which any prudent management would collect and study in its own interest as also with a view to ensure successful operation of the project.

The objective of end-use supervision and follow-up can be enumerated as follows :

(i) To watch and ensure that assistance is being utilised for the purposes for which it was sanctioned;

(ii) During the construction stage, to assess whether the progress of construction is proceeding according to schedule,

(iii) To assess whether the project will be completed within the original estimates of capital cost, if not, to what extent there is likely to be an overrun,

(iv) Production performance and assessment of working results,

(v) Efficiency of management,

(vi) Regularity in submission of progress reports and returns; and

(vii) Special problems pertaining to any particular industry

Procedures

53 The follow-up procedures devised by the Corporation comprise the following

(i) Obtaining periodical progress reports on the forms prescribed,

(ii) Carrying out site inspections of the factory and books of account of the assisted concerns at frequent intervals,

(iii) Examining half-yearly/yearly statements of working results and financial position of the assisted concerns, and

(iv) Appointing, in suitable cases, official/non-official nominees on the assisted concerns' boards to watch the interest of the Corporation and to report developments, if any, from time to time in regard to the operations and management of the company.

Consortium Approach—Lead Institution Concept during Follow-up Stage

54 With a view to improving the existing monitoring mechanism for tackling problems during follow-up stages, particularly those relating industrial sickness, the concept of 'lead institution' has been extended to the sphere of follow-up by the all-India financial institutions Lead institutions have been designated in respect of the existing sick cases, the same is proposed to be done for normal follow-up cases too. The institution designated as the 'lead institution' on a case to case basis would be responsible for maintaining a close watch over the affairs of the concern and to coordinate matters with the other institutions. It is expected that the arrangements would lead to better monitoring of the progress of the assisted concerns and also help detect incipient sickness at early stages.

Progress Reports

55 Common formats for the institutions at the all-India level have been evolved requiring submission of progress reports, both during the construction and operation period, keeping in view the special features of each industry These forms have been drawn up on the basis of the experience which shows that the main problems faced by an assisted concern during the construction stage relate to the arrangement of finance, delays in implementation, over-runs in costs beyond initial estimates and deficiencies in management Apart from enabling the Corporation and other institutions to advise the concern to take remedial steps, the progress reports help the institutions to disburse funds for the project in keeping with the progress achieved and the financial plan

It is the responsibility of the various offices of the Corporation to obtain regularly the progress reports and take necessary follow-up action The reports are examined and any adverse features/irregularities detected are brought to the notice of the assisted concerns directly by the office concerned under intimation to the Head Office of the Corporation.

Inspections

56 From the date the agreement is executed and so long as any part of the loan remains outstanding, the Corporation carries out site inspections both during the construction and operation periods of the project and inspects books of account of the assisted concerns Such inspections are carried out generally by teams of financial and technical officers of the Corporation A reasonable notice of about 10/15 days is ordinarily given to an assisted concern of the proposed inspection and for its preparing and furnishing the particulars and data for inspection To facilitate proper inspection the assisted concerns are required to maintain records showing the expenditure incurred on the project, utilisation of the disbursements out of IFCI loan, progress of the project and the operations and financial position of the company In carrying out technical and financial inspections, the officers of the Corporation visit the borrower's factory, examine relevant records and accounts and also schedules, cost estimates, plans and specifications of the plant, etc In these inspections emphasis is more on discussing the matters and affairs personally with the concerned officials of the company and seeking necessary clarifications from them

Further, the inspection team satisfies itself that the principal sum of loan received from the Corporation is kept in a separate bank account and strictly utilised for the purpose for which it has been sanctioned All releases of the loan amount are preceded or followed by a physical verification of the utilisation of the loan amount already disbursed and the progress made by the assisted concern towards the implementation of the project

The first inspection after the project has gone into commercial production is carried out in the form and manner of a re-appraisal so that the causes of the variances of the profitability projections could be identified properly and the project could be re-assessed in its proper perspective

Where other public financial institutions are also involved, reports in regard to periodical inspections, unless carried out jointly, are mutually exchanged. Reports are forwarded in the case of sub-loans in foreign currencies to the respective foreign financial institutions, wherever necessary

Apart from obtaining periodical progress reports and carrying out of inspections, the assisted concerns are also required to send the annual audited balance sheet and circulars and minutes of shareholders' meetings to the Corporation. The financial statements are carefully studied and analysed to assess their progress, profitability and other financial aspects compared with the performance of at least the preceding 3 years In such an examination apart from drawing conclusions in regard to the overall performance of the company, the unusual features or breach of covenants with IFCI, if any, are also examined

Advisory Services

57 The Advisory Services Department established at Head Office of the Corporation in 1973 has been rendering advice and guidance to new entrepreneurs and others in the technical and financial fields both in the pre-implementation and post-implementation stages of their projects Besides, the Department gives close attention to the complex area of the Corporation's activities relating to the rehabilitation of projects, which run into difficulties or develop symptoms of sickness for one reason or the other An in-depth analysis of the malaise in each case is made by financial and technical experts and corrective steps are taken or solutions devised and adopted in concert with other financial institutions/banks involved in the project.

Nominee Directors

58 An important feature in the building-up of relationship between IFCI and the management of assisted concerns is the appointment of its nominees on their boards of directors. In pursuance of Section 25(2) of the IFC Act, the Corporation, as a matter of policy, reserves for itself the right to appoint two directors on the board of an industrial concern assisted by it In the case of joint financing, the practice has also emerged of having one or more common nominees of the participating institutions, where agreed upon

IFCI is exercising the right to nominate its representatives on the boards of all assisted concerns where substantial financial assistance has been sanctioned and/or where the conditions for conversion of loans into equity have been stipulated in the agreements for financial assistance. IFCI also uses its discretion in nominating directors on the boards of assisted concerns generally under the following circumstances .

(i) where the Corporation's commitments are comparatively large,

(ii) where defaults have been made in the payment of principal and/or interest on the Corporation's loan, and

(iii) where there are otherwise special circumstances calling for vigilance or a closer watch on the operations of the assisted concern

The persons nominated as directors are either Corporation's own officers or non-officials.

The persons nominated as directors by IFCI hold office during its pleasure and are not liable to hold any qualification shares or to retirement by rotation The nominee directors are expected to take active part in all deliberations of the Board meetings of the assisted concerns. Without interfering in the day-to-day management, the nominee directors are expected to participate in the discussions on all matters coming up at the Board meetings, specially those which have a bearing on the assistance given by IFCI and affect its interests or are otherwise important as matters of public policy.

To enable the nominee directors to keep themselves in touch with the operations of the concern in matters like production in relation to installed capacity, sales, reasonableness of inventories and receivables, liquidity of the concern, meeting of statutory obligations, changes in key personnel etc, proformae have been devised on industry-wise basis for facilitating reporting of certain information and operational data by the companies for consideration at every meeting of the Board of Directors.

To increase the effectiveness of the nominee directors, the assisted concerns are being required to have need-based systems relating to Management Information and Management Accountancy in their organisation also

Conversion of Loans into Equity

59 In accordance with the guidelines issued by Government, the Corporation is reserving the right of conversion of a part of the loans given by it into equity capital of the assisted concerns and the rationable behind this policy has now gained fuller acceptance. The Corporation, as on June 30, 1977, had stipulated the conditions relating to conversion of rupee loans into equity in respect of 279 concerns covering 361 cases of sanction (loan agreements executed in respect of 224 cases) after prior negotiations with the sponsors of the projects and in consultation with IDBI The conversion right was actually exercised in the case of 17 concerns as on June 30, 1977· in the case of others, either the time for the exercise of the right had not yet arrived or it was considered expedient taking into account all relevant factors, to defer the exercise of the right for some time

PROGRESS OF REPAYMENTS

Industry-wise Analysis of Defaults

60 The number of defaulting concerns in the engineering group was 63 as against 46 in the previous year Some of the units had to face highly competitive market conditions and recessionary trends in demand and also power shortages Units engaged in the production of new/import substitution items were, in main, having considerable teething troubles Working capital problems arising out of poor operational results and accumulation of inventories and receivables added to the difficulties of some of the concerns Weak and inadequate management has also been one of the factors contributing to the unsatisfactory position of units in this group During the year, besides arranging in-depth studies and review of operations and based thereon, examination of various alternatives, efforts were made to interest some acceptable entrepreneurs to take over the managements of some of the defaulted concerns particularly where the management was inadequate One sick unit could be successfully rehabilitated through a change of management and in another unit the revival of its operations could be brought about through Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd, (IRCI). In another sick unit, the management was entrusted to a Committee of Directors which included nominees of State Government, financial institutions and banks To a concern engaged in the manufacture of electric lamps and flourescent tubes which suffered reverses due to market problems and indifferent financial planning, additional financial assistance was granted for ensuring continued operations accompanied by safeguards by way of introduction of additional disciplines and controls Yet in the case of another sick concern, manufacturing lead storage and industrial batteries in technical and financial collaboration with a reputed foreign concern, the proposals for rehabilitation of the unit were finalised, based on a consulting firm's study in concert with banks and other financial institutions and with the cooperation of the foreign collaborators.

The number of defaulted concerns in the sugar industry also rose to 21 from 16 in previous year In most of these concerns, the performance remained unsatisfactory due to inadequate availability of sugarcane arising from lack of sufficient irrigation facilities and inadequate attention towards planned growth and development of sugarcane. The attention of the concerned State Governments was drawn to this crucial aspect, round which the success of sugar projects largely revolves Greater emphasis is being laid by the Corporation in this direction inasmuch as a condition is being stipulated for all sanctions of new loans to units in the sugar industry that they will draw up and implement carefully drawn up plans for cane development to the satisfaction of the Corporation Mention in this connection may be made of the Maharashtra State Government which has recently launched a number of pilot projects aiming at intensive development of cane in various parts of the State. This appears to be a good example to be followed by other States The all-India Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd, has also set up an Inspection Agency to help particularly new sugar cooperatives implement their projects and monitor their progress during the construction stage A stipulation is being made for the grant of loans that all sugar cooperatives shall avail themselves of the services of this Inspection Agency

One of the concerns engaged in the manufacture of aluminium ingots, foils and strips had been lying closed since September 1973 A plan to revive its operations has been mooted under the auspices of the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd (IRCI), the unit is likely to restart operations soon

The number of defaulted concerns in the textile industry also went up to 30 from 27 in the previous year Most of the concerns which were in default during the previous year could not meet their commitments, mainly on account of erratic supplies of raw materials and sharp increase in the prices of cotton, without commensurate increase in sales realisations particularly of yarn during the year under review Efforts to recover the amounts in default through use of the good offices of State Governments, particularly in respect of units in the cooperative sector, were continued to be made

In respect of nine textile units financed by the Corporation which were nationalised under The Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 the compensation stipulated under the said Act was found to be inadequate to meet the entire dues of the Corporation, particularly, in view of the relatively low priority of the Corporation's dues

in the scheme of distribution of compensation money envisaged The Corporation, with a view to protecting its interests approached the Central Government for redress but its efforts in this direction did not meet with success. In all cases, the Corporation has, however, filed its claims before the Commissioner of Payments The Corporation has also filed suits against guarantors in some of the cases for the recovery of its dues In one case, the suit has been decreed with further interest

In the Jute industry, as reported last year, two units which had indifferent operations, had closed down due to recurring losses and extreme shortage of working funds and deficiencies in managements These units were taken over during the year by the Central Government under the Industries (Development & Regulation) Act The units are expected to restart their operations shortly with the financial support of IRCI and the banks.

Amongst the defaulted concerns in the paper industry, change in management was brought about in one unit To another unit, additional assistance was sanctioned to enable it to implement the rehabilitation scheme. The paper manufacturing units in general, particularly those manufacturing coated papers suffered due to the high production costs and also market constraints

In respect of the two units engaged in the manufacture of tyres, tubes and other rubber products, rehabilitation programmes were initiated with the support of IRCI, the concerned State Government, the participating financial institutions and banks Under the surveillance of IRCI, the units have resumed production. In one other unit, the revival in operations could be brought about by leasing out the same to a more resourceful concern on a long-term basis

It was reported last year that the working of one superphosphate manufacturing unit remained subnormal due to severe competition from complex fertiliser manufacturing units and also on account of stringency of working capital There has since been some improvement in the situation of this unit and financial institutions concerned are now trying to interest some parties in taking over the management of the unit Another fertiliser unit suffered heavy losses due to mechanical failures of the plant and fall in prices of fertilisers as also some distortions in the price structure of feed stock and from accumulation of finished products The matter is engaging the active attention of all participating institutions as also of the Central Government Efforts are also being made to streamline the management set-up.

One defaulted unit engaged in the manufacture of pharmaceutical products which had suffered losses due to high cost of raw materials, lower selling prices, price restriction imposed by Government and limited product range showed signs of improvement as a result of offloading of some work by another concern belonging to the same promoters. Steps are being taken by the unit to enlarge its product mix and for taking up a programme of diversification

During the year, one concern engaged in the manufacture of pottery, china and earthenware and electric insulators which was in default for the last four years, was taken over by the Central Government under Industries (Development & Regulation) Act and IRCI was appointed as its Authorised Controller The unit has resumed operations recently and is expected to do better.

It was reported last year that the affairs of a concern engaged in the manufacture of radios, tape-recorders and electronic components were causing concern to the Corporation Efforts are now afoot to find a solution for which the concerned institutions and banks have commissioned an in-depth study through Electronics Trade and Technology Development Corporation Ltd (ETTDC)

An increase also occurred in the number of defaulted concerns in the hotel industry due to low occupancy and business levels and poor or inept management In two concerns it was possible to bring about a change in management.

An analysis of the position regarding defaults shows that about 67.0 per cent of total defaults were accounted for by 114 concerns in Sugar, Textiles and Engineering group of industries

Broadly speaking, the defaults on the part of assisted concerns could be attributed to delays in implementation of projects due to unforeseen reasons resulting in escalation in costs, non-availability of raw materials and other inputs, maladjustment between the prices of raw materials and finished goods, paucity of working funds, power shortages, labour troubles and weakness in managements. In fact several factors in combination with each other led to problems encountered by different units

Strick surveillance is being maintained over the affairs of the concerns who have defaulted in paying their dues to the Corporation, particularly through its Advisory Services Department With a view to improving the existing monitoring mechanism for tackling problems during follow-up stages, particularly those relating to industrial sickness, the concept of 'lead institution' which was extended to the sphere of follow-up sometime back is being gradually deepened Lead Institutions have been designated in almost all sick cases. Under this arrangement, it is now possible for an institution to devote more time and concentrated efforts in respect of those cases for which it has the lead responsibility.

There are two factors which need to be particularly highlighted in connection with the rehabilitation of sick units If a diagnostic study of a unit involved, whether carried out jointly by the officers of the concerned banks and financial institutions or by a technical/financial consultant specifically commissioned for the purpose, reveals no prospects for revival of a unit, then there could be no alternative but to leave it alone Further, it is only a coordinated effort at various stages, including the monitoring stage, both of the financing institutions and the banks that could take a rehabilitation scheme to a stage of fruition. Finally, there cannot be a simple formula for dealing with the rehabilitation of sick units, each case has its own peculiar features which call for individual treatment.

Nominees have been appointed on the Board of Directors of almost all sick concerns as also on their Management Committees wherever called for Even in respect of those concerns, whose management has been taken over by Government under Industries (Development and Regulation) Act, the representatives of the financial institutions are being associated, with the prior approval of the Central Government in order to have feedback in regard to the affairs of such concerns Steps are also being taken to form a panel of professionals, who could be inducted as whole-time nominee directors either for reinforcing the management set up or for replacing erring managements, wherever necessary, particularly in the case of sick and closed units

The progress of repayments, by and large, during the year, remained satisfactory Constant follow-up was maintained in the recovery of overdues which yielded good results in several cases Recourse was made to such means as increasing the frequency of progress reports and periodical inspections, personal discussions with the chief executives of the defaulting concerns and greater coordination with banks and other financial institutions involved In a number of cases, additional financial assistance was granted in participation with other financial institutions as a part of the overall scheme of revitalisation of the operations of needy units accompanied by reliefs by way of roll-over of loans and postponement of payment of interest carrying appropriate stipulations regarding financial disciplines and measures for strengthening of managements, product rationalisation, introduction of systems & controls etc As a step towards rehabilitation of such units the Government of India have recently decided to accord fiscal relief so as to facilitate merger of the relatively better off units with the weaker ones

61 The industry-wise break-up of defaults as on June 30, 1977 along with the comparative figures for the previous year is given in Table 19.

TABLE 19

Industry-wise Classification of Defaults

(Rs. Lakhs)

Industry	Defaults as on June 30, 1976				Defaults as on June 30, 1977			
	No of concerns	Principal	Interest	Total	No of concerns	Principal	Interest	Total
Sugar	16	59·50	136 76	196 26	21	98 50	158·59	257 09
Food products	1	0 90	1·56	2·46	1	1·35	1·99	3·34
Textiles	27	237 95	222·01	459·96	30	291·18	213 51	504·69
Jute manufactures	3	29·13	20·31	49 44	3	40 33	34·78	75·11
Wood products	1	3·50	—	3·50	2	—	0 65	0·65
Paper and paper products	5	10·51	10 73	21·24	7	14·88	8 67	23·55
Rubber products	5	110 30	75·70	186·00	5	145·02	75·46	220 48
Basic industrial chemicals	1	8·83	—	8·83	5	42·55	13 50	56·05
Fertilisers	4	55·50	111 44	166·94	4	83·97	146 59	230·56
Synthetic fibres and resins	3	108 84	104·00	212 84	2	10·20	14·44	24·64
Misc. chemicals and chemical products	3	17·80	13 67	31·47	3	17·33	2 61	19 94
Glass	2	2 25	1·12	3 37	3	9·84	12·51	22·35
Cement	2	10 48	8 43	18 91	1	0·08	—	0 08
Leather products	—	—	—	—	3	2 00	2·93	4·93
Misc non-metallic mineral products	4	40 83	15·95	56 78	3	18 68	9 94	28·62
Iron & steel	11	110·11	105 07	215·18	19	188·32	149·15	337 47
Non-ferrous metals	2	21 00	14·65	35 65	3	43·62	20 19	63 81
Metal products	9	26 60	32·86	59 46	11	48·65	69 55	118·20
Machinery and accessories	13	140 22	102 83	243·05	17	168·90	123 98	292·88
Electrical machinery and appliances	7	41·03	30 30	71·33	11	96 46	61·90	158 36
Transport equipment	6	57 15	20 27	77 42	5	92 52	34·70	127·22
Mining	2	26·50	12 36	38·86	3	29·00	16 07	45·07
Hotel	3	18·25	25 65	43·90	6	27·00	39·39	66·39
TOTAL	130	1137·18	1065·67	2202 85	168	1470 38	1211·10	2681·48

62 Tables 20 and 21 show the amounts which were due by way of interest on loans and instalments of principal and the amounts that were realised during each of the last five years. They also show the amounts in default at the end of each of those years

The interest in default of Rs 1211 10 lakhs as on June 30, 1977 amounted to 4 3 per cent of the outstanding loan of Rs. 284 70 crores in respect of rupee and foreign currency loans as against 4 39 per cent in the previous year. The above mentioned amount of Rs. 1211 10 lakhs does not, however, include the amount of further defaults committed during the year by some of the assisted concerns, whose credit record has been very unsatisfactory, as mentioned in the Notes forming part of the Accounts Further, principal in default of Rs 1470.38 lakhs was 5.2 per cent of the outstanding loans as against 4 68 per cent in the previous year.

TABLE 20

Recovery of Interest

(Rs. Lakhs

Year ended June 30	Loans outstanding at the beginning of the year	Arrears of interest outstanding at the beginning of the year	Amount of interest due during the year	Total of columns 3 & 4	Amount of interest received during the year	Defaults of interest at the end of the year*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1973	16564 97	598·40	1357 50	1955 90	1106 81	691 72
1974	18020 26	691·72	1496 96	2188 68	1256 33	806·10
1975	19320·98	806 10	1700·83	2506 93	1353·72	1085·83
1976	20796 74	1085·83	1943 95	3029·78	1604 92	1065·67
1977	24456 88	1065·67	2130 28	3195·95	1817·07	1211·10

*Excluding amounts for which extension of time was granted Technically, such cases are not treated as defaults.

TABLE 21

Repayment of Principal

(Rs. Lakh

Year ended June 30	Loan outstanding at the beginning of the year*	Arrears of principal outstanding at the beginning of the year	Amount of principal due during the year	Total of columns 3 & 4	Amount of principal received during the year	Defaults of principal outstanding at the end of the year**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1973	16564·97	637 06	1633 39	2270·45	1478 54	555 94
1974	18020 26	555 94	1899 40	2455·34	1507 84	815 46
1975	19320 98	815 46	2051 53	2866 99	1525 47	1151·28
1976	20796·74	1151·28	2300 65	3451 93	1742·58	1137·18
1977	24456·88	1137·18	2438·73	3575 91	1854 01	1470 38

*Excluding amounts due on account of defaulted deferred payment instalments guaranteed and met by the Corporation and interest due thereon which are shown separately in Table 22

Excluding amounts for which extension of time was granted Technically, such cases are not treated as defaults.

63. The position of defaults in the payment of instalments of deferred payments guaranteed and met by the Corporation and interest and other charges due thereon for each of the last five years are shown in Table 22 below.

TABLE 22

Arrears Outstanding in respect of Deferred Payments Guaranteed by the Corporation

(Rs. Lakhs)

Year ended June 30	Amount of arrears due at the beginning of the year	Defaults during the year	Total	Recoveries during the	Amounts of arrears out-standing at the end of the year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1973	236 71	217 23	453 94	4 10	449 84
1974	449·84	36 06	485 90	391 60	94 30
1975	94 30	10·46	104 76	3 77	100 99
1976	100 99	35 72	136 71	15 80	120 91
1977	120 91	25 77	146 68	8 32	138 36

*This amount included instalments in default aggregating Rs 8 66 lakhs for which extension of time was granted

**This amount included instalments in default aggregating Rs 2 50 lakhs for which extension of time was granted

RESOURCES

Share Capital

64. The authorised capital of the Corporation stands at Rs 20 crores The issued, subscribed and paid-up capital of the Corporation stood at Rs 10 crores as on June 30, 1977

There has been no change in the ownership pattern of shares of the Corporation held by the various categories of shareholders during the year under report

The distribution of shares as on June 30, 1977 was as follows :

	No. of shares held	Percentage of the Total
Industrial Development Bank of India	10,000	50
Scheduled Banks	4,067	20
Insurance Concerns, etc	4,314	22
Cooperative Banks	1,619	8
TOTAL	20,000	100

Bonds

65. The Corporation made two Bond issues during the year, viz 6% Bonds 1986 (3rd series) and 6% Bonds 1987 for Rs 29 50 crores and Rs 18 00 crores respectively which were issued at a discount of 1% and were fully subscribed Including the permissible 10% of the amount of the issue, the total amount of Bonds allotted was Rs 32 46 crores and Rs 19 88 crores respectively

Borrowings from the Central Government

66. As on June 30, 1976, loans outstanding from the Central Government stood at Rs 56 54 crores During the year under review, a sum of Rs 0 37 crore was made available as loan by Government under Interest Differential Funds arising out of KfW loans and a further sum of Rs 0 37 crore was made available as loan by Government under the Hotel Development Scheme for financing hotel projects; a sum of Rs 7 19 crores was repaid during the year The aggregate amount of Government loans outstanding at the end of the year was Rs 50 09 crores.

Borrowings in Foreign Currencies

67. As in the past, borrowings from RBI were availed of for temporary periods during the year As on June 30 1977, a sum of Rs 25 lakhs was outstanding under this head

Borrowings in Foreign Currencies

68 A further loan of DM 15 00 million being the fifteenth line of credit was allocated to the Corporation As at the close of the year, the total amount of West German Credit made available to the Corporation including the above line of credit amounted to DM 177 50 million, against which the Corporation had sanctioned sub-loans to the extend of DM 170 73 million DM lines of credit, which are now fully convertible can be utilised for the import of capital goods, engineering know-how and services etc.

An allocation of Swedish Credit to the extent of Sw Kr 25 million has been made available by the Government of India under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1976, against which a sub-loan of Sw Kr 2 910 million has been sanctioned upto the end of the year This allocation forms part of the General Imports segment which is fully convertible and can be utilised for the import of capital goods and services

The total amount of UK Credit made available to the Corporation by the Government of India under UK/India Capital Investment Loans/Grant amounted to £ 5 50 million against which subloans for an aggregate amount of £ 4 45 million have been sanctioned upto the end of the year

The total value of the French Credit available to the Corporation from Banque Francaise Du Commerce Exterieur, Paris amounted to FF 15 million and sub-loans sanctioned thereagainst totalled FF. 14 89 million

TABLE 23

Sources and Uses of Funds (Rs. Crores)

	1974-75	1975-76	1976-77	1948-77
A. SOURCES OF FUNDS :				
Internal Sources				
1. Share capital	—	—	—	10 00
2. Profit before tax	4 59	4·18	5·46	64 61
3 Repayment of loans by borrowers				
(a) Rupee loans	12 77	14 94	15 47	159·53
(b) Foreign currency sub-loans	3 37	3 49	3 07	27·56
4 Sale/redemption of investments	0 83	1 08	3 25	15·37
5 Recoveries in respect of amounts met under guarantee obligations	1·28	0·04	0·02	4 75*
SUB-TOTAL	22 84	23 73	27·27	281·82
	(33 3)	(31 4)	(28 0)	(41·0)
Borrowings				
6 From the market by issue of bonds	23·47	35 80	52 35	227·03
7. From Central Government	1·80	2 09	0 74	111 91
8. From Industrial Development Bank of India	—	—	—	5 00
9 By way of transfer of rights and interests in certain loans	9 98	—	—	9·98
10 From foreign credit institutions				
(a) Loan in US $ from USAID	—	—	—	19·63
(b) Loans in DM from Kreditanstalt fur-Wiederaufbau, West Germany	1 70	2 10	2 11	28 43
(c) Equipment credit in FF from Banque Francaise Du Commerce Exterieur, Paris	0 04	0 18	0 06	2·02
SUB-TOTAL	36 99	40·17	55 26	404·00
	(53 9)	(53·2)	(56 8)	(58 8)
11. Specific Grant from Government@	0·21	0 30	0 37	1·27
	(0 3)	(0·4)	(0 4)	(0·2)
12 Opening cash and bank balances	8 60	11 30	14·39	—
	(12 5)	(15 0)	(14·8)	(—)
SOURCES OF FUND : TOTAL	68·64	75 50	97 29	687·09
	(100·00)	(100 00)	(100 00)	(100·00)
B. USES OF FUNDS :				
1. *Disbursement of assistance*				
(a) Rupee loans	33 51	38 34	53·59	394·46
(b) Foreign currency sub-loan	2·51	2·99	3 07	54·84
(c) Subscriptions to shares and debentures of industrial concerns under underwriting obligations etc	1 06	2 40	1·72	32 63
(d) Amount met under guarantee obligations	—	0 24	0·16	9 93
SUB-TOTAL	37 08	43 97	56 54	491·86
	(54·0)	(58 2)	(60·2)	(71 65)
2 Loan amounts converted into equity shares of assisted concerns	—	0 67	0·77	1·61
		(0 9)	(0·8)	(0·2)
Repayment of borrowings				
3 Repayment of loans to Central Government	6·55	6 86	7 19	61·82
4. Redemption of bonds	6 00	—	11·04	39 28
5. Repayment of loans to foreign credit institutions	2 47	2 40	2·19	26 55
6 Repayment of other borrowings	0 89	1 93	2 13	4·95
SUB-TOTAL	15 91	11 19	22 55	132 60
	(23·2)	(14 8)	(23·2)	(19·3)
Other uses				
7 Subscription to share capital/initial capital of financial/ developmental institutions	0 50	0·01	0 06	0 78
8 Allocations to Management Development Institute	0·34	0·32	0 32	1 36
9. Allocations to Risk Capital Foundation	—	—	0·33	0. 33
10. Provision for income Tax	1 99	1 48	2 22	30·02**
11 Dividend	0 60	0 60	0 60	7·26
12. Net miscellaneous uses	0 92	2 87	3·04	12 41
SUB-TOTAL :	4 35	5 28	6·57	52 16
	(6 3)	(7 0)	(6·7)	(7 6)
13. Closing cash and bank balances	11 30	14 39	8 86	8 86
	(16·5)	(19·1)	(19 1)	(1·3)
USES OF FUNDS : TOTAL	68 64	75 50	97·29	687·09
	(100 00)	(100 00)	(100 00)	(100 00)

*Does not include Rs 2 66 crores converted into loan and Rs 1 22 crores converted into equity shares which were disposed of, under rehabilitation schemes in respect of two concerns

@Out of Interest Differential Funds in terms of KfW loan agreements.

**Includes Income Tax to the extent of Rs 28 01 crores actually paid.

NOTE : Figures in brackets indicate percentages to the total.

ACCOUNTS

69. The gross profit for the year amounted to Rs 545 97 lakhs. After providing Rs 221 97 lakhs (net) for taxation, the net profit amounted to Rs. 324 00 lakhs as against Rs 269 50 lakhs for the year 1975-76 The appropriations to reserves amounted to Rs 263.00 lakhs compared with Rs. 209.00 lakhs last year Allocation to the Staff Welfare Fund amounted to Rs 1.00 lakh.

Dividend

70 With the transfer of Rs 38 00 lakhs to the General Reserve Fund out of profits for the year, the total amount in the Fund amounted to Rs 12 88 crores As in the last year, the Corporation has declared a dividend of 6% on the paid-up capital in respect of the year ended June 30, 1977

RESERVES

71. The sum total of the Reserves held by the Corporation as on June 30, 1977 stood at Rs 26 37 crores which comprised the following :

(Rs. Crores)

General Reserve Fund (under Section 32 of the IFC Act)	12 88
Reserve Fund (under Section 32A of the IFC Act)	1 00
Special Reserve (under Section 36 (1) (viii of the Income Tax Act, 1961)	6 91
Reserve for Doubtful Debts	4 70
Benevolent Reserve Fund (under Section 32B of the IFC Act)	0·88
TOTAL RESERVES	26 37

The reserves exceeded the paid-up capital by Rs 16 37 crores The details of the various reserves held by the Corporation are given below.

General Reserve Fund

The General Reserve Fund increased to Rs 1288 00 lakhs pursuant to the transfer of a sum of Rs 38 00 lakhs out of the current year's profits to the Fund.

Reserve Fund

The balance in the Reserve Fund under Section 32A of the IFC Act remained at Rs 100 00 lakhs as on June 30, 1977 being the maximum permissible balance in the Fund under the Act

Special Reserve

A sum of Rs 140 00 lakhs being 25% of the total income has been transferred this year to the Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 as against Rs 42 00 lakhs being 10% of the total income transferred last year. It has been possible to transfer an additional 15% out of the total income this year because of the amendment made to Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 vide Finance (No. 2) Act, 1977 With this transfer of Rs 140 00 lakhs, the balance to the credit of the Special fund stands at Rs 690 78 lakhs

Benevolent Reserve Fund

A sum of Rs 25 00 lakhs has been transferred out of the current year's profits to the Benevolent Reserve Fund under Section 32 B of the Industrial Finance Corporation Act to be utilised as under

(a) for meeting the cost of feasibility studies, project reports, market and techno-economic surveys and such other purposes which in the opinion of the Corporation, may promote the development of industries;

(b) in the field of development banking and in financial and industrial management—

(i) for undertaking and promoting research,

(ii) for training in India or abroad of personnel of financial institution, and

(iii) for creating chairs in universities, academic institutions and research foundations,

(c) for assisting projects promoted by technologists and new entrepreneurs—

(i) by subsidising the normal lending rate of interest of the Corporation in respect of loans or advances sanctioned to them,

(ii) by providing technical and managerial assistance to projects promoted by them especially in industrially less developed regions,

(d) for rendering any assistance that may be ancillary or incidental to the aforementioned purposes

The amount to the credit of the Benevolent Reserve Fund was Rs. 88 60 lakhs as on June 30, 1977

Reserve for Doubtful Debts

Based on a review of the loan accounts as at the end of the year and keeping in view the growing size of the operations of the Corporation, and the fact that schemes for rehabilitation of certain projects may take time to mature, the Directors have decided, as a measure of prudence, to transfer an amount of Rs 60 00 lakhs from the profit of the year under report to the Reserve for Doubtful Debts which now stands at Rs 469.80 lakhs

Provision for Income-tax

72 The assessment proceedings for the accounting years ended June 30, 1972, 1973, 1974, 1975 and 1976 were not finalised by the close of the annual accounts In respect of the accounting year ended June 30, 1977 a sum of Rs 221 97 lakhs has been provided in the accounts for taxation.

73 A summary of the Profit and Loss Statement for the year ending June 30, 1977 is given in Table 24

74 A statement showing the working results for the last five years is given in Table 25

TABLE 24

Summary Profit and Loss Statement—1976-77

(Rs Lakhs)

	This year	Previous Year
The year's working shows a gross income of	2423 17	1957 92
Deducting from gross income		
Interest paid on bonds and other borrowings	1545·31	1283 89
Other expenses and loss on sale of investments	331·89	256 40
And after providing for taxation (net)	221 97	148·13
The net profit for the year is,	324 00	269 50
Appropriation		
Transfer to General Reserve Fund	38·00	75 00
Tansfer to Special Reserve (Under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961)	140 00	42·00
Transfer to Benevolent Reserve Fund	25·00	32 00
Transfer to Reserve for Doubtful Debts	60 00	60 00
Transfer to Staff Welfare Fund	1·00	0·50
Payment of Dividend @ 6% on the paid-up share capital of Rs. 10·00 crores for the year	60 00	60 00
	324·00	269 50

TABLE 25

Working Results for the Last Five Years

(Rs Lakhs)

	For the years ended June 30				
	1973	1974	1975	1976	1977
Interest earned	1356 97	1613 24	1683 38	1848 94	2305·76
Other income	141·20	163 28	98 94	108 98	117 41
Total income	1498 17	1776 52	1782·32	1957 92	2423·17
Interest paid	917 13	1006·52	1131 98	1283 89	1545·31
Discount and brokerage on bonds	7 61	3·68	33 06	51·47	75 77
Establishment expenses inclusive of medical fees and expenses and interest on employees provident fund	71 03	89 20	103·20	138 31	112·50
Grant to Management Development Institute	—	5·00	5 00	5 00	5 00
Loss on investments	1 29	71 60	—	9 07	63 90
Other expenses	49 18	46 87	49·81	52 55	74 72
Total expenditure	1046 24	1222·87	1323 35	1540 29	1877·20
Gross profit	451·93	553·65	458 97	417·63	545 97
Provision for taxation (net)	161 53	228 65	198 97	148·13	221 97
Net profit	290 40	325 00	260·00	269 50	324 00
To reserves	232 70	264 00	199 00	209 00	263 00
To Staff Welfare Fund	1 00	1 00	1 00	0·50	1 00
To dividend	56 70	60 00	60 00	60 00	60 00

SILVER JUBILEE MEMORIAL LECTURE

75 The fourth IFCI Silver Jubilee Memorial Lecture was delivered on October 12, 1976 by Mr Antonio Ortiz Mena, President, Inter-American Development Bank (IDB), Washington. The subject of his lecture was "Development Banking in Latin America the Role and Experience of IDB" This Memorial Lecture was instituted by the Corporation in 1973 as an annual feature to commemorate its Silver Jubilee The main objective in having these annual Lectures is to build up expertise and professional literature in the field of development banking Since the inauguration of the Memorial Lecture four years ago, the Corporation has had the privilege of having, as speakers, outstanding personalities in the field of development banking, who represented institutions diverse in character, structure and experience

Delivering this year's lecture, Mr Mena traced the history of the Inter-American Development Bank and recalled that IDB was established late in 1959 by 19 Latin American countries and the United States of America It was the first regional agency ever established to promote economic and social development on a multi-lateral basis

Speaking on the character and organisation of IDB, Mr Mena said that the Bank's charter contained provisions that were well ahead of their time—provisions which, from the very outset, enabled the Institution to apply innovative and flexible polices attuned to continuing changes in the process of development of the member countries

Dealing with the loan and technical cooperation activities, Mr Mena stated that the annual growth of the Bank's lending programmes, both in volume and in sectoral distribution, was the most significant measure of IBD's contribution to the region's economic and social development During the 1961-65 period IDB authorised loans for a gross total of $ 1 6 billion During the next two five-year periods, the figure rose to $ 2 6 billion and then to $ 4.8 billion Mr Mena observed that this trend reflected the progress made by the countries of the region, expressed in their ability to absorb external resources for increasingly larger and more sophisticated projects—a situation which also reveals the advances achieved in strengthening the public and private institutions, which have the principal responsibility for executing and administering investments for development.

As regards technical cooperation provided by the Bank, Mr Mena said that in 1961-65 it amounted to $ 54 million, rising in 1966-70 and 1971-75 to $ 104 million and $ 162 million respectively Mr Mena said that in both its loan and technical co-operation activities, IDB has given increasingly preferential treatment to the less developed member countries and those of limited market.

The proceeding of the Lecture have been published

Board of Directors

76. In terms of Section 10(1)(b) of the IFC Act, 1948, the Central Government nominated Shri M Dandapani, Joint Secretary to the Government of India, Department of Economic Affairs (Banking Division) and Shri P C. Nayak, Joint Secretary to Government of India, Department of Industrial Development, as Directors, in place of Shri M K Venkatachalam and Shri R V Raman, respectively.

Shri A B Majumdar representing scheduled banks and Shri R M Mehta representing insurance concerns, investment trusts and other like financial institutions, resigned from the directorship of the Corporation with effect from November 25, 1976, and January 19, 1977, respectively Sarvashri P C D Nambiar, Managing Director, State Bank of India (now Chairman) and Shri J Matthan, Executive Director (Investment), Life Insurance Corporation of India (now Managing Director) were elected at the Special General Meeting of the shareholders of the Corporation convened on February 21, 1977, to fill the casual vacancies caused by the resignations of Sarvashri A B Majumdar and R. M. Mehta

Shri Bishnu Banerjee Director nominated by the Industrial Development Bank of India (IDBI) resigned from the directorship of the Corporation with effect from February 15, 1977 Dr D T Lakdawala, Director, nominated by the Industrial Development Bank of India, resigned from the directorship of the Corporation with effect from June 1, 1977, consequent upon his appointment as Deputy Chairman, Planning Commission

The Board place on record their high appreciation of the valuable services rendered by Shri M K Venkatachalam, Shri R V Raman, Shri A M Majumdar, Shri R M Mehta, Shri Bishnu Banerjee and Dr D T Lakdawala, while they were associated with the Corporation and extend a hearty welcome to the new Directors.

Meetings of the Board and other Committees

77 Thirteen meetings of the Board were held during the year, seven in New Delhi and one each at Hyderabad, Madras, Trivandrum, Calcutta, Ahmedabad and Bangalore As in the past, whenever meetings of the Board were held outside Delhi, opportunity was taken by the Chairman and members of the Board to meet officials of the State Governments and other financial and developmental institutions based in the State Capitals and also representatives of local business and industry associations or chambers, with a view to having better appreciation of industrial climate in the State or the region and the problems of some of the assisted concerns

Five meetings of the Committees of the Board were also held during the year.

Advisory Committees

78 The number of meetings of the various Advisory Committees held during the year was as under :

Name of the Advisory Committee	*Number of meetings held*
Chemical Process and Allied Industries	9
Engineering	7
Sugar	9
Textiles	7
Hotels	3
Jute	3

These meetings considered applications for various types of financial assistance from 92 concerns.

Five meetings of the Local Advisory Committees of the Corporation were held during the year at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Hyderabad and Madras.

The Corporation continued to maintain a panel of technical experts and consultants for various industries to have the benefit of their special expertise and to co-opt them, where necessary, on the appropriate Committees as members.

Auditors

79 M/s. A. F. Ferguson & Co., Bombay were appointed by the Industrial Development Bank of India as auditors of the Corporation for the year ended June 30, 1977. At the last Annual General Meeting of the Shareholders of the Corporation held on September 23, 1976, M/s. Haribhakti & Co., Bombay were elected auditors by the shareholders, other than IDBI, for the same period. M/s. Haribhakti & Co. will retire at the end of the year, but are eligible for re-election.

Progressive use of Hindi in the Corporation

80 In pursuance of Government's policy regarding the progressive use of Hindi for official purposes, the Corporation has been making efforts to promote use of Hindi in the Corporation. Three Official Languages Implementation Committees, one each at the Head Office, Bombay and Delhi Regional Offices are functioning to monitor progress in this direction and to suggest ways and means to further the use of Hindi in the Corporation. The meetings of these Committees are held quarterly. The Corporation has nominated its officers on the Town Official Languages Implementation Committees constituted by Government at various places for discussing problems and suggesting measures for implementing the orders of Government regarding use of Hindi in the offices of the town.

The Corporation has also adopted the Hindi Teaching Scheme of Government. Under the Scheme, classes are held to prepare the employees for the various Hindi examinations as also for Hindi typewriting/stenography examinations. So far, 121 employees of the Corporation have passed the different examinations under the Scheme. Besides, one stenographer and four typists have qualified in Hindi stenography and Hindi typewriting examinations respectively. To encourage the employees to learn Hindi, the Corporation has also introduced certain incentive schemes.

International Conferences

81 The Chairman participated in the Sixth Regional Conference of Development Financing Institutions of Asia and the Pacific held at Manila from September 29, 1976 to October 1, 1976.

The Seventh Meeting on Cooperation Among Industrial Development Financing Institutions organised by the United Nations Industrial Development Organisation was held from November 29 to December 2, 1977 at New Delhi. The Chairman and the principal officers of the Corporation participated in the conference as delegates.

The General Manager, Shri R. B. Mathur of the Corporation participated in the Fourth Special Session of Industrial Finance Seminar of Industrial Bank of Japan held at Tokyo from May 16 to 23, 1977.

Training of Personnel

82 The Corporation continues to pay considerable attention to various aspects of executive development. During the year, 50 officers of the Corporation attended the various courses conducted by the Management Development Institute, New Delhi, Bankers Training College, Bombay, National Productivity Council, New Delhi, etc. Two in-company programmes were also organised at Head Office and 45 officers attended these programmes. An in-company programme for the Assistants at Head Office was also organised which was attended by 34 Assistants.

Management Trainees

83 The Corporation, for the first time in its history, introduced during the year a scheme of management trainees to strengthen its organisational set-up. The first batch of 29 management trainees who joined the Corporation came from different disciplines and were selected after written tests and interviews. Their training in the Corporation commenced on June 1, 1977. After one month of orientation and foundational training through class room sessions and discussions with senior officers of the Corporation, the trainees are currently going through an intensive programme of training by attachment to the different departments of the Corporation. Thereafter the trainees would be given on-the-job training, after which they will join the ranks of junior officers in the different departments of the Corporation.

Staff Welfare Fund

84 During the year, the Staff Welfare Fund was utilised for giving scholarships to the children of the employees of the Corporation, interest-free loans for self-development of employees, ex-gratia payments and reimbursement of school fees. Grants were given to recreation clubs at Head Offices and Bangalore Office. During the year, amendments were made to the Staff Welfare Fund Regulations so as to assist the employees in the purchase of certain household goods as also interest-free advance for self marriage and that of dependent children. Further, provisions have been made for grant of awards to the children of employees, reimbursement of tuition fees, etc., subject of certain condition.

During the year, the Corporation opened a holiday-home at Srinagar and efforts are being made to establish such holiday-homes at other places.

Changes in Senior Management

85 Shri R. B. Mathur, on the expiry of his two years' period of re-employment, relinquished the charge of the office of General Manager on August 9, 1977 afternoon.

Shri M. S. Nagratha, Joint General Manager, who was re-employed for two years with effect from September 20, 1976, was appointed as General Manager, with effect from August 9, 1977, afternoon. Earlier, Shri Nagratha was promoted to the post of Joint General Manager with effect from December 1, 1976.

Sarvashri P. S. Gopalakrishnan and D. N. Davar were promoted as Deputy General Managers with effect from December 1, 1976. Shri Davar took over charge of the office of Joint General Manager from the afternoon of August 9, 1977.

Shri A. K. Ghose, Deputy Legal Adviser, was promoted to the post of Legal Adviser with effect from November 1, 1976 *vice* Shri T. M. Sen, who proceeded on leave preparatory to retirement on October 31, 1976.

Dr. J. C. Rao, Economic Adviser, was promoted as Economic and Statistical Adviser with effect from December 1, 1976.

Shri N. P. Chakraborty was re-employed as Officer on Special Duty for a further period of one year with effect from May 1, 1977.

Shri M. N. Khushu, Regional Manager at Madras Regional Office was promoted as Assistant General Manager with effect from December 1, 1976.

Shri R. N. Sahoo, Assistant General Manager at Calcutta Office took over charge of Bombay Regional Office on December 16, 1976 *vice* Shri I. S. Nangia, Assistant General Manager, who opted for voluntary retirement.

Shri S. K. Bhattacharya, Manager in-charge of Calcutta Regional Office was promoted as Regional Manager with effect from December 1, 1976.

Sarvashri V. S. R. K. Sastry and N. Krishnaswamy, Managers were promoted as Senior Managers with effect from December 1, 1976.

Sarvashri S. K. Rishi, S. P. Banerjee, P. Brahmachari, F.M. Patnaik and K. C. Hukmani, Managers (Tech.) were promoted as Senior Managers (Tech.) with effect from December 1, 1976.

Shri S K Mitra, Manager (Law) was promoted as Assistant Legal Adviser with effect from June 9, 1977

Shri P N Rao, Chief Engineer, National Sugar Institute joined the Corporation on April 1, 1977 on deputation as Officer on Special Duty in the rank of Assistant General Manager

Shri R. R Rao, Regional Manager took over charge of Delhi Regional Office on December 20, 1976 *vice* Shri W. N Kapur, Regional Manager, who proceeded on leave preparatory to retirement

Acknowledgement of Assistance Received

86 The Board wish to place on record their appreciation of the cooperation, cordiality and assistance received from the various Ministries and Departments of the Government of India, the all-India financial institutions and the State Governments and State-level financial and developmental institutions The Board are grateful to the members, who have served on the various Advisory Committees of the Corporation, for their valuable assistance and advice, and also to the non-officials, who served as the Corporation's nominees on the Boards of Directors of the various assisted concerns The Board gratefully acknowledge the continued support and cooperation extended to the Corporation by the management of the Kreditanstaltfur-Wiederaufbau, Overseas Development Ministry of the U K Government and Swedish International Development Authority. The Board also wish to express their appreciation for the loyal and devoted service put in by the officers and the staff of the Corporation during the year.

On behalf of the Board of Directors

BALDEV PASRICHA
Chairman

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA
REPORT OF THE AUDITORS

TO THE SHAREHOLDERS

OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Industrial Finance Corporation of India, do hereby report to the Share holders upon the Balance Sheet and Accounts of the Corporation as at 30th June, 1977.

We have examined the attached Balance Sheet with the Accounts and Vouchers relating thereto and the audited returns from the Branches, which returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanations and information, such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet together with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with The Industrial Finance Corporation Act, 1948 and the Rules of the Corporation so as to exhibit a true and correct view of the state of the affairs of the Corporation according to the best of our information and explanations given to us and as shown by the books of the Corporation

HARIBHAKTI & CO.
A. F. FERGUSON & CO
Chartered Accountants

Place : Chandigarh
Date . 29th August, 1977

Balance Sheet as at

Serial No.	*Liabilities*	*Schedule*	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
(1)	SHARE CAPITAL	A	10,00,00,000	10,00,00,000
(2)	RESERVES AND RESERVE FUND	B	26,37,18,012	24,16,26,735
(3)	LONG TERM BORROWINGS	C	264,89,57,143	229,94,15,591
(4)	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	D	17,69,67,272	15,58,17,590
(5)	OTHER LIABILITIES	E	6,16,63,017	8,09,63,751
(6)	CONTINGENT LIABILITIES AS PER CONTRA	F	4,05,36,438	6,16,46,002
			329,18,41,882	293,94,69,669

Profit and Loss Accounts for the

Expenditure	Rs.	*This year* Rs	*Previous year* Rs.
Interest on Bonds, Borrowings etc.		15,45,30,508	12,83,88,930
Commitment Charges on foreign currency loans		2,77,090	2,02,346
Brokerage on issue of Bonds		23,42,613	15,66,823
Discount on issue of Bonds		52,34,610	35,79,846
Loss on Investments		63,89,970	9,07,498
Establishment Expenses		1,12,49,782	1,38,31,039
Directors' and Committee Members' Fees and Expenses		2,67,476	4,55,456
Rent, Taxes, Insurance and Lightings		25,31,480	19,99,771
Postage, Telegrams, Stamps and Telephones		6,66,804	4,34,719
Printing, Stationery and Advertisement		5,87,765	5,22,779
Law Charges		1,62,671	8,512
Audit Fees		43,000	38,000
Travelling and Halting Expenses		4,51,393	4,20,508
Other Expenses		13,87,340	9,29,257
Bad Debts written off		8,00,000	—
Depreciation		2,97,683	2,43,495
Grant to Management Development Institute		5,00,000	5,00,000
Provision for taxation	2,21,96,854		2,03,99,567
Less : Income Tax refunds and adjustments in respect of earlier years	—		55,86,299
		2,21,96,854	1,48,13,268
Net Profit for the year carried down		3,24,00,000	2,69,50,000
		24,23,17,039	19,57,92,247
Amounts Transferred to—			
General Reserve Fund		38,00,000	75,00,000
Special Reserve (Under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)		1,40,00,000	42,00,000
Benevolent Reserve Fund		25,00,000	32,00,000
Staff Welfare Fund		1,00,000	50,000
Reserve for Doubtful Debts		60,00,000	60,00,000
Proposed Dividend		60,00,000	60,00,000
		3,24,00,000	2,69,50,000

As per our report attached.

HARIBHAKTI & Co
A. F. FERGUSON & Co
Chartered Accountants

P. C. Nayak
M. Dandapani
C. T. Das
} Directors

S. D. Khosla
Shamrao Kadam
J. U. Patel
} Directors

30th June, 1977

Serial No.	*Assets*	*Schedule*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(1)	CASH AND BANK BALANCE	G	8,85,90,479	14,39,14,207
(2)	INVESTMENTS	H	20,82,66,195	21,58,53,783
(3)	LOANS AND ADVANCES	I	286,42,49,601	244,56,88,611
(4)	FIXED ASSETS	J	87,47,112	57,71,001
(5)	OTHER ASSETS	K	8,14,52,057	6,65,96,065
(6)	CONSTITUENTS' OBLIGATIONS AS PER CONTRA	L	4,05,36,438	6,16,46,002
			329,18,41,882	293,94,69,669

Year ended 30th June, 1977

Income	*This Year Rs.*	*Previous year Rs.*
Interest	23,05,75,909	18,48,93,925
Commission	12,26,666	16,35,954
Profit on sale of investments	9,12,341	23,47,733
Profit on sale of assets	6,960	14,144
Dividend on Shares	44,71,602	21,63,564
Commitment Charges	44,72,047	38,30,551
Miscellaneous Income	6,52,514	9,06,376
	24,23,17,039	19,57,92,247
Net Profit for the year brought down	3,24,00,000	2,69,50,000
	3,24,00,000	2,69,50,000

M. S. Nagratha
General Manager

Baldev Pasricha
Chairman

SCHEDULE A
SHARE CAPITAL

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
AUTHORISED :		
40,000 shares of Rs. 5000/- each	20,00,00,000	20,00,00,000
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP (Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under-Section 5 of the IFC Act, 1948)		
(*i*) 10,000 shares of Rs. 5000/- each fully paid-up	5,00,00,000	5,00,00,000
(*ii*) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5000/-. each fully paid-up	2,00,00,000	2,00,00,000
(*iii*) 2,692 (Third Series) shares of Rs. 5000/- each fully paid-up	1,34,60,000	1,34,60,000
(*iv*) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5000/- each fully paid-up	1,65,40,000	1,65,40,000
	10,00,00,000	10,00,00,000

NOTE: Guaranteed minimum annual dividend is 2¼% in case of item (*i*), 4% in case of items (*ii*) and(*iii*) and 4½% in case of item (*iv*).

SCHEDULE B
RESERVES AND RESERVE FUND

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	Rs.	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
(*i*) General Reserve Fund (Under Section 32 of the IFC ACT, 1948)			
Balance as per last Balance Sheet	12,50,00,000		11,75,00,000
Transferred from Profit & Loss Account	38,00,000		75,00,000
		210,88,00,000	12,50,00,000
(*ii*) Reserve fund (Under Section 32 A of the IFC Act, 1948)		1,00,00,000	1,00,00,000
(*iii*) Benevolent Reserve Fund (Under Section 32B of the IFC Act, 1948)			
Balance as per last Balance Sheet	1,05,68,752		79,51,008
Transferred from Profit & Loss Account	25,00,000		32,00,000
	1,30,68,752		1,11,51,008
Less : Amount utilised	42,08,723		5,82,256
		88,60,029	1,05,68,752
(*iv*) Special Reserve (Under Section 36(1)(*viii*) of the Income Tax Act, 1961)			
Balance as per last Balance Sheet	5,50,78,362		5,08,78,362
Transferred from Profit & Loss Account	1,40,00,000		42,00,000
		6,90,78,362	5,50,78,362
(*v*) Reserve for doubtful debts			
Balance as per last Balance Sheet	4,09,79,621		3,49,79,621
Less: Bad debts written off during the year			
	4,09,79,621		34,9,79,621
Add : Transferred from Profit & Loss Account	60,00,000		60,00,000
		4,69,79,621	4,09,79,621
		26,37,18,012	24,16,26,735

SCHEDULE C
LONG TERM BORROWINGS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*This year* Rs.	*previous year* Rs.
1. BONDS (UNSECURED—ISSUED UNDER SECTION 21 OF THE IFC ACT, 1948 GUARANTEED BY THE GOVERNMENT OF INDIA)		
4¾% Conv. Bonds 1976	—	4,45,50,000
4¾% Bonds 1976	—	6,58,48,100
5½% Bonds 1977	2,00,00,000	2,00,00,000
5½% Bonds 1978	6,12,90,000	6,12,90,000
5¾% Bonds 1979	8,24,86,700	8,24,86,700
5¾% Bond 1980	8,33,30,800	8,33,30,800
5¾% Bonds 1981	5,50,00,000	5,50,00,000
5¾% Bonds 1982	4,95,00,000	4,95,00,000
5¾% Bonds 1983	8,80,08,000	8,80,08,800
5¾% Bonds 1984	11,00,67,300	11,00,67,300
5¾% Bonds 1985	13,16,67,800	13,16,67,800
6% Bonds 1986	7,99,08,000	7,99,08,000
6% Bonds 1984	11,00,12,000	11,00,12,000
6% Bonds 1985	12,47,37,800	12,47,37,800
6% Bonds 1985 (Second Series)	16,54,79,200	16,54,79,200
6% Bonds 1986 (Second Series)	19,25,05,400	19,25,05,400
6% Bonds 1986 (Third Series)	32,45,87,200	—
6% Bonds 1987	19,88,73,800	—
	187,74,54,800	146,43,91,900
2 BORROWINGS		
(*i*) From Industrial Development Bank of India (Under Section 21(4) of the IFC Act, 1948) secured by 6¾% Adhoc Bonds of the face value of Rs. 5 crores issued by the Corporation	5,00,00,000	5,00,00,000
(*ii*) From Government of India (Under Section 21(4) of the IFC Act, 1948)	48,82,43,503	55,64,06,509
(*iii*) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-Fur-Wiederaufbau	1,26,75,000	89,64,000
(*iv*) From Foreign Credit Institutions in foreign currencies	22,05,83,840	21,96,53,182
	264,89,57,143	229,94,15,591

SCHEDULE D
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*Rs.*	*Rs.*	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
A. CURRENT LIABILITIES				
(*i*) Short term borrowings from Reserve Bank of India—Secured by bonds issued by the Corporation of the face value of Rs 3·25 crores (Under Section 21(3)(*b*) of the IFC Act, 1948.			25,00,000	—
(*ii*) Sundry creditors			2,00,69,220	1,33,34,901
(*iii*) Interest accrued but not due :				
(*a*) On borrowings from—				
(*i*) Government of India	1,03,77,071			1,13,34,977
(*ii*) Foreign credit institutions in foreign currencies	3,60,066			4,81,802
	1,07,37,137			1,18,16,779
(*b*) On Bonds	2,08,92,495			1,51,29,030
			3,16,29,632	2,69,45,809

SCHEDULE D (*Contd*)

Description	*Rs*	*Rs.*	*This year* *Rs*	*Previous year* *Rs.*
(*iv*) Advance guarantee commission			1,37,191	2,51,549
(*v*) Advance received on account of legal charges			1,55,300	1,74,050
(*vi*) Unclaimed dividend			462	14,746
(*vii*) Commitment charges accured on borrowings from foreign credit institutions in foreign currencies			46,393	232
(*viii*) Advance from applicants towards expenses for appraisal			2,70,470	—
B. PROVISIONS				
(*i*) Difference in exchange Suspense Account			2,40,08,574	1,75,26,089
(*ii*) Amount held in suspense:				
(*a*) Interest	1,15,84,053			7,47,38,644
(*b*) Commitment Charges	85,832			2,48,218
(*c*) Incidental Charges	2,37,704			2,49,125
(*d*) Guarantee Commission	1,70,051			1,70,051
			7,20,77,640	7,54,06,038
(*iii*) Provision for taxation :				
Balance as per last Balance Sheet		11,11,71,504		9,29,71,937
Add : Provision for the year		2,21,96,854		2,03,99,567
		12,33,68,358		11,33,71,504
Less : Adjustments in respect of earlier years		—		22,00,000
		13,33,68,358		11,11,71,504
Less : Tax deducted at source	1,18,64,518			1,05,96,076
Advance tax paid	10,14,31,450			8,44,11,252
		11,32,95,968		9,50,07,328
			2,00,72,390	1,61,64,176
(*iv*) Proposed dividend			60,00,000	60,00,000
			12,21,58,604	11,50,96,303
			17,69,67,272	15,58,17,590

SCHEDULE E
OTHER LIABILITIES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*Rs.*	*This year* *Rs.*	*Previous year* *Rs.*
(*i*) Specific grant from Government			
Balance as per last Balance Sheet	—	—	—
Grant received in terms of Agreement with Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	37,11,000		30,28,000
	37,11,000		30,28,000
Less: Amount utilised	32,85,000		30,28,000
		4,26,000	—
(ii) Staff Welfare Fund :			
Balance as per last Balance Sheet	4,58,261		4,35,452
Less : Amount utilised	35,749		27,191
	4,22,512		4,08,261

SCHEDULE E
OTHER LIABILITIES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
Add : Amount transferred from Profit & Loss Account	1,00,000		50,000
		5,22,512	4,58,261
(iii) Industrial Finance Corporation Empoyees' Provident Fund		1,04,63,505	89,23,490
(iv) Liability in respect of rights and interest in loans and advances transferred under Section 21B of the IFC Act, 1948		5,02,51,000	7,15,82,000
		6,16,63,017	8,09,63,751

SCHEDULE F
CONTINGENT LIABILITIES AS PER CONTRA

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(i) Gurantees (Under Section 23(1) (b) of the IFC Act, 1948)		1,43,23,700	2,40,48,769
(ii) Foreign loan guarantees (Under Section 23 (1) (c) of the IFC Act, 1948)		2,07,88,887	3,10,09,615
(iii) Deferred French Credit on account of principal amount		54,23,851	65,87,608
(iv) Underwriting contracts (Under Section 23(1) (d) of the IFC Act, 1948) (Previous year—Rs. 22,50,000/-)	1,02,25,000		
(v) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares held as investment under Section 23(1) (d) and Section 23(1)(f) of the IFC Act, 1948 (Previous year—Rs. 52,05,538/-)	18,34,825		
		4,05,36,438	6,16,46,002

SCHEDULE G
CASH AND BANK BALANCES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(i) Cash and stamps in hand at Head Office and at Branches		23,192	22,358
(ii) Cheques in hand and under collection		2,02,74,209	1,33,20,302
(iii) Balance with Banks :			
(a) On Current Account :			
In India	1,81,25,635		1,59,56,010
Outside India	67,443		15,537
	1,81,93,078		1,59,71,547
(b) On Fixed Deposit Account	5,01,00,000		11,46,00,000
		6,82,93,078	13,05,71,547
		8,85,90,479	14,39,14,207

SCHEDULE H
INVESTMENTS (AT COST)

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous yea.. Rs.*
(*i*) Under Section 20 of the IFC Act, 1948 Initial Capital/Shares of certain financial institutions		71,00,000	71,00,000
(*ii*) Under Section 23(1)(d) of the IFC Act, 1948			
(*a*) Stocks, Shares, Bonds and Debentures of Industrial concerns	14,64,52,290		16,56,77,848
(*b*) Application money paid on shares, debentures etc.	2,62,500		
		1,67, 14,790	16,56,77,848
(*iii*) Under Section 23(1)(*f*) of the IFC Act, 1948			
(*a*) Shares	3,66,03,515		3,16,52,795
(*b*) Application money paid on shares	—		3,06,250
		3,66,03,515	3,19,59,045
(*iv*) Under Section 23(1)(i) of the IFC Act, 1948 Debentures	7,65,000		17,40,000
Shares acquired under the proviso to Section 23(1)(i) of the IFC Act, 1948	1,70,82,890		93,76,890
		1,78,47,890	1,11,16,890
		20,82,66,195	21,58,53,783
(*a*) Quoted Investments			
Book value		9,50,64,835	9,00,35,200
Market value		9,14,22, 467	8,66,74,560
(*b*) Investments, quotations for which are not available.			
Book value		11,32,01,360	12,58,18,583

SCHEDULE I
LOANS AND ADVANCES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
Loans and Advances:		
In Indian Currency	260,42,45,786	218,06,05,687
In Foreign Currencies	26,00,03,815	26,50,82,924
	286,42,49,601	244 56 ,88,611

Notes:		
(*a*) Debts due by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors in the capacity of nominee Directors.	3,18,02,332	2,15,78,496
(*b*) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors in the capacity of nominee Directors	80,00,000	50,00,000
(*c*) Total amount of instalments whether of principal or interest overdue by concerns in which Directors of the Corporation are interested as Directors	Nil	Nil

SCHEDULE J
FIXED ASSETS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*Rs.*	*Rs*	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
1. Leasehold Land				
Cost as per last Balance Sheet		14,40,817		13,60,816
Additions during the year		30,401		80,001
			14,71,218	14,40,817
2. Freehold Land and Buildings				
Cost as per last Balance Sheet		31,51,989		31,50,063
Additions during the year		28,03,693		1,926
		59,55,682		31,51,989
Less: Depreciation				
Upto last year	1,49,238			92,142
For the year	69,526			51,096
		2,18,764		1,49,238
			57,36,918	30,02,751
3. Motor cars, Cycles, Furniture, Fixtures, Fittings etc.				
Cost as per last Balance Sheet		26,04,873		24,71,988
Additions/Adjustments during the year		4,50,642		1,81,845
		30,55,515		26,53,833
Less: Sold/discarded		32,799		48,960
		30,22,716		26,04,873
Less: Depreciation				
Upto last year	12,77,440			11,14,386
For the year	2,28,157			1,92,399
	15,05,597			13,06,785
Deduct : On assets sold/discarded	21,857			29,345
		14,83,740		12,77,440
			15,38,976	13,27,433
			87,47,112	57,71,001

SCHEDULE K
OTHER ASSETS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*Rs*	*This year* *Rs*	*Previous year* *Rs*
(*a*) Interest accrued but not due:			
(*i*) On Fixed Deposits with Banks	3,78,298		8,28,329
(*ii*) On Debentures	4,97,108		14,46,657
(*iii*) On Loans & Advances	5,09,78,796		4,15,32,637
(*iv*) Others	7,61,569		5,54,153
		2,26,15,711	4,43,61,776
(b) Commitment and other charges accrued		23,54,738	20,43,783
(c) Sundry Debtors		2,12,38,069	1,60,05,380
(d) Advances to Staff		35,72,333	33,99,976
(e) Stock of Stationery		1,43,061	1,26,580
(f) Telephone Deposits		36,274	37,036
(g) Prepaid Expenses		85,459	77,768
(h) Agency Commission accrued		66,640	1,35,505
(i) Net Assets of Staff Welfare Fund		4,22,512	4,08,261
(j) Deposit under "Companies Deposits (Surcharge on Income Tax) Scheme 1976"		9,17,200	—
		8,14,52,057	6,65,96,065

SCHEDULE L
CONSTITUENTS' OBLIGATIONS AS PER CONTRA

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1977

Description	*This year* *Rs.*	*Previous year* *Rs.*
(*a*) Guarantees (Under Section 23(1)(*b*) of the IFC Act, 1948)	1,43,23,700	2,40,48,779
(*b*) Foreign Loan guarantees (Under Section 23(1)(*c*) of the IFC Act, 1948)	2,07,88,887	3,10,09,615
(*c*) Deferred French Credit account of principal amount	54,23,851	65,87,608
	4,05,36,438	6,16,46,002

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1 No provision has been made for depreciation in the value of investments held by the Corporation because it is felt by the Corporation that such depreciation is a normal incident of the business of a development bank.

2 Investments under Section 23(1)(d) of the IFC Act, 1948 include a sum of Rs. 11,84,500/- (Previous year Rs 21,66,900/-) in the share capital of two companies (Previous year three companies) which have gone into liquidation and the Corporation is not likely to realise the full amount invested. No specific provision has been made in respect thereof

3. Loans and Advances include Rs 4,56,04,000/-(Previous year Rs 7,02,87,447/-) in respect of which the rights and interests of the Corporation have been transferred under Section 21B of the IFC Act, 1948.

4 "Sundry Debtors" include a sum of Rs. 1,05,00,000/-(Previous year Rs. 1,25,00,000/-) being the balance amount due in four annual instalments from a State Government in respect of the sale price of shares of an assisted concern sold to them under a Rehabilitation Scheme

5 The amounts utilized out of the Benevolent Reserve Fund and out of the Specific Grant include payments for acquisition of shares of the par values of Rs 3,51,000/- and Rs 2,85,000/- respectively in certain Consultancy companies sponsored by the IDBI or by the Corporation

6. An aggregate amount of Rs. 3,65,69,166/- (Previous year Rs. 3,68,58,040/-) was due on the date of the Balance Sheet from a coal mining company and certain textile companies, the undertakings of which have been acquired by the Central Government. It has not been possible to determine as to what portion of the said amount can be recovered either out of the compensation or from the guarantors. It is considered that the "Reserve for Doubtful Debts", on a net of tax basis, is sufficient to cover the doubtful loans, advances and sundry debtors as reduced by the "Amounts held in Suspense"

7 In accordance with the past practice, foreign currency loan availed of by the Corporation have been converted into Rupees at the erstwhile IMF parity rates viz. $ 1.00=Rs 7 50 and DM 1.00=Rs. 2 05 At TT selling rates ruling on 30th June, 1977, these borrowings would amount to Rs 39 78 crores (Previous year Rs 36 62 crores). Foreign currency sub-loans granted to sub-borrowers have been accounted for at different rates of exchange At TT selling rates ruling on 30th June, 1977, these sub-loans would amount to Rs. 40 87 crores (Previous year Rs 39 39 crores)

8. "The Difference in Exchange Suspense Account" represents the aggregate of exchange differences which have actually arisen upto the date of the Balance Sheet According to the basis adopted by the Corporation, the exchange loss recoverable under Section 27(4)(a) of the IFC Act, as on the 30th June, 1977 amounts to Rs 21,24,494/- (Previous year Rs. 7,55,623/-). However, pending the final decision of the Government on the proposals made to it regarding the treatment of exchange loss, no adjustments have been made in the accounts in connection therewith

9. A sum of Rs 31,44,761/- (Previous year Rs. 41,79,858/-) was transferred from Interest held in Suspense Account to Interest Account on recovery of the arrears of interest credited to the former account.

10. Under the head "Contigent Liabilities", the figures of contingent liabilities expressed in foreign currency have been included at Rs. 3,84 34,805/- at the rates of exchange prevailing on different dates At the rates prevailing on the date of the Balance Sheet, the figure will be Rs 4,75,63,320/-.

11 At the instance of the Income Tax Department, certain appeals/references have been made to the Tribunal/High Court in cases where the matters had been decided in favour of the Corporation The total amount of tax involved in such appeals/references pending before the Tribunal/High Court on the date of the Balance Sheet is Rs 59 08 lakhs. (Previous year Rs 45.45 lakhs).

12 Interest Income includes a sum of Rs. 10,10,485/- relating to earlier years. This item does not include a sum of Rs 46,42,711/- (Previous year Rs 64,13,840/-) being the interest on the Loans and Advances in respect of which the rights and interest of the Corporation have been transferred under Section 21B of the IFC Act, 1948, which amount has been set off against the interest payable to the transferee.

13 Interest has not been charged on certain accounts where Court decrees have been obtained or the Corporation has decided not to charge the interest. Further, the accounts of borrowers have not been debited this year in respect of interest, commitment charges, commission etc., in cases where the possibility of recovery is considered remote

14 Previous year's figures have been recast wherever necessary to make them comparable.

APPENDIX A

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred Payments	Others (including internal accuals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ANDHRA PRADESH							
1	M/s. Bhadrachalam Paperboards Ltd., Sarapaka, Distt. Khammam (Notified backward district) *Managing Director :* R. C. Sarin.	4400·00	1050·00	50·00	3300·00	—	—	4400·00
2.	M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd , Ramachandrapuram, Distt. Medak. (Notified backward district) *Chairman & Managing Director :* V. Krishnamurthy. (Government of India Undertaking)	379·50	—	—	317·50	—	80·00*	397·50
3.	M/s. Chowgule Matrix Hobs Ltd., Pattancheru. Distt. Medak. (Notified backward district) *Proposed whole-time director :* J. M. Dhanwatay .	189·00	59·00	8·00	104·50	2·50	15·00	189·00
4.	M/s. Delta Paper Mills Ltd., Vendra. Distt West Godavari. *Chairman :* S S. Jaya Rao, I.A.S. *Managing Director :* Bh. Vijayakumar Raju .	408·00	160·00	—	248·00	—	—	408·00
5.	M/s. Dolphin Hotels Ltd., Visakhapatnam. *Managing Director :* Ch. Ramoji Rao.		—	—	—	—	—	—
6.	M/s. Godavari Plywoods Ltd., Ramapachodavaram, Distt. East Godavari *Chairman :* K. Sriramachandra Murthy, I. A. S. *Managing Director :* N. Venkaiya.		—	—	—	—	—	—
7.	M/s Hindustan Machine Tools Ltd., Hyderabad. *Chairman & Managing Director :* Dr. S. M. Patil. (Government of India Undertaking)	1101·00	31·00	—	550·00@	—	520·00	1101·00

*Cost of the project accounted for in the year 1975-76.
**Cost of the project accounted for in the year 1974-75.
@Public issue of debentures .
DM : Deutsche Mark.
£Pound Sterling .

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE, 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
310·00	—	65·00	—	—	375·00	New project for the manufacture of 39,870 tonnes of carton board and writing and printing paper per annum .
75·00	—	—	—	—	75·00	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of power station pump from 79 to 137 nos. per annum.
—	9·49 (DM) 8·72 (£)	5·00	—	—	23·21	New Project for the manufacture of 6,000 nos. hobs per annum.
0·004	—	12·50	—	—	52·50	New project for the manufacture of 30 tonnes of writing and printing paper per day.
5·00	—	—	—	—	5·00 (addl.)	A new-3-star hotel with 72 double bed rooms .
—	0·82 (DM)	—	—	—	0·82 (addl.)	New project for the manufacture of 1·5 million square metres of commercial and decorative plywoods and veneers per annum.
—	—	—	—	37·50	37·50	Diversification scheme envisaging the setting up of a new project for the manufacture of 16·5 million GLS lamps and components per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payment	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ANDHRA PRADESH (*Contd.*)								
8.	M/s. Hyderabad Allwyn Metal Works Ltd., Hyderabad *Chairman & Managing Director :* B. Pratap Reddy. (Andhra Pradesh State Govt. Company)	13·00	—	—	8·58	—	4·42	13 00
9.	M/s. Hyderabad Connectronics Ltd., Pattancheru. *Chairman* : Dr. Ram K. Vepa, I. A. S., *Executive Director :* K. C. Sarma	260 00	80·00	—	160·00	—	20·00	260·00
10.	M/s. Novopan India Ltd., Pattancheru, Distt. Medak. (Notified backward district) *Chairman :* M. R. Pai, I. A. S. *Managing Director :* G. V. Krishna Reddy.	550·00	190·00	—	360 00	—	—	550·00
11.	M/s Pioneer Alloy Castings Ltd., Gajulamandyam, Distt. Chittoor Notified backward district) *Chairman :* V. P. Rama Rao., I. A. S., *Managing Director :* K. Subbiah	170·00	50·00	—	105·00	—	15·00	170·00
12.	M/s. Pochampad Solvent Oils Ltd., Peddapalli, Distt. Karimnagar. (Notified backward district) *Proposed Managing Director :* J. Narasinga Rao.	116·00	30·00	—	73·50	—	12·50	116·00
13.	M/s. R. G. Foundry Forge Ltd., Jeedimetla Industrial Development Area, Distt. Hyderabad. *Managing Director* : K. K. Gupta.							
14.	M/s Solid State Devices India Ltd , Pattancheru, Distt. Medak (Notified backward district) *Chairman :* Dr. Ram K. Vepa, I. A. S., *Managing Director :* G. Govind Reddy.	335·00	119·00	—	201·00	—	15·00	335·00
15.	M/s. Sree Rayalaseema Paper Mills Ltd., Gondiparla, Distt. Kurnool. (Notified backward district) *Chairman :* V. P. Rama Rao., I. A S.	4100·00	915·00	90·00	3095·00	—	—	4100·00

*Subsequently reduced to Rs. 4,29 lakhs.
**Cost of the project accounted for in the year 1975-76
@Direct subscription .

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY, 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned.
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritngs			Total	
		Equity shares	Preferecnce shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	4·31* (DM)	—	—	—	4·31	Import of one compressor colorimeter and refrigerant and oil charging equipment.
10·30	21·37 (DM)	10·00	—	—	41·37	New project for the manufacture of 1·2 million connectors per annum.
30·00	23·43 (DM)	15·00	—	—	68·43	New project for the manufacture of 12,900 tonnes of plain and laminated particle board per annum.
30·00	—	5·00@	—	—	35·00	New project for the manufacture of 2,800 tonnes of malleable iron castings per annum .
25·00	—	—	—	—	25 00	New project for the processing of 100 tonnes of ricebran or 150 tonnes of groundnut cake or other expeller cake per day to produce ricebran oil/ groundnut oil or other expeller cake oil as the main products and de-oiled cake as the by-product.
—	—	3·00	—	—	3·00 (addl.)	New project for the manufacture of 2,000 tonnes of high alloy wear resistant manganese steel castings per annum.
—	43·85 (DM)	15·00	—	—	58·85	New project for the manufacture of 5 million semi -conductor devices per annum.
265·00	—	45·00	25·00	—	335·00	New project for the manufacture of 42,000 tonnes of printing and writing paper per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ANDHRA PRADESH (*contd.*)								
16.	M/s. Sri Venkateswara Cooperative Sugar Factory Ltd., Irla Nagar,. Distt. Chittoor. (Notified backward district) *President :* M. S. Rajajee I. A S. *Managing Director :* P. Subramanyam Reddy.	634 ·00	75 ·00	155 ·00	394 ·00	—	10 ·00	634 ·00
17.	M/s. Vidyut Steels Ltd., Pattancheru, Distt. Medak. (Notified backward district) *Chairman :* V. P. Rama Rao, I. A. S., *Proposed Managing Director :* A. Surrender .							
ASSAM								
18.	M/s Eastern Steel & Alloys Co. Ltd., Dhalegaon. Distt. Goalpara. (Notified backward district) *Directors :* P. K. Bhuyan, Dr. S. Datta Roy.	84 ·04	31 ·00	—	42 ·00	9 ·66	1 ·38	84 ·04
BIHAR								
19.	M/s Bihar Air Product Ltd., Adityapur, Distt. Singhbhum. *Chairman ;* R. Jha, *Proposed Managing Director :* S. S. Malik.	152 ·00	61 ·05	—	90 ·95	—	—	152 ·00
20.	M/s. Bihar Alloy Steels Ltd., Patratu , Distt. Ranchi. *Chairman :* M. P. Birla, *Managing Director :* Dr. B. C. Jain. (Birla Group)	515 ·35 (over-run)	—	—	400 ·00	—	115 ·35	515 ·35
21.	M/s. Bihar Hotels Ltd., Patna. *Managing Director :* Shailendra Prakash Sinha .	35 ·00 (over-run)	—	—	25 ·00	—	10 ·00	35 ·00
22.	M/s. Bihar Scooters Ltd., Fatwah. Distt. Patna *Promoters :* M/s. Bihar State Industrial Development Corporation Ltd. (Bihar State Government Company)	388 ·00	163 ·00	—	225 ·00	—	—	388 ·00

*Cost of the project accounted for in the year 1975-76.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
95·00	—	—	—	—	95·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugar cane per day.
—	—	1·00	—	—	1·00 (addl)	New project for the manufacture 2,000 tonnes of manganese steel castings and 450 tonnes of Ni-hard castings per annum
—	—	2·50	—	—	2·50	New project for the manufacture of mild steel ingots which will be rolled into various structural sections with an istalled capacity of 11,700 tonnes per annum and structural sections of 15,000 tonnes per annum.
15·00	9·61 (DM)	4·00	—	—	28·61	New project for the manufacture of 1·0 million cubic metres of oxygen and 0·3 million cubic metres of acetylene gasper annum.
37·50	—	—	—	—	37·50 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 40,000 tonnes of alloy, constructional tool and high speed steels per annum.
25·00*	—	—	—	—	25·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new 5-Star hotel with 80 double bed rooms.
50·00	—	—	—	—	50·00	New project for the manufacture of 30,000 two-wheeler scooters per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payment	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23.	M/s. Hathwa Metals and Tubes Ltd., Jasidih, Distt. Santhal Parganas. (Notified backward district) *Chairman* . Smt. Durgeshwari Sahi.	570·00	200·00	—	370·00	—	—	570·00
24.	M/s. India Firebricks & Insulation Co. Ltd., Ranchi Road, Distt. Hazaribagh *Director :* I. M. Puri. N. K. Mitra. (Government of India Undertaking)	90·00	—	—	65·00	25·00	—	90·00
25.	M/s. Indian Cable Co. Ltd , Jamshedpur, Distt. Singhbhum. *Chairman :* D. P. M. Kanga. *Managing Director* : A.K. Kahali	275·00	—	—	192·50	—	82·50	275·00
26.	M/s. Kalyanpur Lime & Cement Works Ltd. Banjari, Distt. Shahbad. *Managing Director* : Satyadeva Prakash Sinha.	270·00	270 00 (R. I.)	—	210·00	—	32·50	270·00
27.	M/s. Nalanda Ceramics & Industries Getalsud, Ltd., Distt. Ranchi. *Chairman* D. L. Mazumdar, *Managing Director* : Samir Kumar Ghosh.	126·27 (over-run)	—	—	79·76	—	46·51	126·27
28.	M/s. North Bihar Sugar Mills Ltd. Bagaha, Distt. West Champaran. (Notified backward district). *Managing Director* : Tulsidas Kanoria.	275·00	55·00	—	195·00	—	25·00	275·00

*To be reduced to Rs. 10.00 lakhs consequent upon participation of Bihar State Credit & Investment Corporation Ltd.

R. I. : Rights Issue.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFC)						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Undertakings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
48·17	15·56 (DM)	13·00	—	—	76·73	New project for the manufacture of copper and copeper alloy tubes with an installed capacity of 1,200 tonnes per annum.
25 00	—	—	—	—	25 00 (addl.)	Rehabilitation scheme aimed at stabilising the production of special bricks at 42,000 tonnes per annum
20·00	—	—	—	—	20·00	Expansion scheme envisaging the manufacture of additional 720 kilometres of cross linked polyethylene cables per annum.
45·00	—	—	—	—	— 45·00 (addl)	Modernisation balancing scheme aimed at stabilising the production of cement at the rated capacity of 4 lakh tonnes per annum.
17·00	—	—	—	—	17·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 3,000 tonnes of decorative porcelain tablewares per annum.
50·00	—	6·88	—	—	56·88 (addl.)	Diversification scheme envisaging the setting-up of a new project for the manufacture of 7,500 tonnes per annum of writing and printing paper, coloured paper etc.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the Project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BIHAR (*contd.*)								
29	M/s. Refractory Specialities (India) Ltd., Jamtara, Distt. Santhal Parganas, (Notified backward district) *Chairman* : Bihari Agarwal.	190.90	70.00	—	105 00	—	15 00	190.00
30.	M/s. Rohtas Industries Ltd., Dalmianagar, Distt. Rohtas. *Chairman* : S. P. Jain (Sahu-Jain Group).	835·00	—	—	670·00	—	165 00	835·00
GUJARAT								
31.	M/s ABS Plastics Ltd., Nandesari, Distt Baroda. *Managing Director* : R S. Agarwal	425·00	170·00	—	255·00	—	—	425·00
32.	M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., Jawaharnagar, Distt. Baroda. *Chairman* : J J Mehta, *Managing Director* : H R. Patanker.	520·00 (over-run)	170·00 (R.I.)	—	350·00	—	—	520·00
33	M/s Gujarat Aromatics Ltd , Ankleswar, Distt Broach (Notified backward district) *Chairman* · K T. Satarawala, *Managing Director :* P.S. Dharwadkar.	950·00	326·00	10·00	599·00	—	15 00	950·00
34.	M/s. Gujarat Carbon Ltd., Palej, Distt. Broach. (Notified backward district) *Chairman* : B P. Patel, *Whole-time Director :* V. M. Kamat	485·00	168·00	—	317·00	—	—	485·00
35.	M/s. Eurokote (India) Ltd., Vapi, Dist. Bulsar. *Director* · M S Parkhe.	10·00	—	—	10·00	—	—	10·00
36.	M/s. Petrofils Cooperative Ltd , Dhanora, Distt. Baroda *Chairman :* Dr S. Varadarajan, *Managing Director* · B. B. Mathur.	3800·00	1267·00	—	2533·00	—	—	3800·00

*Subsequently reduced to Rs. 12·89 lakhs.

@Includes subscription to Rights issue to the extent of Rs. 0 40 lakh.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8·50	13 03* (DM)	8·00	—	—	29·53	New project for the manufacture of 5,000 tonnes of castable refractories, 3,000 tonnes of plastic refractories, 2,800 tonnes of air setting cements and ramming masses etc. and 7,500 tonnes of High Alumina bricks per annum.
134·23	—	—	—	—	134·23 (addl)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of paper and boards from 60,000 to 75,000 tonnes per annum.
15·00	25·51 (DM)	10·00	—	—	50·51	New project for the manufacture of 2,000 tonnes of ABS resins per annum.
29·00	—	15·40@	—	—	44 40 (addl)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 37,425 tonnes of caustic soda, 33,000 tonnes of chlorine and 6,000 tonnes of hydrochloric acid per annum.
100·00	—	30·00	—	—	130·00	New project for the manufacture of 5,000 tonnes of synthetic cresols per annum.
35·25	17 58*	10·00	—	—	62 83	New project for the manufacture of 12,500 tonnes of carbon black per annum
5·00	—	—	—	—	5 00 (addl.)	Rehabilitation of the Company's of 3,000 tonnes of high gloss cast project for the manufacture coated paper/board per annum.
250·00	—	—	—	—	250·00	New project for the manufacture of 3,500 tonnes of polyester filament yarn per annum.

*Subsequently reduced to Rs. 17·56 lakhs.

APPENDIX A (*contd*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	GUJARAT (*contd.*)							
37.	M/s. Reliance Textile Industries Ltd., Ahmedabad *Chairman & Managing Director* : D.H. Ambani.	1250·00	—	30·00	708·65	118·00	393 35	1250·00
38.	M/s. Shree Sayan Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Sayan, Distt. Surat *Chairman* : Maganbhai Dahyabhai Patel.	657·50	65·00	160·00	400·00	—	32·50	657·50
39.	M/s. Surat District Cooperative Spinning Mills Ltd , Surat, *President* : Vrajlal Balubhai Patel.	175·00	—	—	90·00	—	85·00	175·00
	HARYANA							
40.	M/s. American Universal Electric (India) Ltd , Faridabad Distt. Gurgaon *Managing Director* : K.P. Singh	95·00	—	—	70·00	—	25·00	95·00
41.	M/s. Bharat Steel Tubes Ltd., Ganaur, Distt. Sonepat. *Chairman & Managing Director* · Raunaq Singh.	87·00	—	65·00	—	—	22·00	87 00
42.	M/s. Haryana Detergents Ltd., Dharuhera Distt. Mohindergarh. (Notified backward district) *Chairman* : M.C. Gupta, I.A.S., *Managing Director* : R. S. Dabriwala.	270·00	94·00	—	176·00	—	—	270 00
43.	M/s. Haryana Polysteels Ltd., Satrod, Distt Hissar. (Notified backward district) *Chairman* . J.D Gupta, I.A.S. *Executive Director* . G. S Musafir.	141·45 (over-run)	20·00	—	52·71	—	68·74	141·45

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
100 00	—	—	—	—	100·00	Expansion scheme envisaging the installation of 202 additional looms as well as other preparatory and processing equipments.
100·00	—	—	—	—	100·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugar-cane per day.
30·00	—	—	—	—	30·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging an increase in the spindleage from 25,288 to 38,936.
30·00	—	—	—	—	30·00 (addl.)	Financial rehabilitation of the Company.
—	—	—	10·00	—	10·00 (addl.)	Balancing/diversification scheme of the Company engaged in the manufacture of 1,44,000 tonnes of black and galvanised tubes/ pipes per annum.
50·00	—	10·00	—	—	60·00	New project for the manufacture of 10,000 tonnes of synthetic detergents per annum.
17·56	—	—	—	—	17·56 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 46,000 tonnes of mild-steel medium and high carbon steel billets per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
HARYANA (*contd.*)								
44.	M/s Mohta Electro Steel Ltd, Bhiwani (Notified backward district) *Chairman* M.K. Mohta, *Managing Director :* Balwant Singh.	125·00	25·00	12·00	88·00	—	—	125·00
45.	M/s. Sehgal Papers Ltd., Dharuhera, Distt. Mohindergarh. (Notified backward district) *Managing Director :* M. M. Sehgal	1740·00	565·00	—	1175·00	—	—	1740·00
46.	M/s. Tirupati Woollen Mills Ltd., Near Sonepat. *Directors :* Bhimraj Bhuwalka, Murarilal Bhuwalka.	47·00@	—	—	32·00	—	15·00	47 00
HIMACHAL PRADESH								
47.	M/s. G. S. Purewal & Associates Pvt. Ltd, Chhamian, Distt. Solan. (Notified backward district) *Proposed Managing Director :* G. S. Purewal	281·00	90·00	—	176·00	—	15·00	281·00
JAMMU & KASHMIR								
48.	M/s. Jammu & Kashmir Cements Ltd., Khrew. Distt. Anantnag. (Notified backward district) *Chairman :* Noor Mohammed, I A.S. (Jammu & Kashmir State Government Company)	1906·00	650·00	—	1256·00	—	—	1906·00

*To be reduced to the extent Haryana State Industrial Development Corporation Ltd, might participate.

@Represent additional cost The original cost of the project accounted for in the year 1974-75.

**To be reduced to the extent of Rs. 30·00 lakhs for which amount the Himachal Pradesh Mineral and Industrial Development Corporation might participate.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
44·00*	—	—	2·00	—	46·00 (addl.)	Diversification-cum-balancing scheme involving change in the product mix by taking up the manufacture of 4,700 tonnes of cold rolled mild steel, 1,200 tonnes of high carbon steel and 600 tonnes of stainless steel strips per annum.
300·00	—	90·00	—	—	390·00	New project for the manufacture of 8,000 tonnes of superior quality of writing and printing paper, 6,000 tonnes of special grade soft tissue paper and 3,000 tonnes of carbonless copying paper per annum.
—	—	3·00	—	—	3·00 (addl.)	New project for the manufacture of carpet yarn with a complement of 324 spindles
90·00**	—	—	—	—	90·00	New project for the manufacture of 6 lakh nos pin lever wrist watches per annum.
100·00	—	—	—	—	100·00	New project for the manufacture of 2·10 lakh tonnes of portland cement per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (including internal accruals	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KARNATAKA								
49.	M/s. Associated Cement Companies Ltd., (i) Shahabad and (ii) Wadi, Distt. Gulbarga. (Notified Backward District) (iii) Distt. Guntur and (iv) Distt. Adilabad, Andhra Pradesh. (v) Distt. Dhanbad and (vi) Distt. Singhbhum (2 projects), Bihar. (vii) Distt. Jamagar and (viii) Distt. Kaira, Gujarat. (ix) Distt. Ambala, Haryana. (x) Distt. Jabalpur, Madhya Pradesh. (xi) Distt. Bundi, Rajasthan. *Chairman :* N.A. Palkhivala, *Managing Director :* Kamaljit Singh (ACC Group)	340·00	—	—	272·00	—	68·00	340 00
50.	M/s. Bhadra Sahakari Sakkare Karkhane Niyamit, Doddabathi, Distt. Chitradurga. *Chairman :* N. Nagaraja Setty, I.A.S.	712·00	73·00	182·00	457·00	—	—	712·00
51.	M/s. Dempo Dairy Industies Ltd., Asaugi, Distt. Bijapur. (Notified backward district) *Director :* Vasantrao S. Dempo. (V. S. Dempo Group)	280·00	95·00	—	160·00	—	25·00	280·00
52.	M/s. Karnataka Agro Proteins Ltd , Raichur. (Notified backward district) *Chairman :* M.D. Shivananjappa, I.A.S., *Managing Director :* B. P. Balakrishna.	204·00	60·00	—	144·00	—	—	204·00

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
68·00	—	—	—	—	68·00 (addl.)	Modernisation of the Company's 11 cement factoreis and a slag granulation unit.
115·00	—	—	—	—	115·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
30·00	—	7·50	—	—	37·50	A new dairy complex with an installed processing capacity of 1·20 lakh litres of milk per day for the manufacture of 900 tonnes of whole milk powder, 630 tonnes of skimmed milk powder and 480 tonnes of baby food per annum.
40·00	—	5·00	—	—	45·00	A new integrated oilseed processing complex with a capacity to process 30,000 tonnes of cottonseed/groundnut per annum to produce edible protein concentrates in the form of flour.

APPENDIX A (*contd*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KARNATAKA (*contd.*)								
53.	M/s. Karnataka Scooters Ltd., Maddur, Distt. Mandya. *Chairman :* Veeraraj Urs, *Managing Director* : K. B. Dutt.	425·00	140·00	20·00	249·00	1·00	15·00	425·00
54.	M/s Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd , Panambur, Distt South Kanara (Notified backward district) *Chairman* . P. A Narielwala, *Managing Director* : F. J. Heredia	727·76 (over-run)	—	—	662·00	—	66·00	728·00
55.	M/s. Shree Mukesh Textile Mills Pvt. Ltd , (Unit . Tungabhadra Sugar Works) Harige, Distt Shimoga *Director-in-charge :* Mayur M. Madhvani.	309·00	—	—	50·00	49·59	209·41	309·00
56.	M/s. NGEF Ltd., Byappanahally, Bangalore. *Chairman* : Dayanand Sagar, *Managing Director* . H G V Reddy, I.A.S. (Karnataka State Government Company)	505·00	150·00	—	322·00	—	33·00	505·00
57.	M/s. Triton Valves Ltd , Mysore-Belvadi Industria Area Distt. Mysore, (Notified backward district) *Chairman* : S. Ranganathan *Managing Director* . M. V. Gokaran							
KERALA								
58.	M/s. British Physical Laboratories India Pvt. Ltd., Palghat *Chairman* : A K Sivaramakrishnan, *Managing Director* : T. P. G Nambiar	50·24	—	—	35·26	—	14·98	50·24
59.	M/s. Kerala Agro Machinery Corporation Ltd., Athani, Distt. Ernakulam. *Chairman* : C. Damodaran Potti, *Managing Director* : P. R Chandran, I. P. S. (Kerala State Government Company)	250 00	117 00	—	133·00	—	—	250·00

*Cost of project accounted for in the year 1975-76.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
40·00	—	10·00	—	—	50·00	New project for the manufacture of 30,000 two-wheeler scooters per annum.
35·00					35·00 (addl)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 2,17,800 tonnes of ammonia and 3,40,000 tonnes of urea per annum.
50·00	—	—	—	—	50·00	Expansion scheme envisaging increase in the crushing capacity from 1,500 to 2,500 tonnes of sugarcane per day.
50·00	—	—	—	—	50·00 (addl)	Expansion scheme envisaging increase in the manufacturing capacity of transformers for 1800 MVA to 3600 MVA
—	—	—	2·00	—	2·00 (addl.)	New project for the manufacture of automobile tyre tube valves with an installed capacity of 4 million valve stems and 6 million crores per annum
29·00	1·68 (DM)	—	—	—	30·68	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of electrical/electronic instruments and equipment as also importing of certain research development equipment.
33·00	—	—	—	—	33·00	New project for the manufacture of 3,000 power tillers per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KERALA (*contd.*)								
60	M/s. T. K. Chemicals Ltd., Veli Industrial Estate, Near Trivandrum. (Notified backward district) *Chairman* : S. C. Trikha.	20·00 (over-run)	—	—	16·50	—	3·50	20·00
61.	M/s. Travancore Rayons Ltd., Rayonpuram, Distt. Ernakulam. *Chairman* : A. R. Ramanathan, *Managing Director* . M. Ct. Pethachi.	17·04	—	—	11·44	—	5·60	17·04
62.	M/s. Sitaram Textiles Ltd., Trichur. (Notified backward district) *Chairman & Managing Director* : K. Srinivasan, I A.S. (Kerala State Government Company)	470·00	188·00	—	282·00	—	—	470·00
MADHYA PRADESH								
63.	M/s. Central India Machinery Manufacturing Co. Ltd., Birlanagar, Distt. Gwalior. *Chairman* : D. P. Mandelia.	271·00	—	—	216·00	—	55·00	271·00
64.	M/s. Gajra Bevel Gears Ltd , Dewas. (Notified backward district) *Chairman* : M L Apte. *Managing Director* : I S. Gajra.	*						
65.	M/s Hukamchand Mills Ltd., Indore. *Chairman* : M R. Morarka *Managing Director* Mannalal Onkarmal	164·50	—	—	130·00	—	34·50	164·50
66.	M/s. Mysore Cements Ltd., Narasingarh, Distt. Damoh. (Notified backward district) *Chairman* : G. D. Birla. (Birla Group)	2300·00	175·50 (R.I.)	—	1600·00	—	524·50	2300·00
67.	M/s. Orient Plywood and Veneering Industries Ltd., Raipur. (Notified backward district) *Proposed Managing Director* : K. C. Sethi.	160·00	55·00	5·00	100 00	—	—	160·00
68.	M/s. Union Carbide India Ltd., Kali Parade Industrial Estate, Bhopal. *Chairman* : Keshub Mahindra, *Managing Director* : J.B. Law.	1900·00	530·00	—	667·00	—	703·00	1900·00

*Cost of the project accounted for in the year 1975-76.
**Subsequently reduced to Rs. 12·50 lakhs
@Subsequently reduced to Rs. 9·00 lakhs.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	1(5)	(16)
6·50	—	—	—	—	6·50 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 2,850 tonnes of manganous sulphate monohydrate and 950 tonnes of electrolytic manganese di-oxide per annum.
—	6·23 (DM)	—	—	—	6·23 (addl.)	Import of nos static invertors.
100·00	—	—	—	—	100·00	Modernisation-cum-expansion scheme envisaging installation of 12,064 spindles with balancing equipment.
54·00	—		—	—	54·00 (addl.)	Modernisation of the Company's plant manufacturing textile machinery.
5·00	—		—	—	5 00 (addl)	New project for the manufacture of 800 tonnes of crown wheel and pinion sets and differential gear kits per annum
32·50	—		—	—	32·50	Modernisation/diversification of the Company's composite textile mill with 69,820 spindles and 1,416 looms.
200·00	—		—	—	200 00 (addl)	Expansion by setting up a new unit for the manufacture of 5 lakh tonnes of portland cement per annum.
15 00**	9·71@ (DM)	7·50	—	—	32·21	New project for the manufacture of 26 lakh square metres of commercial plywood, decorative plywood, veneers, blockboard and flush doors per annum
80·00	—	40·00	—	—	120·00	Expansion by setting up a new unit for the manufacture of 5,000 tonnes of Methyl Isocynate based pesticides per annum.

APPENDIX A (*contd*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MAHARASHTRA								
69.	M/s Ambajogai Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Waghala, Distt. Bhir. (Notified backward district) *Managing Director :* R. S. Kota	400·00	60·00	80·00	260·00	—	—	400·00
70.	M/s. Anglo American Marine Co. Ltd., Naregaon, Distt Aurangabad (Notified backward district) *Chairman :* S. K. Mazumdar, *Managing Director :* R. Mazumdar.	11·25 (over-run)	—	—	11·25	—	—	11·25
71.	M/s. Asian Cables Corporation Ltd., Pokhran Road, Distt. Thana. *Chairman :* M. A Bakre	360·00	—	—	283·60	—	76·40	360·00
72.	M/s Asian Paints (India) Ltd., Bhandup, Bombay. *Chairman & Managing Director :* C. H Choksey.	242·00	—	—	124·00	—	118·00	242·00
73.	M/s. Aurangabad Paper Mills Ltd , Vahegaon, Distt. Aurangabad (Notified backward district) *Chairman :* Maliram G. Mittal, *Managing Director :* Parameswar G. Mittal.	272·00	104 00	—	168·00	—	—	272·00
74.	M/s. Belganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd , Bhoras, Distt. Jalgaon (Notified backward district) *Chairman* · R D. Patil, *Managing Director* . K B Dandge.	575·00	70·00	135·00	370·00	—	—	575·00
75	M/s Bharat Forge Co. Ltd., Koregaon, Distt. Satara. *Chairman :* S. L. Kirloskar, *Managing Director* · N. A Kalyani	850·00	—	—	564·50	93·50	192·00	850·00
76.	M/s Coorla Spinning & Weaving Co. Ltd., Kurla, Bombay. *Chairman* : Jagdish Prasad Goenka	208·00	—	—	160 00	—	48·00	208·00

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI					Total	Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign Currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings				
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
65·00	—	—	—	—	65·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
3·50	—	—	—	—	3·50 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the diversification scheme envisaging the setting-up of a new unit for the manufacture of 6,000 nos gear hobs per annum.
20·00	41·79 (DM)	—	—	—	61·79 (addl.)	Expansion scheme envisaging the manufacture of additional 800 kilometres of cross linked polyethelene cables per annum
35·00	—	—	—	—	35·00	Modernisation/expansion sceheme envisaging, inter-alia, increase in the capacity for the manufacture of paints and enamels from 14,640 to 17,190 tonnes per annum.
35·00	—	10·00	—	—	45·00	New protect for the manufacture of 6,600 tonnes of wrapping/ kraft paper per annum.
90·00	—	—	—	—	90·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day
50·00	—	—	—	—	50·00 (addl)	Expansion by setting up a new unit for the manufacture of 12,000 tonnes of heavy forgings per annum
40·00	—	—	—	—	40·00	Modernisation of the Company's composite textile mill with 36,228 spindles and 654 looms.

APPENDIX A (*contd*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share-capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MAHARASHTRA (*contd.*)								
77.	M/s. Daulat Shetkari Sahakari Sakhar, Karkhana Ltd., Halkarni, Distt· Kolhapur. *Managing Director* : V. G. Salvi.	435·00	53·00	100·00	282·00	—	—	435·00
78.	M/s. Deccan Cooperative Spinning Mills Ltd., Ihalkaranji, Distt Kolhapur. *Chairman* : Gajanan Kishanaji Kamble.							
79.	M/s. Eastern International Hotels Ltd., Juhu, Bombay. *Managing Director* : R. K. Khanna.	55·00 (over-run)	12·00	—	18·00	—	27·60	57·60
80	M/s. Ellora Paper Mills Ltd., Devhala (Khurd), Distt. Bhandara. (Notified backward district). *Chairman* : Ramprasad Poddar *Proposed Managing Direetor* Sitaram Kedia.	365·00	120·00	15·00	230·00	—	—	365·00
81.	M/s. Firth (India) Steel Co. Ltd·, Nagpur. *Chairman* : M. P. Pai, *Managing Director* : I. M. Pai.	49·00 (over-run)	—	—	30·00	—	19·00	49·00
82.	M/s. G. L. Hotels Ltd., Bombay. *Chairman* : Smt. Prithvi Bir Kaur. *Directors* : P. L. Lamba, I. K. Ghai.	16·83	—	—	13·50	—	3·33	16·83
83.	M/s. Jai Bhavani Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Gadi, Distt. Bhir, (Notified backward district) *Chairman* : S. D. Paul, *Managing Director* : D. B Pawar.	570·00	60·00	140 00	370·00	—	—	570·00
84.	M/s. Jawahar Sahakari Kapus Utpadak Soot Girni Maryadit, Latur, Distt. Osmanabad, (Notified backward district). *Chairman* : B. K. Nagargoje	125·00	—	33·50	70·00	—	21·50	125·00

*Cost of the project accounted for in the year 1974-75.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the Project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
70·00	—	—	—	—	70·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day
15·00	—	—	—	—	15·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging an increase in the spindleage from 54,520 to 79,552.
18·00	—	—	—	—	18·00 (addl.)	For meeting a part of the overrun in the cost of a new 5-star hotel with 140 double bed rooms.
40·00	—	11·00	—	—	51·00	New project for the manufacture of 10,000 tonnes of kraft and writing and printing paper per annum
12·50	—	—	—	—	12·50 (addl)	For meeting a part of the overrun in the cost of the expansion scheme envisaging the setting up of a new unit for the manufacture of 4,420 tonnes of high carbon and alloy steel billets per annum
13·50	—	—	—	—	13·50 (addl.)	Renovation of the hotel with 82 rooms.
110·00	—	—	—	—	110·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
30·00	—	—	—	—	30·00 (addl.)	Expansion sceheme envisaging an increase in the spindleage from 17,004 to 25,288.

APPENDIX A (*Contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

(Rs. lakhs)

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share-capital		Loans	Deferred payments	Others (including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MAHARASHTRA (*Contd.*)								
85.	M/s. Kadwa Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Materewadi, Distt. Nasik. *Chairman* · B. K. Kawale. *Managing Director* : D S. Shinde.	560·00	82·00	115·00	360·00	—	3·00	560·00
86.	M/s. Karmaveer Kaka Saheb Wagh Sahakari, Sakhar Karkhana Ltd., Kaka Saheb Nagar, Distt., Nasik. *Chairman* : Balasaheb Deoran Wagh. Managing Director · D. G Bhamare.	512·00	80·00	110·00	320·00	—	2·00	512·00
87.	M/s. Kirloskar Brothers Ltd., Kirloskarwadi, Distt Sangli. *Chairman & Managing Director* : S. L. Kirloskar. (Kirloskar Group)	120·00	—	—	96·00	—	24·00	120·00
88.	M/s. Marathwada Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dongarkada. Distt. Parbhani, (Notified backward district). *Chairman* : Shivajirao Shankarrao Deshmukh	450·00	65·00	160·00	225·00	—	—	450·00
89.	M/s. Modern Nets Ltd , Ahmedanagar. *Proposed Chairman* : B N. Adarkar	115·00	27·00	5·00	63·00	—	20·00	115·00
90	M/s. Nasik Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Palse, Distt. Nasik. *Managing Director* : R. D. Paraskar	565·00	82·00	115·00	365·00	—	3·00	565·00
91.	M/s. Nath Pulp & Paper Mills Ltd., Vahegaon, Distt. Aurangabad, (Notified backward district) *Managing Director* : N L. Kaghwal	265·00	85·00	5·00	175·00	—		265·00
92.	M/s. National Machinery Manufacturers Ltd., (i) Kalwe, Distt. Thana. (ii) Baroda, Gujarat. *Chairman* Arvind N. Mafatlal.							

*Direct Subscription.

**Cost of the project accounted for in the year 1975-76.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI					Total	Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned.
		Underwritings				
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
90·00	—	—	—	—	90·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
80·00	—	—	—	—	80·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day
24·00	—	—	—	—	24·00	Modernisation of certain sectiaos of its cast iron foundiies.
60·00	—	—	—	—	60·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
7·50	4·21 (DM)	3·00*	—	—	14·71	New project for the manufacture of 270 tonnes of fishing net webs per annum.
90·00	—	—	—	—	90·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
35·00	—	10·00	—	—	45·00	New project for the manufacture of 6,600 tonnes of packing and wrapping paper per annum.
50·00	—	—	—	—	50·00 (addl.)	Modernisation/replacement and balancing scheme of the Company's two units engaged in the manufacture of textile machinery.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MAHARASHTRA (*Contd*)								
93.	M/s. Premier Automobiles Ltd., Kurla Kalyan & Wadala, Bombay. *Chairman* : Lalchand Hirachand *Vice-Chairman* : Tulsidas Kilachand. (Walchand Group)	620·06	—	—	300·00	—	320·06	620·06
94.	M/s. Ramon & Demm Ltd., Thana. *Chairman & Managing Director* . H. K. Shah.	172·06 (over-run)	—	—	210·00	0·06	—	210·06
95.	M/s. Shree Vidhya Paper Mills Ltd., Nasik. *Chairman* · S. K. Somani.							
96.	M/s Sudharshan Chemical Industries Ltd., Roha, Distt. Colaba. (Notified backward district) *Chairman & Technical Director* : Dr R J. Rathi *Managing Director* : L J. Rathi.	380·00	130·00	—	165·00	—	85·00	380·00
97.	M/s. Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kasoda, Distt. Jalgaon, (Notified backward district) *Chairman* : M. G. Pawar, *Vice-Chairman* : Pandlik Kalu Patil.	530·00	75·00	115·00	340·00	—	—	530·00
MEGHALAYA								
98	M/s Meghalaya Phyto-Chemicals ** Ltd , Barapani, Distt. Khasi Hills, (Notified backward district) *Chairman* · B. Himatsingka, *Managing Director* · Smt. Usha Himatsingka.							

*Cost of the project accounted for in the year 1973-74.

**Cost of the project accounted for in the year 1975-76.

@Direct subscription.

APPENDIX A (*contd*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) to IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned.
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30·00	—	—	—	—	30·00 (addl.)	Modernisation scheme envisaging rehabilitation and the strengthening of the facilities for the manufacture of passenger cars and commercial vehicles.
30·00	—	—	—	—	30·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of automobile gears from 1,190 to 1,760 tonnes per annum
—	—	2·00	—	—	2·00 (addl.)	Expansion-cum-diversification scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of coated paper and board from 1,500 to 3,000 tonnes per annum as also the manufacture of 750 tonnes of laminated products per annum
30·00	—	5·00@	—	—	35·00	Expansion scheme envisaging the manufacture of 144 tonnes of flourescent pigments, 144 tonnes of pearl essences, 360 tonnes of 3 : 3 dichlorobenzidine dihydrochloride and 1,250 tonnes of Beta Naphtol per annum.
85·00	—	—	—	—	85·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
—	—	0·09*	—	—	0 09 (addl.)	New project for the manufacture of 100 tonnes of phyto-chemicals per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ORISSA							
99.	M/s. Konarak Jute Ltd , Dhanmandal, Distt. Cuttack *Chairman* · S. N. Das Mahapatra	660·00	240·00	—	420·00	—	—	660·00
100.	M/s Orichem Ltd., Gantapada, Deojharan, Distt. Dhenkanal, (Notified backward district) *Chaiman* : S N Das Mahapatra. *Managing Director* . M. K. Jhunjhunwala.	295·00	105·00	—	190·00	—	—	295·00
101.	M/s. Orissa Vegetable Oil Complex Ltd., Norla Road, Distt. Kalahandi, (Notified backward district). *Proposed Managing Director* · Ajit Samanta Roy.	70·00	20·00	—	43·00	—	7·00	70·00
	PUNJAB							
102.	M/s. Accumeasures Punjab Ltd., Mohali, Distt. Ropar. *Chairman* . A. S. Chatha I.A S. *Managing Director* : D. S. Brar.	204·00	82·00	—	122·00	—	—	204·00
103.	M/s. Mukerian Papers Ltd. Chak Allabaksh, Distt. Hoshiarpur (Notified backward district) Chairman : A. S. Chatha, I.A.S *Managing Director* : Sukinder Singh.	380·00	130·00	—	250·00	—	—	380·00
104.	M/s. Punjab Scooters Ltd., Kakrala, Distt Patiala *Chairman* · S L. Kapur, I A.S. *Managing Director* : A. S. Chatha, I. I.A.S. (Punjab State Government Company).	340·00	120·00	—	220·00	—	—	340·00
105.	M/s. Shree Bhawani Cotton Mills & Industries Ltd , Abohar, Distt , Ferozepur (Notified backward district) *Chairman & Managing Director* . M. K. Mohta.	230·00		—	188·00	—	42·00	230·00

*Cost of the project accounted for in the year 1975-76.

@Direct subscription

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI					Total	Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings				
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
125·00	—	17·50	—	—	142·50	New jute mill for the manufacture of 13,240 tonnes of jute goods per annum.
35·00	—	5·00	—	—	40·00	New project for the manufacture of 3,200 tonnes of sodium-dichromate and 1,470 tonnes of sodium sulphate per annum.
22·00	—	5·00*	—	—	27 00	New project for the processing of 13,000 tonnes of oilseed/cake/rice-bran per annum for production of non-edible/edible oil and de-oiled cakes.
35·00	—	7·50	—	—	42·50	New project for the manufacture of precision measuring instruments.
65·00	—	18·00	—	—	83·00	New project for the manufacture of 9,000 tonnes of MG/MF papers per annum.
35·00	—	8·00	—	—	43·00	New project for the manufacture of 30,000 two-wheeler scooters per annum.
47·00 (addl.)	—	—	—	—	47·00	Modernisation of the Company's cotton textile Mill with complement of 26,220 spindles.

APPENDIX A *(contd.)*

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accurals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PUNJAB *(contd.)*								
106.	M/s. Stepan Chemicals Ltd , Rajpura, Distt Patiala. *Chairman* : S. L Kapur, I.A.S							
RAJASTHAN *(contd.)*								
107.	M/s Banswara Syntex Ltd., Banswara. (Notified backward district). *Chairman* . L. N Gupta, I.A S.	366·00	122·00	—	244·00	—	—	366·00
108.	M/s Bhilwara Processors Ltd , Bhilwara (Notified backward district) *Managing Director* : R. S. Bhandari	8·00 (over-run)	—	—	8·00	—	—	8·00
109.	M/s Hindustan Sugar Mills Ltd Near Udaipur. (Notified backward district) *Chairman* · Ramakrishna Bajaj, *Managing Director* : R. P. Nevatia, (Bajaj Group)	1400·00	—	—	1175·00	—	225·00	1400·00
110	M/s J K Industries Ltd., Kankroli, Distt Udaipur. (Notified backward district) *Managing Director* : Raghupati Singhania. (J.K Singhania Group)	800·00 (over-run)	131·16 (.R I.)	18·84	650·00	—	—	800·00
111	M/s Modern Syntex (India) Ltd., Alwar. (Notified backward district) *Proposed Managing Director* : H. S. Ranka.	360·00	110·00	—	235·00	—	15·00	360·00
112.	M/s Rajasthan Cooperative Spinning Mills Ltd., Gulabpura. Distt. Bhilwara. (Notified backward district) *Chairman* Bhanwar Lal Bhadada.	194·50	—	50·00	114·00	—	30·50	194·50
113.	M/s S B Properties & Enterprises Ltd , Jaipur *Director* : Manmohan Das Mundhra	145·50	58·00	—	87·50	—	—	145·50

* Cost of the project accounted for in the year 1975-76.

@ Direct Subscription.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5·00	—	3·00	—	—	8·00 (addl.)	New project for the manufacture of synthetic detergents, toilet soaps and glycerine with installed capacities of 10,000 tonnes, 72.00 tonnes and 450 tonnes per annum respectively.
65·00	—	16·50	—	—	81·50	New synthetic fibre spinning mill with a complement of 12,320 spindles.
8·00	—	2·00@	—	—	10·00 (addl.)	For financing the over-run in the cost of setting up a new processing house for dyeing and finishing 2,800 metres of piece-dyed and 1,200 metres of fibre-dyed teryviscose suiting per day.
250·00	—	—	—	—	250·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of cement from 2 to 4 lakh tonnes per annum.
60·00	—	9·89*	—	—	69·89 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 5 lakhs nos. each of automobile tyres and tubes per annum
50·00	—	15·00	—	—	65·00	New spinning mill for the manufacture of synthetic blended grey and fibre dyed yarn with a complement of 11,520 spindles.
64·00	—	—	—	—	64·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the spindleage from 14,688 to 25,056.
32·50	—	5·00	—	—	37·50	A new 3-star hotel with 90 double bed rooms.

APPENDIX A (*contd*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

(Rs. Lakhs)

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TAMIL NADU (*contd*)								
114.	M/s Ashok Leyland Ltd., Ennore. Distt. Chingleput. *Chairman* : S. Ranganathan, ICS, (Retd.), *Managing Director* : F.W. Holdsworth. (Ashok Leyland Group)	2532·00	64·62 (R.I.)	—	939·00	—	1528·38	2532·00
115.	M/s Best and Crompton Engineering Ltd., Madras. (2 projects) *Chairman & Managing Director* : C Gopal Menon.	195·00	—	—	160·00	—	35·00	195·00
116.	M/s Kallakuruchi Cooperative Sugar Mills Ltd., Moongilthuraipattu, Distt. South Arcot. (Notified backward district) *Special Officer* : N. Natarajan.	287·00	30·00	20·00	90·00	15·00	132·00	287·00
117.	M/s Kunal Engineering Co. Ltd. Ambattur, Distt. Chingleput. *Chairman* : D.C. Kothari, *Managing Director* : Deepak Banker.	307·00	60·00	—	247·00	—	—	307·00
118.	M/s Metal Powder Company Ltd., Maravankulam, Distt. Madurai. (Notified backward district) *Director and General Manager* : M. Dhanasekarapandian.	155·69	—	—	53·00	—	102·69	155·69
119.	M/s National Cooperative Sugar Mills Ltd, Mettupatti, Distt. Madurai. (Notified backward district) *Special Officer* : Jagmohan Singh Kang. I.A S	250·00	—	—	140·00	—	110·00	250·00
120.	M/s. Pandyan Hotels Ltd., Madurai. (Notified backward district) *Managing Director* . P.C.M. Sundarapandyan.	6·50	—	—	6·50	—	—	6·50

*Includes subscription to rights equity shares of Rs. 3·89 lakhs.

*Subsequently reduced to Rs. 22·37 lakhs.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned.
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentuers		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
50·00	—	—	—	—	50·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging an increase in the capacity for the manufacture of comet chassis from 7,000 to 10,000 nos. per annum.
40·00	—	—	—	—	40·00	Modernisation of the Company's pump factory and the dynamo and starter factory.
45·00	—	—	—	—	45·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the crushing capacity from 1,250 to 2,000 tonnes of sugarcane per day.
30·00	22·87* (DM)	7·50	—	—	60·37	Expansion - cum- diversification scheme envisaging (i) increase in the capacity for the manufacture of textile spindles from 2·16 lakh to 5 lakh nos. per annum and (ii) manufacture of 5 lakh nos. of high speed roller bearing inserts per annum.
48·00	—	—	—	—	48·00 (addl.)	Expansion/diversification scheme envisaging increase in the capacities for the manufacture of pyrotechnic aluminium powder and paste, slurry explosive grade aluminium powder, bronze powder and zinc dust and also setting up a plant for the manufacture of 75 tonnes or red phosphorous per annum.
35·00	—	—	—	—	35·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the crushing capacity from 1,000 tonnes to 1,500 tonnes of sugarcane per day.
3·25	—	—	—	—	3·25 (addl.)	Renovation and upgrading of the standard of the hotel with 57 rooms.

APPENDIX A (*Contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TAMIL NADU (*contd*)								
121.	M/s Perambalur Sugar Mills Ltd., Eraiyur, Distt. Tiruchirapalli. (Notified backward district) *Chairman* : E.C.P. Prabhakar, I.A.S. (Tamil Nadu State Government Company)	660.00	250·00	—	410·00	—	—	660·00
122	M/s Sri Venkatesa Mills Ltd., (i) Udamalpet, Distt Coimbatore, (ii) Madathukulam, Distt. Madurai. (Notified backward district) *Chairman* : A..R. Adaikappa Chettiar	150·72	15·00	—	125·00	—	10·72	150·72
123.	M/s Southern Agrifurane Industries Ltd., Mundiambakkam, Distt. South Arcot. (Notified backward district) *Chairman* : M A. Chidambaram (SPIC Group)	481·58	165·00 (R.I.)	—	307·95	—	8·63	481·58
124.	M/s Tamil Nadu Chemical Products Ltd., Kalanivasal, Distt. Ramanathapuram. (Notified backward district) *Chairman* : S. Narayanaswamy. *Managing Director* : B. Ananthaswamy.	245 00 (over-run)	35·00	—	210·00	—	—	245·00
125.	M/s Tamil Nadu Sugar Corporation Ltd., (Arignar Anna Sugar Mills) Karungalam, Distt. Thanjavur. (Notified backward district) *Chairman and Managing Director* : E C.P. Prabhakar, I.A.S. (Tamil Nadu State Government Company)	647·75	250·00	—	390·00	—	7·75	647·75
126.	M/s Textool Company Ltd., Coimbatore. *Chairman* : C.N. Raghavan, I A.S. *Managing Director* : S. Subramanyam.	125·00	—	—	100·00	—	25·00	125·00

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
123·00	—	—	—	—	123·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
31·25	—	—	—	—	31·25	Modernisation of the Company's composite textile mill with 62,260 spindles and 330 looms at Udamalpet and replacement of a conventional stentering machine by a new higher capacity machine at the processing house located in Madathukulam
35·00	—	5·00	—	—	40·00	New project for the manufacture of 3,000 tonnes of furfural per annum.
40·00	—	—	—	—	40·00 (addl.)	For meeting a part of the overrun in the cost of the new project for the manufacture of 3,300 tonnes of sodium hydrosulphite per annum.
125·00	—	—	—	—	125·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
25·00	—	—	—	—	25·00	Modernisation of the Company's two plants engaged in the manufacture of textile machinery.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TAMIL NADU (*Contd.*)								
127.	M/s Thirumalai Chemicals Ltd. Ranipet, Distt. North Arcot (Notified backward district) *Chairman* : N.S. Iyengar. *Whole-time Director* : N.T. Iyengar.	44·00 (over-run)	—	—	18·30	2·70	23·00	44·00
TRIPURA								
128.	M/s Tripura Jute Mills Ltd., Hafania, Distt. West Tripura. (Notified backward district) *Directors* : D N. Barua. K.D. Menon. (Tripura State Government Company)	630·00	205·00	—	410·00	—	15·00	630·00
UTTAR PRADESH								
129.	M/s. Ajanta Tubes Ltd., Ghaziabad. *Managing Director* : J. R. Jain.	305·11	79·00	30·00	140·00	3·70	52·41	305·11
130.	M/s. Balrampur Chini Mills Ltd., Balrampur, Dist. Gonda. (Notified backward district) *Chairman* : G. L. Saraogi.	150·00	—	—	125·00	—	25·00	150·00
131.	M/s. Bisalpur Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Kaswapatti, Distt. Pillibhit. (Notified backward district) *General Manager* : C. K. Chaturvedi.	750·00	75·00	190·00	485·00	—	—	750·00
132.	M/s. British India Corporation Ltd., (*i*) Kanpur. (*ii*) Dhariwal Distt. Gurdaspur, Punjab. (Notified backward district) *Executive Director* : Smt. Nirmala Bajoria.	340·00	—	—	268·74	—	71·26	340·00
133.	M/s Chandpur Sugar Company Ltd., Kherki, Distt. Bijnor. *Chairman* : N M. Majumdar I.A.S., *Executive Director* . A. C. Sharma (Uttar Pradesh State Government Company).	645·00	238·00	20·00	387·00	—	—	645·00

Sw. Kr. Swedish Kronor.

APPENDIX A (*contd*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned.
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5·75	—	—	—	—	5·75 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 6,000 tonnes of phthalic anhydride per annum.
80·00	—	—	—	—	80·00	New jute mill for the manufacture of 13,782 tonnes of jute goods per annum.
30·00	—	10·00	—	—	40·00	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of ERW steel pipes from 15,000 to 1,00,000 tonnes per annum.
31·25	—	—	—	—	31·25	Modernisation of the Company's sugar plant with a crushing capacity of 1,219 tonnes of sugarcane per day.
115·00	—	—	—	—	115·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
—	42·20 (Sw. Kr.)	—	—	—	42·20	Modernisation of the worsted spinning section and installation of 24 semi-automatic looms at its unit at Kanpur and replacement of 18 woollen mule spinning frames at its unit at Dhariwal.
117·00	—	—	—	—	117·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl No	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UTTAR PRADESH (*contd*)								
134.	M/s. Chhata Sugar Co. Ltd., Chhata. Distt. Mathura. (Notified backward district) *Chairman* : N. M. Majumdar I.A S., *Executive Director* · M. G. Pandey (Uttar Pradesh State Government Company)	630·00	233·00	20·00	377·00	—	—	630·00
135.	M/s. Hotel Pink City (P) Ltd. Agra. *Managing Director* : N B. Laxman.	9·70 (over-run)	1·75	—	7·50	—	0·45	9·70
136.	M/s. Kanoria Chemicals and Industries Ltd., Renukoot, Distt Mirzapur. *Managing Director* : S. S Kanoria.	168·00	—	—	146·00	—	22·00	168·00
137.	M/s. Modi Carpets Ltd. Rae Bareli, (Notified backward district) *Director in-charge* : Satish Kumar Modi.	577·16	200·00	—	367·53	11·00	—	578·53
138.	M/s. Modi Industries Ltd., Modinagar, Dist. Ghaziabad. *Chairman* ; K N. Modi (Modi Group)	456·00	—	—	350·00	—	106·00	456·00
139.	M/s. Narendra Explosives Ltd., Lalitpur (Notified backward district) *Chairman & Managing Director:* N. K. Jain	400·00	150·00	—	250·00	—	—	400·00
140.	M/s. Nandganj-Sihori Sugar Co. Ltd Nandganj. Distt. Ghazipur. (Notified backward district) *Chairman* : N. M. Majumdar I.A.S. *Executive director* : J. P. Tiwari (Uttar Pradesh State Government Company)	650·00	260·00	—	390·00	—	—	650·00
141.	M/s. Oriental Carbon Ltd. Ghaziabad. *Chief Executive* : C. B. Bambawala.	465·00	200·00	—	235·00	—	30·00	465·00

*Subsequently reduced to Rs. 17·34 lakhs.

**Subsequently reduced to Rs. 66·20 lakhs.

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned.
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
112·00	—	—	—	—	112·00	New Sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
7·50	—	—	—	—	7·50 (addl)	For meeting a part of the over-run in the cost of a new 3-Star hotel with 40 rooms.
—	18·44* (DM)	—	—	—	18·44 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of Benzene Hexachloride from 6,000 to 12,000 tonnes per annum.
20·00	81·01** (£) 2·08 (DM)	10·00	—	—	113·09	New project for the manufacture of 10 lakhs Kgs. of carpet yarn and 9·33 lakh square metres of tufted carpets per annum.
87·50	—	—	—	—	87·50 (addl.)	Modernisation-cum-expansion scheme envisaging, inter-alia, increase in the crushing capacity from 1,150 to 1,500 tonnes of sugarcane per day.
—	35·13 (DM)	12·50	—	—	47·63	New project for the manufacture of 10,000 tonnes of nitroglycerine based industrial explosives per annum.
120·00	—	—	—	—	120·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
40·00	—	15·00	—	—	55·00	New project for the manufacture of 11,250 tonnes of carbon black per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UTTAR PRADESH (*contd*)								
142.	M/s. Rudra Bilas Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Bilaspur. Dist Rampur (Notified backward district) *Vice Chairman* : Harchandra Singh.	785·00	85·00	190·00	480·00	—	30·00	785·00
143	M/s Sarvodya Paper Mills Ltd, Sikandrabad Distt Bulandshahr. (Notified backward district) *Managing Director* . Jisukh Ram Sharma	421·00	161·00	—	260·00	—	—	421·00
144.	M/s. Scooters India Ltd., Lucknow *Chairman & Managing Director* . S. Soundararajan. (Government of India Undertaking)	985·00	200·00	—	315 00	—	470·00	985·00
145.	M/s Sivalik Cellulose Ltd, Gajraula Distt. Moradabad (Notified backward district) *Managing Director* : Inder P Choudhrie.							
146.	M/s. Synthetics & Chemicals Ltd, Bhitaura Distt. Bareilly. *Chairman :* Tulsidas Kilachand (Kilachand Group)	129·00	—	—	98 90	—	30·10	129·00
147.	M/s.Trackparts of India Ltd., Kanpur. *Managing Director* : H. N. Bhargava.	142·82	42·82	—	75·00	—	25·00	142·82
148.	M/s Tufted Carpets and Woollen Industries Ltd., Sikandrabad Industrial Area, Distt Bulandshahr. (Notified backward district) *Director* : G. S. Agarwal.	454·00	162·00	—	292·00	—	—	454·00
149.	M/s Tulsipur Sugar Co Ltd Shitalpur Distt. Gonda. (Notified backward district) *Directors* : Matadin Khaitan Shivchandray Dabriwala	154·00	—	—	140·00	—	14·00	154·00

*Cost of the project accounted for in the year 1975-76

APPENDIX A—(*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned.
Rupee loans	Foreign Currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
80·00	—	—	—	—	80·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
7·00		21·00	—	—	92 00	New project for the manufacture of 23 tonnes of M G. paper per day.
50·00	—	—	—	—	50·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of power packs by 1,65,000 nos per annum
—	—	1·25	—	—	1·25 (addl.)	New project for the manufacture of 20 tonnes of writing and printing paper per day.
30·00	—	—	—	—	30·00	Diversification scheme envisaging the manufacture of 2,000 tonnes of nitrile rubber per annum.
15·00	—	5·00	—	—	20·00	Expansion by setting up a new unit for the manufacture of 2,400 tonnes of closed die forgings per annum.
60 00	—	15·00	—	—	75·00	New project for the manufacture of 7·23 lakh square metres of tufted carpets from semi-worsted yarn per annum
35·00	—	—	—	—	35·00	Modernisation of the Company's sugar plant with a crushing capacity of 1,350 tonnes of capacity of 1,350 tonnes of sugarcane per day.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UTTAR PRADESH (*contd*)								
150	M/s. U P State Spinning Mills Co (No. 1) Ltd., Barabanki, (Notified backward District) *Chairman* : T. N. Sharma. *Managing Director :* O. N. Vaid I.A S. (Uttar Pradesh State Government Company)	500·00	250·00	—	250 00	—	—	500 00
151.	M/s. U. P. State Textile Corporation Ltd., (*i*) Jhansi. (Notified backward District)	490 00	230·00	—	245·00	—	15·00	490·00
	(*ii*) Kashipur, Distt Nainital *Chairman* : T. N. Sharma. *Managing Director* : S. Ramesh I.A.S. (Uttar Pradesh State Government Company)	480·00	240·00	—	240·00	—	—	480·00
152.	M/s. U. P. Twiga Fibreglass Ltd., Sikandrabad Industrial Area, Distt. Bulandshahr. (Notified backward district) *Chairman* : R. K. Bhargava, I.A.S.,	770 00	250·00	10 00	510·00	—	—	770·00
WEST BENGAL								
153.	M/s. Andrew Yule & Company Ltd., Kalyani, Distt. Nadia (Notified backward district) *Chairman & Managing Director* : R. Lall.	655·00	—	—	525·00	—	130·00	655·00
154.	M/s. Bright Wires Ltd., Madhyamgram, Distt. 24-Parganas. *Managing Director* : S N. Agarwal	12·00 (over-run)	—	—	12·00	—	—	12·00
155.	M/s. Davy Ashmore India Ltd., Kharagpur, Distt. Midnapur (Notified backward district) *Proposed Managing Director* : P. Sen.	345·00	63·00	15 00	190·00	—	77 00	345·00

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign Currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
70·00	—	—	—	—	70·00	New cotton textile mill with a complement of 25,080 spindles.
110·00	—	—	—	—	110·00	New cotton textile mill with a complement of 25,080 spindles.
80·00	—	—	—	—	80·00	New Cotton textile mill with a complement of 25,080 spindles.
40·00	65·00 (DM)	20·00	—	—	125·00	New project for the manufacture of fibre glass and its conversion into textiles and re-inforcements with an installed capacity of 2,100 tonnes per annum.
96·50	—	—	—	—	96·50	Diversification by setting up a new unit for the manufacture of 2,100 tonnes of conveyor belting, 13.5 lakh nos. of automotive fans and industrial V-belts per annum.
4·00	—	—	—	—	4·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 23,100 tonnes of galvanised and non-galvanised steel wires per annum.
45·00	—	7·50	—	—	52·50	New project for the manufacture of 4 nos. of forging presses, 4 nos. of rolling mills, 60 tonnes of continuous casting machines, 30 tonnes of side-blown converters and 10 tonnes of blast furnace accessories per annum.

APPENDIX A (*contd.*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
WEST BENGAL—(*contd.*)								
156.	M/s Eastend Paper Industries Ltd., Bansberia, Distt. Hooghly. (Notified backward district) *Director* : J. M. Jatia.	128 00	10 00 (R. I.)	—	75 00	—	43·00	128·00
157	M/s. Gourepore Company Ltd., Garifa, Dist. 24-Parganas. *Chairman* : B. M. Khaitan. *Director* : M. Mitter. (Macneill Magor Group)	312·89	—	—	270·00	—	43·00	313·00
158.	M/s. Himalaya Rubber Products Limited, Kalyani, Distt. Nadia, (Notified backward district) *Chairman* : O. P. Mundhra. *Managing Director* : A. B. Ganguli,	175 00	60·00	10 00	104·00	1 00	—	175·00
159.	M/s. Hindustan Gas and Industries Ltd. Nangi (Budge Budge) Distt. 24-Parganas. *President* : R. L. Bathwal. (Birla Group)	17·25	—	—	10·00	—	7·25	17·25
160.	M/s. Nuddea Mills Co. Ltd., Naihati Distt. 24-Parganas *Chairman* : B. M Khaitan. *Director* : M. Mitter. (Macneill Magor Group)	287·54	—	—	245·00	—	42·54	287·54
161.	M/s. Shalimar Wires & Industries Limited, Uttarpara, Distt. Hooghly. (Notified backward district) *Managing Director* : S. N. Khaitan.	56·00	—	—	30·00	14·25	11·75	56·00
162	M/s. Sree Engineering Products Ltd., Rishra, Distt. Hooghly. (Notified backward district) *Directors* : B. D Mimani, N. D. Mimani,	21·00	4·50	—	16·50	—	—	21,00

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned.
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
55·00	—	—	—	—	55·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of writing and printting paper from 6,000 to 10,500 tonnes per annum.
67·50	—	—	—	—	67·50	Modernisation renovation, and blalancing of the Compauy's jute mill.
30·00	—	5·00	2·50	—	37·50	New project for the manufacture of one million automotive fan belts and V-belts per annum.
—	5·78 (DM)	—	—	—	5·78 (addl.)	Import of an air expander.
61·25	—	—	—	—	61·25	Modernisation, renovation and balancing of the Company's two jute mills.
30·00	—	—	—	—	30·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of Fourdrinier wire cloth from 78,000 to 1,12,000 square metres per annum.
8·25	—	—	—	—	8·25 (addl)	Balancing-cum-rehabilation scheme aimed at achieving the rated capacity for the production of 150/175 tonnes malleable iron castings per month.

APPENDIX A (*contd*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
WEST BENGAL—(*concld.*)								
163.	M/s Tega India Ltd., Kalyani, Distt. Nadia. (Notified backward district.) *Chairman* : Dr. D. P Antia. *Proposed Managing Director* : M. Mohanka.	140·00	50 00	—	90·00	—	—	140·00
164.	M/s. Textile Processing Corporation of India Ltd., Sapna-Mirzanagar, Distt. 24-Parganas. *Chairman* . S. N. Hada. *Managing Director* : R. K. Sengupta.	150·00 (over-run)	60·00	—	90·00	—	—	150·00
165.	M/s Universal Paper Mills Ltd. Jhargram, Distt. Midnapore. (Notified backward district) *Chairman* : J P Kanoria. *Proposed Managing Director* : A. K. Khemka.	@						
166.	M/s West Bengal Scooters Ltd. Kharagpur, Distt. Midnapur. (Notified backward district) *Chairman* : Deepak Roy : *Managing Director* : A. K. Rungta.	294·00	101·00	—	193·00	—	—	294·00
167.	M/s. Window Glass Ltd., Bansberia, Distt. Hooghly. (Notified backward district) *Director* : B. L. Kheruka.	66·00	15·00	—	45·00	—	6·00	66·00
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS								
168.	M/s Andaman Timber Industries Port Blair. (Notified backward area) *Chairman* . B.M. Khaitan, *Managing Directors* : B.K. Khaitan, A.K. Bose.	83·60	7·50	—	54·64	—	21·46	83·60

*Direct subscription.

**Subscription to Rights Issue.

@Cost of the project accounted for in the year 1975-76

APPENDIX A (*contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 30, 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
25·00	—	5·00*	—	—	30·00	New project for the manufacture of 300 tonnes of rubber lining, rubber screen decks and other wear resistant rubber components per annum.
17·00	—	2·00**	—	—	19·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new centralised textile processing house for bleaching, mercerising, dyeing and printing of 1,45,000 metres of textile fabrics per day.
—	—	2·00	—	—	2·00 (addl.)	New project for the manufacture of 5,940 tonnes of M. G. Kraft paper per annum.
50·00	—	7·49	—	—	57·49	New project for the manufacture of 30,000 two-wheeler scooters per annum.
23·00	—	—	—	—	23·00 (addl.)	Modernisation/renovation scheme enivsaging, inter-alia, marginal increase in the production capcity by 1,200 tonnes of figured/wired/coloured glass per annum.
31·86	14·40 (D M)	—	—	—	46·26 (addl)	Expansion scheme euvisaging an increase in the capacity for the manufacture of plywood from 1·5 million to 3·0 million square metres per annum.

APPENDIX A (*concld*)

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of finacing					
			Share capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DELHI								
169.	M/s I.T.C. Ltd., (i) Delhi. (ii) Agra, Uttar radesh. *Chairman* : A N. Haksar. (India Tobacco Group)	1218·00	—	—	550·00	—	668·00	1218·00
170.	M/s Sunair Hotels Ltd., Delhi *Proposed Managing Director* : S. P Agarwal.	180·00	60·00	—	120·00	—	—	180·00
171.	M/s Sylvania & Laxman Ltd., Delhi. *Chairman and Managing Director :* L.S. Agarwal.	143·00	—	—	100·00	—	43·00	143·00
GOA, DAMAN AND DIU								
172.	M/s Mandovi Pellets Ltd., (Formerly M/s Chowgule Metal Industries Ltd.) San Coale, Goa. (Notified backward area) *Chairmn :* V.D. Chowgule. *Managing Director :* R.L. Chowgule. (Chowgule Group)							
173.	M/s Trade Wings Ltd., Bogmalo Beach, Goa (Notified backward area) *Chairman :* A.N. Kilachand, *Managing Directors :* U.S. Ubhayakar S.R. Parekh.	260·00	50 70	—	170·00	—	39·30	260·00
PONDICHARRY								
174.	M/s Pondicherry Papers Ltd., Pillarkuppam, Pondicherry, (Notified backward area) *Propsed Managing Director :* Gnanagiri Ganesan	341·30	120·00	—	221·30	—	—	341·30
	TOTAL :	75285·46	15517·10	2489·34	48056·06	346·96	8918·32	75327·78@

Amount sanctioned by way of conversion from DM sub-loan to Rupee loan in respect of assistance sanctioned to one concern in anearlier year—Rs 40·75 lakhs.

*Subsequently reduced to Rs. 16·50 lakhs. **Cost of the project accounted for in the year 1975-76.

@The figure of the total cost of the project(s) does not tally with the figure of the sum-total of means of financing due to certain adjustment.

Notes :

(1) The name of 'Industrial Group' mentioned against certain concerns, relates to the g connected undertakings registered under Section 26 of the Monopolies and Res ctices Act, 1969, according to the latest information available with the Corp

APPENDIX A (*concld.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1976 TO JUNE 1977

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned(Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned.
Rupee loans	Foreign currency, loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
125·00	—	—	—	—	125·00	Exapansion by setting up to new 5-Star hotels, one with 350 rooms at Delhi and the other with 200 rooms at Agra.
35·00	—	8·00	—	—	43·00	A new hotel with 126 double-bed rooms.
25 00	—	—	—	—	25·00 (addl.)	Rehabilitation/revitalisation of the operations of the Company.
—	—	—	10·00	—	10 00 (addl.)	Setting up a new iron ore pelletisation plant with an installed capacity of 1·8 million tonnes per annum.
30·00	—	—	—	—	30 00	New hotel with 126 double bed rooms.
40·00	—	9 35	—	—	49·35	New project for the manufacture of 25 tonnes of printing paper per day
8632·57	518·31	772·35	51·50	37·50	10012·23	

Notes : (contd.)

(ii) The names of Chairman/Managing Directors etc., mentioned against individual concerns, relate to the position as at the time of sanction of financial assistance.

(iii) Figures relating to 'Cost of the project' and the 'Means of financing' are those envisaged at the time of sanction of financial assistance.

APPENDIX B

STATE/TERRITORY-WISE DIISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED AS ON JUNE 30, 1977

(After adjustment of cancellations/withdrawals)

(Rs Lakhs)

State/Territory	No. of projects	Assistance sanctioned					
		Rupee loans	Foreign currency sub-loans	Under-writings/ Direct subscrip-tions	Guarantees for deferred payments on machinery and for foreign loans	Total	% of Total
Andhra Pradesh	72	3256·82	339·64	491 60	925·82	5013·88	7 7
Assam	11	610·43	115·86	3377 50	—	1103 79	1·7
Bihar	41	2269 31	254 35	350 38	329 75	3203·79	4 9
Gujarat	65	3469·25	526·97	358 11	130·97	4485 30	6 8
Haryana	47	2078 59	299·12	245 77	19·08	2642 56	4 0
Himachal Pradesh	6	184 50	—	24 50	—	209 00	0 3
Jammu & Kahmir	2	140·00	—	—	—	140·00	0 2
Karnataka	73	3525 44	329 07	402·94	221 52	4478 97	6·8
Kerala	28	1450 50	298 17	102 00	172·47	2023·14	3·1
Madhya Pradesh	24	1212 06	203 20	320·75	39 82	1775 83	2 7
Maharashtra	179	10402·05	1202 33	827·57	375 93	12807 88	19 5
Meghalaya	2	280·00	—	4 09	—	284 09	0·4
Nagaland	1	50·00	—	—	—	50·00	0·1
Orissa	20	1213·23	219·27	152·50	—	1585 00	2 4
Punjab	24	1084·09	155·36	104·00	9 96	1353·41	2·1
Rajasthan	23	1673·45	154 52	130 64	786·07	2744·68	4 2
Tamil Nadu	89	5123·80	812·54	665 42	1281·31	7883 07	12 0
Tripura	1	80·00	—	—	—	80 00	0 1
Uttar Pradesh	96	5666·33	870 01	511 38	353 59	7401 31	11 3
West Begal	91	3515·66	658 99	304·99	532 13	5011 77	7·7
Andaman & Nicobar Islands	1	27·50	14·40	—	—	41 90	0·1
Delhi	7	417·98	82·86	48 75	83 33	632 29	1 0
Goa	7	355 00	—	120·00	—	475·00	0·7
Pondicherry	2	92·00	—	9 35	8·16	109 51	0 2
TOTAL :	912	48177·99	6536 66	5552 24	5269·91	65536 80	100 0

APPENDIX C

INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED AS PER THE NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION AS ON JUNE 30, 1977

(After adjustment of cancellations/withdrawals)

(Rs. Lakhs)

N. I. C. Code Number	Industry Group	Assistance sanctioned						% of Total
		No. of projects	Rupee loans	Foreign currency sub-loans	Under writings/ Direct subscriptions	Guarantees for deferred payments on machinery and foreign loans	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mining and quarrying :							
100	—Coal mining	3	120 00	—	—	—	120 ·00	0 2
110	—Crude petroleum	1	—	—	350 00	—	350 00	0 ·5
120, 125, 127	—Metal ore mining	4	210 ·00	—	45 00	—	255 ·00	0 4
	Food products :							
206	—Sugar	154	14162 ·78	7 86	85 34	—	14255 98	21 8
201, 202, 210,211, 212,219,222	—Other food products	11	180 50	9 ·00	31 ·40	—	220 90	0 3
231,232, 241,244, 247,248	Textile	135	6432 47	274 ·88	313 ·00	306 93	7327 28	11 ·2
251	Jute manufactures	18	1078 36	0 ·72	17 ·50	—	1069 58	1 7
270, 278	Wood products	9	172 26	185 ·43	43 00	—	400 ·69	0 ·6
280, 281	Paper and paper products	48	3230 ·86	721 20	554 06	551 16	5057 28	7 7
290	Leather products	4	87 ·75	13 ·84	17 00	—	118 59	0 ·2
300 to 303	Rubber products	22	1699 28	283 ·02	292 06	315 ·61	2589 97	4 0
	Chemicals and chemical products :							
310	—Basic industrial organic and inorganic chemicals and gases	38	2072 ·47	668 ·57	308 15	431 36	3480 55	5 ·3
311	—Fertilisers and pesticides	17	1673 50	58 70	440 ·93	1278 ·86	3451 99	5 ·3
316	—Synthetic and other man-made fibres	18	1031 00	540 ·46	170 45	46 02	1787 93	2 ·7
316	—Synthetic resins and plastic materials	11	400 00	260 ·44	100 ·00	—	760 ·04	1 ·2
305, 312 to 315, 318, 319	—Other chemicals and chemical products	29	664 75	169 ·52	168 ·78	—	1003 05	1 ·5
	Non-metallic mineral products :							
321	—Glass and glass products	15	492 38	109 54	55 00	—	656 92	1 ·0
	C/o	537	33708 36	3302 78	2991 ·67	2929 94	42932 75	65 9

APPENDIX C *(contd.)*

INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED AS PER THE NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION AS ON JUNE 30, 1977

(After adjustment of cancellations/withdrawals)

(Rs. Lakhs)

N I C. Code Number	Industry Group	Assistance sanctioned						% of Total
		No of projects	Rupee loans	Foreign currency sub-loans	Under-writings/ Direct subscrip-tions	Guarantees for deferred payments on machi-nery and for foreign loans	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	B/f	537	33708 36	3302 78	2991 ·67	2929 ·94	42932 75	65 ·6
324, 328	—Cement	38	2740 00	348 ·16	215 ·89	18 ·54	3322 59	5 ·1
320,323, 329	—Other non-metallic mineral products	22	777 89	281 66	121 00	—	1180 ·55	1 8
	Basic metal and alloy industries .							
330 to 332	—Iron & steel and ferro-alloys	64	2787 67	568 44	563 ·29	103 26	4112 66	6 3
333 to 336, 339	—Non-ferrous metal industry	13	855 12	25 03	321 00	1945 65	3146 80	4 ·8
340, 341, 343, 344, 349	Metal products except machinery and transport equipment	35	826 94	245 62	238 69	62 78	1374 03	2 ·1
	Machinery except electrical machinery ·							
350	—Agricultural equipment and parts	8	316 00	100 33	55 50	—	471 83	0 7
351 to 359	—Machinery and accessories	60	1517 22	720 84	260 30	103 76	2602 ·12	4 0
360 to 364	Electrical machinery, apparatus,							
367, 369	appliances and parts	50	1513 10	459 07	278 01	—	2250 ·18	3 ·4
	Transport equipment and parts.							
371, 372	—Locomotives, railway wagons and coaches	4	105 00	—	10 00	—	115 ·00	0 ·2
374	—Motor vehicles and parts	21	688 08	358 04	196 ·69	—	1242 ·81	1 9
375	—Motor cycles, auto cycles, scooters and parts	15	685 94	105 61	62 ·99	26 95	881 49	1 ·3
376	—Other transport equipment	3	198 20	8 ·85	—	—	207 05	0 ·3
261,380,	Miscellaneous manufacturing							
382, 385	industries	7	168 60	12 ·23	10 ·50	—	191 33	0 ·3
40, 41	Electricity and gas	8	155 ·50	—	65 00	—	220 ·50	0 ·3
691	Hotel industry	26	1134 ·37	—	58 ·10	79 03	1271 ·50	1 ·9
710	Shipping industry	1	—	—	13 ·61	—	13 ·61	—
	TOTAL .	912	48177 ·99	6536 66	5552 ·24	5269 91	65536 ·80	100 0

APPENDIX D

DISPOSAL OF APPLICATIONS FOR ASSISTANCE

(Excludes Soft Loans Scheme)

(Rs. Lakhs)

State/Territory	No. of concerns from whom applications were pending at the beginning of the year (1-7-1976)		No. of concerns from whom applications were received during the year		No of concerns whose applications were withdrawn during the year and/or tretead as inactive		No. of concerns whose applications were sanctioned assistance (gross) during the year		No. of concerns from whom applications were pending as on 30-6-1977	
	No.	Amount	No	Amount	No.	Amount	No,	Amount	No	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Andhra Pradesh	7	4737·35	14	5871 51	—	—	17	1335·99	4	880 50
Assam	2	302 50	—	—	1	300 00	1	2 50	—	—
Bihar	5	2461·74	8	1204·94	1*	943 00*	11	500 48	1	423 00
Gujarat	4	3123·00	9	26777·47	—	—	9	772 74	4	24517 00
Haryana	3	413·20	9	2252 81	2	205 00	7	556 56	3	476 60
Himachal Pradesh	—	—	1	120 00	—	—	1	90 00	—	—
Jammu & Kashmir	1	1250·00	—	—	—	—	1	100 00	—	—
Karnataka	5	1455 98	5	1072 55	—	—	8	384 50	2	540·00
Kerala	2	562·00	4	195·35	—	—	5	176 41	1	142 00
Madhya Pradesh	3	1627 00	2	780 00	1*	205 00*	4	357 21	—	—
Maharashtra	17	4882·40	16	2033·07	1	40 00	26	1232 00	6	1606 37
Meghalaya	—	—	1	0 09	—	—	1	0 09	—	—
Orissa	4	1362·50	1	48 00	1*	290 00*	3	209 50	1	379 00
Punjab	1	270 64	5	1297·18	—	—	4	176 50	2	836 00
Rajasthan	6	1543·66	5	580·50	3*	701 90*	6	327 89	2	139 00
Tamil Nadu	8	3067 44	13	6376·10	—	—	10	540 37	11	6866 00
Tripura	1	410 00	—	—	—	—	1	80 00	—	—
Uttar Pradesh	14	5740·89	15	3835·81	2	843·11	21	1495 61	6	2080·50
West Bengal	5	1039 46	13	3227 92	1	315·46	13	421 02	4	2266 13
Andaman & Nicobar Islands	1	40·00	—	—	—	—	1	46 26	—	—
Delhi	1	370 00	2	244·00	—	—	3	193·00	—	—
Goa, Daman & Diu	—	—	2	115·00	—	—	2	40 00	—	—
Pondicherry	1	265 00	—	1 85	—	—	1	49 35	—	—
TOTAL	91	34924 76	125	56034 15	13	3843 47	156	8987 98	47	41152·10

*Denotes concerns with amount of financial assistance (in Rajasthan one concern only with amount of Rs 71 90 lakhs) whose applications had to be transferred from complete to incomplete, i e, 'inactive list during the year.

Notes . (1) Number of concerns under columns 2, 4, 6, 8 and 10 includes concerns which have/had applied for financial assistance *jointly* with other financial institutions

(2) Amounts shown under columns 3, 5, 7 and 11 include financial assistance sought *jointly* with other financial institutions.

APPENDIX E

STATEMENT SHOWING INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

(After adjustment of

N.I.C Code Number	Industry Group	Andhra Pradesh	Assam	Bihar	Gujarat	Haryana	Himachal Pradesh	Jammu & Kashmir	Karnataka	Kerala
	Mining and quarrying :									
100	—Coal mining	—	—	50 00	—	—	—	—	—	—
110	—Crude petroleum	—	350 00	—	—	—	—	—	—	—
120, 125, 127	—Metal ore mining	—	—	—	—	—	—	—	50 ·00	—
	Food products :									
206	—Sugar	1100 00	185 00	166 ·50	698 50	286 00	—	—	1240 59	180 00
201, 202, 210,211, 212,219, 222	—Other food products	25 00	—	18 00	—	26 ·90	—	—	107 50	—
231,232, 241,244 247,248	Textile	395 44	26 ·17	127 70	655 ·70	338 23	77 00	40 ·00	460 33	141 68
251	Jute manufactures	98 00	78 50	34 00	—	—	—	—	—	—
270,278	Wood products	102 72	100 ·74	—	7 ·00	—	—	—	—	64 80
280, 281	Paper and paper products	900 ·60	197 ·00	721 ·08	283 ·23	480 ·77	—	—	649 ·80	117 ·34
290	Leather products	45 ·75	—	—	—	—	—	—	—	18 84
300 to 303	Rubber products	—	—	21 ·64	—	—	—	—	90 ·00	162 04
	Chemicals and chemical products :									
310	—Basic industrial organic and inorganic chemicals and gases	237 45	—	28 ·61	611 ·57	—	—	—	112 ·87	140 00
311	—Fertilisers and pesticides	963 ·29	36 38	—	520 00	—	20 00	—	236 00	306 00
316	—Synthetic and other man-made fibres	—	—	—	982 ·04	23 00	—	—	—	48 01
316	—Synthetic resins and plastic materials	162 ·24	90 00	—	63 ·50	—	—	—	15 ·00	—
305, 312 to 315,318, 319	—Other chemicals and chemicals products	66 ·00	—	—	73 45	72 ·00	2 ·50	—	52 58	125 50
	Non-Metallic products :									
321	—Glass and glass products	47 50	—	114 93	—	35 ·00	—	—	1 ·50	40 ·00
324, 328	—Cement	144 ·89	—	474 76	142 30	—	—	100 00	116 00	—
320, 323, 329	—Other non-metallic mineral products	—	—	284 ·14	67 ·30	101 ·98	—	—	2 85	—
	Basic metal and alloy industries :									
330 to 332	—Iron & steel and ferro-alloys	201 50	2 ·50	808 ·84	—	438 ·23	—	—	246 ·25	48 27
333 to 336, 339	—Non-ferrous metal industry	—	—	76 ·73	—	—	—	—	215 00	309 ·10
340,341, 343, 344, 349	Metal products except machinery and transport equipment	—	—	—	47 ·00	252 ·50	—	—	62 41	—
	Machinery except electrical machinery :									
350	—Agricultural equipment and parts	—	—	—	—	109 ·99	—	—	32 50	33 00
351 to 359	—Machinery and accessories	33 39	—	87 ·86	268 ·71	85 37	—	—	179 35	—
360 to 364, 367, 369	Electrical machinery, apparatus, appliances and parts	294 98	—	32 00	—	196 ·92	—	—	267 94	257 88
	Transport equipment and parts									
371, 372	—Locomotives, railway wagons and coaches	—	—	15 ·00	—	—	—	—	70 ·00	—
374	—Motor vehicles and parts	—	—	25 ·00	—	—	—	—	187 50	—
375	—Motor cycles, auto cycles, scooters and parts	44 ·29	—	50 ·00	—	127 ·82	—	—	50 ·00	—
376	—Other transport equipment	—	—	—	—	67 85	—	—	—	—
261, 380, 382, 385	Miscellaneous manufacturing industries	6 ·34	—	—	—	—	90 ·00	—	—	30 68
40, 41	Electricity and gas	—	37 ·50	—	65 ·00	—	—	—	—	—
691	Hotel industry	144 ·50	—	67 00	—	—	19 ·50	—	33 ·00	—
710	Shipping industry	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL	5013 ·88	1103 79	3203 79	4485 30	2642 56	209 00	140 00	4478 ·97	2023 ·14
	No. of projects State-wise :	(72)	(11)	(41)	(65)	(47)	(6)	(2)	(73)	(28)

APPENDIX E (*contd.*)

ASSISTANCE SANCTIONED FOR PROJECTS IN EACH STATE BY THE INDUSTRIAL AS ON JUNE 30, 1977

cancellations/withdrawals

(Rs. Lakhs)

Madhya Pradesh	Maha-rashtra	Megha-laya	Naga-land	Orissa	Punjab	Rajas-than	Tamil Nadu	Tri-pura	Uttar Pradesh	West Bnegal	Union Terri-tories	Total	No. of pro-jects
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70·00	—	120 00	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350·00	1
—	—	—	—	75 00	—	—	85·00	—	—	—	45·00	255 00	4
80 00	5889·20	—	50 00	205 00	315 00	95·00	1562·44	—	2052·75	—	150 00	14255 98	154
	—	—	—	—	—	—	—	—	38 24	5 26	—	220·90	11
396 46	1141·70	—	—	232 88	325·29	655 93	505 14	—	1362·65	315·52	129 46	7327 28	135
—	—	—	—	142 50	—	—	—	80·00	—	663 58	—	1096·58	18
29 00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 00	76 43	400 69	9
—	330 72	—	—	252 08	83 00	—	75 00	—	495·98	421 33	49·35	5057 28	48
—	—	—	—	—	—	—	37·00	—	—	17 00	—	118·59	4
—	131 80	—	—	130·00	—	204·89	468 82	—	441 44	839 34	100 00	2589·97	22
—	726 97	—	—	69 29	—	—	1117 31	—	211·63	224·85	—	3480·55	38
120 0	31·50	—	—	—	—	253·98	395·00	—	494 84	—	75 00	3451 99	17
96·25	143 03	—	—	—	—	55·80	161 20	—	278·60	—	—	1787 93	18
—	294·30	—	—	—	—	—	105 00	—	30 00	—	—	760 04	11
22 38	76 85	14 09	—	27 00	58 00	—	222·82	—	144·88	45·00	—	1003·05	29
—	54 83	—	—	—	—	—	—	—	220·15	143·01	—	656 92	15
529·59	—	270 00	—	100 00	—	375 00	770 05	—	300 00	—	—	3322·59	38
160 00	83 90	—	—	156·25	—	—	3 00	—	40 00	281·13	—	1180·55	22
98 71	1149 59	—	—	195·00	127 50	102·73	165 07	—	345 22	183·25	—	4112 66	64
—	65 27	—	—	—	—	668 35	1188 50	—	75 00	548 85	—	3146·80	13
—	107 10	—	—	—	57 50	65·26	94 63	—	272·78	414·85	—	1374 03	35
—	83 39	—	—	—	107 95	—	15 00	—	90·00	—	—	471 83	8
94 00	816 91	—	—	—	—	—	487 12	—	40·00	465 56	43 85	2602 12	60
90 49	450 11	—	—	—	60·28	192 74	40·88	—	116 82	103 55	145 59	2250 18	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30·00	—	115 00	4
58 95	636 04	—	—	—	133 39	—	80·00	—	101·93	20·00	—	1242 81	21
—	157 05	—	—	—	43·00	37·50	189 34	—	125 00	57 49	—	881·49	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139 20	—	207 05	3
—	20 91	—	—	—	42·50	—	—	—	0 90	—	—	191 33	7
—	115 00	—	—	—	—	—	—	—	—	3·00	—	220·50	8
—	288 10	—	—	—	—	37·50	114·75	—	122·50	—	444·65	1271·50	26
—	13 61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13·61	1
1775·83	12807·88	284 09	50 00	1585 00	1353 41	2744·68	7883 07	80 00	7401 31	5011 77	1259·33	65536 80	912
(24)	(179)	(2)	(1)	(20)	(24)	(23)	(89)	(1)	(96)	(91)	(17)	(912)	

APPENDIX F

CAPACITY UTILISATION OF SELECTED INDUSTRIES IN THE COUNTRY AND OF THE REPORTING ASSISTED CONCERNS OF IFCI DURING 1975 AND 1976

Industry	For the country				Reporting assisted concerns of IFCI			
	1975		1976		1975		1976	
	No. of units	Utilisation of capacity (%)	No. of units	Utilisation of capacity (%)	No of units	Utilisation of capacity (%)	No. of units	Utilisation of capacity (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Chemicals & Chemical Products								
—Caustic Soda	31	72 4	32	73 0	3	47 9	5	47·2
—Liquid Chlorine	24	54 7	25	55 0	2	45 5	2	59 9
—Soda Ash	4	85 6	4	89 3	2	88 2	2	88 0
—Sulphuric Acid	69	54·2	70	59 8	1	78 6	1	54 9
2 Fertilisers								
—Nitrogenous	26	61·2	29	62 7	4	36·7	4	66 1
—Phosphatic	38	46 2	40	52 5	3	31 0	2	61 8
3. Cement	54	77 0	54	88·0	8	80 9	8	92 2
4. Paper & Paper Board	74	79·7	75	77 6	12	72 8	14	77 1
5. Iron & Steel								
—Steel Castings	51	38 8	51	39 9	3	60 0	2	55·1
—Malleable Iron Castings	12	67·6	11	74 0	1	53·3	1	63 7
—Steel Ingots & Billets	NA	NA	NA	NA	6	40 6	8	66 7
6. Machinery								
—Agricultural Tractors	11	64 0	11	74 0	2	56·4	2	72 8
—Power Tillers	4	24 0	4	20 0	2	15·7	1	4·8
7. Rubber Products								
—Automobile Tyres	13	79·9	14	78·6	5	62·8	3	63 9
—Automobile Tubes	13	72 2	15	71·9	5	57 9	3	57·5
8. Electrical Machinery and Apparatus								
—Electric Motors	34	50·1	33	54·8	2	70 1	2	68·2
—Transformers	31	61·3	33	60·0	3	64 4	3	77 8
—PILC Power Cables —PVC Power Cables	11	58 4	11	71 2	2	45 3	1	44·1
9. Automobile Industry								
—Motor cycles	4	83 5	4	87·5				
—Scooters	4	51·0	4	65·2				
—Three wheelers	2	57·5	2	63·0	6	67·6	5	67·9
—Mopeds	3	51 4	3	48·6				
10. Synthetic Fibres								
—Nylon Filament Yarn	8	86 3	8	101 5	3	75 0	4	93·6
—Polyester Filament Yarn	5	103 1	6	100 9	3	98·5	3	85·3
—Polyester Staple Fibre	5	56 6	5	86 0	1	71·2	1	78·8
11. Sugar								
—Cooperatives	104	89 3	120	92 5@	46	99·1	43	89·4
—Others	156		157		7	52 3	6	56·4
12. Cotton Textiles								
—Yarn		195 44 (lakh spindles)		198 43 (lakh spindles)		13 03 (lakh spindles)		12 28 (lakh spindles)
	69*	9893 (yarn) (lakh Kgs)	703$	10059 (yarn) (lakh Kgs)		712 (yarn) (lakh Kgs)		606 (yarn) (lakh Kgs)
—Cloth		2 08 (lakh looms) 40323 (cloth) (lakh metres)		2 07 (lakh looms) 38810 (cloth) (lakh metres)		47£ 0 06 (lalh looms) (1505 (cloth) (lakh metres)		41£ 0·06 (lakh looms) 983(cloth) (lakh metres)

@ Based on production as on July 22, 1977 for the season 1976-77 (Provisional).

*289 composite mills.

$290 composite mills

£ 8 composite mills.

Notes : 1 Information in columns 2, 3, 4 and 5 are based on the Annual reports of the Ministries of Industry, Chemicals and Fertilizers, Petroleum, Agriculture and Irrigation (Department of Food); Directorate of Sugar and Vanaspati; National Cooperative Development Corporation; and Office of the Textile Commissioner, Bombay In respect of cotton textiles figures pertain to actuals.

2 Information in columns 6, 7, 8 and 9 are based on replies to the Corporation's questionaire received from its assisted concerns.

APPENDIX G

SIZE-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA AS ON JUNE 30, 1977.

(According to amounts sanctioned for each industrial concern)

(Rs. Lakhs)

	Cooperatives		Limited Companies					Total				
	No. of concerns	Loans	No. of concerns	Loans	Underwritings/ Direct subscriptions	Guarantees for deferred payments on machinery and for foreign loans	Total	No. of concerns	Loans	Underwritings/ Direct subscriptions	Guarantees for deferred payments on machinery and for foreign loans	Total
1. Amounts not exceeding Rs. 10 lakhs	—	—	86	271 60	221 75	—	493 35	86	271 60	221 75	—	493 35
2. Amounts exceeding Rs. 10 lakhs but not exceeding Rs. 20 lakhs	1	20 00	58	715 60	211 58	—	927 18	59	735 60	211 58	—	947 18
3. Amounts exceeding Rs 20 lakhs but not exceeding Rs 30 lakhs	3	75 20	56	1292 80	159 70	3 71	1456 21	59	1368 00	159 70	3 71	1531 41
4. Amounts exceeding Rs 30 lakhs but not exceeding Rs. 40 lakhs	11	406 50	83	2576 76	366 50	25 28	2968 54	94	2983 26	366 50	25 28	3375 04
5. Amounts exceeding Rs. 40 lakhs but not exceeding Rs. 50 lakhs.	7	324 50	78	3106 52	474 52	38 68	3619 72	85	3431 02	474 52	38 68	3944 22
6 Amounts exceeding Rs 50 lakhs but not exceeding Rs 60 lakhs.	13	733 75	49	2396 60	307 13	—	2703 73	62	3130 35	307 13	—	3437 48
7 Amounts exceeding Rs. 60 lakhs but not exceeding Rs 70 lakhs	10	564 50	37	2191 54	163 38	58 75	2413 67	47	2846 04	163 38	58 75	3068 17
8. Amounts exceeding Rs. 70 lakhs but not exceeding Rs 80 lakhs	15	1163 00	33	2112 83	356 24	24 99	2494 06	48	3275 83	356 24	24 99	3657 06
9. Amounts exceeding Rs. 80 lakhs but not exceeding Rs. 90 lakhs	35	3094 39	24	1823 73	242 44	—	2066 17	59	4918 12	242 44	—	5160 56
10. Amounts exceeding Rs 90 lakhs but not exceeding Rs. 1 crore	13	1283 00	27	2269 24	266 35	79 65	2615 24	40	3552 24	266 35	79 65	3898 24
11. Amounts exceeding Rs. 1 crore	44	6751 31	132	21451 28	2782 65	5038 85	29272 78	176	28202 59	2782 65	5038 85	36024 09
TOTAL	152	14506 15	663	40208 50	5552 24	5269 91	51030 65	815	54714 65	5552 24	5269 91	6536 80

APPENDIX H

TERMS OF CONCESSIONAL FINANCE

(As on June 30, 1977)

With a view to providing greater inducement to entrepreneurs to spread out in relatively under-developed areas in the country, the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) is operating a scheme of providing financial assistance on concessional terms to industrial projects in such areas since 1970 The scheme now covers all industrial projects including hotels—new, expansion or rehabilitation in the corporate as well as cooperative sectors, irrespective of their capital cost. The principal features of the revised scheme of concessional finance for units in identified less developed districts/areas would be as under :

1. *Location* :

All industrial projects located/to be located in the districts in the various States or Union Territories selected for such assistance by the Central Government from time to time are eligible for assistance on concessional terms.

2 *Scope of the Scheme*

Concessional finance is extended to all eligible industrial projects (including hotels)—new and expansion—both in the corporate (limited companies) as well as cooperative sectors. Concessional terms are applicable to assistance granted by the Corporation by way of rehabilitation finance to units located in notified less developed districts/areas on the same basis as applicable to new and expansion projects.

3. *Ceiling on Assistance* :

The overall ceiling in respect of loans including deferred payment guarantees extended on concessional terms from the Corporation individually, unless other institutions also participate and extend concessional finance upto Rs. 2 00 crores on a pro rata basis, has been fixed at Rs 1 00 crore The sum of Rs. 1.00 crore, however, includes outstanding rupee assistance, if any, already granted on concessional terms Underwriting assistance from the term financing institutions including the Corporation is made available at concessional terms upto a ceiling of Rs 1.00 crore in the aggregate, irrespective of the cost of the project

4. *Terms* :

(i) *Rate of interest*

As against the normal current rate of interest on rupee and foreign currency loans at 11% lower rate of interest viz, 9.5% and 10% on rupee and foreign currency loans respectively is chargeable under the scheme.

(ii) *Period of repayment of loans*

The Corporation's normal practice is to allow initial moratorium upto 3 years to an assisted concern before the first repayment of the principal amount of the loan commences. In the case of undertakings in the less developed districts/areas, this period is extended upto five years from the date of first disbursement of the loan, on a case to case basis, having regard to the projections of profitability and ways and means position of a concern. Likewise, against the normal period allowed for repayment of loans, the period in the case of projects coming up in less developed districts/areas may be extended on the merits of each case having regard to the concern's profitability potential and cash flow position

(iii) *Promotors' contribution and equity debt ratio*

A contribution of about 17.5% by promoters to the total project cost and somewhat liberal equity-debt ratio is considered on the merits of each case having regard to the financial status and standing of the promoters, gestation period of a particular project, its profitability potential and other relevant factors.

(iv) *Participation in equity and preference capital*

Depending on the merits of each case, the Corporation would be prepared to consider participation by way of underwriting or otherwise in the share capital of an industrial concern located in less developed districts/areas to a greater extent as compared to projects located elsewhere.

(v) *Reduction in other charges*

In the case of Rupee Loans, 50% reduction would be made in the Corporation's normal charges in respect of commitment charge and legal charges while 25% reduction is permissible in the net effective rate of commission on deferred payment guarantees Fifty per cent reduction would also be made in the Corporation's normal charges in respect of underwriting commission

APPENDIX I

CONSOLIDATED LIST OF DISTRICTS/AREAS NOTIFIED BY THE CENTRAL GOVERNMENT AS QUALIFYING FOR CONCESSIONAL FINANCE FROM PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS

(As on June 18, 1977)

	States	*Selected Districts*
1.	Andhra Pradesh .	Anantapur, Chittoor, Cuddapah, Karimnagar, Khammam, Kurnool, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nellore, Nizamabad, Ongole, Srikakulam* and Warangal.
2.	Assam . . .	Cachar,* Goalpara*, Kamrup*, Mikir Hills*, North Cachar Hills, Nowgong* and New Lakhimpur*.
3.	Bihar . .	Aurangabad, Begusarai, Bhagalpur*, Bhojpur, Champaran *£, Darbhanga*£, Gaya, Monghyr, Muzaffarpur£, Nalanda, Nawadah, Palamau*, Purnea, Saharsa*, Santhal Parganas* and Saran£.
4.	Gujarat . . .	Amreli, Banaskantha, Bhavnagar, Broach*, Junagarh, Kutch, Mehsana, Panchmahals*, Sabarkantha and Surendernagar*
5.	Haryana . .	Bhiwani, Hissar$, Jind and Mohindergarh$.
6.	Himachal Pradesh .	Chamba*, Kangra*£, Kinnaur, Kulu*, Lahaul & Spiti, Sirmur* and Solan*.
7.	Jammu & Kashmir .	Anantnag*, Baramulla*, Doda*, Jammu*, Kathua, Ladakh, Poonch*, Rajori, Srinagar*, and Udhampur
8.	Karnataka . .	Belgaum, Bidar, Bijapur, Dharwar*, Gulbarga, Hasan, Mysore*, North Kanara, Raichur*, South Kanara and Tumkur.
9.	Kerala . .	Alleppey*, Cannanore*, Malapuram*, Trichur and Trivandrum
10.	Madhya Pradesh .	Balaghat, Bastar, Betul, Bilaspur, Bhind, Chhatarpur, Chindwara, Damoh, Datia, Dhar, Dewas, Guna, Hoshangabad, Jhabua, Khargone, Mandla, Mandsaur, Morena, Narsimhapur, Panna, Raigarh, Raipur, Raisen, Rajgarh, Rajnadgaon, Ratlam, Rewa, Sagar, Seoni, Shajapur, Shivpuri, Sidhi, Surguja, Tikamargh, Vidisha and Sehore.
11.	Maharashtra .	Aurangabad*, Bhandara, Bhir, Buldhana, Chandrapur*, Colaba, Dhulia, Jalgaon, Nanded, Osmanabad, Parbhani, Ratnagiri*, and Yeotmal.
12.	Manipur .	All the 5 districts*
13.	Meghalaya . .	Garo Hills*, United Khasi & Jaintia Hills*£.
14.	Nagaland .	Kohima*, Mokokchung* and Tuensang*.
15.	Orissa . . .	Balasore, Bolangir*, Dhenkanal*, Kalahandi*, Keonjhar*, Koraput*, Mayurbhanj* and Phulbani.
16.	Punjab . . .	Bhatinda*£, Ferozepur$, Gurdaspur, Hoshiarpur*, and Sangrur*.
17.	Rajasthan . .	Alwar*, Banswara, Barmer, Bhilwara$ Churu*, Dungarpur, Jaisalmer, Jalore, Jhunjhunu, Jhalawar, Jodhpur*, Nagaur*, Sikar, Sirohi, Tonk and Udaipur*.
18.	Sikkim . . .	All the 4 districts of Gangtok*, Gyalshing*, Mangan* and Namchi*
19.	Tamil Nadu .	Dharmapuri, Kanyakumari, Madurai, North Arcot, Pudukkottai, Ramanathapuram, South Arcot, Thanjavur and Tiruchirapalli.
20.	Tripura . . .	All the 3 districts*.
21.	Uttar Pradesh .	Almora*, Azamgarh, Badaun, Bahraich, Ballia*, Banda, Barabanki, Basti*, Bulandshahr£, Chamoli, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad*, Farrukhabad, Fatehpur, Garhwal, Ghazipur, Gonda, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jaunpur, Jhansi*£, Kanpur Dehat, Mainpuri, Mathura, Moradabad, Pilibhit, Pithoragarh, Partapgarh, Rae Bareli*, Rampur, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur, Tehri Garwal, Unnao and Uttar Kashi.
22.	West Bengal . .	Bankura, Birbhum, Burdwan, Cooch-Behar, Darjeeling, Hooghly, Jalpaiguri, Malda, Midnapur*, Murshidabad, Nadia*, Purulia*, and West Dinajpur.

APPENDIX I—*contd.*

Union Territories :

1. Andaman & Nicobar Islands*	Entire area
2. Arunachal Pradesh*	Entire area
3. Dadra & Nagar Haveli*	Entire
4. Goa, Daman & Diu	Entire area
5. Lakshadweep*	Entire area
6. Mizoram*	Entire area
7. Pondicherry*	Entire area

*These districts/areas are eligible for the Central scheme of investment subsidy.

£District as it existed prior to its recent reorganisation.

$District as reorganised recently.

Notes :

(i) *Andhra Pradesh*

Srikakulam district and 5 areas.

Two 'Areas' from Rayalaseema region comprising 22 blocks viz., Chittoor@, Bangarupalem@, Pulicherla@, Pattur@, Chandragiri and Kalahasthi@ (from Chittoor District) and Kodur, Rajampet, Sidhout, Cuddapah, Kamalapuram, Proddatur and Pulivendla (from Cuddapah district), and Tadpatri, Singanamala, Gooty, Kudair (from Anantapur District), and Dhone, Kurnool, Banganapalli@, Nandyal@ and Giddalur (from Kurnool District), three 'Areas' from Telangana region comprising 43 blocks viz., Mahabubnagar@, Jadcherla@, Shadnagar@, Kalwakurthy and Amangal (from Mahbubnagar district) and Nalgonda, Mungali, Nakrekal, Suryapet, Kodad@, Kuzurnagar@, Mirgalaguda@, Peddavora@ and Devarakonda@ (from Nalgonda district), Khammam, Thirumalaipalem, Kallur@, Yellandu@, Kothagudam@, Aswaraopeta@, Burgampad@ and Bhadrachalam@ (from Khammam district) and Mahbubabad, Narsampet, Hanamkonda, Ghanapur@, Jangaon@ and Mulug@ (from Warangal district), Zaheerabad@, Patancheruvu@, Narsapur@, Medak@ and Siddipet (from Medak district), Yedapalli@, Nizamabad@, Kamareddy@ and Damokonda@ (from Nizamabad district) and Sircilla@, Karimnagar, Sultanabad, Peddapalli, Manthani@ and Huzurabad (from Karimnagar district) are eligible for the Central scheme of investment subsidy

(ii) *Haryana*

Reorganised Mohindergarh district (comprising Mohindergarh and Rewari" Sub-Divisions), Bhiwani district (comprising Bhiwani and Dadri"@ Sub-Divisions) and one 'Area' comprising 8 Blocks viz., Hissar Block No I and Barwala Block (of Hissar Tehsil), Hansi Block No. I (from Hansi Tehsil), Bahuna Block (from Fatehbad Tehsil), Tohana Block/Tehsil (from Tohana Tehsil)—from the district of Hissar, —Jind Block and Julana Block (from Jind Tehsil), Uchana Block (Narwana Tehsil)—from the district of Jind—are eligible for the Central scheme of investment subsidy

(iii) *Madhya Pradesh (Six Areas)*

The 'Area' from Eastern Region comprising 12 blocks viz., Korba, Baloda, Champa, Kota, Masturi and Bilha (Bilaspur) blocks (from Bilaspur district), Bhatapara, Simga, Tilda Dharsiwa (Raipur), Abhanpur and Rajim blocks (from Raipur district); the Area@ from Northern Region comprising 9 blocks viz., Shivpuri & Karera (from Shivpuri district), Datia & Seondha (from Datia district)' Bhind, Mehgaon and Gohad (from Bhind district) and Morena and Jaura (from Morena district), the 'Area' from Western Region comprising 10 blocks viz., Dewas and Tonk Khurad blocks (from Dewas district), Gulana, Shujalpur and Shajapur blocks (from Shajapur district); Panchor (Sarangpur) and Biaora blocks (from Rajgarh district) and Chachaura, Raghogarh and Guna Blocks (from Guna district); the 'Area'@ from Western Region (II) comprising 12 blocks viz., Petlawad and Meghnagar (from Jhabua district), Badnawar, Dhar and Nalcha (from Dhar District), Maheshwar and Barwaha (from Khargone district), Ratlam and Jaura (from Ratlam district), Mandsaur, Malhargarh and Neemuch (from Mandsaur district); the 'Area@' from Central Region comprising 11 blocks viz., Bina-Itawa, Khurai-Banda (Binaika), Rahatgarh, Sagar, Shahgarh (Amarmau) (from Sagar district), Tikamgarh and Baldeogarh (from Tikmgarh district) Vidisha and Gyaraspur (from Vidisha district) and Chhatarpur (from Chhatarpur district); the 'Area'@ from North Eastern Region comprising 11 blocks viz., Rewa and Raipur (Garh) (from Rewa district), Majhauli, Sidhi, Deosar and Waidhan (from Sidhi district), Sonhat, Baikunthpur, Mahendargarh, Surajpur and Ambikapur (from Surguja district) are eligible for the Central scheme of investment subsidy.

(iv) *Tamil Nadu (Three Areas/Tracts comprising 32 Taluks)*

One 'Area' comprising 12 Taluks (including Sub-taluks) viz., Ramanathapuram, Madukulathur, Sivaganga, Paramakudi, Thiruvadanai, Karaikudi and Thirupathur Taluks (from Ramanathapuram district), Melur Taluk (from Madurai district), Pudukkottai, Thirumayam, Alangudi and Kulathur Taluks (from Pudukkottai district), two 'Areas'@, one comprising 11 Taluks of Dharmapuri, Palacode, Hosur, Denkanikottah, Krishnagiri, Uthanagarai, Harur (from Dharamapuri district), Tirupattur, Vaniyambadi, Vellore, Walajapet (from North Arcot district) and the other area comprising 9 Taluks of Aruppukottai, Sattur, Srivilliputtur, Rajapalayam (from West Ramanathapuram of Ramanathapuram district), Tirumangalam, Usilampatti, Nilakottai Dindigul and Vedasandur (from Madurai district) are eligible for the Central Scheme of investment subsidy

In respect of Union Territories Nos 4 and 7 the entire district excluding the area within the Municipal limits of their capitals is eligible for the Central scheme of investment subsidy

@Represents Districts/Sub Divisions/Taluks/Blocks/Tehsils selected after 10-7-72

"Represents districts as they existed prior to their recent reorganisation

APPENDIX J

SOFT LOANS SCHEME FOR MODERNISATION OF SELECTED INDUSTRIES

1. *Objective of the Scheme*

The objective of the Scheme is to provide financial assistance on concessional terms to production units in certain selected industries to enable such units to overcome the backlog in modernisation, replacement and renovation of their plant and equipment so as to achieve higher and more economic levels of production and thereby improve their competitiveness in the domestic as well as international markets The Scheme is intended to induce and encourage these units to go in for modernisation wherever necessary

2. *Eligibility for assistance* :

The assistance under the Scheme will be restricted to industrial concerns in cement, sugar, cotton textiles, jute and certain engineering industries Textile units under the management of the National Textile Corporation Ltd and its subsidiaries are excluded from the purview of this Scheme

The basic criteria for assistance under the Scheme will be weakness or non-viability of the industrial concerns arising out of mechanical obsolescence The need for modernisation will have to be established beyond doubt as also the fact that viability would be achieved within a reasonably short period Industrial concerns which are not in a position to bear the normal lending rate of interest of the financial institutions will be provided concessional assistance to the full ex-

tent of the loan In other cases, assistance on concessional terms would be provided upto the maximum extent of 66⅔% of the loan (75% in the case of jute industry) In cases where the industrial concerns can conveniently meet the requirements for modernisation under the Bills Rediscounting Scheme of IDBI, they are expected, as at present, to avail themselves of the facilities under that Scheme, for this purpose, the maximum period of deferred payment has been extended to 7 years for all the five eligible industries and in the case of jute industry, the effective rate of interest has been reduced to 11%

3. *Constitution of industrial concerns*

Industrial concerns to be eligible for assistance under the Scheme, should have been registered as public or private limited companies or co-operatives Partnership or proprietary concern *are not eligible*

4 *Purpose of loan* :

Consistent with the main objective of the Scheme to have a selective approach, it is necessary for industrial concerns to prepare specific project reports on their modernisation, which should indicate both physical and financial requirements for modernisation. In drawing up the project reports, emphasis should be laid on carrying out specific technological improvements in crucial processes or activities, which would make a definite impact on production process in a short period. While the requirements of different industrial concerns would be different and no uniform set of physical requirements can be laid down, an indicative/illustrative list of what may be done by way of modernisation, has been drawn up in the case of cement, sugar and engineering industries, (vide Annexure to this Appendix) for the time being, assistance to units in these industries will be confined to the processes/activities as listed In the case of cotton textile and jute industries, no such list has been drawn up in view of the degree of product diversification that exists in these two industries This is left to the discretion of the individual industrial concerns subject, however, to the need for such modernisation being established In the case of jute industry, priority will be given to the modernisation of spinning (including preparatory stage) and processing sections

5. *Amount of loan* :

Assistance under the Scheme will be need based; as such, on minimum or maximum limit for indivdual loans has been prescribed

6 *Terms of loan* :

(i) *Rate of interest*

Inetrest on the loan under the Scheme will be charged at 7½ p a In the event of default in payment of interest and/or principal, additional interest @ 2% p.a. for th period of defaulton the amount of interests/principal indefault shall be charged.

(ii) *Commitment charge*

A commitment charge of ½% on the loan amount will be payable half-yearly after expiry of 6 months from the date of letter of intent or from the date of execution of the loan agreement, whichever is earlier

(iii) *period of loan*

The period of repayment of loan to be sanctioned under the Scheme would be upto 15 years including moratorium of 3 to 5 years

(iv) *Security and margin*

The loan to be sanctioned under the Scheme will require to be secured by a first change by way of mortgage/hypothecation on the fixed assets/moveables to be acquired under the Scheme along with a first charge or a second charge (where a first charge is not available) on the existing fixed assets of the industrial concerns The financial institutions viz., IDBI, IFCI and ICICI may also insist, at their discretion, on suitable personal and/or other guarantees

The margin on security will be decided on a case basis.

7. *Debt-equity ratio*

A flexible approach is proposed to be adopted in regard to debt-equity ratio of the industrial concerns to be assisted under the Scheme. A reasonable equity base will, however, be required to be maintained to ensure servicing of loans on soft terms

8 *Contribution from industrial concerns/promoters* :

The financial institutions would normally expect a reasonable contribution from the industrial concerns/promoters towards the cost of the modernisation scheme However, the extent of this contribution will be decided on a case to case basis depending upon the ability of the industrial concerns/promoters to generate/raise funds.

9 *Management* :

One of the main requirements of sanction of assistance under the Scheme will be the availability of competent management to the unit concerned The institutions will like to ensure that the management is responsible, adequate and competent to carry out the modernisation programme assisted under the Scheme. Towards this end, the institutions may suggest changes in the management set-up (in the Board of Directors and/or Chief Executive and/or other key personnel) before sanction/disbursement of assistance. Suitable provision will be made in the loan agreements to make such changes as may be necessary in the management set-up of the concern at any time during the currency of the loan

10 *Working capital requirements* :

Since the success of the Scheme would to a large extent, depend upon the cooperation of commercial banks and to achieve the full benefit of the modernisation programme, the financial institutions, while sanctioning assistance for modernisation, would like to be assured that the units have made adequate arrangements with their bankers for their working capital requirements at reasonable rates of interest.

11 *Overdue statutory liabilities*

If an applicant unit has any overdue statutory liabilities, it will be necessary for the unit to approach the concerned authorities for repayment of such dues in a phased manner.

12. *Licensing requirement and C G Clearance* :

In case where productive capacity is not likely to increase as a result of replacement/modernisation, the question of amendment of industrial licence does not arise. In case capacity is likely to increase, processing of applications by the financial institutions will proceed simultaneously with processing of applications for industrial approvals

In cases where import of equipment is necessary, an application for CG licence would have to be made to Government by the applicant as per the normal procedure In such cases also, processing of applications by the financial institutions, will proceed simultaneously with the processing of applications for Capital Goods

13. *Agency for operation of the Scheme* :

While the overall responsibility for the operation of the Scheme vests in IDBI, the work of processing and sanction of assistance will be shared amongst IDBI, IFCI and ICICI.

14. *General* :

The applicatons for assistance under the Scheme are to be submitted in the prescribed form available from IDBI/IFCI/ICICI The applications duly completed (5 copies) may be submitted *to any of the offices of the institutions* as under :

Industry	*Institution to which application is to be submitted*
Cement	IDBI
Cotton Textiles	IDBI
Sugar	IFCI
Jute	IFCI
Engineering	ICICI

The decision of the financial institutions in regard to eligibility etc of the proposals for assistance under the Scheme will be final Wherever considered necessary, the financial institutions may refer the proposals to an Ad hoc Committee of Advisers before taking a final decision thereon The expenses in this connection and for carrying out inspections of industrial concerns, shall be borne by the applicant units.

Annexure to Appendix I

Modernisation programmes eligible for assistance under the Soft Loans Scheme

(i) *Cement*

The following processes/activities would qualify for assistance under the Scheme :

I. Expansion to an economic size viz upto 1200 tonnes per day capacity

II. Investment connected with :

(a) conversion from wet to dry process,

(b) beneficiation of the main raw materials viz., limestone;

(c) installation or better use of modern mining and transport equipment like shovels, bulldozers etc that can lead to more scientific and economic use of mineral deposits,

(d) pre-calcination techniques in cement production, and

(e) use of industral wastes like blast furnace slag, fly ash and other pozollanic materials.

III. Installation of dust collection facilities (like electrostatic precipitators) that can lead to higher production or less environmental pollution.

(ii) *Sugar*

The following process/activities would qualify for concessional finance :

I. Expansion of daily crushing capacity upto 1500 tonnes per day.

II Improvement in the thermal efficiency by replacing the existing low pressure boilers by high pressue boilers.

III Installation of Waste Heat Recovery units like Economisers and Air Preheaters

VI. Installation of steam saving devices like the Pre-Evaporators, Vapour Line Juice Heaters etc

V. Semi-electrification of the Plant by installing power generators and replacing the steam-driven pumps by electric driven pumps etc.

VI Replacement of the existing plant and machinery for improving the mill efficiency, boiler house efficiency and quality of sugar.

(*iii*) *Engineering*

The following engineering industries are eligible for concessionel finance :

I Automobile Industries :

(a) agricultural tractors

(b) auto ancillaries (only those units which supply not less than 10% of their products to manufacturers of original equipment)

(c) commercial vehicles

(d) passenger cars

(e) scooters and motor cycles

II Industrial equipment industries :

(a) air compressors (manufacture of 100 cfm and above)

(b) electric motors (manufacture of (1) fractional H P motors meaning motors below one H.P. and (2) motors of 20 H.P and above)

(3) power cables

(d) industrial fasteners (only high tensile and special type viz, stainless steel, etc and original equipment suppliers to automotive industry)

(e) pumps (viz., process pumps and water handling pumps above 4″×4″)

(f) speed reduction equipment

III Industrial machinery industries,

(a) ball, taper and roller bearings

(b) cement machinery

(c) sugar machinery

(d) textile machinery

IV. Light engineering industries :

(a) bicycles (including manufacture of friction components like chains, free-wheels, hubs, chain wheels and crank)

(b) electric fans

(c) electric lamps (GIS only)

(d) industrial sewing machines

V Metallurgical industries :

(a) Gery iron malleable iron SGCI and alloy iron castings for industrial applications

(b) close die forgings

VI Cutting tools

VII. Intenal combustion engines above 20 H P

VIII Machine tools (only units licensed under IDR Act)

The following criteria would apply for determining eligibility for assistance in the above industries :

(a) Industrial units should have been set up at least 15 years ago.

(b) Replacement of machine tools and equipment more than 15 years old.

(c) Addition of balancing equipment fo improving produtivity, reducing inputs, recovery and recycling of wastes.

(d) Material handling equipment

(e) Testing and quality control instruments and equipment

The age consideration referred to under (a) above will be relaxed for units which are in a position to substantially increase exports either by reducing costs or upgrading quality.

OFFICERS OF THE CORPORATION

HEAD OFFICE

PRINCIPAL OFFICERS

Baldev Pasricha—*Chairman*

M. S Nagratha
General Manager

Dr. M. P. Khera
Technical Adviser

D. N. Davar
Joint General Manager

A. K. Ghose
Legal Adviser

P. S. Gopalakrishnan
Dy. General Manager

Dr. J. C. Rao
Economic and Statistical Adviser

N. P. Chakraborty
Officer on Special Duty

P. N. R. Rao
Officer on Special Duty

D. G. Ramaiah
Chief Accountant

S. K. Mitra
Asstt. Lega' Adviser

N. Krishnaswamy
Sr. Manager (Personnel)

V. S. R. K. Sastry
Senior Manager

S. P. Banerjee
Sr. Manager (Tech)

P. Brahmachari
Sr. Manager (Tech.)

K. C. Hukmani
Sr. Manager (Tech.)

Projects Department

S. C. Bhansali	*Manager*	V. K. Agarwal	*Asstt. Manager*
M. R. Ganapathy Rao	*Manager*	R. K. Arora	*Asstt. Manager*
V. P. Kamath	*Manager*	M. V. Divekar	*Asstt Manager (Tech.)*
M. V. Kulkarni	*Manager*	L. N. Kansra	*Asstt. Manager*
Dr. N. Mohapatra	*Manager (Tech)*	V. K. Maheshwari	*Asstt Manager (Financial Ana'yst)*
C. D. Reddy	*Manager (Tech.)*		
A. N Sehgal	*Manager*	Mohan Singh	*Asstt Manager*
H. C. Sharma	*Manager*	G. S Saxena	*Asstt. Manager*
		G. N Sivaramakrishnan	*Asstt Manager (Costing)*
		R. Subramanian	*Asstt Manager*
		S. M. Tulsiani	*Asstt. Manager*
		H. R. Verma	*Asstt. Manager*
		G. Narayanamurthy	*Asstt. Manager*

Advisory Services Department

L C. Arora	*Manager (Tech.)*	K. K. Garg	*Asstt. Manager (Tech.)*
S. P. Gupta	*Manager (Tech)*	K. K. Kathuria	*Asstt. Manager (Tech.)*
S. R. Guruswamy	*Manager (Costing)*	B. K. Malhotra	*Asstt. Manager (Tech)*
P. N. Mehrotra	*Manager (Tech.)*	N. K. Sawhney	*Asstt. Manager (Tech.)*
K. K. Varshney	*Manager (Tech)*	R. K. Sharma	*Asstt. Manager (Tech.)*
Sunand Mitra	*Manager (Tech)*		

Legal Department

S. S. L. Gupta	*Manager (Law)*	P. S. Balasubramanyan	*Asstt. Manager (Law)*
		K. R. Kalra	*Asstt. Manager (Law)*
		K. Sankaran	*Asstt. Manager (Law)*

Accounts Department

Management and Productivity Services Department

P. N. Agarwal	*Manager*	Brij Mohan	*Adviser (Productivity Services & Training*
H. C. Anand	*Asstt. Manager*		
A. N. Gupta	*Asstt Manager*	A. S. Tirumulpad	*Asstt. Manager*

Internal Audit & Inspection Department

Board & Coordination Department

P. N. Agarwal	*Manager*	P. N. Ramamurthy	*Secretary to Chairman*
B. K. Gupta	*Asstt. Manager (Financial Analyst)*	P. N. Arora	*Superintendent*

Economic & Planning Department

Statistics Department

K. Ramanujam	*Asstt. Manager*	V. S. R. K Sastry	*Sr. Manager**
K. S V. Menon	*Asstt. Manager*		

Administration Department

Personne' Department

M. L. Kapoor	*Personnel Officer*	N. Krishnaswamy	*Sr. Manager* (Personnel)*

Foreign Currency Loans Department

Pub'ic Re'ations Department

S. K. Jain	*Manager*	H. S. Soni	*Manager (Public Re'ations)*

*Also included in the list of Principal Officers.

OTHER OFFICES

Bombay

R. N Sahoo	*Asstt. Genera' Manager*	P S. Gurung	*Dy Technica' Adviser*
S. K. Rishi	*Sr. Manager (Tech)*	R L Shangari	*Asstt. Manager (Tech)*
L. N. Jadhvani	*Manager*	R L. Srivastava	*Asstt. Nanager (Tech.)*
C. P. Bhan	*Manager (Law)*		
M. K Keswani	*Asstt. Manager*		

Ca'cutta

S. K. Bhattacharya	*Regional Manager*	S. L. Mitra	*Asstt Manager (Law)*
F. M Patnaik	*Sr Manager (Tech.)*	P. K. Sen Gupta	*Asstt Manager (Tech.)*
K. P. G. Nair	*Asstt. Manager*	P. K. Gosh	*Asstt Manager(Law)*
		A. R. Gosh	*Asstt Manager*

Madras

M. N. Khushu	*Asstt. General Manager*	A. S. Khurana	*Manager (Tech.)*
G. B. K Pillai	*Asstt. Manager*	B. M. Agarwal	*Manager (Tech.)*
		B. N. Banerjee	*Asstt Manager (Law)*

Delhi

R. Ramachandra Rao	*Regional Manager*	B. M. Dhar	*Asstt. Manager (Law)*
K. Radhakrishna	*Manager*		

Ahmedabad

G. Viswanathan	*Manager*	R. S. Sharma	*Asstt Manager (Tech)*
P. V. Markandeyulu	*Asstt. Manager (Law)*	*Ahmedabad*	

Bangalore

V. Ramachandran	*Manager*	H. K. Ramiah	*Asstt Manager (Law)*

Hyderabad

M. M. Menon	*Manager*	M R. Rao	*Manager (Law)*

Bhubaneswar

S. M. Srisikar	*Officer-in-Charge*	C. D. Ghosh	*Officer-in-Charge*

Chandigarh *Cochin*

G. D. Narang	*Officer-in-Charge*	K. Chelliah	*Officer-in-chagre*

Gauhati *Jaipur*

S Sundararajan	*Officer-in-Charge*	B. B. Huria	*Officer-in-Charge*

Kanpur *Patna*

B. P Mishra	*Officer-in-Charge*	A K. Roychowdhury	*Officer-in-Charge*

Pune *Nagpur*

V. S Gupta	*Officer-in-Charge*	M. G. Chaturvedi	*Officer-in-Charge*

OFFICES OF THE CORPORATION

HEAD OFFICE

	Telephone		*Te'ex*	*Gram*
Bank of Baroda Building, 16, Parliament Street, Post Box No. 363, NEW DELHI-110001.	312052 (eleven lines) 388561/63	ND	2623	FINCO

OTHER OFFICES

AHMEDABAD				
IFC Bhawan, Chimanlal Girdharlal Road, Post Box No. 4049, AHMEDABAD-380009.	45933 45984	AM	436	FINCODIA
BANGALORE				
22, Mahatama Gandhi Road P. B. No 6091, BANGALORE-56001.	55190 55191 53388	BG	464	FINCO
BHOPAL				
E-1/23, Mahavir Nagar, Post Bag No. 1, BHOPAL-462014.	62433			FINCO
BHUBANESWAR				
20, Forest Park Area, BHUBANESWAR-751009.	51279			FINCODIA

OTHER OFFICES (*contd*)

	Telephone		*Telex*	*Grom*
BOMBAY				
Mehta Mahal (5th Floor) 15, Mathew Road, P. B No 3928, BOMBAY-400004.	359932 384870 384821 384962 355744	BY	2773	FINCORPIN
CALCUTTA				
4, Mangoe Lane (Second Floor), P. B No 2483, CALCUTTA-700001	231293 230941/44	CA	7463	FINCODIA
CHANDIGARH				
Bungalow No 216, Sector 11-A, CHANDIGARH-160011.	26347			IFCICHA
COCHIN				
'Karuna' (2nd Floor), XXXIII /1311-D, Mahatama Gandhi Road, Ernakulam, COCHIN-682011	34570			FINCO
DELHI				
Indian Red Cross Society Building, 1, Red Cross Road, Post Box No. 183, NEW DELHI-110001.	381994 389667 389715			INDFINCORP
GAUHATI				
G N. Bordoloi Road, Panbazar P B No. 30, GAUHATI-781001.	27245			FINCORP
HYDERABAD				
IFC Bhawan, 3-6-15, Himayatnagar, Post Box No. 1037, HYDERABAD-500029	38053 38019 34824	HD	429	INFINCO
JAIPUR				
Jamnalal Bajaj Marg, Near Railway Crossing, JAIPUR-302001	63448			IFCJAI
KANPUR				
Aggarwal Building. Canal Crossing, The Mall, P B-No. 319, KANPUR-208004	61120			FINCORP
MADRAS				
14, Sterling Road, Nungambakkam, MADRAS-600034	85087 86595 86596	MS	445	FINCORPIN
NAGPUR				
266, Bajaj Nagar, NAGPUR-440010.	33416			FINCO
PATNA				
43, Patliputra Colony, PATNA-800013	63365			FINCO
PUNE				
9 Glaxy, 353-A, Boat Club Road, PUNE-411001.	25310			FINCODIA

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977